षष्ठम् माला, खंड 13, अंक 34, सोमवार, 10 अप्रैल, 1978/20 चैत्र, 1900 (शक)
Sixth Series, Vol. XIII, No. 34, Monday, April 10, 1978/Chaitra 20, 1900 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

(4th Session)

सत्यमेव जयते

[खंड 13 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XIII contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय-सूची
CONTENTS

अंक 34, सोमवार, अप्रैल 10, 1978/20 चैत्र, 1900 (शक)

No. 34, Monday, April 10, 1978/Chaitra 20, 1900 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सोवियत संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	Welcome to the Soviet Parliamentary Delegation	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	1—14
*तारांकित प्रश्न संख्या 657, 659, 660, 663, 665 से 668 और 671।	*Starred Question Nos. 657, 659, 660, 663, 665 to 668 and 671	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 4	Short Notice Question Nos. 4	15—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	16—139
तारांकित प्रश्न संख्या 658, 661, 662, 664, 669, 670 और 672 से 676	Starred Questions Nos. 658, 661, 662, 664, 669, 670 and 672 to 676	
अतारांकित प्रश्न संख्या 6171 से 6173, 6175 से 6182, 6184 से 6205, 6207 से 6294 और 6294 से 6370	Unstarred Questions Nos. 6171 to 6173, 6175 to 6182, 6184 to 6205, 6207 to 6294 and 6296 to 6370 ..	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	139—145 & 153—155
लाल किला, दिल्ली में गाड़े गये स्वतन्त्रता रजत जयन्ती काल पत्र के सम्बन्ध में वक्तव्य डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र	Statement re. Independence Silver Jubilee Time Capsule at Red Fort, Delhi .. .. Dr. Pratap Chandra Chunder ..	140—144
लेबनान के संघर्ष में भारतीय नागरिकों के कथित अन्तर्ग्रस्त होने के बारे में वक्तव्य— श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Statement re. alleged involvement of Indian nationals in hostilities in Lebanon Shri Atal Bihari Vajpayee	145
नियम 377 के अधीन मामले	Matters under rule 377	145
(1) प्याज के निर्यात पर प्रतिबन्ध श्री धर्म सिंह भाई पटेल	(i) Reported ban on export of onion Shri Dharmasinhbhai Patel ..	145
(2) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से डाक और तार विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये अभियन्ताओं की सेवा शर्तें श्री मनोहरलाल	(ii) Service conditions of Assistant Engineers on deputation from C.P.W.D. to P & T Department Shri Manohar Lal	145

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अनुदान की मांगें, 1978–79	Demands for Grants, 1978-79 ..	145-152
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	Ministry of Health and Family Planning	145
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव	Shri Jagdambi Prasad Yadav	145-146
डा० बलदेव प्रकाश	Dr. Baldev Prakash	146-147
श्री टी० ए० पई	Shri T. A. Pai	147
श्री बी० पी० मण्डल	Shri B. P. Mandal	147-148
श्री महादीपक सिंह शाक्य	Shri Mahadeepak Singh Shakya	148
श्री पी० राजगोपाल नायडू	Shri P. Rajagopal Naidu ..	148-149
चौ० राम गोपाल सिंह	Chaudhury Ram Gopal Singh	149
श्री रामजी लाल सुमन	Shri Ramji Lal Suman ..	149-150
श्री राजनारायण	Shri Raj Narain	150-152
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग	Ministry of Education and Social Welfare and the Department of Culture	152-153
श्रीमती पार्वती देवी	Shrimati Parvati Devi	152
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	152-153
श्री पी० वी० नरसिम्हा राव	Shri P. V. Narasimha Rao	153-155

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, 10 अप्रैल 1978/20 चैत्र, 1900 (शक)

Monday, April 10, 1978/Chaitra 20, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सोवियत संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

WELCOME TO THE SOVIET PARLIAMENTARY DELEGATION

अध्यक्ष महोदय : अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से मैं सोवियत संघ के सुप्रीम सोवियत के चैयरमैन, महामहिम श्री ए० वी० शिटिकोष तथा सोवियत संसदीय शिष्टमंडल के माननीय सदस्यों, जो हमारे सम्मानित अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर आये हुए हैं, का स्वागत करता हूं ।

शिष्ट मंडल के अन्य माननीय सदस्य हैं :—

(1) श्री एन० आई० मैसल्नेनीकोव,	संसद सदस्य
(2) श्री बी० आर० राखीमोव,	संसद सदस्य
(3) श्री जी० वी० तारडजुमैनियन	संसद सदस्य
(4) श्री एफ० डी० कासेयानको	संसद सदस्य

उनके माध्यम से हम सोवियत संघ के सुप्रीम सोवियत की प्रधान परिषद के महामहिम चेयरमैन, सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद के महामहिम चेयरमैन, सुप्रीम सोवियत, वहां की सरकार तथा सोवियत संघ की मिज जनता को शुभ कामनायें भेजते हैं।

उत्तर प्रदेश में चावल का लाना ले जाना

*657. **श्री निर्मल चन्द्र जैन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिद्धान्ततया और व्यवहार्यतया पूरे देश में चावल और धान को निर्बाध लाने-ले जाने की अनुमति देती है;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश चावल और धान के निर्बाध लाने-ले-जाने की अनुमति उस पर लेवी का भुगतान किये बिना नहीं देता; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचना से विदित होता है कि राज्य सरकारों द्वारा चावल और धान के मक्त संचलन की पहले ही अनुमति दी जा रही है लेकिन वहत्तर कलकत्ता और दुर्गापुर आसनसोल औद्योगिक कम्प्लेक्स के सांविधिक राशन व्यवस्था के क्षेत्र में ले जाने और उससे बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ख) और (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाये रखने और बफर स्टाक तैयार करने के लिये जहां जरूरी है वहां लेवी का अनाज इकट्ठा करना आवश्यक है। ऐसे मामले में, यह शर्त है कि लेवी का भुगतान करने के बाद ही शेष स्टाक का मुक्त संचलन करने की अनुमति दी जा सकती है।

SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN : According to a decision of the Government free movement of rice and paddy has been permitted throughout India from 1st October, 1977. At that time the Minister of Agriculture had stated that due to free movement Government were not fixing any procurement target for rice and paddy. The Dy. Secy. Uttar Pradesh Government made it clear in writing on 9th January, 1978 that it is the opinion of Department of Justice that though as per clause 4 of Uttar Pradesh Rice and Paddy Trade Regulation Order, 1977 there is no specific provision for giving levy on paddy prior to this decision, yet it is necessary to pay 40 and 60 percent levy. What action is proposed to be taken by the Central Government against compulsory recovery of levy and thus violating the law ?

SHRI BHANU PRATAP SINGH : According to my information the State Government has suspended recovery of levy which pertains to trade prior to giving intimation to traders and no new levy is being recovered.

SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN : I have got the letter with me in which the Department of Justice has given its opinion that though there is no specific provision for paying levy before the decision, yet it is essential to recover levy to the extent of 40 and 60 percent. What action is being taken in this matter.

SHRI BHANU PRATAP SINGH : I have got no information with me about it. I have said that the Justice Deptt. has given advice and the Department of Food feels that this advice is wrong. Since a doubt has arisen, recovery has been suspended.

SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN : One of the major reasons for permitting free movement of rice and paddy by the Central Government was that rice and paddy could be made available at reasonable rates and in adequate quantity throughout India. It was intended to treat India as a single zone becuase rice and paddy are not in short supply. The decision of Uttar Pradesh Government to recover 60 percent levy defeats the very purpose of Central Government. What action Central Government propose to take in this matter on the basis of the powers conferred on them under Article 246 of the Constitution ?

SHRI BHANU PRATAP SINGH : The percentage of levy has been reduced. In U.P. it has been reduced from 60 per cent to 50 per cent. In certain area it is only 40 per cent. The purpose of availability of rice and paddy throughout the country has been achieved. The farmers have received higher price for paddy in the country and rice is also being supplied to consumers at cheaper rates.

CHOUDHARY BALBIR SINGH : Whether he is aware that Punjab Government have issued an Ordinance about the rice procured from the Seller in free sale in Punjab as a result of which there is heavy recession in the paddy market and its price has gone down even Rs. 70 which has been fixed by Government and at which Government make procurement ? The farmers suffered loss of Rs. 20 crores. This Ordinance has been withdrawn by Punjab Government after one week.

SHRI BHANU PRATAP SINGH : Mr. Speaker, Sir, the question primarily relates to Uttar Pradesh.

श्री वी० अरुणाचलम : तमिलनाडु और पश्चिमबंगाल जैसे कुछ राज्य अनाज की खुली आवाजाई के विरूद्ध हैं। वे एक राज्य जोनल पद्धति के पक्ष में हैं। चूंकि ये राज्य अनाज की खुली आवाजाई के विरूद्ध हैं, अत: क्या सरकार खुली आवाजाई की नीति का त्याग करेगी और एक राज्य जोनल पद्धति पुन: चालू करेगी जैसा कि तमिलनाडु और पश्जिम बंगाल ने मांग की है।

श्री भानु प्रताप सिंह : मेरी जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार अब इसके विरूद्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूछा है कि कुछ राज्य सरकारें एक राज्य जोनल पद्धति के पक्ष में हैं; क्या आप उस पर विचार करने के लिये तैयार हैं।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं मानता हूं कि एक या दो राज्य प्रतिबन्धों के हटाये जाने के विरूद्ध हैं, परन्तु राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए हमने सही निर्णय लिया है। गत कुछ महीनों के हमारे अनुभव से हमारा यह विचार है कि यह पद्धति जारी रखी जानी चाहिये। इसके परिणाम अच्छे निकले हैं। उत्पादकों को अच्छे मूल्य मिले हैं। उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर चावल मिला है।

10+2 पाठ्यक्रमों की जांच तथा पुनरीक्षण

*659. **श्री के० लकप्पा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षाविदों द्वारा की गई आलोचनाओं तथा क्रियान्वित में अब तक प्राप्त अनुभव के आधार पर माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत 10+2 पाठ्यक्रमों की जांच की गई है तथा उनका पुनरीक्षण किया गया है :

(ख) यदि हां, तो क्या पाठ्यक्रम से किन्हीं विषयों को निकालने का प्रस्ताव है अथवा क्या पाठ्यक्रम का भार अन्यथा कम किया जायेगा ताकि शिष्यों पर पढ़ाई का भार कम हो जाये और उनको कार्य अनुभव तथा अन्य पाठ्यविषयेतर गतिविधियों के लिये अधिक समय दिया जा सके;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या विद्यार्थियों को मार्च-अप्रैल, 1978 की माध्यमिक परीक्षा में पेपरों का मूल्यांकन करते समय कोई रियायत देने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या 10+2 पद्धति को जारी रखने का प्रस्ताव है अथवा कुछ राज्यों में इस पद्धति को अपनाने की तैयारी न होने के कारण इस को समाप्त करने का प्रस्ताव है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 2066/78]**

श्री के० लकप्पा : मूल प्रश्न इंडियन एक्सप्रैस में आज छपने वाले एक वक्तव्य से उत्पन्न होता है। जब मेरे प्रश्न का उत्तर मंत्रीजी द्वारा अभी दिया जाना बाकी है, इंडियन एक्सप्रैस में आज एक वक्तव्य छपा है। उसका उद्धरण देते हुए मैं चाहूंगा कि आप इस पर विचार करें कि क्या यह विशेषाधिकार प्रश्न है या नहीं। मैं उद्धृत करता हूं :

"10+2 पद्धति शीघ्र समाप्त की जायेगी।"

यह वक्तव्य उनके द्वारा दिया गया है या उनके मंत्रालय से किसी ने दिया है। बजट मांग पर चर्चा अभी होनी है। परम्परा यह है कि जब सभा मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करने वाली है तो यह देखते हुए उन्होंने नीति निर्णय ले लिया है।

अध्यक्ष महोदय : जब शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा की जायेगी, यह मामला उठाया जा सकता है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : तारांकित प्रश्न 10+2+3 पद्धति के बारे में है जिसका आज उत्तर दिया जाना है। जब मांगों पर आज या कल चर्चा होने वाली है तो क्या शिक्षा मंत्री या उनके वरिष्ठ अधिकारी प्रत्याशित निर्णय की पूर्ण घोषणा कर सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : आप से कोई भी विशेषाधिकार का प्रश्न उठा सकता है और उस पर अलग से विचार किया जायेगा।

श्री के० लकप्पा : जहां तक भाग (क) से (घ) का सम्बन्ध है, 10+2+3 पद्धति में मूल परिवर्तन करने के प्रश्न की आलोचना देश के प्रधानमंत्री ने दो बार की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या 10+2+3 पद्धति के अनुसार कुछ परिवर्तन करने की योजना है? इस पद्धति के मूल परिवर्तनों के बारे में शिक्षा मंत्रालय तथा प्रधान मंत्री के बीच मौलिक मतभेद क्या हैं?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : प्रधान मंत्री और शिक्षा मंत्री या शिक्षा मंत्रालय के बीच कोई मतभेद नहीं है । माननीय सदस्य ने प्रेस में छपी रिपोर्ट को पूरा नहीं पढ़ा है । मेरा यह कहना है कि मामले पर चर्चा की जा रही है । उस रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षा मंत्री पुनः विचार कर रहे हैं । यदि प्रैस अपनी मर्जी से कुछ छापे तो हम इसके लिये उत्तरदायी नहीं है ।

मैंने उत्तर में बताया है कि इस मामले पर समय समय पर चर्चा की जाती है और इसमें आगामी कुछ वर्षों में सारे देश में करोड़ों छात्रों का सवाल है । हम अपने रवैये में बहुत सतर्क हैं । हम मामले पर शिक्षाविदों, माता-पिता, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों से चर्चा करने के लिये समितियां बना रहे हैं ।

दो समितियों ने हमें अपने प्रतिदिन दे दिये हैं । ये समितियां सरकारी तौर पर नियुक्त की गई थीं । इन समितियों के अलावा एक गैर-सरकारी समिति भी है जिसका सभापतित्व श्री श्रीमन नारायण ने किया । उन्होंने सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा का स्वरूप 10+2+3 के बजाय 8+4+3 होना चाहिये । सारा मामला विचाराधीन है और अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है । मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के समय में इस विषय पर विस्तृत वक्तव्य दूंगा ।

श्री के० लकप्पा : मैं यह स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या 10+2+3 पद्धति की आलोचना को ध्यान में रखते हुए जांच तथा समीक्षा की गई है?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने कहा है कि मामला विचाराधीन है ।

श्री के० लकप्पा : 10+2+3 कुछ राज्यों में चालू की गई है और इसकी आलोचना प्रधानमंत्री ने की है । सरकार द्वारा सोची गई 10+2+3 स्कीम ने इस देश की समूची शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दिया है । संसद में और बाहर हुई आलोचना को ध्यान में रखते हुए, क्या वह शिक्षा प्रणाली को हमारे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के अनुरूप उद्देश्यपूर्ण और कार्यक्रम प्रधान बनाने के लिये उसके ढांचे में परिवतन करने पर विचार करेंगे ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : अब हम पहली कक्षा से ही सामाजिक दृष्टि से उपयोगी कार्यक्रम आरम्भ कर रहे हैं । इसीलिये हमने किताबों का बोझ कम करने का फसला किया है । उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के केन्द्रीय बोर्ड की पिछली परीक्षा में एक तिहाई पाठ्यक्रम कम कर दिया गया । अगले वर्ष इसमें और कमी की जायेगी। पिछली फरवरी में सभी राज्यों के उच्चतर शिक्षा बोर्डों के चेयरमैनों और सचिवों की चण्डीगढ़ में बैठक हुई थी। इस बैठक में फैसला हुआ कि जो योजना प्रस्तुत की गई है वह सारे देश में स्वीकार्य है ।

SHRI RAM NARESH KUSHWAHA : The self-contradictory statement made by the Hon'ble Minister may create confusion. Therefore, will he please state only the policy that has been decided upon and avoid creating such confusion ?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER : It is not an easy job. The matter is under discussion. The future of crores of students rests on it. No final decision has been taken so far. Therefore, I have said today also that the matter is being discussed.

श्री ए० ई० टी० बैरो : मुझे 10+2 प्रणाली सम्बन्धी नीति के बारे में चिन्ता है । यह नीति कोठारी आयोग और उससे पहले भावनात्मक एकता समिति जैसे शिक्षा निकायों द्वारा निर्धारित की गई थी । मंत्री महोदय ने दो शासकीय निकाय स्थापित किये हैं। 17 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने यह योजना क्रियान्वित की है । माननीय मंत्री 10+2 प्रणाली को लागू करने के बारे में वक्तव्य क्यों नहीं देते?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं बता चुका हूं कि 10+2 प्रणाली कुछ राज्यों ने स्वीकार की है लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में इसकी कुछ आलोचना हुई है । एक बात तो यह है कि शिक्षा पद्धति को अधिक जीवनोन्मुख बनाने के लिये उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिये । इसके बारे में कोई विवाद नहीं है । लेकिन अब एक नया फार्मूला प्रस्तुत किया जा रहा है क्योंकि संविधान के अनुसार हमारी 8 वर्ष की शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी है । इसलिये हमें 12 वर्ष की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिये । यह 8+4 हों या 10+2 हो, इस बात पर विचार करना है ।

कबड्डी को प्रोत्साहन

*660. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या भारत सरकार ने देश में भारतीय खेल कूद विशेष रूप से कबड्डी को प्रोत्साहन देने के लिये कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

देश में भारतीय खेल कूद विशेषकर कबड्डी को प्रोत्साहन देने के लिये भारत सरकार द्वारा किये गये कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:—

(i) भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों/राज्यों खेल परिषदों को जारी की गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं में, उनस स्थानीय क्षेत्रों में लोक प्रिय जिनके उपस्कर की खरीद अथवा नई भौलिक सुविधाओं के सृजन पर अधिक व्यय नहीं होता को प्राथमिकता देने के लिये कहा गया है।

(ii) ग्रामीण खेल कूद केन्द्रों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिये राज्य खेल परिषदों/राज्य सरकारों को बराबर के आधार पर वित्तीय सहायता दी जा रही है, जो खेल कार्यकलापों को, विशेषकर क्षेत्र में लोकप्रिय देशी और अन्य खेलों को नियमित और सतत आधार पर आयोजित करेंगे।

(iii) सरकार कबड्डी, खो-खो, कुश्ती, धनुर्विधा, व्यायाम, हाकी, फुटबाल, बास्केटबाल, कसरत और तैराकी जैसे खेल कूदों में ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं का एक राष्ट्र व्यापी कार्यक्रम प्रखण्ड स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक कार्यान्वित कर रही है जिसमें 12 लाख से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं।

(iv) राष्ट्रीय महिला खेल समारोह में कबड्डी और खो-खो जैसे खेल भी शामिल हैं।

(v) खो-खो और कबड्डी में नियमित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय खेल संस्थान (बंगलौर शाखा) में प्रारम्भ किया गया है। यह संस्थान अध्यापकों के लाभ के लिये कबड्डी में 6 सप्ताह का एक प्रमाण पाठ्यक्रम भी चला रहा है।

(vi) कबड्डी और खो-खो जैसे भारतीय खेलों में प्रतिभावान नौ जवान लड़के और लड़कियां भारत सरकार की खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति की भी पात्र हैं।

(vii) कबड्डी और खो खो जैसे भारतीय खेलों में उत्कृष्टता प्रदर्शन करने वाले पुरुष और महिलायें अर्जुन पुरस्कार के लिये भारत सरकार द्वारा विचार किये जाने के भी पात्र हैं।

(viii) कबड्डी और खो खो जैसे भारतीय खेल राष्ट्रीय स्तर पर भारत स्कूल खेल संघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में भी शामिल है।

(ix) कबड्डी जैसे भारतीय खेल पुरुष और महिलाओं दोनों के लिये अन्तर विश्वविद्यालय खेलों में भी सम्मिलित हैं।

(x) सरकार द्वारा कबड्डी और खो खो के राष्ट्रीय खेल संघों को उसी प्रकार वित्तीय सहायता दी जाती है जिस प्रकार अन्य खेल कूदों के मामलों में।

श्री आर० के० महालगी : प्रश्न के उत्तर से पता चलता है कि भारत सरकार लोकप्रिय भारतीय खेलों को प्रोत्साहित करने के लिये विभिन्न पत्र उठाने का विचार रखती है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि अब भारत सरकार ने कबड्डी और खो खो जैसे खेलों को प्राथमिकता देने के लिये मार्गदर्शी रूपरेखायें राज्य सरकारों और राज्य खेलकूद परिषदों के पास भेजी हैं तो उनकी इनके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? इन भारतीय खेलों के लिये इस वर्ष कितनी धनराशि की व्यवस्था की हैं?

SHRI DHANNA SINGH GULSHAN : It has been suggested that if Asian games took place in India in 1982, Kabaddi will be included therein as a demonstration game. We can approach the International Olympic Association for getting Kabaddi included among Olympic games only when this game is played in 40 countries and 3 continents.

श्री आर० के० महालगी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं राज्य सरकारों और राज्य खेलकूद परिषदों की उन्हें दी गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं पर प्रतिक्रिया तथा भारतीय खेलों के लिये आबंटित की गई धन-राशि के बारे में जानना चाहता था?

SHRI DHANNA SINGH GULSHAN : The amount allocated in the Budget is not for any particular game.

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने राज्य खेलकूद परिषदों से परामर्श किया है? उनकी प्रतिक्रिया क्या है? बजट में आपने कितनी राशि की व्यवस्था की है.

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : खो-खो और कुश्ती को अखिल भारतीय ग्रामीण खेलकूद कार्यक्रम में पहले ही शामिल किया जा चुका है और ये कार्यक्रम राज्य स्तर पर आयोजित किये जा रहे हैं। हम माध्यमिक स्तर तक खो खो और कबड्डी के लिये 900 रुपये प्रति वर्ष प्रति छात्र छात्र-वृत्ति दे रहे हैं। इसी प्रकार भारत सरकार 600 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति देती है। हमारी इन मार्गदर्शी रूप-रेखाओं पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया ठीक ही है।

श्री आर० के० महालगी : कबड्डी और खो खो को ओलम्पिक खेलों में शामिल कराने की दिशा में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : कबड्डी ओलम्पिक खेलों में शामिल नहीं है। इसलिये भारतीय खेल ओलम्पिक खेलों में शामिल नहीं किये जा सकते।

अध्यक्ष महोदय : आप इन्हें शामिल कराने के लिये क्या पग उठा रहे हैं?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : हम कबड्डी और खो खो को लोकप्रिय बनाने के लिये प्रयास कर रहे हैं। इन खेलों को ओलम्पिक खेलों में शामिल कराने के लिये बहुत से राज्यों को मांग करनी होगी। हमने नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ौसी राज्यों से बातचीत करने की कोशिश की है ताकि ओलम्पिक स्तर पर मांग की जा सके।

अनाज के बिना ढके स्टाक का खराब होना

*663. **श्री यशवन्त बोरोले**
श्री महेन्द्र सिंह सैयांवाला } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उचित भाण्डागारों की कमी के कारण खराब हुए अनाज का कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान कितना बिना ढका स्टाक खराब हुआ; और

(ग) क्या स्टाक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) जी हां। पहली मार्च, 1978 को गोदामों में खाद्यान्नों की कुल 138 लाख मीटरी टन की मात्रा में से 51 लाख मीटरी टन मात्रा कैंप (खुले) स्टोरेज में थी। 1977-78 के दौरान 2.84 लाख मीटरी टन मात्रा भारी वर्षा, बाढ़, तूफानों आदि से प्रभावित हुई थी। इसमें से 1-3-1978 तक 29,665 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा क्षतिग्रस्त और मानव उपभोग के अयोग्य थी।

(ग) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

खाद्यान्नों की क्षति रोकने के लिये निम्नलिखित पग उठाये गये हैं:—

(1) स्टाक को लकड़ी के क्रेटों में रखा जाता है और वर्षा से बचाने के लिये उनकी विशेष रूप से बनाई गई पोलीथीन की चादरों से ढका जाता है।

(2) तेज हवा, आंधी आदि के कारण चादरों का उड़ने से बचाव करने के लिये पोलीथीन की चादरों को उचित ढंग से बांधने के लिये नाइलौन की रस्सियां सुलभ की जाती है।

(3) मौसम के प्रकोप से और सुरक्षा करने के लिये प्रमख कैम्प कम्पलेक्सों में मोनोफिलामेंट के जाल और कवर टाप्स भी सुलभ किये जाते हैं।

(4) खाद्यान्नों की सुरक्षा करने के लिये पोलीथीन की चादरों को समय समय पर बदला जाता है।

(5) घनीकरण के कारण क्षति को रोकने के लिये चादरों को उठाकर स्टाक का अति सावधानी से वातन किया जाता है।

(6) कैम्प में रखे गये स्टाक का नियमित रूप से निरीक्षण करने और उसे सुरक्षित रखने के लिये विशेष ध्यान दिया जाता है। भारी मात्रा में खाद्यान्नों का स्टाक कैम्प में लगभग दो वर्षों से पड़ा होने के बाद भी काफी अच्छी हालत में है। वास्तव में भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपनाई गई कैम्प स्टोरेज की तकनीक से लाखों मीटरी टन खाद्यान्नों को बचाया जा सका है और यदि ऐसा न किया जाता तो वह बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो जाता क्योंकि स्टाक को रखने के लिये कोई भण्डारण स्थान उपलब्ध नहीं था।

(7) कैप स्टोरेज के स्थान पर अन्य प्रकार की भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने के लिये विभिन्न पग उठाये गये हैं। इनमें स्टेकों की ऊंचाई को बढ़ाकर, सभी उपलब्ध साधनों से ढके हुए स्थान को किराये पर लेकर, भारतीय खाद्य निगम द्वारा भारी संख्या में गोदामों का निर्माण कर और भारतीय खाद्य निगम की निर्दिष्टियों के अनुसार गारन्टी योजना के अन्तर्गत निजी पार्टियों द्वारा गोदामों का निर्माण करने के लिये प्रोत्साहित कर वर्तमान भण्डारण क्षमता का अनुकूलतम इस्तेमाल करना शामिल है।

श्री यशवन्त बोरोले : 2.84 लाख टन की भारी मात्रा खुले में स्टाक रखने के कारण प्रभावित हुई है प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में रखे गये विवरण में कहा गया है कि भारी मात्रा में खाद्यानों का स्टाक कैप में लगभग दो वर्षों से पड़ा होने के बाद भी काफी अच्छी हालत में है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है ?

श्री भानुप्रताप सिंह : कैप स्टोरेज का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रभाव होता है। जिन स्थानों पर तूफान आदि आते हैं वहां नुकसान अपेक्षाकृत अधिक होता है। ये कुल नुकसान था। इसमें से 29,665 टन खाने योग्य नहीं रह गया है। बहुत से भागों में कैप स्टोरेज के परिणाम सन्तोषजनक रहे हैं।

श्री यशवन्त बोरोले : क्या मंत्री महोदय 2.84 लाख टन के अलग-अलग आंकड़ों का ब्यौरा देंगे इनमें से कितना अप्राकृतिक स्थितियों के कारण और कितना प्राकृतिक स्थितियों के कारण प्रभावित हुआ है ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सामान्य दशाओं में खुले स्टोरेज के कारण भारी घाटा और क्षति हुई है अथवा नहीं।

श्री भानु प्रताप सिंह : इन दोनों श्रेणियों की क्षति के अलग-अलग आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं है।

SHRI MAHENDRA SINGH SAINAWALA : May I know from the honourable Minister as to what arrangements have been made for the storage of additional quantity of wheat and rice likely to be produced this year and what action has been taken by the Government to check the pilferage in the storage ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : इस वर्ष हम 20 लाख टन अनाज के भण्डारण की निजी तौर पर, व्यवस्था पर रहे हैं। यह एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत 20 लाख टन स्टाक गैर-सरकारी गोदामों में रखा जायेगा और हम विश्व बैंक योजना से भी सहायता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।

डा० वसन्त कुमार पण्डित : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कितना क्षतिग्रस्त अनाज, जो खाने योग्य नहीं है, बेचा गया । पीछे कुछ समय से हमारा यह अनुभव रहा है कि व्यापारी इस अनाज को खुली नीलामी में खरीद लेते हैं और उसके बाद इसे ग्रामीण इलाकों में खाने के लिये भेज देते हैं । अतः इसे निबटाने का क्या तरीका है और क्या इसे खाद बनाने के लिये काम में लाया जा रहा है जो खराब अनाज बाजार में ले जाया जाता है उसका किस प्रकार हिसाब रखा जाता है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : खराब हुए अनाज को पहले राज्य सरकारों को भेजा जाता है और इसको विभिन श्रेणियों में बांटा जाता है इसमें से कुछ अनाज जानवरों को खाने के लिये होता है और कुछ केवल खाद बनाने के काम में लाया जा सकता है, जिसकी नीलामी नहीं होती । खराब हुए स्टाक की केवल वही मात्रा जानवरों के खाने योग्य होती है को जानवरों के बारे में मिला दिया जाता है और उसे नीलाम कर दिया जाता है । हम इसे खरीदने वालों की एक सूची बनाते हैं और केवल उन्ही लोगों को इस प्रकार का सामान बेचा जाता है और यह उम्मीद की जाती है कि वे इसका मनुष्यों के खाने के लिये प्रयोग नहीं करेंगे ।

SHRI D. G. GAWAI : What is the stand of the Government regarding the stock which is available with the various State Government ? In Maharashtra we have sufficient stock of hybrid jowar. The rate of Hybrid jowar in the market is Rs. 75 per quintal but the price of the stock available with Government is Rs. 105 per quintal. Due to this fluctuation in the price, this entire stock is rotting. After two years, it will become worthless.

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रश्न से कोई संबंध नहीं है ।

श्री बैंकटा सुब्बैया : मंत्री महोदय ने बताया है कि प्राईवेट गोदामों की व्यवस्था की जा रही है और इस प्रयोजनार्थ विश्व बैंक से भी धन लिया जा रहा है । क्या सरकार का देश में पैदा होने वाले अनाज के लिये सुरक्षित गोदामों की व्यवस्था करने का कोई कार्यक्रम है ताकि इस अनाज की वर्षा से रक्षा की जा सके और सरकार को निजी व्यापारियों को बड़ी रकम किराये के रूप में न देनी पड़े ? क्या सरकार ने ऐसा कोई कार्यक्रम बनाया है और इसमें कितनी धन राशि अन्तर्ग्रस्त है ? क्या सरकार इस अनाज के भण्डारण के लिये पर्याप्त स्थान की व्यवस्था करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : विवरण से पता चलता है कि बड़ी संख्या में गोदाम बनाये जायेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह : हम कुछ गोदाम ले रहे हैं और कुछ विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत बना रहे हैं । कैप स्टोरेज शनैः शनैः कम कर दी जायेगी । लेकिन साथ ही कुछ अनाज कैप स्टोरेज में रखना होगा क्योंकि कभी कभी हमें स्टाक कई महीनों तक रखना होता है । उस समय कैप स्टोरेज ही सर्वोत्तम और सबसे कम खर्चीली व्यवस्था है ।

RICE MILLING INDUSTRIES REGULATION AND LICENCING ACT

*665. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to lay a statement showing :

(a) whether it is a fact that Gujarat Government has made a demand to Central Government on 4th April, 1977, 2nd December, 1977 and 24th January, 1978 for amending the Rice Milling Industries Regulation and Licencing Act and if so, the nature of the demands made by the Government of Gujarat, datewise;

(b) the nature of the demands out of them, acceded to indicating the dates on which those were acceded to and the manner in which acceded to as also the nature of the demands rejected and the reasons therefor and when the rejected demands would now be acceded to;

(c) whether the production of paddy in Gujarat is too little and if so, when the small single huller used, for milling paddy for home consumption in rural areas would be excluded from the Regulation and licensing Act; and

(d) the action proposed to be taken by Central Government now for providing facilities to the rural people in Gujarat ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क), (ख), (ग) और (घ) एक विवरण मदन के पटल पर रखा जाता है ।

(क) और (ख) : गुजरात सरकार द्वारा अपने पत्रों में की गई मांगों के स्वरूप, जिनके बारे में प्रश्न में उल्लेख किया गया है और उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

मांगों का स्वरूप	की गई कार्यवाही
(1)	(2)
दिनांक 4 अप्रैल 1977 का पत्र	
राज्य सरकार को आधुनिक मशीनरी लगाने की अपेक्षा किए बिना नयी सिंगल हुलर चावल मिलें स्थापित करने के लिए परमिट देने की अनुमति दी जानी चाहिए ।	1. इसे स्वीकार नहीं किया गया था । रुढ़िगत किस्म की सिंगल हुलर मिलों की तुलना में आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल से अच्छे उत्पादन और कम टुकड़े होने के लाभ की दृष्टि से राज्य सरकार की 28-5-77 को सूचित किया गया था कि नयी सिंगल हुलर मिलें स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान करना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा ।
(ii) वर्तमान सिंगल हुलर मिलों का आधुनिकीकरण करने की तारीख को 30 अप्रैल, 1977 से 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाए ।	सिंगल हुलर मिलों की आधुनिकीकरण कार्यक्रम की परिधि में 29 जुलाई, 1976 को लाया गया था । राज्य सरकार को 28-5-77 को सूचित किया गया था कि वर्तमान सिंगल हुलर मिलों का आधुनिकीकरण करने से संबंधित नियमों के अधीन 5 वर्षों की अधिकतम अवधि अर्थात 28 जुलाई, 1981 तक उपलब्ध है ।
(iii) शैलर किस्म की चावल मिलों के बारे में आधुनिकीकरण की तारीख को और 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाए ।	राज्य सरकार को 28-5-77 को सूचित किया गया था कि शैलर मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए समय-सीमा को बढ़ाने से संबंधित प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है । अब यह निर्णय किया गया है कि 30 अप्रैल, 1975 से पूर्व की लाइसेंसशुदा शैलर, शैलर-कम-हुलर और डैटरीज आफ हुलर टाइपस की चावल मिलों के बारे में समय सीमा 30 अप्रैल, 1980 तक बढ़ा दी जाए । गुजरात सरकार और अन्य राज्य सरकारों को इस निर्णय के बारे में पत्र, दिनांक 4-4-78 द्वारा सूचित कर दिया गया है ।
(2) **टैलेक्स, दिनांक 27 दिसम्बर, 1977** (2 दिसम्बर, 1977 नहीं जैसा कि प्रश्न में उल्लेख किया गया है)	2. इस आशय का निर्णय किया गया था और सभी राज्य सरकारों को 13 दिसम्बर, 1977 को सूचित किया

(1)	(2)
	गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत 15 अश्व शक्ति की और इससे कम की नयी सिंगल हुलर मिलों और जो सेला धान की भूसी उतारने संबंधी कार्य करती है, को स्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन शर्त यह होगी कि उन्हें लाइसेंस की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के अन्दर आधुनिक उपकरण लगाने होंगे । सेला चावल बनाने वाले हुलरों को 5 वर्षों का समय देने का मुख्य कारण यह है कि सेला चावल के बारे में रूढ़िगत यूनिट और आधुनिक यूनिट में उत्पादन संबंधी अन्तर 1 प्रतिशत से अधिक नहीं है और इसलिए यदि रूढ़िगत यूनिट को चालू रखने की अनुमति दी भी जाती है तो उत्पादन में केवल मामूली हानि होती है । लेकिन कच्चे चावल के मामलों में आधुनिक और रूढ़िगत यूनिट के बीच उत्पादन में अन्तर 6 प्रतिशत ऊंचा हो सकता है । यह देखना राष्ट्रीय हित में है कि इतनी अधिक हानि से बचा जाए । इस दृष्टि में, राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को, कि कच्ची धान को हैंडल करने वाली सिंगल हुलर मिलों को भी रियायत दी जाए, नहीं माना गया था और राज्य सरकार को दिनांक 30 दिसम्बर, 1977 के टैलेक्स द्वारा इसकी सूचना दे दी गई थी ।
3. पत्र, दिनांक 24 जनवरी, 1978	
राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि बिना किसी शर्त (विशेषतया सेला धान का विधायन करने संबंधी) और बिना आधुनिकीकरण के सिंगल हुलरों के लिए परमिट देने की अनुमति प्रदान की जाए ।	उपर्युक्त (2) के प्रति दिए गए कारणों से राज्य सरकार के अनुरोध को नहीं माना गया है और उन्हें तदनुसार सूचित किया जा रहा है ।

(ग) अन्तिम अनुमानों के अनुसार, गुजरात में 1976-77 में 8.51 लाख मीटरी टन धान का उत्पादन हुआ था । ऊपर उल्लिखित लाभों की दृष्टि में, गुजरात की सिंगल हुलर मिलों को आधुनिकीकरण कार्यक्रम से छूट देना सम्भव नहीं होगा ।

(घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने सिंगल हुलर मिलों सहित चावल मिलों का आधुनिकीकरण करने संबंधी योजना को रियायती ब्याज दर पर वित्त प्रदान करना मान लिया है ।

SPECIAL AUTHORITY FOR CONVERSION OF BARREN LAND INTO CULTIVABLE LAND

*667. SHRI RAM DHARI SHASTRI : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 273 on 13th March, 1978, regarding Special Authority for conversion of barren land into cultivable land and state :

(a) the difficulty in creating a Special Authority for reclaiming barren or fallow land; and

(b) whether Government would consider the necessity of reclaiming barren land at the earliest ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) पर्वतीय, रेगिस्तानी आदि बंजर भूमि को आर्थिक रूप से कृषि के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता है। राज्य सरकारें पुरानी ऊसर भूमि सहित कृषि योग्य परती भूमि के सुधार की व्यवस्था कर रही हैं। केंद्र में ऐसी भूमि का सुधार करने के लिए एक विशेष प्राधिकरण बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ख) जी हां।

SHRI DHARAMSINGHBHAI PATEL : The Hon. Minister has stated at page 2 of the statement that "new single huller mills of 15 horse power and less operating in rural areas and handling dehusking of par-boiled paddy could be permitted to be established subject, however to the condition that they would be required to instal modern equipments within a period of 5 years from the date of licence".

There are small flour mills for wheat and Bajra in the rural areas of Gujarat and a small huller costing Rs. 500/- is installed therewith. It is also used by the villagers for rice milling. Will this huller be exempted from the Rice Milling Industries Regulation and Licencing Act ? If so, by what time and if not, the reasons therefor ?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: A lot of rice is wasted in the old type of hullers and the net loss is about 6 percent. This rule aims at saving this 6 percent rice.

There are some other small machines also which can save people from the loss of rice. I have requested the hon. member about it.

SHRI DHARASINGHBHAI PATEL : It is stated in the item 3 of the statement that the Gujarat Government vide its letter dated 24-1-78 has requested that permit for single hullers may be allowed to be granted. What is the reaction of the Government thereto ?

SHRI BHANU PRATAP SINGH : One of the main condition is that they should make boiled rice in case they want to use huller because it will not give the loss of 6 percent. The loss will be nearly one percent which is permissible. This type of rice is not made in Gujarat.

SHRI MOHAN BHAIYA JAIN : This order has created condition for the closure of a number of hullers. Will the Government withdraw this order so that hullers could be operated and people could get employment.

SHRI BHANU PRATAP SINGH : No proposal to withdraw the order is under consideration. Oil is also prepared from the brass which came out from rice milling.

लद्दाख में अधिक उंचाई पर नेशनल पार्क और वन्य पशु शरण स्थल

666. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लद्दाख में अधिक ऊंचाई पर एक नेशनल पार्क और वन्य पशु शरण स्थल बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) जम्मू व काश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि वह लद्दाख में एक राष्ट्रीय पार्क स्थापित करने के सुझाव पर विचार कर रही है । तथापि भारत सरकार को राष्ट्रीय पार्क अथवा आश्रय स्थल की स्थापना के विषय में किसी प्रस्ताव का ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है ।

SHRIMATI PARVATI DEVI : There are oxen, goats and sheep in Ladakh. The Pashmina which come out from goats is famous through out the world. There Markhore, Ibex, Bears etc. etc. in Ladakh. There number is declining. There is no check on their hunting. What steps are being taken by the Government to protect this valuable wild life.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA : There is a Board for the preservation of wild life. The board also toured that area. Thereafter another team with Dr. Salim also went there. They have also submitted their report. Accordingly, it was suggested that "Jage-thage" area should be converted into national park. The Jammu and Kashmir Government has informed that they are implementing the suggestion.

SHRI RAM DHARI SHASTRI : The Hon. Minister has stated that cultivation of this type of land will not be economically beneficial. What will be the per hectare expenditure if this type of land is retained.

How much of this type of barren land is under the occupation of state Government and Central Government and converted it into cultivable land.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA : This type of land is located in different parts of the country and it is not possible to calculate the expenditure.

The Rajasthan Government has reclaimed 865 hectare. Uttar Pradesh 2158 hectare. Madhya Pradesh 4301 hectare, Gujarat 3744 of land in all 27,890 hectare of land has been reclaimed.

SHRI RAM DHARI SHASTRI : The Hon. Minister has stated that no Central Authority is contemplated to be set up. According to the reply given by the Ministry on 13.3.78 there is 169 lakh hectare of land in the country which can be reclaimed. My information is that there is 3 crore and 38 lakh hectare of such land in the country which can be distributed among 1 crore people with a view to solve unemployment problem. Will the Hon. Minister formulate a plan for reclaiming such type of barren land through out the country ?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA : The item of land improvement is their concern. So far as 169 lakh hectares of barren land is concerned, 20 percent can be reclaimed by incurring heavy expenditure.

SHRI RAM DHARI SHASTRI : The Hon. Minister has stated that barren lands in mountains, deserts etc. cannot be economically brought under cultivation. It is estimated that 169 hectare of barren land can be made cultivable.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA : I have already stated that 20 to 30 percent of land can be brought under cultivation but it will incur heavy expenditure.

SHRI CHAVI RAM ARGAL : There is crores of acres of land in the Chambal ravines. The Madhya Pradesh and Rajasthan Government are not in a position to reclaim it and bring under cultivation. Will it be reclaimed and distributed among the harijans and adivasis ?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA : I have already stated that it is not within our power to allot the land on patta. This in the concern of State Government. We give cent per cent subsidy of the reclaimation of land. The work was started last year and 1200 hectare land was reclaimed.

श्री वसंत साठे : चम्बल रेवाइन्ज तथा अन्य क्षेत्रों में कितनी एकड़ भूमि रेक्लेम की जा सकेगी । क्या विश्व बैंक अथवा संयुक्त राष्ट्र विकास फंड जैसी संस्थायें इस प्रकार की जमीन को रेक्लेम करने के लिये सामने आंयेगी ? सरकार के इस बारे क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इस प्रश्न का पहला भाग मूल प्रश्न से संबंधित नहीं हैं । दूसरे भाग के बारे कहा जा सकता है कि कोई विशेष योजना बनाये जाने पर हम विश्व बैंक जैसी ऐजेंसी की सहायता ले सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न ऐसा है जिसमें मध्य प्रदेश भी आ सकता है लेकिन शायद आपके नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री वसंत साठे : प्रश्न किसी विशेष प्राधिकरण द्वारा बंजर जमीन को खेती योग्य बनाने से सम्बन्धित है । हमें भूमि के क्षेत्र का पता होना चाहिये । मैंने केवल उसी के बारे पूछा है ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैं सारे देश का रकबा बता सकता हूं । बंजर भूमि दो करोड़ 35 लाख हैक्टेयर, कल्चरेबल वेस्ट लैंड—एक करोड़ 68 लाख हैक्टेयर ।

SHRIMATI KAMLA BAHUGUNA : The Hon. Minister has stated that 25 to 30 percent land can be converted into cultivable land. May I know the acreage of land likely to be converted into cultivable during the next 2 years.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA : It depends upon states. It is for them to do. The execution is done through them.

मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्थानीय मुद्रण

*668. **श्री मोहन लाल पिपिल :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975, 1976 और 1977 में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने स्थानीय मुद्रण पर कुल कितनी राशि खर्च की; और

(ख) सरकार द्वारा आगामी वर्षों में इस व्यय को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) स्थानीय छपाई के काम को कम करने के लिए उठाये गए मुख्य कदम ये हैं :—

(i) भारत सरकार मुद्रणालयों की मौजदा छपाई क्षमता में वृद्धि करना;

(ii) छोटे कार्यों पर लगी रोक को हटाना, जहां केवल सीमित संख्या में प्रतियां छापी जानी होती हैं ।

SHRI MOHAN LAL PIPIL : I would like to know from the hon. Minister the time by which the information will be collected because misappropriation to the tune of crores of rupees is involved in the matter.

SHRI RAM KINKER : The statement will be placed on the table as soon as information is collected.

अध्यक्ष महोदय : आपको 10 दिन का नोटिस दिया गया था ।

SHRI MOHAN LAL PIPIL : The Govt. of India have received numerous representations for setting up new presses and increasing the staff. I want to know the word of the Government in this regard I would like to know the number of new presses proposed to be set up by the Government and the increase likely to be made in the staff so that such cases of embezzelment are kept under check.

SHRI RAM KINKER : The question is not about opening of new presses. Some new machines are being installed which will increase our capacity and help in solving the difficulties.

SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : I would like to submit that 21 days notice was given to him and even then he has replied that the information is being collected.

अध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री महोदय से कहा कि उनको पर्याप्त नोटिस दिया गया था और उन्हें जानकारी एकत्र कर लेनी चाहिए थी । उन्होंने वचन दिया कि जानकारी एकत्र की जाएगी ।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : यह जानकारी केवल मेरे मन्त्रालय के अधीन विभाग से एकत्र नहीं की जानी है । यह जानकारी कई मन्त्रालयों और विभागों द्वारा दी जानी है और इसी कारण से विलम्ब हुआ है ।

शाहपुर परियोजना के अन्तर्गत तावा नदी पर पुल

*671. **श्री सुभाष आहुजा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने शाहपुर परियोजना के अन्तर्गत तावा नदी पर पुल के बारे में कोई प्रस्ताव मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया है;

(ख) क्या केंद्रीय सरकार ने इस पुल के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस पुल पर निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) जी, हां, मजूरी 26-5-1976 को जारी की गई थी ।

(ग) योजना का राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन किया जाना है जिसने अभी तक निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया है ।

SHRI SUBHASH AHUJA : I would like to know from the hon. Minister the estimated amount likely to be spent on the construction of Shahpur Bridge and also the time by which this project will be taken in hand.

SHRI SIKANDER BAKHT : On 26th May 1976 it was decided that the total cost of the construction of the bridge was Rs. 6 lakhs and 93 thousand out of which 75 percent expenditure would be borne by Govt. of India. On that way it was also decided that Central assistance will not be increased from Rs. 5 lakh 19 thousand and seven fifty. Whatever the cost of the construction may be. When we informed the State Government accordingly they replied that the cost of the bridge would be Rs. 10 lakhs and sometime thereafter they informed that the cost would be Rs. 16 lakhs and now they are of the opinion that the cost would be Rs. 21,90,800.

SHRI SUBHASH AHUJA : The displaced persons from Bengal were provided lands twelve years ago but neither the means of transport, nor the facility of irrigation nor any other facility was provided to them and as a result thereof they are stranded for 6 months during rains in a small island and they have to cross a 500 feet deep river for going elsewhere. Thus they are in a very pitiable conditions and that is why they are deserting Madhya Pradesh particularly Dandkaranya and going to Sunderbans. This clearly means that there were settled there but no facility was provided to them. So it is necessary for the sake of those displaced person that the bridge is constructed at an early date. Other projects should also be implemented early.

SHRI SIKANDER BAKHT : The question is regarding the bridge. I honour the sentiments of the hon. member and that is why Central Government has agreed to provide 75 percent of the amount to be spent on the bridge.

Short Notice Question

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के क्षेत्र में औद्योगिक गृहों का प्रवेश

अ० सू० प्र० 4. श्री ज्योतिर्मय बसु / श्री के० लकप्पा : : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिंदुस्तान लीवर, ब्रुक बांड इंडिया तथा जे० के० केमिकल्स को विविधीकरण के उपाय के रूप में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है;

(ख) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के क्षेत्र में बड़े औद्योगिक गृहों के प्रवेश पर केरल विधान सभा ने चिन्ता व्यक्त करते हुए एक संकल्प पारित किया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) अभी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) केरल विधान सभा ने 10-2-1978 को निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया था :—

"यह सदन अनुरोध करता है कि भारत सरकार प्राइवेट उद्योगपतियों द्वारा पंजीकृत जलयानों से मछली पकड़ने का कार्य शुरु करने के विषय में अपने फैससे को रद्द कर दे । इस सम्बन्ध में वह इस बात को ध्यान में रखे कि इसके फलस्वरुप केरल के लाखों परम्परागत मछुये बेरोजगार हो जायेंगे और उन्हें गम्भीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कना पड़ेगा ।

श्री ज्योतिमय बसु : मुझे पता लगा है कि सरकार आर्थिक अपराध करने वाली बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अनुमति देना चाहती है। सरकार को पता है कि कुछ दिन पूर्व गाजियाबाद में हिंदुस्ताद लीवर के परिसर में 1 मिलावटी तेल का भरा हुआ टेंकर पकड़ा गया था और इस तेल का प्रयोग डालडा के उत्पादन के लिए किया जाना था । इसी प्रकार ब्रुक बांड को कम मूल्य के बीवजक बनाने पर पकड़ा गया था । जे० के० भी आर्थिक अपराध करने और कम मूल्य के बीजक बनाने में कुख्यात है। इन लोगों को अचानक ही गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का काम दिया जा रहा है । क्या इस बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर की सुरक्षा को खतरा पैदा नहीं हो जाएगा ? गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की बजाय ये लोग समुद्र तट पर ही मछली पकड़ रहे हैं क्योंकि वहां मछली अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। इसके परिणामस्वरुप लाखों मछेरों को अपनी आजीविका से हाथ धोना पड़ रहा है । एक बार इनको लाइसेंस दे दिया गया तो ये लोग चाहे जहां जा सकते हैं । बड़े बड़े औद्योगिक गृहों को ऐसी अनुमति देकर सरकार चली आ रही परम्परा से हट रही है । सरकार ऐसा क्यों कर रही है और केरल विधान सभा के सर्वसम्मति से पास उस संकल्प की उपेक्षा क्यों कर रह है जिसकी अनुमति केरल के लोगों ने दी थी और हम भी केरल सरकार का पूरी तरह समर्थन करते हैं? किसी भी निजी उद्योगपति को तटवर्तीक्षेत्र में यंत्रीकृत नौकाओं से मछली पकड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : वर्ष 1977 में 200 मील का आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया और हमें तट-वर्ती रेखा से 200 मील आगे तक मछली पकड़ने की अनुमति प्राप्त है । अभी तक हमने यंत्रीकृत नौकाओं से मछली पकड़ना शुरू नहीं किया है । इसलिए दूसरे देश बंगाल की खाड़ी में, विशेषकर अडमान के निकट, जहां मछली बड़ी मात्रा में है, मछली पकड़ना शुरु किया है और हम उन्हें मना नहीं कर सकते । इसलिए सरकार ने निर्णय किया कि मार्च, 1979 तक हमारे पास अलग अलग आकार की 200 नौकाऐं होनी चाहिए । इसी योजना के अन्तर्गत मछली पकड़ने वाली नौकाओं को लगाया जाएगा । कुछ नौकाऐं आयात की जा रही हैं और कुछ बनायी जा रही हैं । इस योजना के अधीन भी कुछ सीमाएं हैं। कुछ प्रायमिकताएं नियत की गई थी : पहली प्राथमिकता सहकारी समितियों के लिए है, दूसरी राज्य सहकारी समितियों के लिए, तीसरी छोटे निजी उद्यमकर्ताओं और अन्तिम बड़े गृहों के लिए है मछली पकड़ने का व्यापार पूंजी प्रधान व्यापार है । मछली पकड़ने के जहाज की कीमत 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए के बीच होती है। इस देश के लिए यह एक नया व्या-पार है । हम इसके आदी नहीं है । इसलिए हम कुछ जो नियत करना चाहते हैं। राज्य सरकारों को इस विषय पर सोचने के लिए कहा गया है। जहाज चार किस्म के हैं । पहले तो परम्परागत मछेरे हैं जो यंत्रीकृत नौकाओं से जो कि एक लाख या इससे अधिक हैं, के साथ मछली पकड़ते हैं। दूसरे, लगभग 14,000 यंत्रीकृत नौकाएं हैं

इसके अतिरिक्त 20—22 मीटर आकार की कुछ बड़ी नौकाएं हैं । हम प्रयत्न कर रहे हैं कि छोटे मछेरों, परंपरागत मछेरों, जिनके पास यंत्रीकृत नौकाएं नहीं है, के लिए तटवर्ती रेखा से 5 किलोमीटर आगे तक मछली पकड़ने की अनुमति दी जाए । उसके बाद 30 किलोमीटर के क्षेत्र तक यंत्रीकृत नौकाओं को मछली पकड़ने की अनुमति दे । तथा उसके बाद बड़े ट्रालरों को 1 इस पर हम विचार कर रहे हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : आपने उनके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि वे तट के पास 5 या 10 किलों० मीटर तक मछली नहीं पकड़ेंगे, इस बात की क्या गारटी है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : अभी हमने पुलिस की गश्त की कोई व्यवस्था नहीं, की है । न ही हम ऐसा कर सकते हैं । पारम्परिक मछुओं और 20 से 22 मीटर की यंत्रीकृत नौकाओं में अक्सर विवाद होते रहते हैं। इस तरह के झगड़े मद्रास, गोआ और अन्य स्थानों में हुए हैं । वे राज्य भी इन सबके लिए एक सीमा निर्धारित करने के लिए कानून बना रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु: उन्हें लागू करने वाली कोई बात नहीं है ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इस पर भी विचार किया जा रहा है । हम पहली बार मछली के व्यापार में आ रहे हैं और कुछ समय तक ये कठिनाईयों बनी रहेंगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : केरल विधान सभा के एक मत से पास किए गए संकल्प की सर्वथा उपेक्षा क्योंकि गई है ? उसमें उन्होंने मांग की थी कि सरकार उद्योगपतियों के यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा मछली पकड़ने के निर्णय को रद्द कर दे क्योंकि इससे लाखों परम्परागत मछुए बेकार हो जाएंगे । मंत्री महोदय ने इस संकल्प के बारे में कुछ नहीं कहा है ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : हम इस की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं । हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि छोटे मछुओं के हितों की रक्षा कैसे की जाए । इसके लिए हम राज्य सरकारों के सुझाव भी माँग रहे हैं, जिससे बड़ी नौकाओं को तट से दूर रखा जा सके ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह तथ्य है कि कृषि मंत्रालय ने केरल विधान सभा के संकल्प की ओर कोई ध्यान नही दिया है । उन्होंने यह भी माना है कि पुलिस गश्त की कोई व्यवस्था नहीं है यह एक कागज परियोजना है और बहु राष्ट्रीय फर्मों और बड़े उद्योगपतियों को छोटे मछुओं के मूल्य पर कुछ भी करने की छूट दे दी गई है । मैं जानना चाहता हूं कि जहाज निर्माण में गम्भीर मन्दी को देखते हुए क्या वे सरकारी क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और साथ ही मत्स्य नौकाओं आदि में परिवर्तन करने और सुधार करने पर विचार करेंगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : सर्वोच्च प्राथमिकता सहकारी समितियों तथा दूसरी राज्य निगमों को दी जाती है और इसके बाद छोटे उद्यमियों और इच्छुक इंजीनियरों और इच्छुक इजीनियरों का स्थान आता है । सबसे अन्त में बड़े उद्योगपतियों का नम्बर आता है और उनके साथ यह शर्तें हैं, कि वे 40 मीटर लम्बे जहाजों से बड़े जहाजों का प्रयोग नहीं करेंगे जिनका मूल्य 1 करोड़ से अधिक नहीं होगा तथा वे तट से 25 मील दूर रहेंगे । वे बगाल की खाड़ी और अन्दमान के पास मछली पकड़ सकते हैं परतु वे उस क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते जहां छोटी पंत्रीकृत नौकाएं और परम्परागत नौकाएं कार्यरत हैं ।

जहां तक जहाजों में परिवर्तन कर उन्हें मछली पकड़ने के योग्य बनाना है इस बात पर अभी विचार नहीं किया गया है । इन्हें मछली पकड़ने के जहाजों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता । इनमें कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना होती है तथा किसी ने भी इसमें कार्य नहीं दिखाई है ।

श्री के० लकप्पा : माननीय मंत्री का उत्तर न तो संतोषजनक है और न ही तथ्यपूर्ण । गहरे समुद्र में, मछली पकड़ने के पीछे गहरी अन्तर्राष्ट्रीय चाल है । कुछ बड़ी ताकतें हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं और इसी कारण वर्तमान सरकार ने बड़े औद्योगिक गृहों को इसकी अनुमति दे दी है (**व्यवस्थान**) । बिस्कुट कम्पनियां तक इस उद्योग में लग रही हैं । एक ब्लेड निर्माता फर्म और एक साबुन फैक्टरी तक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में लगने वाली है । यह बहु-राष्ट्रीय परियोजना बन गई है । इसमें टाटा, ब्रुक बांड, हिन्दुस्तान लिवर, ब्रिटेनिया बिस्कुट फैक्टरी आदि बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय फर्में काम कर रही हैं ।

सरकार, का इन एकाधिकार प्राप्त कम्पनियों के प्रति उदार रुख क्यों है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : सदस्य महोदय ने कोई प्रश्न न करके..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही में शामिल न किया जाए ।

(व्यवधान)**

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : माननीय सदस्य ने पिछली सरकार के बहुराष्ट्रीय फर्मों को प्रोत्साहन देने के कारनामों को ही दोहराया है विभिन्न बड़े उद्योग गृहों द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने लिए उपयोग लाए जाने वाले जहाजों की संख्या 24 है जिसकी अनुमान पिछली सरकार ने दी थी । इन्हें 1968 की योजना के अन्तर्गत डालर आयात करने, की अनुमति दी गई थी, इनमें से एक भी नई योजना के अन्तर्गत नहीं है ।

**कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गए ।

**Not recorded :

श्री के० लकप्पा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है, वे पिछली सरकार का ही जिक्र कर रहे हैं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उत्तर पूर्णतः संगत है । आप इस सरकार पर इन लोगों को अनुमति देने का आरोप लगा रहे थे । मंत्री महोदय ने बताया मैंने ऐसा नहीं किया पिछली सरकार का ही यह कार्य था । **(व्यवधान)****

SHRIMATI MRINAL GORE : Whether Governments action of giving licence to big houses for fishing is in accordance with their policy of giving facilities to small industries and not encouraging big houses ? Whether Government will take a decision not to repeat the acts of the previous Government ?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA : We will always safeguard the interests of small fishermen but big traulers cannot be banned all together. They can do fishing even 200 miles off the shore, we cannot do anything in that respect. But if needed we can put a ban not to do fishing in the area where small fishermen are operating.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Whether Government will make a law so as to prevent big traulers to do fishing in the area beyond 10 miles and within 30 miles. What enforcement machinery Government have to catch the foreigners ?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA : I have written to every state asking them the kind of legislation they want. We will try that the area near the coast is reserved for small boats and after that mechanised boats are allowed to operate. Beyond that only the big traulers of 40 metres may be allowed to operate. Generally in Bay of Bengal small traulers do not operate.

अध्यक्ष महोदय : वे राज्यों से परामर्श कर रहे थे । यह एक बड़ा प्रश्न है । वह चाहते हैं कि सभी राज्यों के लिए समान कानून बने । कानून को लागू किए जाने के पत्र पर भी विचार हो रहा है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गोदामों के निर्माण के लिये शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को सहायता

***658. श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वसूल किए जाने वाले खाद्यान्नों और चीनी के भण्डार के लिये प्रत्येक राज्य में कितने गोदाम हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार के गोदामों के निर्माण के लिये दिसम्बर, 1977 तक शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को कोई सहायता दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) (क) : एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

(ख) और (ग) : गोदामों का निर्माण करवाने के लिए शिक्षित बेरोजगारों को सहायता देने की ऐसी कोई योजना नहीं है तथापि, रोजगार देने के अवसर बढ़ते हैं जब ऐसी गतिविधियों में लगे हुए सरकारी क्षेत्र के संगठनों द्वारा इस प्रकार के निर्माण कार्य शुरू किए जाते हैं ।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम के प्रयेक राज्य में खाद्यान्नों और चीनी का भण्डारण करने के लिए गोदाम

पश्चिमी बंगाल	278
असम	141
बिहार	97
उड़ीसा	63
उ० पू० सी०	35
हरियाणा	98
पंजाब	153
हिमाचल प्रदेश	9
जम्मू तथा कश्मीर	7
दिल्ली	7
राजस्थान	145
उत्तर प्रदेश	317
आन्ध्र प्रदेश	197
कर्नाटक	67
तमिलनाडु	72
केरल	74
महाराष्ट्र	49
गुजरात	56
मध्य प्रदेश	316
जोड़	2181

गहन ढोर विकास परियोजना

661. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976 से 1977 के दौरान विभिन्न गहन ढोर विकास परियोजनाओं के लिये सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी गई थी;

(ख) इस धनराशि का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है और इसका देश में दूध उत्पादन बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) उड़ीसा राज्य को अब तक कितनी राशि प्राप्त हुई है और उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में शुरू की गई परियोजना का स्वरूप क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) तक जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बीजों में आत्म-निर्भरता

662. **श्री सरत कार :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीजों के मामले में राष्ट्रीय बीज निगम की उत्पादन क्षमता क्या है;

(ख) देश में बीजों की मांग इससे कहां तक पूरी होती है;

(ग) क्या यह सच है कि निगम ने अधिक उत्पादन देने वाले बीजों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से कोई विस्तृत कार्यक्रम बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(क) से (घ) : राष्ट्रीय बीज निगम मुख्यत: मूल और प्रामाणिक बीजों के सम्बन्ध में कार्य करता है जिनकी देश में सीमित, परन्तु बढ़ती हुई मांग है। बीजों की मांग की बड़ी मात्रा किसानों द्वारा स्वयं ही पूरी कर ली जाती है जो ऐसी उपज और विशेषकर स्वयं अंकुरित होने वाली गेहूं और धान आदि की पर्याप्त मात्रा अपने पास रख लेने में पूरी सावधानी बरतते हैं जिनको विश्वस्त बीज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्ष 1977-78 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम ने पांच मुख्य धान फसलों अर्थात् गेहूं, धान, मक्का, ज्वार एवं बाजरे के लगभग 4.18 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज उपलब्ध कराये।

केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों की सलाह से देश भर में ऊंचे दर्जे के प्रामाणित बीजों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। विश्व बैंक ने इस कार्यक्रम के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी लगाने के लिए सहमति प्रकट की है।

इस कार्यक्रम में प्रजनक बीजों, मूल बीजों तथा प्रमाणिक बीजों का पर्याप्त उत्पादन करने और उनके लिये आवश्यक आधार तैयार करने, राज्यों में स्वतंत्र गुण नियंत्रण एजेंसियों तथा राज्य बीज निगमों की स्थापना करने, राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा समन्वित अंतर्राज्यीय विपणन करने, अपर्याप्त पूर्ति के वर्षों में कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बीजों का एक सुरक्षित भण्डार लगाने तथा वनस्पतियों के प्रजनक व मूल बीजों के अनुसंधान व परीक्षण करने की व्यवस्था है।

गुजरात को खाद्यान्नों की मांग और सप्लाई

*664. **श्री अहमद एम० पटेल**
श्री छीतू भाई गामित } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री निम्नलिखित जानकारी का देने ला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1977-78 में गुजरात राज्य की ज्वार, बाजरा, चावल, मक्का और गेहूं की कितनी मांग थी;

(ख) इस मांग पर कितनी मात्रा सप्लाई की गई;

(ग) यदि यह सप्लाई मांग से कम थी तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : केन्द्रीय भण्डार से खाद्यान्नों के लिए गुजरात सरकार से प्राप्त मांगों, मांगों के प्रति किये गये आबंटन और किये गये आबंटनों के प्रति राज्य सरकार द्वारा वास्तव में उठाई गई मात्रा के बारे में स्थिति इस प्रकार है :—

(आंकड़े लाख मीटरी टन में)

वर्ष	मांग			आबंटन			प्रतिशत उठान		
	चावल	गेहूं	मो० अ०	चावल	गेहूं	मो० अ०	चावल	गेहूं	मो० अ०
1975-76	1.75	5.58	2.90	0.43	5.02	0.52	0.43	3.94	0.44
1976-77	—	1.02	0.20	—	1.02	0.24	—	0.87	0.17
1977-78	0.13	3.88	2.49	0.13	3.88	1.08	0.06	2.35	1.14

प्रतिशत 15-3-1978 तक की स्थिति

मो० अ०—मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा, मक्का, माइलो—श्रेणीवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)

(ग) राज्य सरकार से प्रत्येक माह में प्राप्त मांगों, राज्य सरकार के पास स्थानीय वसूली से प्राप्त स्टाक की उपलब्धता, केन्द्रीय भण्डार में स्टाक की उपलब्धता, केन्द्रीय सरकार के पहले के आबंटनों में से राज्य सरकार द्वारा उठाई गई मात्रा, अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सापेक्ष आवश्यकताओं, मण्डी में उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मासिक आधार पर खाद्यान्नों के आबंटन किए जा रहे थे। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार को यथा सम्भव अधिक से अधिक खाद्यान्नों का आबंटन किया गया था।

(घ) इस समय राज्य सरकार की चावल तथा गेहूं की मांगें पूरी तरह पूरी की जाती हैं। तथापि, राज्य सरकार की मोटे अनाजों की आवश्यकताओं को पूरा करना सम्भव नहीं हुआ है। केन्द्रीय भण्डार में आयातित माइलों का स्टाक लगभग समाप्त हो गया है और अब कोई आयात नहीं हुआ है। भारतीय खाद्य निगम केवल समर्थन मूल्य के उपाय के रूप में मोटे अनाजों की आन्तरिक वसूली करता है और वास्तव म भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय भण्डार के लिए अब तक कोई वसूली नहीं की गई है। तथापि, राज्य सरकार को कहा गया है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो उसे माइलों/अन्य मोटे अनाजों के स्थान पर गेहूं की अतिरिक्त मात्रा केन्द्रीय भण्डार से आबंटित की जा सकती है।

डेरी उद्योग के लिए न्यूजीलैन्ड से सहायता

669. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में डेरी उद्योग के विकास के लिए न्यूजीलैंड सरकार से हाल ही में कोई बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

IRRIGATION FACILITIES

†*670. SHRI R. L. P. VERMA : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to lay a statement showing :

(a) whether 77 per cent of agriculture is still dependent on monsoons and it has not been possible to provide irrigation facilities so far;

(b) whether bank loan will be advanced to unemployed engineers on the principle of 'Water for each field and work to all' constituting one unit for five villages as a complete irrigation scheme;

(c) if so, whether Government propose to provide irrigation facilities for the entire agricultural land in the country through their own efforts and with the efforts of unemployed engineers in a planned way and under a time-bound programme; and

(d) if so, by what time ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) According to the Land Utilisation Statistics for 1974-75, the gross irrigation area formed 25.5 per cent of the total cropped area for that year. Unirrrigated area thus formed 74.5 per cent of the cropped area.

(b) There is no such proposal under consideration of the Government at present.

(c) & (d) Do not arise.

GRANTS TO UNIVERSITIES IN M.P.

†*672. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to lay a statement showing the amount of grants and assistance provided to different Universities of Madhya Pradesh during the years 1975-76, 1976-77 and 1977-78 by the University Grants Commission ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : A statement is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

Grants to Universities in M.P.

Sl. No.	Name of the University	Grants Paid		
		1975-76	1976-77	1977-78
		Rs.	Rs.	Rs.
1.	A. P. Singh	1,58,080·00	8,74,250·00	10,68,750·00
2.	Bhopal	3,96,191·50	16,49,472·18	24,18,600·80
3.	Indira Kala Sangeet	2,13,278·00	3,85,262·00	3,92,696·53
4.	Indore	10,17,526·10	21,90,257·33	31,05,153·69
5.	Jabalpur	4,96,497·91	16,01,255·60	16,28,497·27
6.	Jiwaji	8,01,584·86	13,04,032·92	11,76,525·00
7.	J. L. N. Krishi	—	3,000·00	4,750·00
8.	Ravi Shankar	7,29,576·00	15,53,857·83	22,68,251·77
9.	Saugar	14,01,094·99	23,85,836·34	37,73,188·30
10.	Vikram	9,87,866·99	18,19,075·10	22,27,117·08

SHORT WEIGHT OF WHEAT IMPORTED FROM U.S.A.

*673. SHRI MRITYUNJAY PRASAD : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to lay a statement showing :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the Patriot dated the December 17, 1977 under the heading "Rs. 170 crore loss in short weighed U.S. wheat, top F.C.I. officials in collusion";

(b) if so, what are the facts thereof and what quantity of wheat was found short and the cost price thereof as also the total expenditure that was involved in the wheat found short by way of freight, insurance, loading and unloading charges, etc.;

(c) what procedure is followed for calculating correct pre-shipment or at the time of shipment the weighment of imported wheat and other food articles and the authority charged with the responsibility for ensuring correct weight and record thereof;

(d) the procedure followed at the time of unloading at Indian ports and the authority on which responsibility therefor devolves;

(e) where and what investigations have so far been made in this regard together with the outcome thereof; and

(f) the action being taken and proposed to be taken to prevent recurrence of such scandals in future ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) to (f) Consequent upon the indictment of some U.S. grain firms for indulging in malpractices involving short-weighment and misgrading of grains to defraud foreign buyers, including India, the Government of India had filed claims against five major U.S. grain exporting firms for supplying foodgrains deficient in weight and quality during the years 1961—75. Claims were filed for a notional amount of 215 million Dollars representing two per cent of the total value of the grain supplied by these firms to India during the period in question so as to conform to U.S. rules and procedures which stipulated that claim can be filed against a firm only if 1½ per cent of the grain supplied by it is either short weight or is not of the quality contracted for and has no relationship with the actual claims. However, the matter is *sub-judice*. The option has been kept open of reaching negotiated out of court settlement with the firms concerned.

Clause 11 of the purchase contract provides for determination of weight at load ports in U.S.A. in accordance with the provisions of the U.S. Grain Standards Act. The weight is certified by the weighmaster whose certificate is treated as authentic.

The unloading of foodgrains at the Indian ports is the responsibility of the Food Corporation of India and different procedures are followed at different ports for the discharge of grain depending upon the facilities available and the final weight is determined at the time of despatch. As the Indian ports are, at present, not equipped with automatic mechanical discharge and weighing equipments, it has not been possible to weigh the foodgrains as they leave the ship and the claims of the shortlanding filed in the past could not be conclusively proved in courts of law for want of proper evidence. As a result of the investigations made by the U.S. Government, the U.S. Grain Standards Act has been amended to make the inspection and weighment of foodgrains at the load ports in U.S.A. more stringent and effective. The question as to whether any further remedial action is required to be taken by the Government of India is being examined in consultation with the Food Corporation of India and the Indian Embassy, Washington.

The facts of the case do not suggest that the shortlanding of foodgrains at the Indian ports was due to negligence or a connivance on the part of the officials of the Food Corporation of India and therefore, there is no proposal under consideration to have the matter investigated by the Central Bureau of Investigation.

दिल्ली में सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों द्वारा धरना

*674. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों ने 15 मार्च, 1978 को दिल्ली में धरना दिया;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं;

(ग) क्या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमण्डल शिक्षा अधिकारियों और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद से मिला था; और

(घ) यदि नहीं, तो उनकी कठिनाइयों की जांच करने और मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ग) जी, हां।

(ख) और (घ) : दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार राजकीय सहायता-प्राप्त स्कल शिक्षक संघ द्वारा निम्नलिखित मांगें की गई थीं। दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई का उल्लेख प्रत्येक मांग के सामने किया गया है।

मांगें	दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई
1. सभी सहायता-प्राप्त स्कूलों में समय से और पूरे वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।	पहले से ही निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए प्रत्येक सहायता-प्राप्त स्कूलों को दिल्ली प्रशासन का अनुदान हर तीन महीनों के लिए अग्रिम रूप से दे दिया जाता है। यह राशि स्कूल के निकटवर्ती बैंकों में खोले गये स्कूल कर्मचारी खाते में जमा हो जाती है। यह खाता स्कूल के प्राचार्य और संबंधित जिला कार्यालयों में कार्य कर रहे शिक्षा निदेशालय के एक पदनामित अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है। संबंधित शिक्षकों को चैकों द्वारा भुगतान किया जाता है और आम तौर पर वेतन के भुगतान में कोई विलम्ब नहीं होता है। कुल मामलों में जहां स्कूल का प्रबन्ध ठीक न होने के कारण

(1)	(2)
	स्कूल का प्रबन्ध दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 20 के अन्तर्गत अपने अधिकार में ले लिया गया है, नियुक्त संबंधित कर्मचारी केवल 95 प्रतिशत तक वेतन प्राप्त कर रहे हैं जोकि प्रशासन द्वारा दिया गया अनुदान है। वेतन का शेष 5 प्रतिशत जोकि आमतौर पर संबंधित सहायता-प्राप्त स्कूलों द्वारा दिया जाता है, का भुगतान इन शिक्षकों को नहीं किया जाता क्योंकि इस अतिरिक्त देयता को फिलहाल सरकारी निधियों से वहन नहीं किया जा सकता। दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि सरकार ऐसे मामलों में कर्मचारियों के वेतन का 100 प्रतिशत व्यय वहन कर सके।
2. शिक्षकों के वेतनमानों में यथानुपात वृद्धि करके प्राचार्यों के वेतनमानों और शिक्षकों के वेतनमानों के बीच का अन्तर कम किया जाए।	दिल्ली प्रशासन का विचार है कि दिल्ली में शिक्षकों के वेतनमानों में इस समय संशोधन करने की कोई औचित्य नहीं है क्योंकि वर्तमान वेतनमान तृतीय वेतन आयोक की सिफारिशों पर केवल 1-1-1973 से ही लागू किये गये थे।
3. एक ग्रेड में आठ वर्षों की सेवा पूरी कर लेने पर सभी शिक्षकों को प्रवरण-ग्रेड दिया जाए।	विभिन्न श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को प्रवरण ग्रेड देने के संबंध में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए इस मांग को मानना व्यावहारिक नहीं होगा।
4. शिक्षकों के विद्यमान कार्यभार का वैज्ञानिक पुनर्गठन किया जाए और उसे कम किया जाए।	दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 (नियम 114 के साथ पठित नियम 31) के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रत्येक शिक्षक के लिए छात्रों को एक वर्ष में कम से कम 1200 घण्टे का शिक्षण देना आवश्यक है, जिसमें से अधिक से अधिक 200 घन्टे का प्रशिक्षण स्कूल परिसर में कमजोर अथवा प्रतिभाशाली छात्रों को, स्कूल समय से पहले अथवा बाद में देना आवश्यक है। उक्त नियमों के लागू होने से पहले शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों से शिक्षण कार्य के भिन्न-भिन्न घण्टे देने की अपेक्षा की जाती थी। 1-5-1975 से इस असंगति को समाप्त कर दिया गया है और निर्धारित मापदण्ड प्रत्येक शिक्षक पर लागू होते हैं। जैसा कि संघ द्वारा आरोप लगाया गया है इस वैज्ञानिक व्यवस्था का आपातकाल से कोई संबंध नहीं है और न ही यह आपातकाल में आरंभ ही की गई थी।

5. सहायता-प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें, विशेषकर सेवा सुरक्षा आदि के मामलों में गैर-अल्पसंख्यक स्कूलों के समान हों।	भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए यह मांग नहीं मानी जा सकती।
6. भूतपूर्व ग्यारह वर्षीय सभी स्कूलों को स्तरोन्नत करके बारह वर्षीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बनाया जाए।	प्रशासन ने पहले ही, नई पद्धति के अन्तर्गत इलाके की आवश्यकता, स्थान की उपलब्धता, उपस्करों की उपलब्धता और छात्रों की संख्या आदि के मानदण्ड के आधार पर अधिकतर माध्यमिक स्कूलों को कक्षा 12 तक स्तरोन्नत कर दिया है सभी माध्यमिक स्कूलों में +2 स्तर की व्यवस्था करना संभव नहीं है।
7. सभी स्तरों पर संयुक्त सलाहकार समितियों का गठन किया जाए और स्कूल प्रशासन को पूरी तरह लोकतांत्रिक बनाया जाए।	संयुक्त सलाहकार समिति गठित करने की एक योजना प्रशासन के विचाराधीन है।
8. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना का लाभ दिल्ली के सहायता-प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को भी दिया जाए।	इस समय दिल्ली प्रशासन के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना में शामिल नहीं है। तदनुसार इस योजना के लाभ निजी सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं कराये जा सकते।
9. सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूल शिक्षक संघ को "वैध" मान्यता दी जाए और इसे शिक्षा निदेशालय में उपयुक्त कार्यालय स्थान दिया जाए।	दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के 38 संघ हैं जो मान्यता तथा अन्य सुविधाओं की मांग करते हैं। प्रत्येक संघ को अलग अलग स्थान देना व्यवहार्य नहीं है। संयुक्त सलाहकार समिति का गठन हो जाने पर विभिन्न संघों के कार्यकलापों का उचित समन्वय करने का प्रस्ताव है।
10. सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूल संघ "जी० ए० एस० टी० ए०" के परामर्श से दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 और दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 में उपयुक्त संशोधित किया जाए।	दिल्ली के विभिन्न शिक्षक संघों को उचित समय पर दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 में संशोधन के बारे में अपने विचार रखने का अवसर प्राप्त होगा।

उत्तरी उड़ीसा में विश्वविद्यालय

*675. **श्री बैरागी जेना:** क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरी उड़ीसा में एक और विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का सर्वेक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कोई दल उड़ीसा गया है; और

(ग) उस दल का क्या प्रतिवेदन है और क्या इसे सभा पटल पर रखा जाएगा?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) उत्तरी उड़ीसा में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव न तो सरकार को और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों में प्रिंसिपलों के रिक्त पद

*676. **श्री सूरज भान :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कुछ कालेजों में प्रिंसिपलों के स्थायी पद रिक्त पड़े हैं और काफी लम्बे समय से तदर्थ व्यवस्था की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस संगठनों के सुचारु ढंग से कार्य करने के विपरीत और शिक्षकों और विद्यार्थियों के हितों के विरुद्ध नहीं समझा जाता है;

(घ) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस बारे में प्रभावी नियन्त्रण और कार्यवाही की है; यदि हां, तो की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या ऐसी तदर्थ नियुक्तियों को जारी रखने की कोई समय सीमा है; यदि हां, तो क्या इसका पालन किया गया था; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ङ) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार तीन कालेजों में प्राचार्यों के पदों को निम्नलिखित कारणों से स्थायी आधार पर नहीं भरा गया है :—

(1) दयाल सिंह कालेज :

प्राचार्य का पद 4-2-1976 को खाली हुआ था और स्थानापन्न व्यवस्था कर दी गई थी। तत्पश्चात् कालेज ने इस पद को विज्ञापित किया था। तथापि, दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् ने, 28 अप्रैल, 1977 को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय लिया था कि इस कालेज में प्राचार्य की नियुक्ति स्थायी आधार पर करना तब तक उपयुक्त नहीं होगा जब तक विश्वविद्यालय इस कालेज को अपने अधिकार में नहीं ले लेता, जिसके ब्यौरे विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह से तैयार किये जा रहे हैं।

(2) देशबन्धु कालेज

कालेज के स्थायी प्राचार्य ने 22 जुलाई, 1975 को दिल्ली विश्वविद्यालय में एक पद पर आवधिक आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर ली थी। अतः प्राचार्य का पद तब तक स्थायी आधार पर नहीं भरा जा सकता जब तक उनका उस पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार है।

(3) श्यामलाल कालेज :

स्थायी पदधारी के त्यागपत्र दे देने के परिणामस्वरूप प्राचार्य का पद 23 जुलाई, 1977 को खाली हो गया था। 22 जनवरी, 1978 को इस पद का विज्ञापन दूसरी बार दिया गया है। चयन समिति की बैठक जल्दी ही बुलाई जा रही है।

EXPENDITURE INCURRED ON PRESERVATION OF INDIAN CULTURE

†6171. **SHRI DAYA RAM SHAKYA :** Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state the annual expenditure incurred by Government for the preservation of Indian Culture and the purposes for which this amount is spent and whether the States are allocated funds for the purpose separately ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : The Department of Culture is primarily concerned with the preservation of the cultural heritage ranging from monuments, archives, manuscripts, books and antiquities to oral knowledge, modern art, and contemporary traditions. These activities are directed through institutions in these fields administered by the Department of Culture including attached, subordinate and autonomous organisations, for instance the Archaeological Survey of India, National Archives, National Museum, National Library, National Gallery of Modern Art, Institute of Tibetan Studies, the Lalit Sangeet Natak, Sahitya Akademies, etc., or through schemes of assistance to artists and institutions.

In addition to the Central budget, the State Governments also provide funds in their Plans for maintaining similar institutions and through them for the preservation of the cultural heritage in the States. The total plan allocations under Art & Culture during 1977-78 and 1978-79 in both Central and State sectors was as follows :

(Rs. in lakhs)

	1977-78	1978-79
Central	597·00	732.23
States	313.20	698 72
TOTAL	910.20	1430.95

कल्लर और मुनार में बांध

6172. **श्री के० ए० राज :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपरावती नदी के जलग्रहण क्षेत्र में नियामकाड् के निकट कल्लर और मुनार में **बांधों** का निर्माण करने के लिये केरल सरकार द्वारा किसी परियोजना को आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या वह इस बात से अवगत हैं कि बांध के निर्माण से कोयम्बत्तूर जिले की अमरावती नदी परियोजना का क्षेत्र रेगिस्तान में बदल जायेगा;

(ग) इस विपत्ति को रोकने के लिए उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(घ) क्या 7 किलोमीटर लम्बाई की सुरंग का निर्माण करके इद्दुक्की पन बिजली योजना के लिए पहिले से प्रयोग में लाये जाने वाले पानी को नियामकाडु की ओर मोड़ने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या वह जानते हैं कि इससे कोयम्बत्तूर जिले में 2 लाख एकड़ शुष्क भूमि पर सिंचाई हो सकेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) नियमकाडु के निकट कल्लार और मुनार के उधार बांधों के निर्माण का कोई प्रस्ताव अभी तक केरल सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) : ये सवाल पैदा नहीं होते।

(घ) और (ङ) : इदिक्की स्कीम के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग किए गए जल को एक 7 किलोमीटर लम्बी सुरंग का निर्माण करके नियमकाडु में लाने का प्रस्ताव है ।

चीनी का उत्पादन

6173. **श्री धर्मवीर विशिष्ट :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1978 को समाप्त होने वालें प्रथम चार महीनों में चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ है; और

(ख) गत वर्ष इसी तिथि की तुलना में चीनी कारखानों में 31 जनवरी, 1978 को चीनी का कुल कितना स्टाक था और स्थिति में बड़ा अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

कृषि ओर सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) 1977–78 चीनी मौसम के पहले चार महीनों में अर्थात् 31–1–1978 तक चीनी का कुल उत्पादन 23.45 लाख मीटरी टन हुआ था।

(ख) 1977–78 चीनी मौसम में 31 जनवरी, को फैक्ट्रियों के पास चीनी का शेष कुल स्टाक 24.29 लाख मीटरी टन था जबकि 1976–77 चीनी मौसम की उसी तारीख को 18.64 लाख मीटरी टन था। इस वर्ष 31 जनवरी को चीनी का अधिक स्टाक होने का मुख्य कारण 1–10–1977 को 1–10–1976 की तुलना में पिछले वर्ष का वचा हुआ स्टाक लगभग 7.4 लाख मीटरी टन अधिक स्टाक होना है ।

इण्डियन स्कल आफ माइन्स, धनबाद

6175. **श्री ए० के० राय :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का ध्यान 21 जनवरी, 1978 और 29 जनवरी, 1978 के कोलफील्ड गजट में इंडियन स्कूल आफ माइन्स धनबाद के कार्यों के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या मंत्रालय का विचार सत्य का पता लगाने के लिए इस मामले की जांच कराने का है ताकि प्रबन्धकों अथवा पालिका के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां। गजट में उठाए गए मुद्दों को दर्शानेवाला विवरण संलग्न है।

(ख) भारतीय खान स्कूल (इन्डियन स्कूल आफ माइन्स) धनबाद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत एक विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था है। स्कूल के कार्यों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण स्कूल के कार्यकारी बोर्ड में निहित है। कार्यकारी बोर्ड से इस मामले की जांच करने का अनुरोध किया जा रहा है।

विवरण

कौलफील्ड गजट में उठाए गए मुख्य मुद्दे

1. उपर्युक्त निर्देशकों के बिना कई अनुसंधान परियोजनाओं का चलाया जाना, अध्यापकों के बिना नए पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना

2. अनुशासन के नाम पर निदेशक द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग और स्वैच्छाचारिता

3. नियुक्तियों और पदोन्नतियों में अनियमितता और पक्षपात

4. श्री मरवाहा और उनके निकट सम्बन्धियों की कुल परिसम्पत्ति की जांच के लिए निष्पक्ष जांच समिति।

रंगनाथन समिति का प्रतिवेदन

6176. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा नियुक्त रंगनाथन समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस बीच उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : सरकार द्वारा नियुक्त रंगनाथन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रंगनाथन कमेटी की सिफारिशों का कार्यान्वयन करने के लिए सरकार ने एक शक्ति प्रदत्त कमेटी का गठन किया था। रंगनाथन कमेटी की सिफारिश और सरकार के उस पर निर्णय का एक विवरण सभा पटल पर रखा है। [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-2067/78]। सरकार ने सिफारिश नं० 5, 6, 8, 10, 14, 18, 31, 34, 37, 41, 42 और 43 की सिफारिशों पर किए गए निर्णयों को कार्यान्वित कर दिया है।

चुकन्दर की फसल

6177. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने क्षेत्र में चुकन्दर की फसलें हैं;

(ख) चीनी मिलों में उसकी कितनी मात्रा में खपत होती है; और

(ग) क्या सरकार चुकन्दर की फसल को प्रोत्साहन दे रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राजस्थान राज्य के गंगानगर शुगर मिल श्रीगंगानगर के क्षेत्र में चुकन्दर की खेती की जाती है । 1977–78 में 1140 हैक्टार क्षेत्र में चुकन्दर की खेती की जाती है । तमिलनाड के धरमपुरी जिला सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड, धरमपुरी के क्षेत्र में भी इसकी थोड़ी खेती की जाती है।

(ख) 1976–77 में गंगानगर शुगर मिल में 32823 मीटरी टन चुकन्दर की खपत हुई थी और धरमपुरी जिला सहकारी शुगर मिल में 401 मीटरी टन की खपत हुई थी।

(ग) जी हां। भारत सरकार पांचवीं योजना के दौरान राजस्थान में चुकन्दर के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसकी खेती को प्रोत्साहन देने के लिए कृषकों को योजना के प्रथम तीन वर्षों में चुकन्दर के बीज पर शतप्रतिशत की दर से आर्थिक साहाय्य दी जाती है, चौथे वर्ष में 50 प्रतिशत की और पांचवें वर्ष में 25 प्रतिशत की आर्थिक साहाय्य दी जाती है। इसके अतिरिक्त, चुकन्दर की खेती की पद्धतियों के संबंध में व्यापक प्रदर्शन किये गये तथा चुकन्दर की खेती की उन्नत पद्धतियों में कृषकों को सलाह देने के लिए तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध कराये गये।

COMMITTEE ON GIRI INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES

†6178. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether a Committee was constituted by the Indian Council of Social Science Research to go into the working of 'The Giri Institute of Development Studies';

(b) whether the Committee has completed its work: and

(c) if so, the board contents of the report submitted by it ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) Yes, Sir, a Visiting Committee was appointed by the Indian Council of Social Science Research to examine the work and plans of the Institute and for assessing its suitability for inclusion in the list of assisted institutions of ICSSR.

(b) Yes, Sir.

(c) The main recommendations of the Committee are as follows :—

(1) That the Institute should be brought on the list of the Research Institutes in Social Science getting grants from the ICSSR.

(2) That the Institute may be provided an *ad hoc* grant of Rs. 1 lakh by the ICSSR for purchase of books and academic equipment in the current year.

(3) That it should get adequate grants for 1977-78 and 1978-79. The ICSSR should provide a recurring grant of Rs. 2 lakhs to the Institute in 1977-78 and that the Government of Uttar Pradesh be pursuaded to give an equal grant.

(4) This grant should be raised by 25 per cent in 1978-79 with a matching grant by the State Government.

जनकपुरी, दिल्ली में बिना बिके प्लाट

6179. श्री एस० एस० सोमानी : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ए-2 ब्लाक जनकपुरी में ऐसे कितने प्लाट हैं जो समूह आवास तथा व्यक्तिगत निर्माण के लिए निर्धारित किए गए थे परन्तु अभी तक दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा न तो नीलामी से ही और न आबंटन द्वारा ही बेचे गए हैं;

(ख) ऐसे प्लाट कितने हैं जो बेच तो दिए गए हैं परन्तु उन पर निर्माण अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है और खाली पड़े हैं;

(ग) इस ब्लाक में खाली पड़ी भूमि के अपर्याप्त उपयोग करने के क्या कारण हैं जिसके कारण ब्लाक की प्रगति धीमी है; और

(घ) इस ब्लाक में घरों का निर्माण तथा खाली पड़ी सार्वजनिक भूमि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जनकपुरी के ए-2 ब्लाक में 5.2 एकड़ भूमि ग्रुप हाउसिंग के लिए निर्दिष्ट की गई है जो डाक व तार विभाग को उनके स्टाफ को देने के लिए आबंटित की गई है । पृथक पृथक व्यक्तियों द्वारा निर्माण हेतु निर्दिष्ट 7 प्लाटों को अभीं तक नहीं बेचा गया है।

(ख) 72।

(ग) इस पाकेट की आयोजना मास्टर प्लान में निर्धारित मानदण्डों के अधीन की गई है। खुले स्थानों का पूर्ण रूप से विकास किया जा चुका है।

(घ) पट्टा करार के मुताबिक व्यक्ति विशेष को निर्धारित समय के अन्दर मकान बनाना होता है। दण्ड प्रभार लेने के बाद ही समय सीमा बढ़ाई जाती है। जहाँ तक ग्रुप हाउसिंग पाकेट का संबंध है, डाक व तार विभाग कब्जा लेने के बाद स्टाफ क्वार्टर बनाएगा और भूमि का कब्जा लेने के लिए औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं।

DISTRIBUTION OF WHEAT IN RAJASTHAN BROUGHT FROM OUTSIDE THE STATE

6180. **SHRI MEETHA LAL PATEL** : Will the MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether directives have been issued by the Food Corporation of India to distribute inferior wheat, brought from outside the State in place of the wheat purchased locally, through fair price shops to the local people in Rajasthan particularly in District Swai Madhopur;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether wheat brought from States like Punjab is of inferior quality and has been kept in the lower category as compared to local wheat stored in Government godowns in Gangapur city Bamanvas etc. of District Swai Madhopur; and if so, the categories of both of them;

(d) whether Government propose to make arrangements for the distribution of local wheat from local godowns in scarcity hit areas of the State and if so, when and if not, the reasons therefor; and

(e) whether people and the Government agents (in Gangapur city) have refused to purchase wheat brought from outside the State and if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) & (d) As on 15-3-1978, the Food Corporation of India were holding about 14.14 lakh tonnes of wheat comprising of imported wheat and wheat indigenously procured in Rajasthan and other States. Out of this about 1.66 lakh tonnes of wheat has been earmarked for export to U.S.S.R. in return of wheat loan. Issues of wheat to fair price shops are made out of other stocks held and only good quality stocks of 'A' and 'B' category and conforming to P.F.A. standards are issued for public distribution. It is not possible to confine the issue of wheat of Rajasthan origin only for public distribution as the stocks are issued in accordance with the turn-over priority fixed by the technical authorities.

(e) No report in this regard has been received. The F.C.I. have also not received any complaint about shortage or non-delivery of stocks for public distribution from any centre in Rajasthan.

छठी योजना के दौरान जनजाति क्षेत्र विकास एजेंसी

6181. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने उड़ीसा सरकार को छठी पंचवर्षीय योजना के लिए जनजाति क्षेत्र विकास एजेंसियों के बारे में परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्य ने उनके मंत्रालय को परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार करने के बारे में हुई प्रगति का क्या ब्यौरा दिया है; और

(ग) मंत्रालय ने परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार करने के लिए क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) व (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के स्कूलों में संस्कृत का अध्ययन

6182. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों के तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा की 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत संस्कृत अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली के स्कूलों के नवीं तथा दसवीं कक्षाओं में संस्कृत विषय आरंभ करने के लिए कम से कम कितने छात्र होने आवश्यक हैं; और

(घ) दिल्ली के स्कूलों में इस विषय के प्रचार के लिए और क्या सुविधाएं दी जाती हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, हां।

(ख) एक भाषा के रूप में संस्कृत के शिक्षण की सुविधाएं दसवीं कक्षा तक दी जाती हैं। +2 स्तर पर संस्कृत एक कोर विषय अथवा एक वैकल्पिक विषय के रूप में ली जा सकती है।

(ग) शहरी क्षेत्रों में 12 और ग्रामीण क्षेत्रों में 6।

(घ) यदि छात्र, दो अनिवार्य भाषाओं में से एक भाषा के रूप में संस्कृत नहीं लेना चाहते तो उन्हें एक अतिरिक्त भाषा के रूप में इसे लेने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में पदोन्नतियां

6184. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी क्षेत्र में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर सिविल/इलैक्ट्रिकल के रिक्त पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इससे 1977–78 के कार्यकरण पर प्रभाव नहीं पड़ा है जिसके लिए बजट में व्यवस्था की गई थी; और

(ग) दक्षिणी क्षेत्र में कार्यभार बढ़ जाने के बावजूद केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अतिरिक्त सब-डिवीजन, डिवीजन और सर्किल न बनाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) भर्ती नियमों के अधीन सहायक इंजीनियरों के काडर में पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली 50 प्रतिशत रिक्तियां विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के जरिए भरी जानी होती हैं। यह परीक्षा जुलाई, 1978 में होनी है। रिक्तियों को परीक्षा के बाद भरा जाएगा।

(ख) जी, नहीं। दक्षिणी क्षेत्र में उन रिक्तियों की संख्या 10 हैं जिन्हें भरा नहीं गया : सिविल साइड में 7 और बिजली साइड में 3।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जैसे बड़े संगठन में कार्यभार की कमी-बेशी को खपाने की सदा अन्दरूनी क्षमता होती है। इसके अतिरिक्त कीमतों के बढ़ने के कारण वित्तीय तौर पर गिनी जाने वाली कार्य-भार में वृद्धि वास्तविक रूप में कार्यभार से सदा अनुपातिक वृद्धि को प्रदर्शित नहीं करती। नये एककों की स्वीकृति देने से पूर्व इन सभी बातों की जांच की जाती है। तथापि, दक्षिणी क्षेत्र में वर्ष 1977–78 के दौरान निम्नलिखित अतिरिक्त एककों का सृजन किया गया था :—

(i) मंगलौर में एक कार्यपालक इंजीनियर एकक, दो सहायक इंजीनियर (सिविल) एकक और एक सहायक इंजीनियर (बिजली) एकक से युक्त अधीक्षक इंजीनियर के स्तर का एक परियोजना दल।

(ii) कोचीन में दो उपमण्डल (सिविल), एक उपमण्डल (बिजली), एक सहायक इंजीनियर का अतिरिक्त पद और तीन जूनियर इंजीनियरों के साथ कार्यपालक इंजीनियर के स्तर का एक परियोजना मण्डल।

(iii) दो नये उप-मण्डल।

(iv) अन्य क्षेत्रों से स्थानान्तरण द्वारा तीन उप-मण्डल।

महाराष्ट्र में विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान

6185. **श्री वसन्त साठे :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में प्रत्येक विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितना अनुदान दिया;

(ख) क्या उन विश्वविद्यालयों की अनुदान की राशि में वृद्धि की जाएगी जिन्हें कम अनुदान दिया गया अथवा अनुदान नहीं दिया गया;

(ग) सहायता के लिए महाराष्ट्र के विभिन्न कालेजों की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं; और

(घ) किन कालेजों की सहायता के लिए आवेदन पत्र दिये तथा वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास कितने समय से अनिर्णीत पड़े हैं तथा गत तीन वर्षों में उनमें से कितने कालेजों को अनुदान मंजूर किए गए तथा उनका भुगतान किया गया ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों को संस्वीकृत अनुदान निम्नलिखित हैं :—

	1975–76	1976–77	1977–78
	रु०	रु०	रु०
1. बम्बई विश्वविद्यालय	56,82,473.53	80,71,860.80	51,89,878.00
2. कोनकण कृषि विद्यापीठ	—	2,500.00	—
3. महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ	500.00	5,722.50	27,165.03
4. मराठावाडा विश्वविद्यालय	9,64,416.40	17,71,170.17	21,68,705.00
5. नागपुर विश्वविद्यालय	24,36,785.33	40,36,845.68	62,11,842.00
6. पूना विश्वविद्यालय	46,06,437.68	47,31,265.60	1,10,229.00
7. एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय	38,01,878.89	59,63,173.85	24,19,482.91
8. मराठावाडा कृषि विद्यापीठ	—	4,750.00	88,700.00
9. पंजाब कृषि विद्यापीठ	—	1,000.00	1,000.00

	1975-76	1976-77	1977 78
10. शिवाजी विश्वविद्यालय . .	12,51,966.53	15,11,414.12	38,71,407.66
11. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टी० आई० एस० एस०) .	6,94,967.80	9,19,434.83	26,16,881.87
12. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के लिए योजनेतर अनुरक्षण अनुदान .	—	15,04,643.81	13,59,000.00

(ख) राज्य के चार कृषि विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा उपलब्ध किए जाते हैं। राज्य के अन्य सभी विश्वविद्यालय, अनुमोदित विकास कार्यक्रमों के आधार पर पहले ही आयोग से पर्याप्त सहायता पा रहे हैं।

(ग) और (घ) 221 कालेजों में पांचवीं योजना के दौरान आयोग से विकास अनुदान के लिए आवेदन किया जिनमें से 165 को सहायता दी जा रही है। मार्च, 1978 में प्राप्त केवल 5 आवेदन पत्र ही आयोग के पास अनिर्णीत पड़े हैं।

रोंकी रक्षा परियोजना के लिए टेंडर

6186. **श्री बयालार रवि :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोंकी रक्षा परियोजना के लिए टेंडर आमंत्रित किये गये;

(ख) यदि हां, तो कितने टेंडर प्राप्त हुये थे;

(ग) क्या इनमें सार्वजनिक क्षेत्र की कोई पेशकश सम्मिलित थी; और

(घ) यदि हां, तो सार्वजनिक क्षेत्र को कोई प्राथमिकता न दिए जाने के क्या कारण हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) टर्न की रक्षा परियोजना ('रोंकी' शब्द गलत प्रतीत होता है) के लिए प्रतिदिन 30 टन की क्षमता का नाइट्रिक एसिड कांसेंट्रेशन प्लांट की सप्लाई के लिए टेन्डर आमंत्रित किये गये हैं।

(ख) पांच टेंडर प्राप्त हुये हैं।

(ग) एक आफर मैसर्स एफ० ई० डी० ओ० से प्राप्त हुआ है।

(घ) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, सरकारी खरीद के लिए, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कोई मूल्य अधिमान नहीं दिया जाना है और उन्हें केवल क्रय-अधिमान दिया जाना है। क्रय संबंधी निर्णय लेते समय, सरकार की उक्त नीति को ध्यान में रखा जायेगा।

DRINKING WATER SHORTAGE IN WEST BENGAL

6187. SHRI MD. HAYAT ALI : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether "Garden Reach Right Project" is proposed to be set up by the West Bengal Government to meet the shortage of drinking water;

(b) the areas in the State likely to benefit thereby; and

(c) the time by which the project is likely to be completed ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) (a) : Yes, Sir.

(b) The areas to derive benefit in the phase are :—

(i) South Calcutta.
(ii) South Suburban Municipality.
(iii) Garden Reach Municipality.
(iv) Budge Budge Municipality.

(c) The project is likely to be completed in 1981-82.

RESTORATION OF CASH DOLE TO REFUGEES

6188. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the number of Bengali refugee families in Kishanganj Shahbad (Rajasthan) Rehabilitation Scheme and the facilities and amenities provided to them;

(b) whether cash dole is still given to refugee families settled in Chhatrapura, Ghatta-Ghatti, etc. and if not, since when this has been stopped and on whose orders together with the reasons therefor:

(c) the arrangements made to provide means of livelihood to these families; and

(d) the break-up of expenditure incurred so far on the refugee families settled in above areas and on Officer and Staff ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KINKAR) : (a) There are 3 schemes in Shahbad and Kishanganj Tehsil, in Kota District. The number of families under each scheme is as follows :—

(i) Ghatta-Ghatti	—	217 families
(ii) Ratai	—	250 families
(iii) Chattarpura	—	105 families

The families in Ghatta-Ghatti have been rehabilitated already. The 355 families are in Karmishivirs in Ratai and Chattarpura and are provided with relief assistance as per prescribed pattern.

(b) Yes, Sir. Except the families in Ghatta-Ghatti who have been settled/rehabilitated with effect from 1-7-76.

(c) Agricultural lands have been allotted to the families in Ghatta-Ghatti to earn their livelihood.

(d) So far, an expenditure of Rs. 72.91 lakhs has been incurred on the relief and rehabilitaiton of these families and Rs. 1.77 lakhs on staff etc.

SALINE LAND RECLAMATION PROJECT

6189. SHRI MOTIBHAI R. CHAUDHRY : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether Government have received a letter written by Shri Ishwarbhai Patel, Vice-Chancellor of Gujarat University to the Fertilizer Commissioner on 30th August, 1977 regarding saline land reclamation project;

(b) whether Agriculture Minister of Gujarat Government has also made a recommendation in this regard;

(c) the measures proposed to be taken by Government to reclaim saline land at low cost and at an early date;

(d) whether sulphuric acid waste is utilised in reclamation of land resulting in saving and the steps taken by Government to start this method of reclamation immediately as it is very useful for this poor country; and

(e) whether U.S. salinity laboratory appreciated this project and the reaction of Government towards the implementation of this project at an early date ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) The matter is under consideration.

(d) Waste sulphuric acid has a possibility of use in reclamation of calcarious-alkali soils. The handling and application of sulphuric acid which is very corrosive, poses a big problem. The matter regarding the amount of waste sulphuric acid available and its possible use for reclamation of alkali soils is under consideration. On saline soils, sulphuric acid is not useful.

(e) The comments of a soil scientist from U.S. Salinity Laboratory are that sulphuric acid is useful in the reclamation of sodic calcarious soils. The sodic soils are different from saline soils.

MEMO. SUBMITTED BY JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY EMPLOYEES ASSOCIATION

†6190. SHRI RAM SEWAK HAZARI : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether Jawaharlal Nehru University Employees Association has recently submitted a memorandum to the Vice-Chancellor;

(b) A statement is attached. [Placed in Library. *See* No. L.T.—2068/78]

(c) the action proposed to be taken by Government thereon ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is attached. [Placed in Library. See No. L.T.—2068/78]

(c) The demands are being looked into by the University.

आसाम में पेयजल योजनायें

6191. **श्री अहमद हुसैन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम में पेय जल की सप्लाई के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना में शामिल किए गए गांवों की जिलावार संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

असम राज्य में केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत अनुमोदित ग्रामीण जलपूर्ति योजनायें

क्रम सं०	जिले का नाम	ग्रामों की संख्या
चल रही जलपूर्ति योजनायें		
1.	एन० सी० हिल्स (पर्वतीय क्षेत्र)	1. मयबंगाजर, 2. ई० एण्ड डी० कालोनी, 3. ब्लाक एच० क्यू०, 4. रेल कालोनी, 5. कोरपासा, 6. नाटन लम्पू बस्ती, 7. गिरीस पुर बस्ती, 8. पी० डब्ल्यू० डी० कालोनी, 9. इण्डस्ट्रियल इन्स्टीट्यूट, 10. कालाबरी, 11. ब्लास्ट सीडिंग बस्ती, 12. डिब्राफिंगल्स 13. पुसना नयाबंग, 14. असालू, 15. नोबलीदिसा, 16. जाटिंगा विलेज, 17. फूट प्रीजरवेशन कालोनी, 18. हिन्दू बस्ती, 19. कलंग बस्ती, 20. फोरथ आसाम पुलिस कैम्प, 21. खेरबस्ती, 22. पी० डब्ल्यू० डी० कैम्प, 23. क्रिस्चियन बस्ती, 24. लेंगटिंग, 25. सिंगल बस्ती, 26. कंगडम्बर, 27. नतून इलाजा, 28. हरंगाजा, 29. महाराजा देशवाली बस्ती, 30. रंगापार बस्ती, 31. डोलियादिसा, 32. रंगखल, 33. महाराजा बस्ती, 34. चाटकोक ।
2.	काबरी एंगलंग (पर्वतीय क्षेत्र)	1. सरिअंजन, 2. लांगलंग रोंगपी, 3. महाकरदोई गांव 4. सरटेटीमंग गांव, 5. भाटा गांव, 6. इन्टीगांव, 7. लोंगटुमुंग गांव, 8. डोंकाबे, 9. डोकमोका गांव, 10. डोकामोका बाजार-II, 11. डोकामोका गांव,

क्रम० सं०	जिले का नाम	ग्रामों की संख्या
		12. डोकामोका पुलिस स्टेशन, 13. डोकामोका रोड प्वाइंट, 14. डोकामोका ओरंग गांव, 15. डोकामोका डिस्पेंसीरी क्षेत्र, 16. डोकामोका फारेस्ट कोलोनी एरिया, 17. डोकामोका एच० ई० एरिया, 18. अपडोकामोका रोड, सोनापुर, 19. अप डोकामोका हेल रोंगफार 20. अपर गांव और बेलुका गांव, 21. सिंगतेरंव गांव, 22. जलजीवी गांव, 23. सिमोल्यूटी 24. कासीगांव, 25. करुणाबे गांव, 26, इयोंगटी हाउस गांव, 27. ताराबे गांव, 28. फुलोनी, 29. लेंगिंक बाजार, 30. इटापारा, 31. आर० और बी० ई० और डी० इरिगेशन की कालोनियां तथा एन० एच०, 32 गौरैयमारी, 33. फुलोनी, 34. बालीगांव, 35, पानीगांव 36. सालाबाड़ी, 37, फटीकजन, 38. पाण्डुगांव, 39. ताराबासा, सोनारी गांव, 40. ताराबासा बोरनि गांवं, 41. ताराबासा रोंगहंग गांव, 42. ताराबासा लोंगहेन गांव, 43. महजी, 44. हरिणापुर, 45. गोरागांव, 46. रतिया गांव, 47. पाराखोवा, 48. लोंगटुक 49. बारवई गांव, 50. गारुकटा, 51. डोंकमोंका, 52. सानेन गांव, 53. टूंका गांव, 54. रोंगरी गांव, 55. मानसिंह गांव, 56. रामसिंह बस्ती, 57. सोम्वा, रोंगहंग गांव, 58. उम्पनी गांव, 59. चोरगांव बी० ओ० पी०, 60. बैठालंगसू।
3.	गोलपारा	1. बण्डारसी, 2. हबनगिरी, 3. गोरापरिता, 4. पचानिया, 5. मोलीगांव, 6. अमगुरी, 7. बेसीमारी, 8. सलबारी, 9. रघुनन्दनपुर, 10. डोलगूमा, 11. मोहम्मदपुर, 12. कादमातला, 13. बुदुचर, 14. कृष्णैगुरया पार्ट-I, 15. कृष्णैगुरया पार्ट-II, 16. सलपारा, मिलनदुबी पार्ट-I 17. सलपारा मिलनडुबी पार्ट-II, 18. खरीजा, 19. टिटागुरी, 20. रामफालबिल, 21. फकीराग्राम, 22. घपोरतल, 23. पाचागर, 24. तोतपारा, 25. कोडाल-धार, 26. काजीगांव रवापारा, 27. साउथ टोकरे-रचारा, 28. साउथ टोकरेरचारा, 29. फैंखोवा-I, 30. डियाराकुरी, 31. खेकसेनली, 32. गरमो, 33. बालासिदि, 34. मनुमन, 35. दुपगुरी।
4.	कामरूप	1. बोण्डापारा, 2. रामपुर, 3. विजयनगर, 4. कोकल बारी, 5. उल्लूबाडी, 6. अगराग, 7. बहौरी, 8. निज-बोहारी, 9. वोहरी रिजर्व, 10. भोंगपुर, 11. कालजन, 12. बरजार, 13. निजजलुकी, 14. उदालबारी, 15. अलगजार, 16. अंगरडोवा, 17. तमुलपुर, 18. देगहेहीपुर, 19. बारेगांव, 20. भकतपरा, 21. सारंग-बारी, 22. पुरनियां, 23. पुरामिगुडम-II, 24. पुरामिगुडम-II, 25. हालोबा गांव, 26. निजचालचाली,

क्रम सं०	जिले का नाम	ग्रामों की संख्या
		27. जमनामुख, 28. नोबगयापम, 29. सपकाटी, 30. डोंडुआमजगांव, 31. बोनपारा, 32. कापाहेडा।
5.	दारंग	1. बजराजहर, 2. हटीगोर, 3. बालीसिहा हाबी, 4. रोटापत्थर, 5. वेलापारा गांव, 6. खोयेराबारी, 7. गुबी-हटी, 8. अवंगपारा, 9. बालीसिथा, 10. सोमीजुली, 11. एन० सी० सोनाजुली, 12. कालीहोल्ला, 13. बामुनजुली, 14. देपारबटिया, 15. मोयेना चुबुरी, 16. कैलीचुबुरी, 17. सोनारीगांव, 18. गोसई गांव, 19. लेंगाचुबुरी, 20. बारालिमरा, 21. खाकड़चुबुरी, 22. बारालीमारा, 23. बोराचुबुरी, 24. सिंगलाचुक, 25. डुमडुमा गांव, 26. सिंगिरीमारी, 27. काचारीबोन, 28. नया पानबाड़ी, 29. सिलपुट, 30. सिलमारी, पाथेरगांव, 31. सिलमड़ी पाथेर नं० 1।
6.	सिबसागौर	1. जालाखाट, 2. नोबासिया, 3. निरिगांव, 4. नागाडेरा, 5. देहिंगिया, 6. मोडोईजान, 7. चपानीभारालुआ, 8. देहेंगिया, 9. मोदीजान, 10. रेलेगांव, 11. महारागांव, 12. चौडुंगगांव, 13. तेहुचुंगी, 14. पर्वतीया गांव, 15. बामुन गांव, 16. खोंगियां, 17. टीटाबार, 18. मजगांव, 19. बबेजिया गांव, 20. काचुगांव, 21. बीबीजान गांव, 22. सेरीकुटरा फार्म, 23. कुमार गांव, 24. सोनीवाल गांव, 25. बोरडीलिगिया गांव, 26. पानीडिसिंगियां गांव, 27. जागोनियां गांव, 28. अलंग-मोरियां गांव, 29. मोलियागांव, 30. कथकोटिया, 31. हबियल गांव।
7.	डिब्रुगढ़	1. लपेटाकचारी, 2. निजमंकट, 3. रोंगमोला, 4. मिरिगांव, 5. बिण्डाकोटागांव, 6. कलिकगांव, 7. बोरालीओडेगांव, 8. पखरीमान गांव, 9. रेडियोंग गांव, 10. टोगोंना गांव, 11. टोगोंनाबोनोली, 12. कालीबिल, 13. काची-जान।
8.	लखीमपुर	1. निजलालुक, 2. पाडुमोनी, 3. पचिमलालूक-I, 4. पचिमलालूक-II, 5. करुणाबाडी, 6. पानीगांव, 7. बारहागांव, 8. भकतगांव, 9. सुलाटगांव।
9.	साचर	1. उदबारबोण्ड, 2. दुर्गानगर-I, 3. मोनींगलेइकई, 4. कइथई, 5. माइनीलइकई, 6. नियासमनलइकड्र, 7. मुटि-मलइकई, 8. बाबूलइकइ, 9. सलचरपारा-I, 10. सल-चरपारा-II, 11. सलचरपारा-III, 12. घग्गरपरा-I 13. धग्गरपर-II, 14. श्रीधरपुर, 15. तुलारग्राम, 16. मजीरगांव, 17. चंगारताल, 18. श्रीगोरीनार्थ, 19. श्रीगोरी साउथ, 20. नाहरपुर, 21. रइपरचाक, 22. जगनाथपुर, 23. मलुआसैदपुरा, 24. आरामपुर, 25. मसनपुर, 26. मासीपुर, 27. जालापुर,

क्र० सं०	जिले का नाम	ग्रामों की संख्या
		28. काण्डीग्राम, 29. चैत्यनगर, 30. टांगीबाडी, 31. रताबाड़ी, 32. अतंगर, 33. सरकारी बाड़ी, 24. ज्ञानधाराबाड़ी, 35. बजारीघाट, 36. काजीर बाजार, 37. पहरताल, 38. पलधार।
10.	कामरूप	1. देवरीपारा, 2. बरुआपारा, 3. अजरापारा, 4. लपुतुला 5. जीवसईपारा, 6. केबोटपारा, 7. चरलपारा, 8. मिर्जापुर, 9. ज्ञानकपारा।
11.	शिबसागर	1. सारुपथर, 2. गेहोंटियानी गांव, 3. गेहोंधाकोरी-I, 4. गेहोंधाकोरी-II, 5. चकियापत्थर, 6. टुगगांव।
नई योजनायें		
1.	डिब्रुगढ़	1. कोहुनगांव, 2. भजानी, 3. ज्ञान्धिया, 4. तामुबीखाट, 5. खोंगिया, 6. निजटेंगाखाट, 7. अभयफुरी, 8. सारुअभयपुरी, 9. धुंगीगांव, 10. चकालीबेनियां, 11. चप्पलखोवा, 12. असामियां गांव नं० 2, 13. असामियां गांव नं० 3।
2.	शिबसागर	1. बंगालपुखुरी, 2. सलामीधना, 3. बाबीचुक, 4. लच्चुबेन 5. डोलीगांव, 6. हाटीगांव, 7. बनडेकियाकोव, 8. ढेकियाखोवा, 9. ढेकियाखोवाबारिया, 10. खानीकरा गांव, 11. तेलियासोनारीगांव, 12. दुलीगांव, 13. मोलोईकुमार, 14. खोवारगांव, 15. मुस्लिमपुरा, 16. सेनीचुचागांव, 17. दयोधईगांव, 18. हातिमुपरियागांव, 19. बटनपुरिया, 20. काठेरीपुरी, 21. दियोराजन, 22. अभयपुरिया, 23. कईबारटागांव।
3.	दारंग	1. निजरागढ़, 2. नालापारा, 3. सामाबारी, 4. जामा बस्ती, 5. निजगोहपुर, 6. बिलाटिया, 7. टोंगोरना, 8. हजारीका चौक, 9. बारीगांव, 10. धेनुघर, 11. सुटियाचौक।
4.	लखिमपुर	1. धालपुर, 2. दागांव, 3. डंका, 4. चेंटियागांव, 5. भानलौरदलामी, 6. बारापथरिया, 7. निमटिया चौक, 8. काडीचौक, 9. मिनीपथर, 10. कारीचौक, 11. गोलपत्थर, 12. भरालीचरोक नं० 1, 13. भरालीचरोक नं० 2, 14. बकुलगांव, 15. भिंगयानागा, 16. खेलियाबलोकबरा, 17. नागाखोला, ब्लाक नं० 2, 18. नलनीपम, 19. धेलपाराहाबी।
5	कामरूप	1. अम्बारी, 2. बालगुडी, 3. बिक्रमपुर, 4. भनागाबारी इस्ट, 5. भनागाबारी वैस्ट, 6. पथरकुची, 7. बरनाली कुची, 8. सरियासकला, 9. निजसरिया, 10. चमारिया सतरा।

क्र० सं० जिले का नाम	ग्रामों की संख्या
6. गोलपारा	1. बिलासीपारा बाजार, 2. पालपारा, 3. नाजीपारा, 4. मालापरिया, 5. बामुनपारा, 6. बनियापारा, 7. गटकापारा, 8. बटेरताल, 9. दुर्गापुर, 10. लोहारपुर, 11. बनियातोरी, 12. अगमोमी बाजार, 13. खेलबारी, 14. कलडोबा बाजार, 15. बोरोमारा, 16. मस्जिद-पारा, 17. कलडोबा बरमानपारा, 18. बालाजन, 19. भाटियापारा, 20. सरफनगुरी, 21. दुपधारा पार्ट-I, 22. दुपधारा पार्ट-II, धुपधारा पार्ट-III, 24. दिगाली पार्ट-I, 25. दिगाली पार्ट-II, 26. दिगाली पार्ट-III, 27. बेगनान अम्बारी।
7. नौगोंग	1. निजबोरपंजिया, 2. नाथावारी, 3. गांधीबारी, 4. अलीकची, 5. टेंगाबारी, 6. सरालीगांव, 7. बजरुन गांव, 8. दुरंगियल गाँव, 9. भूरबोन्दोर, 10. कालागुडी, 11. बारंगाबाड़ी, 12. अंगुरीगांव
8. साचर	1. बडजात्रापुर पार्ट-I, 2. बडजात्रापुर पार्ट-II, 3. निज-कटिगोरा-III, 4. सिदेश्वर, 5. कपनारपर, 6. अलगापुर, 7. अलगापुर-4, 8. बडनगर, 9. कटलीचेरा बाजार, 10. रंगपुर-I, 11. रंगपुर-II, 12. रंगपुर-III, 13. रंगपुर-IV, 14. पानारोगर, 15. खुजाब, 16. अकबरपुर, 17. कमरग्राम, 18. पराशरपुर, 19. सुपरकांडी, 20. सारंगदेवपार, 21. थलारपार, 22. फकीराबाजार, 23. बारापहनिया, 24. कुन्दरापहारिया, 25. मेरारा, 26. जाटेरा, 27. सोनाबाड़ी, 28. संकरपुर, 29. डिम्पुर।
9. काबरी अंगलोंग	1. सकन्जन, 2. फाइबुडफे कंलांग एरिया, 3. मोखेलगांव, 4. घड़ियल डुली, 5. चन्द्रपुर, 6. बोकाजान, 7. होंग-कनम आदर्शगांव।
10. एन० सी० हिल्ज	1. चन्द्रपुर नगर, 2. खेजूरबोण्ड, 3. नतूनकालाचान्द, 4. नौब-दि-लैंगिंग, 5. सम्बर गांव, 6. लूबंग गांव।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में गैर-मुस्लिम व्यक्तियों की भर्ती और प्रवेश में कथित रूप से कमी होना

6192. **श्री ए० मुरुगेसन**
श्री सी० एन० विश्वनाथन
श्री पी० एस० रामलिंगम } : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की धर्मनिरपेक्ष प्रवेश नीति में लगातार परिवर्तन होता रहा है और पिछले वर्ष दाखिल किये गये बहुत प्रतिभाशाली गैर-मुस्लिम छात्रों को प्रवेश देने की प्रतिशतता पूर्ववर्ती वर्षों के लगभग 36 प्रतिशत से घटकर 17 प्रतिशत ही रह गई है;

(ख) क्या एक ऐसी संस्था में यह पृथकतावादी नीति न्यायपूर्ण है जिसे व्यापक राष्ट्रीय समर्थन-वित्तीय और अन्य प्रकार से प्राप्त है;

(ग) क्या योग्यता की और उपेक्षा करते हुए विश्वविद्यालय में अध्यापकीय कर्मचारियों की नियुक्तियों और पदोन्नतियों के मामले में यह भेदभाव शत प्रतिशत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो विश्वविद्यालय में गैर-मुस्लिम कर्मचारियों, अध्यापकों और छात्रों के हितों की सुरक्षा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान दाखिल किये गये गैर मुस्लिम छात्रों की प्रतिशतता में कोई खास कमी नहीं हुई है जैसा नीचे दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है :—

वर्ष	दाखिल किये गए मुस्लिम	दाखिल किए गए गैर-मुस्लिम	गैर-मुस्लिमों की प्रतिशतता
1975–76	3357	1150	25.5
1976–77	2656	1131	29.8
1977–78	4079	1496	26.8

विश्वविद्यालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अध्यापन पदों पर नियुक्तियों के मामले में गैर-मुस्लिमों के प्रति भेदभाव से भी इंकार किया है इस सम्बन्ध में संगत आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	गैर-मुस्लिम	मुस्लिम
1975	6	41
1976	5	60
1977	11	62

विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों पर नियुक्तियां, सभी प्रमुख समाचारपत्रों में विज्ञापन के जरिये आवेदन-पत्र आमंत्रित करके विश्वविद्यालय अधिनियम तथा संविधियों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति की सिफारिश पर विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा की जाती हैं। विश्वविद्यालय अधिनियम में उसके कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं और यह व्यवस्थाएं बिल्कुल पर्याप्त समझी गई हैं।

CENTRAL BRAILLE PRESS, DEHRADUN

6193. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state.

(a) whether it is a fact that valuable braille paper worth Rs. Twenty thousand, on which two books, viz. 'High School Nagarik Shastra' and 'Arthshastra Ki Rooprekha' were printed, was eaten away by moths in Central Braille Press, Dehra Dun during the period 1972 to 1975, as the paper was not sent for bindery work in time; and

(b) if so, the punishment given to the officer responsible for this loss and if not, the reasons therefor and whether efforts are being made to write off this loss ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRI DHANNA SINGH GULSHAN): (a) and (b) Some sheets on which the two books were printed in Braille, estimated to cost Rs. 4,048 were partly eaten by white ants. They were, however, utilised as guard strips usually inserted in Braille volumes, so that the loss to Government would be marginal. However, the exact quantum of loss, if any, is being assessed.

पश्चिम बंगाल राज्य में चावल/धान की ढुलाई

6194. **श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाई गई है कि पश्चिम बंगाल सरकार जिलों में आपराधिक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश जारी करके राज्य के अन्दर ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चावल और धान लाने-ले-जाने पर प्रतिबन्ध लगाकर केन्द्रीय खाद्य नीति का उल्लंघन कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानुप्रताप सिंह) : (क) पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा आपराधिक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन आदेश जारी कर खाद्यान्नों के संचलन पर प्रतिबन्ध

लगाने की बात भारत सरकार के ध्यान में कुछेक अभ्यावेदनों और प्रेस रिपोर्ट के माध्यम से आयी है । जिला न्यायधीशों ने अधिशेष जिलों में शान्ति भंग होने की आशंका और 'जोतदारों' द्वारा धान को गैर कानूनी ढंग से पकड़ने और उसे हटाने को रोकने की दृष्टि से आपराधिक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन आदेश जारी किए हैं। ये आदेश सीमित अवधि के लिए हैं और केन्द्रीय सरकार की खाद्य नीति का उल्लंघन करना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

RECLAMATION OF RAVINE LAND IN U.P.

6195. SHRI JAWALA PRASAD KUREEL : Will the minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state the names of the places in Uttar Pradesh where reclamation of ravine land (with bulldozers) is going on with the assistance of Central Government and whether he is aware that the officers engaged on this work are showing slackness in the work which has resulted in Government funds being wasted and the interest of the farmers is not being served ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : A Central Sector scheme of 'Pilot Projects for protection of table lands and stabilisation of ravinous areas" is in operation during the 5th Plan with 100% central grant in Uttar Pradesh at Pukhrayan (Kanpur), Salon (Raebareli) and Bah (Agra). The works carried out under the scheme have been periodically visited by the State and Central Government Officials and no complaints have been received. The cultivators of the neighbouring areas have been requesting for taking up large scale programmes. The scheme is being implemented successfully.

ALLOTMENT OF FERTILIZER TO STATES

6196. SHRI Y. P. SHASTRY : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether the various State Governments requested the Central Government for the allotment of quota of various varieties of fertilizers for 1977-78 and if so, the names of the States indicating the variety and quantity of fertilizers requested for; and

(b) whether the Central Government have allotted adequate quota of fertilizers to the States as per their request for 1977-78 and if so, State-wise quantity of fertilizers allotted to various States indicating the criteria adopted in allotting the same ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) & (b). The State Government furnish their demands for the various fertilizers in terms of nutrients in the prescribed proforma and these are discussed at Zonal Conferences held on the eve of each crop season. After taking into account the consumption trends in the States, the area programmed under different crops, the agronomic requirements of the various crops in each State and the stock of fertilizers on hand with them, the net requirements of fertilizers in terms of nutrients are arrived at on a mutually agreed basis. At these Zonal Conferences coordinated supply plans are also drawn up in consultation with the State Governments and the fertilizer industry to meet fully the total net requirements of the States from domestic production to the extent it is available and imports to cover the gap, if any. A statement showing the total net requirements of the various States/U.Ts. for 1977-78 is attached. The figures in the statement also represent the quantities allotted.

STATEMENT

Total Net Requirements of Fertilisers for 1977-78

(Tonnes)

		N	P	K	N+P+K
1	2	3	4	5	6
1.	Andhra Prdesh	325926	103343	22711	451980
2.	Assam	3017	990	871	4878
3.	Bihar	141441	26528	12210	180179
4.	Gujarat	192886	80467	25382	298735
5.	Haryana	163545	22774	8709	195028
6.	Himachal Pradesh . . .	6016	985	211	7212
7.	Jammu & Kashmir . . .	8260	2757	—	11017

1	2	3	4	5	6
8.	Karnataka	205781	66125	48722	32062
9.	Kerala	38767	28420	24631	91818
10.	Madhya Pradesh	95390	41405	3237	140032
11.	Maharashtra	175907	83072	66297	325276
12.	Manipur	2330	803	526	3659
13.	Meghalaya	1098	755	139	1992
14.	Nagaland	114	84	61	259
15.	Orissa	54313	7359	3060	64732
16.	Punjab	130189	88596	—	218785
17.	Rajasthan	111897	22050	4058	138005
18.	Tamil Nadu	277200	88000	91300	456500
19.	Tripura	848	145	250	1243
20.	Uttar Pradesh	711830	93839	49495	855164
21.	West Bengal	119088	31581	34199	184868
22.	Andaman & Nicobar Islands	11	6	3	20
23.	Arunachal Pradesh	550	275	275	1100
24.	Dadra & Nagar Haveli	367	78	—	445
25.	Goa, Daman & Diu	2675	1474	1066	5215
26.	Delhi	2842	721	190	3753
27.	Mizoram	11	5	1	17
28.	Pondicharry	4484	2220	1969	8673
29.	Coffee Board	21340	9900	14300	45540
30.	Rubber Board	4617	4753	4305	13675
31.	Cardamam Board	880	2640	1320	4840
32.	Tea Board	13569	4050	8708	26327
33.	Chandigarh	694	59	32	785
34.	Tea Board (North-East)	35680	2044	14255	51979
35	Sikkim	405	340	163	908
	Total	2853968	818643	442656	4115267

SHORTAGE OF UREA FERTILIZER IN BIHAR

6197. SHRI VINAYAK PRASAD YADAV : Will the MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there was acute shortage of fertilizers, particularly urea at the time of last Rabi sowing in Bihar, as a result of which the Rabi crop is in bad shape; and

(b) the tonnage of fertilizers and of urea in it, supplied to Bihar in 1977-78 and also in 1976-77, separately ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) No, Sir. Not only adequate quantities of fertilisers were supplied to the State of Bihar during Rabi 1977-78 but buffer stocks of fertilisers to the tune of 1.14 lakh tonnes were maintained in the State as on 1-8-77. Further according to available reports, the prospects of production of wheat and other Rabi crops in Bihar are good.

(b) During 1977-78 (February 1977 to January 1978) 1.52 lakh tonnes of fertiliser nutrients was supplied to Bihar as against 0.88 lakh tonnes during 1976-77. Out of the above quantities 2.18 lakh tonnes of urea was supplied during 1977-78 to the State, as against 1.77 lakh tonnes during 1976-77.

उबड़-खाबड़ जमीन पर खेती करने वाले किसानों को सिंचाई का लाभ

6198. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि देश में कृषि भूमि सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं है और कहीं पर यह ऊबड़-खाबड़ है और कहीं पर यह कंकरीली और पत्थरों वाली जमीन है जहां पर सिंचाई कार्य करना आसान नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी जमीनों के किसानों को सिंचाई की सुविधा देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। देश में खेती की जाने वाली भूमि भूगर्भीय तथा प्राकृतिक रचना सम्बन्धी पहलुओं के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न किस्म की है। कुछ क्षेत्रों में सिंचाई का विकास तथा उपयोग करना अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक कठिन होता है।

(ख) किए गए अथवा किए जाने वाले उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :--

(1) सख्त चट्टानी क्षेत्रों तथा पथरीली मिट्टी समेत सभी क्षेत्रों में भूमिगत जल की जांच-पड़ताल तथा विकास करना,

(2) विधिवत मृदा सर्वेक्षणों के बाद बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनायें शुरू करना तथा कमांड क्षेत्रों में भूमि के समतलन तथा उसे आकार देने की व्यवस्था करना, ताकि प्रभावी रूप से भूमि की सिंचाई की जा सके;

(3) कुओं/नलकूपों आदि के निर्माण तथा भूमि विकास के लिए संस्थागत वित्त प्रदान करना;

(4) ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों के स्थिरीकरण के उपाय करना तथा सिंचाई की सुविधायें मुहैय्या करना।

PRODUCTION CAPACITY OF KAYAMGANJ SUGAR MILL, FARUKHABAD

6199. **SHRI MAHADEEPAK SINGH SHAKYA** : Will the MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the daily production capacity of Kayamganj Sugar Mill, Farukhabad, U.P.;

(b) the total acreage of sugarcane crop sown in the said mill area;

(c) whether the full capacity of the said mill has not been utilized due to the negligence of the Mill Officers;

(d) the details of the loss suffered as a result thereof; and

(e) the steps being taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) The daily cane crushing capacity of Kayamganj Sugar Mill, Farukhabad, U.P. is 1250 tonnes.

(b) to (e) The required information is awaited from the Government of Uttar Pradesh and would be laid on the Table of the Sabha in due course.

दिल्ली में स्कूलों और कालेजों में दाखिल किए गये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र

6200. **श्री अमर नाथ प्रधान** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू शैक्षणिक वर्ष के दौरान दिल्ली के कालेजों और स्कूलों में सामान्य छात्रों के रूप में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : शैक्षिक सत्र 1977–78 के लिए दिल्ली के स्कूलों और कालेजों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के दाखिले से सम्बन्धित अन्तिम आंकड़ों का संकलन किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए धन का आवंटन

6201. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में मध्य प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए धन का कुल आवंटन कितना किया गया है और केन्द्र और राज्य जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धन का ब्यौरा क्या है;

(ख) फरवरी, 1978 तक इसका कितना प्रयोग हुआ है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सीमित संसाधनों और राज्य के पिछड़ेपन को देखते हुए इसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा बहुत ज्यादा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानुप्रताप सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राज्यों में पंचायतों के चुनाव

6202. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा अन्य अनेक राज्यों में जल्द ही पंचायतों के लिए चुनाव होंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री ने इच्छा व्यक्त की है कि ये चुनाव दलगत आधार पर न लड़े जाएं;

(ग) यदि हां, तो हमारे समाज के सबसे निचले स्तर पर दलगत संघर्षों से बचने के लिए सर्वदलीय मतैक्य प्राप्त कर लिया जाना चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रयोजन के लिए कोई प्रयास करेगी?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) इस मंत्रालय के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उन राज्यों में पंचायतों के चुनाव शीघ्र होने वाले हैं, जहां ये होने हैं।

(ख) से (घ) समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना के अनुसार माननीय प्रधान मंत्री ने पंचायती राज संस्था समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों, जब वे उनसे मिले थे, से कहा था कि पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से होने चाहिएं तथा जहां तक सम्भव हो, मतैक्य प्राप्त करने के प्रयत्न किये जाने चाहिए।

राजनीति को पंचायती राज निकायों से दूर रखना चाहिए तथा निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाना चाहिए। चूंकि पंचायती राज संस्था समिति को पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण की जांच करने तथा उन्हें मजबूत बनाने के लिए सुझाव देने हेतु गठित किया गया है ताकि आयोजना तथा विकास की विकेन्द्रीकृत प्रणाली को प्रभावशाली बनाया जा सके, वे निःसन्देह प्रधान मंत्री जी के उपर्युक्त विचारों पर विचार करेंगे तथा सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली अपनी रिपोर्ट में इस बारे में उपयुक्त सिफारिशें करेंगे।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम

6203. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा सक्रिय तथा सार्थक ढंग से भाग लिये जाने हेतु नीति बनाने के लिए ग्रामीण विकास के लिए स्वेच्छा से भाग लेने वाले समूह का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कार्य क्या हैं;

(ग) इसने ग्रामीण विकास में कहां तक सहायता की है;

(घ) क्या उन्होंने अब तक किन्हीं उपायों की सिफारिश की है; और

(ङ) क्या आगामी पंचवर्षीय योजना बनाते समय उनकी सिफारिशों को ध्यान में रखा जायेगा?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दल के विचारार्थ विषय ये हैं :—

(1) स्वैच्छिक एजेंसियों की इनमें अधिकतम भूमिका तथा भागीदारी का उपयोग करने के विचार से उनका पता लगाना तथा उनकी समीक्षा करना—

(क) ग्राम विकास के लिए योजनायें तैयार करने में;

(ख) ग्राम विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने में।

(2) स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार में सरकारी तन्त्र की सिफारिश करना तथा इस उद्देश्य के लिए निधियां निर्धारित करना।

(ग) दल की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी हां।

COST OF PRODUCTION OF SUGAR

6204. SHRI GANGA BHAKT SINGH : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether Government have got any study or survey made in regard to excise duty on sugar after 1971-72; and

(b) the extent to which the cost of production of sugar has increased during the period 1971-72 to 1977-78 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) No specific study or survey has been made in regard to excise duty on sugar after 1971-72 with any particular objective. Rates of excise duty on levy and free sale sugar in force since 1-10-71 are given in the attached statement.

(b) The weighted average cost of production of sugar was Rs. 156.44 per quintal during 1971-72 and has been estimated at about Rs. 220 per quintal for the season 1977-78.

STATEMENT

Period	Rate of Excise Duty on Levy Sugar	Rate of Excise Duty on Free Sale Sugar
1-10-1971 to 30-11-1972	30% on entire sugar	
1-12-1972 to 14-12-1973	26%	30%
15-12-1973 to 28-2-1975	20%	37·50%
1-3-1975 to 2-8-1976	20%	45%
3-8-1976 to 31-10-1976	15%	45%
1-11-1976 to 31-12-1976	15%	41·50%
1-1-1977 to 15-11-1977	15%	45%
16-11-1977 to 28-2-1978	12½%	27½%
1-3-1978 to 14-3-1978	12½%+5% of basic duty	27½%+5% of basic duty
15-3-1978 onwards	11%+5% of basic duty.	27½%+5% of basic duty.

काश्मीर में शरणार्थियों का पुनर्वास

6205. श्री डी० वी० चन्द्र गौडा : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काश्मीर राज्य में 1947 के संघर्ष के दो लाख शरणार्थियों के पुनर्वास के प्रश्न के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर के वित्त मंत्री ने जम्मू तथा काश्मीर विधान सभा में कहा है कि केन्द्रीय सरकार का विचार इस पर विचार-विमर्श करने का नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) :

1—अनुग्रहपूर्वक अनुदान की अदायगी

1947 में पाकिस्तान के आक्रमण के पश्चात पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर से लगभग 1,35,000 व्यक्ति आए थे। इनको दिए गए राहत तथा पुनर्वास लाभों में अन्य के साथ-साथ कृषि में बसाए गए व्यक्तियों को प्रति परिवार 1,000/- रुपये और जिनकी मासिक आय 300/- रुपये या उससे कम है और जो कृषि से भिन्न व्यवसायों में बसे हैं, प्रति परिवार 3,500/- रुपये का अनुग्रहपूर्वक अनुदान देना शामिल है। अब तक 456.42 लाख रुपये की अदायगी की गई है। 28-2-78 की स्थिति के अनुसार 12 मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

2—जम्मू और काश्मीर राज्य में ग्रामीण पुनर्वास

31,619 पंजीकृत परिवारों में से कृषि में पुनर्वास के लिए 22,715 परिवारों ने आवेदन दिये थे। परिवार के आकार के आधार पर इन परिवारों को औसतन 4 एकड़ सिंचित या 6 एकड़ असिंचित भूमि प्रति परिवार आबंटित की गई थी। 21,116 परिवारों को 7.17 लाख कनाल कृषि भूमि या—दोनों निष्क्रान्त (6.11 लाख कनाल या 0.90 लाख एकड़) और गैर-निष्क्रान्त (1.06 लाख कनाल या 0.13 लाख एकड़) पहले ही आबंटित की जा चुकी है। 1,599 परिवारों के मामले नामंजूर कर दिये गये थे।

शरणार्थियों को कृषि में बसाने के बाद उन्हें बैल, बीज और कृषि औजारों की खरीद के लिए टकावी ऋण दिए गए थे। प्रत्येक परिवार को मूल रूप में 500/- रुपये का ऋण दिया गया था किन्तु कुछ मामलों में, बाद में 500/- रुपये का और ऋण भी दिया गया था। दिए गए ऋण की कुल राशि लगभग 1.11 करोड़ रुपये है।

निर्धारित पैमानों के अनुसार जिन मामलों में कृषि भूमि का कम आबंटन किया गया था, उनकी कमी को पूरा करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है। राज्य सरकार से अन्तिम सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

जैसा कि जम्मू और काश्मीर की सरकार द्वारा सूचित किया गया है, विस्थापित व्यक्तियों द्वारा उनके कब्जे में जिन कृषि भूमियों पर काश्त की जा रही है उनके सम्बन्ध में उन्हें दखलकारी मुजारों के अधिकार देने के लिए भूमि सुधार अधिनियम में आवश्यक व्यवस्था की गई है।

जम्मू और काश्मीर राज्य में शहरी पुनर्वास

3595 शहरी परिवारों में से, जिन्होंने नगरों में पुनर्वास चाहा था, 1784 को क्वार्टर/प्लाट आबंटित कर दिए गए थे और 1244 अर्जियां प्रत्युत्तर के अभाव में फाइल कर दी गई थीं। 73 अर्जियां नामंजूर कर दी गई थीं। 494 मामलों के बारे में कार्यवाही चल रही है।

जम्मू और काश्मीर राज्य से अन्यत्र पुनर्वास

जम्मू और काश्मीर राज्य से अन्यत्र 5309 परिवार बसा दिए गए थे।

(ख) और (ग) 1947 के 1650 विस्थापित व्यक्ति परिवारों को प्रति परिवार 3,000/- रुपये का आवास अनुदान मंजूर करने के लिए जम्मू और काश्मीर सरकार ने एक योजना भेजी थी। राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया था कि चूंकि 1947 के शरणार्थियों के सामान्य अनुग्रहपूर्वक अनुदान के रूप में सहायता दे दी गई थी और वे बहुत पहले बसा दिए गए थे अतः पुनर्वास विभाग ने इस प्रयोजन के लिए और राशि की व्यवस्था नहीं की है। जम्मू और काश्मीर की सरकार ने सूचित किया है कि जम्मू और काश्मीर के वित्त तथा पुनर्वास मंत्री ने जम्मू-काश्मीर विधान सभा में बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान और साथ ही अपने मंत्रालय के अनुदानों की चर्चा के दौरान इस विशिष्ट पहलू के बारे में बताया था कि पिछली सरकार ने गन्दी बस्तियों की सफाई के लिए निधि प्रदान करने की सहमति दे दी थी जबकि वर्तमान सरकार ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया था। तथापि, यह सत्य नहीं है कि भारत सरकार ने, किसी भी अवस्था में इस मामले पर आगे विचार-विमर्श करने के लिए इन्कार किया है।

SCHEME ON NATIONAL GARDEN

6207. SHRI LAXMINARAIN NAYAK : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to lay a statement showing :

(a) state-wise names of places having national gardens and the schemes undertaken for their development; and

(b) whether the Central Government propose to conduct a survey and implement the scheme for setting up the proposed national garden in Orchha, an important historical and famous pilgrim place in Tikamgarh district of Madhya Pradesh ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) The Department of Agriculture in the Ministry of Agriculture and Irrigation has not established any national gardens in the country nor has it undertaken any scheme for their development.

However, the Department of Science and Technology of the Government of India has the following two gardens, which are not in the nature of national garden, functioning under their control :—

(i) Indian Botanic Garden in Howrah. This has been set up to conduct research on plants and for introduction of new plants.

(ii) National Botanic Gardens at Lucknow. This is under the control of Council of Scientific and Industrial Research. This is garden-*cum*-economic botany laboratory devoted to the exploration and utilization of the non-agricultural economic plant resources of the country.

There are also 15 National Parks in the country the administration and maintenance of which appear to be the responsibility of the State Governments. These National Parks also happen to be game sanctuaries coming under the purview of National Wild Life Board. The State-wise distribution of these National Parks are as follows :

Sl. No.	Name of the State	Name of the National Park
1.	Assam	1. Kaziranga National Park.
2.	Bihar	1. Hazaribagh National Park. 2. Palamau National Park (1959).
3.	Gujarat	1. Gir National Park. 2. Velavadar National Park.
4.	Karnataka	1. Bandipur National Park. 2. Bannerghatta National Park. 3. Negerhole National Park.
5.	Madhya Pradesh	1. Shivpuri National Park (1958). 2. Bandhavgarh National Park. 3. Kanha National Park.
6.	Maharashtra	1. Tadoba.
7.	Orissa	1. Simlipal proposed National Park.
8.	Uttar Pradesh	1. Corbett National Park. 2. Dudwa National Park.

(b) No, Sir.

मदनिषेध लागू करना

6208. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार की मद्यनिषेध नीति को लागू करने का दायित्व सरकार की कौन-कौन सी एजेंसियों पर है;

(ख) क्या मद्यनिषेध नीति की प्रभावशाली ढंग से क्रियान्विति के लिए कोई नया सरकारी ढांचा बनाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो नई सरकारी एजेंसियों के बारे में पूरे तथ्य और ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) मद्यनिषेध को लागू करने के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं, क्योंकि मादक पानों का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, परिवहन, क्रय और बिक्रय तथा मानव उपभोग के लिए मद्यसारिक पानों पर शुल्क लगाना भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 (राज्य सूची) की प्रविष्टियां 8 और 51 के अन्तर्गत आता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में मध्यम दर्जे की सिंचाई योजना को स्वीकृति

6209. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश में तीन मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं पर आने वाली अनुमानित और पुनरीक्षित अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा 27 मार्च, 1978 को स्वीकृत की गई मध्य प्रदेश की 3 मध्यम स्कीमों के नाम तथा उनकी अनुमानित लागत नीचे दी गई है :—

(लाख रुपयों में)

स्कीम का नाम	अनुमानित लागत
1. मझगांव ताल परियोजना	94.0
2. साहिबखेड़ी सिंचाई परियोजना	103.17
3. विश्वनाथ व्यपवर्तन परियोजना	39.65

चूंकि ये नई परियोजनाएं हैं इसलिए इनकी संशोधित अनुमानित लागत का सवाल ही पैदा नहीं होता।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

6210. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने का है ताकि दक्षिण कैम्पस के कुछ कालंजों को इससे संबद्ध किया जा सके; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन, नहीं है।

स्वायत्तशासी शैक्षिक संस्थान

6211. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर में कुछ चुने हुए कालेजों को "स्वायत्तशासी" शक्षिक संस्थानों के रूप में बनाने का कार्यक्रम है और उसे क्रियान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे स्वायत्तशासी कालेजों को पूरे वर्ष में कितनी वित्तीय सहायता देता है और किन मुख्य श्रेणियों के लिए यह अनुदान दिया जाता है और

(घ) क्या "स्वायत्तशासी" कालेज अपनी ही उपाधियां आदि देंगे ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (छ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार चुने गए कालेजों को स्वायत्तता प्रदान करने की एक योजना को 1973 में अन्तिम रूप दिया गया था। इस योजना के अन्तर्गत पाठ्यचर्याओं, अध्ययन पाठ्यक्रमों, मूल्यांकन पद्धतियों और अन्य सम्बन्धित मामलों के निर्धारण के विषय में संबंधित कालेज स्वायत्त हो जाएंगे। यह दर्जा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जायेगा तथा यदि विद्यमान अधिनियमों में ऐसी व्यवस्था नहीं है तो संबंधित अधिनियमों में संशोधन करना आवश्यक होगा। तथापि, डिग्री, संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती रहेगी, लेकिन इसमें स्वायत्त कालेज का नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। स्वायत्त दर्जे से उत्पन्न कोई सहायता बिलकुल न्यूनतम होगी तथा कालेजों द्वारा विकसित विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रमों से सम्बद्ध होगी, और जो पांच वर्षों की अवधि के लिए शत-प्रतिशत आधार पर आयोग द्वारा दी जाएगी।

दिल्ली दुग्ध योजना के बटर दुग्ध चूर्ण का निपटान

6212. **श्री शिवनारायण सरसूनिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना के बटर दुग्ध चूर्ण के स्टांक का ग्रेड अनेक बार कम कर दिया गया और उसे कम मूल्यों पर बेच दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप सरकार को भारी हानि हुई;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974 से अब तक, प्रत्येक वर्ष, कुल कितने बटर दुग्ध चूर्ण का ग्रेड कम किया गया तथा सरकार को इससे कुल कितनी हानि हुई है; और

(ग) इस प्रकार ग्रेड कम किये जाने के क्या कारण हैं और यदि किसी पर इसकी जिम्मेदारी नियत की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं। दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बटर दुग्ध चूर्ण का ग्रेड अनेक बार कम नहीं किया गया है। तथापि, चार महीने से अधिक के स्टाक की क्वालिटी का निरीक्षण किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उसका ग्रेड कम कर दिया जाता है। इस प्रकार जिस चूर्ण का ग्रेड कम किया जाता है उससे उतनी प्राप्ति नहीं हो सकती जितनी कि मूल क्वालिटी को बनाए रखने से होती।

(ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) थैलों से दुग्ध चूर्ण के खराब होने (चूर्ण का रंग बिगड़ने, उसके ढेले बनने और बासी होने) के बारे में पता चलते ही बटर दुग्ध चूर्ण का ग्रेड कम कर दिया जाता है। खराब होने वाली ऐसी सभी वस्तुओं को खराब होने से पूर्व ही बेचने के लिए भरसक प्रयास किये जाते हैं। तथापि, कभी-कभी बाजार में मांग कम होने और ठेकों को अन्तिम रूप देने से सम्बन्धित अन्य समस्याओं के कारण विलम्ब को रोका नहीं जा सकता। इस प्रकार ग्रेड को कम करने से दिल्ली दुग्ध योजना को होने वाली हानियों के लिए किसी व्यक्ति विशेष को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

विवरण

(वर्षवार) ग्रेड कम किए बटर दुग्ध चूर्ण की मात्रा

वर्ष	'ए' ग्रेड से 'बी' ग्रेड तक		'ए' ग्रेड से ट्रेड वेस्ट तक		'बी' ग्रेड से ट्रेड वेस्ट तक		कुल हानि 2+4+6 (रु०)
	मात्रा (किलोग्राम में)	धनराशि (रु० में)	मात्रा (किलोग्राम में)	धनराशि (रु० में)	मात्रा (किलोग्राम में)	धनराशि (रु० में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1974	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
1975	11,780	57,722.00	3,540	36,780.60	15,960	87,620.40	1,82,123.00
1976	1,220	3,086.60	5,300	21,041.00	3,530	5,083.20	29,210.80
1977	2,720	8,296.00	2,160	11,916.00	8,050	7,648.50	27,860.50
कुल	15,720	69,104.60	11,000	69,737.60	27,540	1,00,352.10	2,39,194.30

APPOINTMENT IN THE DIRECTORATE OF INSPECTION (MAIN)

6213. SHRI RAM VILAS PASWAN : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether the appointment of an electrical mechanic was made in Jamshedpur under the Directorate of Inspection (Main);

(b) whether the said post was reserved for Scheduled Castes candidate as per Directorate of Supplies and Disposals, Delhi letter No. A-6/755/53/IV, dated the 22nd July, 1977;

(c) whether a person other than a Scheduled Caste Candidate has been appointed against the said post;

(d) whether the Secretary of the 'Rabidas Samaj', Jamshedpur, Bihar had apprised the Hon'ble Minister of the factual position in this regard; and

(e) if the answers to parts (a) to (d) above be in the affirmative, the action proposed to be taken by Government against the quilty officers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KINKAR) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir.

(d) Yes, Sir.

(e) The matter is being looked into.

चीनी की उत्पादन लागत को कम करने के उपाय

6214. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी की उत्पादन लागत को कम करने के बारे में कोई उपाय किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) लागत में कमी करना एक निरन्तर प्रक्रिया है। सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम इस प्रकार हैं :—

(1) सरकार ने गन्ने की प्रति हैक्टर उपज बढ़ाने की दृष्टि से चीनी फैक्ट्रियों के क्षेत्रों में गहन गन्ना विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए 8 करोड़ रुपये के परिव्यय की एक गन्ना विकास योजना प्रायोजित की है।

(2) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा अपनाने के लिए परिपक्वतावार आधार पर गन्ने की कटाई करने की एक योजना की सिफारिश की गई है। इससे गन्ने से चीनी की अधिक वसूली होती है।

(3) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के माध्यम से मौजूदा यूनिटों का आधुनिकीकरण करने के लिए एक सुगम ऋण योजना कार्यान्वित की जा रही है ताकि फैक्ट्रियां अपनी अप्रचलित मशीनों के स्थान पर आधुनिक कारगर मशीनें लगा सकें जिससे क्षमता का बेहतर उपयोग होगा, अधिक वसूली होगी और इससे उत्पादन की लागत में कमी होगी।

(4) चीनी फैक्ट्रियों को कार्यचालन संबंधी कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए वेस्ट हीट रिकवरी यूनिट लगाने के लिए कहा गया है।

(5) चीनी फैक्ट्रियों को कहा गया है कि वे चीनी उद्योग के गौण उत्पादों का बेहतर उपयोग करने के लिए पग उठाएं जैसे कि कागज बनाने के लिए खोई, मुलैस का मवेशी चारा के रूप में प्रयोग करने आदि।

(6) गन्ना और चीनी विधायन टेकनोलाजी से संबंधित अनुसंधान और बिकास प्रयत्नों की महत्ता पर बल देना।

एशियन रूरल सर्विस कोर

6215. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों तथा सात भारतीय पर्यवेक्षकों ने एक एशियन रूरल सर्विस कोर का, जिसमें ग्रामीण निर्धनों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु सेवा तथा लग्न की भावना रखने वाले युवक तथा युवतियां शामिल होंगी, गठन करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए 9 मार्च, 1978 को बंगलौर में एक सम्मेलन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संगठन को सहायता देने का निश्चय किया है;

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(घ) उक्त सम्मेलन में किन प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उन्हें किस प्रकार क्रियान्वित किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) व (घ) जी हां एशियाई ग्राम विकास संस्थान, बंगलौर (एक पंजीकृत सार्वजनिक धर्मार्थ प्रतिष्ठान) ने एशियाई ग्रामीण सेवा निगमों को गठित करने की संभाव्यता पर विचार करने के लिए बंगलौर में (5–11 मार्च, 1978) एक सत्र आयोजित किया था। इस सत्र में ग्रामीण वातावरण में स्वयं सेवकों को नियोजित करने तथा उन्हें नियुक्त करने के बारे में अनुभव रखने वाले विदेशी तथा भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सत्र की सिफारिशों के मसौदे का संबंध संभावित भागीदार एजेंसियों के सहयोग से एशियाई ग्रामीण सेवा निगम गठित करने और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के विभिन्न पहलुओं से है।

(ख) व (ग) सत्र की सिफारिशों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। सरकार को अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सर्कस को बढ़ावा देना

6216. **श्री हितेन्द्र देसाई :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सर्कस सम्बन्धी गतिविधियों को भौतिक संस्कृति तथा मनोरंजन की एक कला मानती है; और

(ख) यदि हां, तो इन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) तथा (ख) सर्कस एक राज्य विषय है। तथापि, सरकार सर्कस को एक मनोरंजनात्मक गतिविधि के रूप में प्रमाणिक सर्कस कम्पनियों को उनके प्रदर्शनों के लिए सर्कस दलों और उनके सामान इत्यादि के चलन के लिए रेलवे रियायतें देकर प्रोत्साहित कर रही है। राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के शासनों से भी, मनोरंजन कर के भुगतान में छूट देकर, मामूली किराये पर सर्कस प्रदर्शन के लिए खुले मैदानों का आबंटन करके, कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता देकर, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं के अस्थायी कोटे के आबंटन द्वारा सर्कस को प्रोत्साहन देने के लिए अनुरोध किया गया है।

पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा

6217. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित मन्त्रालय इसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में प्रत्येक वर्ग के कुल कितने पद भरे गए और इन नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का विशेष हिस्सा कितना है तथा प्रत्येक वर्ग में पदों का आरक्षण समाप्त किया गया है और उसके क्या कारण हैं; और

(ख) प्रत्येक वर्ग के कितने पदों में विभागीय पदोन्नतियां की गई अथवा कितने पदों का दर्जा बढ़ाया गया और उनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तिब्बती शरणार्थियों के केन्द्रीय स्कूलों के शासी निकाय

6218. **श्री के० बी० चेतरी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा मंत्रालय ने देश में तिब्बती शरणार्थियों के केन्द्रीय स्कूलों की शासी निकायों के गठन के लिए क्या कसौटी निर्धारित की है;

(ख) क्या यह सच है कि गैर-तिब्बतियों के बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) क्योंकि तिब्बती शरणार्थी बच्चों की शिक्षा के लिए भारत में स्कूल स्थापित करना और उनके प्रशासन और संचालन की व्यवस्था करना समयोचित तथा वांछनीय समझा गया था, भारत सरकार ने शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में केन्द्रीय तिब्बती स्कूल सोसायटी (बाद में जिसका नाम प्रशासन रख दिया गया) 1961 में स्थापित की थी। इस प्रशासन के शासी निकाय में शिक्षा, विदेश, पुनर्वास मंत्रालयों के प्रतिनिधि तथा परम पावन दलाई लामा के प्रतिनिधि शामिल हैं। शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग में स्कूल शिक्षा से संबंधित संयुक्त सचिव शासी निकाय के अध्यक्ष हैं।

(ख) और (ग) तिब्बतियों के लिए केन्द्रीय स्कूल मुख्य रूप से भारत में तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों को स्कूल स्तर पर शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए हैं। तथापि, स्कूलों के स्टाफ के भारतीय सदस्यों के बच्चे भी दाखिल किए जाते हैं। डलहौजी, दार्जिलिंग तथा तेजु स्थित स्कूलों में रक्षा कार्मिकों के बच्चे भी कुल दाखिला के 10 प्रतिशत तक तथा विभिन्न कक्षाओं में स्थान उपलब्ध होने की शर्त पर दाखिल किए जाते हैं।

राजस्थान नहर तथा अन्य बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का समय पर पूरा न होना

6219. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान नहर परियोजना के कार्य के 20 वर्ष बाद भी पूरा न होने के कारणों का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस परियोजना तथा दूसरी बड़ी सिंचाई परियोजना के बारे में विस्तृत अध्ययन करने के संबंध में विचार कर रही है जिनका कार्य निर्धारित समय सूची में पीछे है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) शुरू में राजस्थान नहर परियोजना की प्रगति, अन्य बातों के साथ-साथ, साधनों की कमी और व्यास नदी पर जल-संचयन बांध के न होने के कारण गैर-मानसून महीनों में पीने के और निर्माण कार्य के लिए पानी के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण धीमी रही थी। अब ऐसी बात नहीं है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से पहले की पांच वर्ष की अवधि के दौरान 4.6 करोड़ रुपये के अधिक के वार्षिक औसत खर्च की तुलना में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान लगभग 63.43 करोड़ रुपये खर्च हुआ और 1977–78 में 28 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। परिव्यय में काफी बढ़ोत्तरी हो जाने से राजस्थान नहर परियोजना के इंजीनियरी कार्यों के 1983–84 तक पूर्ण होने की आशा है।

(ग) परियोजनाओं के क्रियान्वयन और विभिन्न कार्यों के निर्माण में देरी के लिए जिम्मेदार बातों की नियतकालिक पुनरीक्षणों के दौरान समय-समय पर विस्तार से जांच की गई और बाधाओं को दूर करने और पर्याप्त मात्रा में निवेशों की व्यवस्था करने के लिए कार्यवाही की गई। अन्य कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के साथ-साथ इस परियोजना के निर्माण की प्रगति पर केन्द्रीय जल आयोग के केन्द्रीय मानीटरिंग यूनिट द्वारा

अब ध्यानपूर्वक निगरानी रखी जा रही है। इसलिए इस मामल में फिर से कोई अध्ययन करने की आवश्यकता महसूस नहीं की जाती।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र असन्तोष

6220. **श्री सौगत राय** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में इस समय छात्र असंतोष फैला है और ये बन्द हैं;

(ख) यदि हां, तो इस असंतोष के क्या कारण है, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : (क) से (ग) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय न तो बन्द है और न ही छात्र असंतोष से ग्रस्त है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को छात्रों के एक दल द्वारा प्रिमैडीकल परीक्षा में अंकों में रियायत और एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए स्थानों के आरक्षण हेतु आन्दोलन के बाद 11 मार्च, 1978 को बन्द किया गया था। विश्वविद्यालय को पुनः खोलने का कार्य 31 मार्च से चरणों में शुरू किया गया है और 10 अप्रैल, 1978 तक पूरा हो जाएगा।

हिमालय क्षेत्र में बनों के अन्तर्गत क्षेत्र

6221. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमालय क्षेत्र के गत तीन वर्षों के वन-क्षेत्र संबंधी आंकड़े क्या हैं; और

(ख) हिमालय क्षेत्र में पेड़ों को गिराये जाने पर रोक लगाने के लिए स्वयं केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की तथा राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की तथा राज्य सरकार के माध्यम से क्या कार्यवाही की गई?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) हिमालयी क्षेत्र के राज्यों से आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कनाट प्लेस, नई दिल्ली स्थित भूमिगत मार्केट काम्पलेक्स के लिए घटा हुआ लाइसेंस शुल्क

6222. **श्री के० मालना**
श्री भारत भूषण } : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 मार्च, 1978 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि जनपथ, यूसुफजई मार्कीट तथा पंचकुईयां रोड के छोटे दुकानदारों को आकर्षित करने के लिए कनाट प्लेस स्थित भूमिगत मार्केट काम्पलैक्स में दुकानों का लाइसेंस शुल्क कम कर दिया गया है जबकि उक्त दुकानदार व्यापार में घाटे के डर से वहां जाने में संकोच कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति क्या है और इस काम्पलैक्स के निर्माण पर कितनी राशि खर्च की गई है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार की आधुनिकतम नीति यह है कि वे दुकानदार (निम्नलिखित वर्गों में से) जो अपनी मौजदा दुकानें छोड़ना चाहते हैं और कनाट प्लेस के भूमिगत पणन केन्द्र में दुकानें लेने के इच्छुक हैं, उन्हें आने की अनुमति दे दी जाए।

(i) पंचकुईयां रोड — 98 (सभी वे जो नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्र के भीतर आते हैं)

(ii) जनपथ स्टाल . . . 71 नं०

(iii) तिबतन स्टाल . . . 24 नं०

(iv) कनाट सर्कस (यूसूफ जई मार्कीट) . . 117 नं०

अन्य जो यह दुकानें लेना नहीं चाहते उन्हें आने के लिए मजबूर न किया जाए, शेष दुकानों को टेंडर द्वारा किराये पर दे दिया जाए।

अब तक 150.00 लाख रुपये की राशि इस समूह के निर्माण पर खर्च हो चुकी है।

REQUEST FROM ROLLER MILLS FOR EXPANSION OF CAPACITY

6223. SHRI RAM LAL RAHI : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether various roller mills (flour mills) in the country have made applications for permission for expansion of their capacity but no action has been taken thereon by Government; and

(b) if so, the legal and practical difficulties in accepting their request and whether permission will be given to them after removing those difficulties soon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) A ban was imposed in February, 1973 on establishment of new units or expansion of existing units in the Roller Flour Milling Industry in the light of then difficult wheat supply position and the gross under utilisation of overall licenced capacity. A number of applications have been received for substantial expansion of licenced capacities from various roller flour mills and these will be considered after a decision is taken about the removal/ relaxation of ban.

NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ADMINISTRATION

6224. SHRI MAHI LAL : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in Hindi daily 'Birdrohi' dated the 26th February, 1978 under the caption "NOIDA ke Mukhya Prashasak dwara Karfue Laga facory girwa Turkman Gate ki Yad Taza"; and

(b) if so, Government's reaction thereto and the action taken or being taken against the officer responsible for this incident ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) and (b) The matter concerns the State Government of Uttar Pradesh.

पंजाब में गन्ने का उत्पादन और उसकी मिलों द्वारा खपत

6225. **श्री भगत राय** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में उत्पादित गन्ने का कितना प्रतिशत राज्य के वर्तमान चीनी मिलों द्वारा उपभोग में लाया जा रहा है;

(ख) चीनी मिलों की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) पंजाब में गन्ना उत्पादकों को क्या प्रोन्साहन दिये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) गन्ना मौसम 1976-77 के दौरान 15·91 प्रतिशत । यह आँकड़ा अस्थायी है ।

(ख) सरकार ने पंजाब में स्थित चीनी फैक्ट्रियों सहित देश के सभी चीनी फैक्ट्रियों को 1975 में अनुदेश जारी किए थे, जिनमें उदार लाइसेंसिंग नीति के अधीन उनकी वर्तमान क्षमता में पर्याप्त विस्तार करने

की सम्भावना के बारे में बताया गया था ताकि प्लांट और मशीनरी आदि की अधिक स्थापित क्षमता प्राप्त की जा सके और गन्ने की सम्भावित अतिरिक्त उपलब्ध मात्रा को पेरा जा सके। इसके अलावा, पर्याप्त विस्तार करने और नयी फैक्ट्रियां लगाने के लिए नियमित और औद्योगिक लाइसेंस दिए गए थे।

(ग) केन्द्रीय सरकार पंजाब के गन्ना उत्पादकों को कोई प्रोत्साहन नहीं देती है। तथापि, राज्य सरकार के प्रयासों को बल देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पंजाब के प्रत्येक फैक्ट्री क्षेत्र के इर्द-गिद 2,000 हैक्टर में गन्ने का सघन विकास करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना मंजूर की है। इस कार्यक्रम में इन बातों की परिकल्पना की गई है :—(i) वाणिज्यिक खेती हेतु रोग-मुक्त, पौष्टिक गन्ने के बीज का उत्पादन और वितरण करना; (ii) गन्ने के पौधे और पेड़ी की उन्नत विधियों का प्रदर्शन करना; (iii) पौध संरक्षण उपाय समय पर करना; (iv) राज्य स्तर पर गन्ना विकास कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना; (v) चीनी फैक्ट्री क्षेत्रों के इर्द-गिर्द लिक-सड़कों का निर्माण करना। योजना में पूरे तकनीकी स्टाफ की भी व्यवस्था की गई है।

2. विभिन्न गतिविधियों के लिए योजना में व्यवस्थित वित्तीय सहायता का स्वरूप नीचे दिया जाता है :—

(i) मूल बीज के उत्पादन, तकनीकी स्टाफ और खंड स्तर का स्टाफ	100 प्रतिशत
(ii) प्रदर्शन	1000/- रुपय प्रति हैक्टर
(iii) गन्ना विकास कर्मचारियों का प्रशिक्षण	प्रशिक्षणार्थियों को 200/- रु० प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति मास के हिसाब से वृत्तिका और वैज्ञानिकों/अधिकारियों को प्रत्येक लैक्चर के लिए 15/- रुपये के हिसाब से मानदेय।
(iv) पौध संरक्षण उपकरण	उपकरणों की 75 प्रतिशत लागत को केन्द्रीय सरकार और 25 प्रतिशत को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
(v) लिक-सड़कों का निर्माण	राज्य सरकार, लाभ उठाने वालों और केन्द्रीय सरकार द्वारा 1/3 : 1/3 : 1/3 के अनुपात में।

3. पंजाब सरकार को इस योजना के अन्तर्गत जो वित्तीय सहायता सुलभ की गई थी, वह निम्नलिखित है :—

वर्ष	निर्मुक्त की गई निधि (लाख रु० में)
1975—76	1.50
1976—77	3.58
1977—78	6.89
1978—79 (प्रस्तावित)	7.66

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा महानगरों में निर्माण कार्य

6226. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने दिल्ली (पुरानी और नई) वृहत कलकत्ता, वृहत बम्बई और मद्रास में वर्ष 1974–75 से 1976–77 तक वर्षवार कुल कितनी लागत का निर्माण कार्य किया है;

(ख) क्या निर्माण कार्यों के मामले में कुछ नगर अन्य नगरों की तुलना में पीछे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

काज फल (कैश्यू ऐप्पल) का उपयोग

6227. **श्री भुवारहन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का काज फल का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है और अब व्यर्थ जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसका उपयोग किस तरीके से किया जायेगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केरल कृषि विकास परियोजना में काजू विकास से सम्बधित उप-परियोजना के अन्तर्गत काजूफल (केश्यू ऐप्पल) परिसंस्करण के लिए एक मार्गदर्शी संयन्त्र की स्थापना का प्रावधान है। प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर से अनुरोध किया गया है कि वे सामान्य पेयों (साफ्ट ड्रिंक्स), अर्ध परिष्कृत तथा परिष्कृत आसवनों के उत्पादन के लिए काजूफल का उपयोग में लाने की सम्भाव्यताओं पर एक रिपोर्ट तैयार करें।

गोवा में यूराक तथा फेनी जैसे एल्कोहलिक पेय तैयार करने के लिए काजूफल का पहले से ही उपयोग किया जा रहा है ।

साल में केवल 90 दिन की अल्पावधि तक काजूफल की सीमित उपलब्धता तथा इसका बहुत जल्दी ही खराब हो जाना (जिसमें काजूफल को खेत से फैक्टरियों तक शीघ्र पहुंचाने की समस्याएं शामिल हैं) इसके उपयोग में बड़ी बाधाएं हैं ।

CONSTRUCTION ON UNACQUIRED LAND

6228. SHRI NATHU SINGH : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the number of houses constructed on the unacquired land along the road between Shyamlal College, Shahdara and the Bus Stand;

(b) whether a survey has been conducted with a view to assessing the loss of personal property of the people, caused as a result of demolition of those houses; and

(c) whether there is any scheme to pay any compensation to the landlords concerned before demolishing those houses ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) No such statistics are being maintained.

(b) No, Sir. However, no property has been demolished by the Municipal Corporation of Delhi on this portion of the road during the emergency period and the post emergency period.

(c) Does not arise.

मायापुरी, नई दिल्ली में पानी का जमा होना

6229. **श्री एस० बी० पाटिल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मायापुरी स्थित डी० डी० ए० कालौनी में मध्यम आय वर्ग के फ्लेटों की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर गन्दा पानी तथा सीवर का पानी जमा हो जाता है ;

(ख) क्या ए और ई सड़कों के निकट सीवर का पानी बरसाती नालों में बहता है जिससे वहाँ गन्दगी फैलती है और वह रहने वाले निवासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो जाता है ;

(ग) उपरोक्त अस्वास्थ्यकर स्थिति को सुधारने के लिए क्या प्रस्ताव है; और

(घ) बरसात के दिनों में सड़क पर तथा उसके किनारे नालों में पानी के जमा हो जाने कोवे रोकने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण का कालोनी के लिए क्या स्थायी व्यवस्था करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मास्टर प्लान रोड संख्या 33 का विकास

6230. **श्री नटवर लाल बी० परमार** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनकपुरी, नई दिल्ली के ए2 डी ब्लाक का जिसके एक ओर पंखा रोड है और दूसरी ओर मास्टर प्लान रोड नम्बर 33 है तथा जिसे सामूहिक गृह निर्माण के लिए निर्धारित किया गया था, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक विकसित नहीं किया गया है जबकि यह कालोनी पिछले दस वर्षों या इससे अधिक समय से अस्तित्व में है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त स्थान की स्थिति उपयुक्त है और इसका उपयोग सरकारी संस्थानों, वाणिज्यिक तथा कार्यालय काम्पलैक्स अथवा सामूहिक गृह निर्माण परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है :

(ग) इस स्थल का विकास आरम्भ नहीं करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास तथा उपयोग करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) ए-2 डी ब्लाक नहीं है लेकिन एक ग्रुप आवास पाकेट है जो डाक व तार विभाग को उनके स्टाफ को देने के लिए आवंटित किया गया है । बाह्य सेवायें पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी हैं । आन्तरिक सेवाएं डाक व तार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जानी हैं। ब्लाक ए-2 में शेष क्षेत्र विकसित प्लाटों से युक्त है जो काफी संख्या में बेचे जा चुके ह और व्यक्तियों द्वारा कई मकानों का निर्माण किया जा चुका है।

यद्यपि स्थल बहुत ही अच्छे स्थान पर स्थित है । इसका प्रयोग केवल ग्रुप आवास के निर्माण के लिए किया जा सकता है और उसके साथ सुविधा बाजार और नर्सरी स्कूल की व्यवस्था की जा सकती है । पाकेट को कार्यालय समूह या वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता ।

EROSION OF CHAMBAL RAVINES

6231. SHRI CHHABIRAM ARGAL : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether cultivable land is being eroded due to erosion of ravines in Chambal Valley in Morena Division;

(b) the area of cultivated land in Chambal ravines in Morena Division turned into ravines during the last three years upto December, 1977;

(c) whether it is a fact that Government of Madhya Pradesh are unable to check the erosion of Chambal ravines due to paucity of funds; and

(d) if so, whether the Central Government have any Scheme under the flood control scheme to check erosion of land or the reaction of the Central Government towards checking erosion of this land ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) Yes, Sir.

(b) No field survey has been carried to assess the area converted into ravines during last three years upto December, 1977.

(c) and (d) Control of erosion by ravines is a complex, technical and economic problem. It requires proper surveys, investigations, planning and implementation by trained technical staff. In addition, existing tenurial system, ownership pattern, uncontrolled grazing and exploitation of vegetation, pose difficulties.

A Central Sector Scheme of "Pilot Project for protection of table lands and stabilisation of ravinous areas" is in operation in Madhya Pradesh. The Central Government is keen to check erosion of these lands.

FOREIGN COLLABORATION IN AGRICULTURE AND LIVESTOCK

6232. SHRI BHARAT BHUSHAN : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the names of projects being carried out with foreign collaboration in the fields of development and research on agriculture and livestock in the country at present and since when;

(b) the annual expenditure being incurred thereon and who bears it; and

(c) the details of progress made in respect of these projects ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) to (c) The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha as soon as it becomes available.

संयुक्त राज्य अमेरिका से कम मात्रा में सप्लाई किए गए गेंहू के मामलों में खर्च की गई विदेशी मुद्रा की राशि

6233. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीकी फर्मों द्वारा घटिया किस्म के और कम मात्रा में गेहूं सप्लाई करने के सिविल मामलों में अब तक कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है ;

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे मामले दायर करने की तारीख से सरकार के अधिकारी कितनी बार संयुक्त राज्य अमेरिका गये हैं ; और

(ग) सरकार ने कितनी राशि मुहाविजे के रूप में मांगी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) अमरीकी अनाज सम्भरकों के विरुद्ध दायर किए गये मामलों में अब तक लगभग 80,000 अमरीकी डालर खर्च किए गये हैं।

(ख) अमरीकी न्यायालयों में दायर किए गये अनाज के क्लेम संबंधी मामलों में जब कभी आवश्यक समझा गया तभी संयुक्त राज्य अमेरिका को यहां से अधिकारी भेजे गए हैं । प्रारम्भ में, एक उच्च स्तरीय दल, जिसमें खाद्य विभाग, विधि मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम के चार अधिकारी थे, ने जून, 1976 में संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया था । उसके बाद साक्ष्य विवर्तन और दस्तावेज (शिफ्टिंग आफ एवीडैंस) आदि तैयार करने में अटार्नियों की सहायता करने के लिए विधि मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम के एक एक अधिकारी संयुक्त राज्य अमेरिका भेजे गये थे । नौवहन तथा पत्तन संबंधी कार्यों के अभिसाक्ष्य संबंधी कार्यवाही में मुख्य गवाह के रूप में भी भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी उपस्थित हुए थे। ये दो अधिकारी अभी भी प्रतिनियुक्ति पर हैं क्योंकि इन मामलों में उनकी वहां लगातार उपस्थिति आवश्यक है। भारतीय खाद्य निगम के तकनीकी सलाहकार को भी एक बार एक मामले की अभिसाक्ष्य संबंधी कार्यवाही म मुख्य गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए भेजा गया था ।

(ग) भारत सरकार ने 2150 लाख डालर जोकि 1961–75 की अवधि के दौरान इन फर्मों द्वारा भारत को सप्लाई किए गये अनाज की कुल कीमत का दो प्रतिशत था, की अनुमानित राशि के दिए संयुक्त राज्य की पांच प्रमुख अनाज निर्यातक फर्मों के विरुद्ध दावे दायर किए थे, ताकि वह अमरीकी नियमों तथा कार्यविधि के अनुरूप हो जिसमें यह शर्त थी कि एक फर्म के विरुद्ध केवल उस हालत में दावा दायर किया जा सकता है यदि इसके द्वारा सप्लाई किए गये अनाज में तौल में 1 1/2 की कमी हो अथवा जिस क्वालिटी के अनाज के लिए ठेका किया गया वह उसके अनुरूप न हो और इसका वास्तविक दावों से कोई सम्बन्ध नहीं है। तथापि, जिन पांच फर्मों के विरूद्ध दावे दायर किए गये थे और उन दो अनाज सप्लाई करने वाली फर्मों जिन्होंने न्यायालय के बाहर समझौता करने की इच्छा व्यक्त की थी, को गैर अनुरूपी लदान की सूची भेजी गई थी जिसमें तौल और किस्म संबंधी कमियां बताई गई थीं।

काम करने वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए होस्टल

6234. **श्री बलदेव सिंह जसरोतिया :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काम करने वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए रिहायशी आवास की व्यवस्था करने के लिए देश में राज्य वार कितने होस्टल हैं तथा वे कहां कहां स्थित हैं; और

(ख) क्या उन राज्यों में जहां ऐसे होस्टल नहीं हैं इस वर्ष के अंत तक होस्टल बनाने की कोई संभावना है तथा उससे सम्बधित बजट प्रस्ताव क्या है।

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) देश में श्रम जीवी पुरुषों और स्त्रियों के लिए होस्टलों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी केन्द्रीय योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने देश में श्रमजीवी स्त्रियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 129 होस्टलों के निर्माण/विस्तार के लिए सहायता दी है। जिन स्थानों के लिए होस्टलों की स्वीकृति दी गई है उनके नामों का विवरण संलग्न है। श्रमजीवी पुरुषों के लिए होस्टलों की व्यवस्था के लिए समाज कल्याण विभाग के पास कोई योजना नहीं है।

(ख) इस योजना के लिए 1978-79 में 200.00 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। ऐसे शहरों में जहां कम से कम 25 स्त्रियों को आवास की आवश्यकता है, स्वयं सेवी संगठनों (जो योजना के अंतर्गत शर्तें पूरी करते हों प्रार्थना पर विचार किया जाएगा।

विवरण

उन शहरों की सूची जहां पर श्रमजीवी महिलाओं के होस्टलों के लिए स्वीकृति दी गई है

शहर का नाम	स्वीकृत होस्टलों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	
1. गुंटुर	1
2. हनमकोंडा (वरांगल)	1
3. हैदराबाद	4
4. विजयवाड़ा	1
असम	
1. गौहाटी	2
बिहार	
1. पटना	1
2. जमशेदपुर	1

1	2
हरियाणा	
1. अम्बाला	1
गुजरात	
1. भावनगर	1
2. जामनगर	1
3. राजकोट	2
4. सूरत	1
5. बदोदरा	1
जम्मू और कश्मीर	
1. श्रीनगर	1
कर्नाटक	1
1. बेलगांव	
2. बंगलौर	7
3. हुबली-धारवाड	1
4. मंगलौर	3
5. मैसूर सिटी	1
केरल	
1. कोचीन (अरनाकुलम)	1
2. कोजीकोडे (कालीकट)	5
3. पैरम्बावूर	2
4. त्रिवेन्द्रम	4
5. कोटायम	1
मध्य प्रदेश	
1. भोपाल	2
2. दुर्ग भिलाईनगर	1
3. ग्वालियर	2
4. इन्दौर	1
5. जबलपुर	2
6. रायपुर	1
7. उज्जैन	2
महाराष्ट्र	
1. अमरावती	2
2. बम्बई	6
3. कोल्हापुर	1
4. नागपुर	3
5. नासिक	1
6. पुना	3
7. शोलापुर	1
मेघालय	
1. शिलांग	1

1	2
मणिपुर	
1. इम्फाल	2
उड़ीसा	
1. भुवनेश्वर	1
2. कटक	1
पंजाब	
1. अबोहर	1
2. अमृतसर	1
3. भटिन्डा	1
4. जालंधर	2
5. लुधियाना	1
6. पटियाला	1
राजस्थान	
1. अजमेर	1
2. जयपुर	1
सिक्किम	
1. गंगतोक	1
तमिलनाडु	
1. कोइम्बटूर	2
2. कांचीपुरम	1
3. मद्रास	7
4. मदुरै	3
5. पलायमकोटाई (त्रिनलवेली)	1
6. सलेम	4
त्रिपुरा	
1. अगरतला	1
उत्तर प्रदेश	
1. इलाहाबाद	1
2. देहरादून	1
3. गोरखपुर	1
4. कानपुर	2
5. लखनऊ	2
6. मेरठ	1
पश्चिम बंगाल	
1. कलकत्ता	2
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	
1. पोर्ट ब्लेयर	1

1	2
चंडीगढ़	
1. चंडीगढ़	3
दिल्ली	
1. नई दिल्ली	5
गोवा, दमन और दिव	
1. पणजी	2
मिजोरम	
1. पणजी	2
मिजोरम	
1. एजवल	1

दिल्ली में माध्यमिक स्कूलों को 10+2+3 शिक्षा प्रणाली में बदलना

6235. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के सभी माध्यमिक स्कूलों को 10+2+3 शिक्षा प्रणाली के अनुसार परिवर्तित नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, नहीं । शिक्षा की गई पद्धति, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के सभी माध्यमिक स्कूलों पर लागू है । तथापि, भूतपूर्व माध्यमिक स्कूलों में से लगभग दो तिहाई स्कूलों में +2 स्तर की व्यवस्था की गई है । चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार 1979 के शैक्षिक सत्र से दिल्ली के कालेजों में शिक्षा की +3 स्तर लागू किया जाएगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वन्य जीवों का संरक्षण

6236. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वन्य जीवों जैसे बाघ, जंगली बिल्ली, सिंह, हाथी आदि के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण चिड़ियाघरों, वन्य जीव शरणस्थलों, सर्कस कम्पनियों के विस्तार-कार्य को धक्का लगा है ;

(ख) यदि हां, तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिये, जो वाणिज्यिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त प्रकृति में संतुलन बनाये रखने के लिये आवश्यक है, सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मोडर्न बेकरीज द्वारा '77' चिन्ह का चयन

6237. **श्री पी० कानन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोडर्न बेकरीज द्वारा नये पेय के लिये '77' चिन्ह किन परिस्थितियों में चुना गया ;

(ख) क्या चिन्ह '77' के उपयोग के विरुद्ध सेलम, तमिलनाडु के एस० मुत्युकरूप्पा पिल्लई एण्ड सन्स की ओर से, जिनके बारे में बताया जाता है कि वे '77' चिह्न के अन्तर्गत 9 वर्षों से एक पेय का उत्पादन और बिक्री कर रहे हैं, कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो विशेष कर व्यापार चिह्न अधिकारों के उल्लघंन के सन्दर्भ में सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सरकार का विचार उस फर्म को नये पेय के वितरण अधिकार देने का है जिससे उसके व्यापार का घाटा पूरा हो सके?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानुप्रताप सिंह) : (क) माडर्न बेकरीज द्वारा बेचे जाने वाले नये पेय के लिए प्रस्तावित विभिन्न नामों में विज्ञापनदाता ऐजेन्टों के परामर्श से अत्यधिक लोकप्रिय और आकर्षक नाम '77' चुना गया था।

(ख) जी हां।

(ग) मैं० ओजोलो कैमिकल वर्क्स, पूना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे चिन्हों में से '77' भी एक चिह्न था, और उन्होंने अन्य पार्टियों के अलावा मैं० एस० मुथुकारुप्पा पिलै एण्ड सन्स, सलेम को इसका विशेषाधिकार दे रखा था। यह चिह्न तो ट्रेड चिह्न अधिनियम के अधीन पंजीकृत था और न ही इसका पंजीकरण करने के लिए आवेदन-पत्र दिया गया था।

माडर्न बेकरीज (इं०) लि० ने मैं० ओजोलो कैमिकल वर्क्स, पूना से ट्रेड मार्क '77' को इस्तेमाल करने के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। अतः इस मामले में ट्रेड मार्क के अधिकारों का कोई उल्लघंन नहीं किया गया है।

(घ) क्योंकि मैं० ओजोलो कैमिकल वर्क्स, पूना से इस ट्रेड मार्क को इस्तेमाल करने से संबंधित अधिकार प्राप्त कर लिए गए हैं, इस फर्म को वितरण संबंधी अधिकार देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पुस्तकों का कापीराइट

6238. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत में और विदेशों में यह धारणा बन गई है कि विदेशी लेखकों और प्रकाशकों से प्राप्त प्रतिलिप्याधिकारों का उचित उपयोग नहीं किया जाता है और लेखकों एवं प्रकाशकों को हानि पहुंचा कर रायल्टी के भुगतान में हेरा-फेरी की जाती है; और

(ख) क्या सरकार का भारतीय एवं विदेशी लेखकों और प्रकाशकों के प्रति उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए पुस्तकों के कापी राइट के बारे में सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कार्यवाही करने का विचार है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) जी, नहीं।

इतिहास की पाठ्य पुस्तकों के बारे में विवाद

6239. **श्री जी० एम० बनतवाला**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक } : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश के कुछ निहित स्वार्थ वाले तत्वों ने देश में इतिहास की कुछ पाठ्य पुस्तकों के बारे में विवाद खड़ा कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में राष्ट्रीय इतिहास कांग्रेस के विचारों का पता लगाया है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) कुछ पाठ्यपुस्तकों के विषय में विवाद से सरकार अवगत है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार ने इतिहास की इन पाठ्य पुस्तकों पर विशेषज्ञों की राय आमंत्रित की है।

उड़ीसा में केन्द्रीय विद्यालय

6240. **श्री के० प्रधानी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं ;

(ख) क्या इन केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सरकार ने कोई रियायत दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) आठ।

(ख) और (ग) प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय में नये दाखिलों का 15 प्रतिशत और 7 1/2 प्रतिशत क्रमश: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षित होता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

ECONOMIC ASSISTANCE TO ANDH MAHAVIDYALAYAS

6241. **SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA :** Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme for special type of economic assistance to Andh Mahavidalayas (Colleges for the Blind); and

(b) if so, how the same will be utilised ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRI DHANNA SINGH GULSHAN) : (a) and (b) While there is no scheme under consideration exclusively for colleges for the Blind, financial assistance is given to voluntary organisations for training and teaching projects/programmes for the blind, including establishment and expansion of colleges for the Blind. Moreover, State Governments have also schemes under which schools/colleges for the blind are assisted.

बस्तर जिले में शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान

6240. **श्री अधन सिंह ठाकुर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में कोई शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार जिले के पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से वहां प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और इस संस्थान की स्थापना कहां करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) भारत सरकार द्वारा स्थापित कोई नहीं।

(ख) जी, नहीं। यह मुख्यतया राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में पीने का पानी

6243. **श्री फकीर अली अंसारी :** क्या **निर्माण और आवास तथा-पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से पीने के पानी की समस्या हल करने और इस प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता के सब संभावित स्त्रोतों का पता लगाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्र द्वारा राज्यों को दिए गए निदेश का ब्यौरा क्या है ;

(ग) राज्य सरकारों ने लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने हेतु कहां तक कार्य आरम्भ किया है ;

(घ) देश में इस समय ऐसे व्यक्तियों की प्रतिशतता कितनी है जिन्हें पीने का शुद्ध पानी प्राप्त हो रहा है; और

(ङ) उक्त प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को केन्द्र द्वारा कितनी सहायता दी जा रही है और उसके उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) राज्य सरकारों से 30 मई, 1977 को कहा गया था कि वे समस्याग्रस्त गाँवों के लिए जलपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की अवस्था बतलायें ताकि केन्द्रीय प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 1977-78 के दौरान भारत सरकार उन योजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता का मूल्यांकन कर सके।

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा 1977-78 के दौरान 13048 समस्याग्रस्त गांवों की जलपूर्ति योजनायें निष्पादित की गई थी।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, नगर की 80 प्रतिशत (लगभग) और गांवों की 10 प्रतिशत (लगभग) आबादी को शुद्ध पेय जल की व्यवस्था की गई है।

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत, 1977-78 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता अनुदान दिया गया था :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1977-78 के दौरान दी गई सहायता की राशि
1	2
राज्य	(लाख रुपयों में)
1. आंध्र प्रदेश	152.30
2. असम	57.60
3. बिहार	242.80
4. गुजरात	332.80
5. हरियाणा	142.10
6. हिमाचल प्रदेश	222.60
7. जम्मू तथा कश्मीर	152.80
8. कर्नाटक	142.30
9. केरल	102.00
10. महाराष्ट्र	312.80
11. मध्य प्रदेश	252.80
12. मणिपुर	52.50
13. मेघालय	25.80

1	2
14. नागालैण्ड	77.50
15. उड़ीसा	182.80
16. पंजाब	102.10
17. राजस्थान	252.30
18. सिक्किम	36.50
19. तमिलनाडु	217.30
20. त्रिपुरा	80.50
21. उत्तर प्रदेश	352.80
22. पश्चिम बंगाल	242.80
संघ राज्य क्षेत्र	
1. अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	20.00
2. अरुणाचल प्रदेश	20.00
3. गोआ, दमण व दीव	10.00
4. दिल्ली	10.00
5. मिजोरम	15.00
6. पाण्डिचेरी	10.00
	3820.00

उपर्युक्त सहायता राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई निधियों की व्यवस्था के अलावा थी।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित इन योजनाओं पर कार्यान्वयन शीघ्रातिशीघ्र हो, को सुनिश्चित करने के लिए राज्य मुख्य लोक स्वास्थ्य इंजीनियर के अधीन योजनाओं की प्रगति का अन्वेषण करने और मानीटर करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (जो उपयुक्त ब्यौरे में सम्मिलित है) राज्यों को मानीटरिंग सैलों और अन्वेषण एककों के गठन के लिए दी गई थी। इसके अलावा, निर्माण और आवास मंत्रालय के अधिकारियों ने कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क बनाये रखा। इस आधार पर प्राप्त प्रगति के अनुसार वित्तीय सहायता भी दी गई थी।

पीतमपुरा, दिल्ली में प्लाटों का आंबटन

6244. **श्री कचरुलाल हेमराज जैन:** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री पीतमपुर, दिल्ली में प्लाटों के आवंटन के बारे में 25 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4690 और 12 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3501 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीतमपुरा में प्लाटों के विकास की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है तथा इस संबंध में जिन्होंने विकल्प दिया हुआ है उन्हें वास्तव में प्लाटों का आवंटन कब तक हो जाएगा;

(ग) उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने पीतमपुरा रिहायशी योजना में वैकल्पिक प्लाटों के लिए स्वीकृति दे दी है तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास एक हजार रुपये जमा करा दिए हैं; और

(घ) इन आवेदकों को आबंटित करने के लिए कितने प्लाटों का विकास किया गया है किया जाना है।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त)। (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) तथा (घ) 1350

पीतमपुरा रिहायशी योजना के विकास कार्य की प्रगति की स्थिति

1. **पार्क** :— इनका सीमांकन कर दिया गया है और पाकेट बी दक्षिणी तथा 'ई' उत्तरी को छोड़कर सभी में लोहे के जंगले लगा दिए गए हैं। पाकेट 'बी' (दक्षिणी) के लिए निविदायें प्राप्त हो गई हैं और उनकी जांच हो रही है । 'एस' उत्तरी के लिए निविदायें आमन्त्रित की जा रही हैं। इनके पूर्ण होने की संभवत: तारीख जून, 1978 है।

2. **सड़कें** :—फेज 1 तक सिवाय पाकेट 'के' और 'टी' के सड़क का कार्य पूरा हो गया है और पाकेट 'के' और 'टी' में सड़क को केवल पक्का करने का ही कार्य हुआ है । फेज-II का कार्य तभी आरम्भ किया जाएगा जब 50 प्रतिशत प्लाटों में निर्माण कार्य हो जाएगा।

3. **जलपूर्ति**:—पानी के पाइप लाइन्नों को डालने का 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है । पाकेट डी० एच० के० (पूर्वी) यू० टी० (उत्तरी) तथा सी० एण्ड डी० (दक्षिणी) जो सर्वप्रथम ग्रुप आवास के लिए उदिद्ष्ट थे और बाद में उन्हें प्लाट वाले क्षेत्र में बदल दिया गया है, उसका कार्य डिजाइन, आकलन बनाने, निविदा आमन्त्रित करने तथा आवंटन के विभिन्न चरणों में है और इस कार्य के सितम्बर, 1978 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है । इस क्षेत्र में दिल्ली नगर निगम की सप्लाई लाइन नहीं है । नलकूपों द्वारा इसकी अन्तरिम व्यवस्था की जाएगी और कुछ में यह व्यवस्था हो गई है । एक उपरि टंकी का निर्माण किया जाना है।।

4. **मल नालियां**:—मुख्य योजना का 70 प्रतिशत काम समाप्त हो गया है सिवाय ऐसे पाकेटों के काम को छोड़कर जो सर्वप्रथम ग्रुप हाउसिंग के लिए उद्दिष्ट थे और बाद में उन्हें प्लाट के क्षेत्र में बदल दिया गया है। यह कार्य डिजाइन बनाने, प्राक्कलन तैयार करने, निविदा आमन्त्रित करने तथा आवंटन के अलग अलग चरणों में है । मल नालियों की व्यवस्था के कार्य की जून, 1979 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

यह क्षेत्र के मल-जल का अन्तिम निपटान रिठाला मल शोधन संयंत्र के माध्यम से होगा जिस कार्य को दिल्ली नगर निगम ने अभी आरम्भ करना है । तब तक मल-जल के निपटान के लिए नलकूप और आक्सीकरण तालाब आदि बनाने का प्रस्ताव है जिसके डिजाइन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

5. **सड़क बत्ती** :—इस कार्य को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा किया जाना है । आवश्यक निधियां उसके पास जमा कर दी गई हैं। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने आश्वासन दिया है कि वह इस कार्य को एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कर देगें।

निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण सहायता द्वारा प्राप्त घर

6245. **श्री शिव सम्पत्ति राय**: क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग के लोगों को सहायता प्राप्त दरों पर तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों को लागत मूल्य पर आवास दिए जाने थे ;

(ख) लोगों को इस योजना का कहां तक लाभ पहुंचा है ;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वाणिज्यिक प्रयोग के लिए भूमि और धनी वर्ग के लिए घरों की नीलामी तथा बिक्री पर बहुत बड़ी मात्रा में लाभ कमाना किन विशेष कारणों से आरम्भ किया गया, और

(घ) क्या आम जनता की दृष्टि में दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्रतिष्ठा में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो क्या ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के फ्लैट कुल मिलाकर "बिना लाभ" "बिना हानि" के आधार पर दिए गए हैं तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को रियायती दरों पर दिए गए हैं।

(ग) निम्न आय तथा मध्यम आय वर्गों को भूमि पूर्व निर्धारित दरों पर आवंटित की जाती है जिसमें कोई लाभांश शामिल नहीं होता है । वाणिज्यिक प्लाटों तथा उच्च आय वर्गों के प्लाटों के लिए नीलामी की जाती है क्योंकि उनकी भुगतान करने की क्षमता है।

(घ) निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(i) जनता अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तथा और अन्य अधिकारियों से किसी भी समय बिना किसी रोकटोक के मिल सकती है।

(ii) बकाया मामलों के निपटान के लिए विलम्ब खत्म किया जा रहा है।

(iii) सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यक्लापों में सुधार करने के लिए उनका गहराई से अध्ययन करने हेतु एक समिति बनाई है।

ग्यारहवीं कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकों का उपलब्ध न होना

6246. **श्री शंकर सिंह जी बाघेला :** क्पा **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगले महीने ग्यारहवीं कक्षा की परीक्षा देने वाले छात्रों को इस महीने केवल दो पाठ्य पुस्तकें ही प्राप्त हो सकी हैं और अन्य दो पाठ्य पुस्तकें अभी तक उपलब्ध नहीं की गई हैं ;

(ख) क्या उनका ध्यान उस पुस्तक की ओर भी गया है जिसमें अध्यायों के अन्त में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रश्न नहीं छापे गये हैं ;

(ग) क्या 11 मई, 1978 के नवभारत टाइम्स में "ग्यारहवीं कक्षा के छात्रों की स्थिति बड़ी दयनीय" शीर्षक समाचार की ओर उनका ध्यान गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा इसकी ओर से प्राइवेट प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित चालीस पाठ्य पुस्तकें (इन पुस्तकों के अंग्रेजी तथा हिन्दी रुपान्तरों को दो पाठ्य-पुस्तकों के रूप में गिनते हुए) सत्र 1977-1978 के लिए कक्षा XI हेतु अपेक्षित थी। सभी 40 पुस्तकें मार्च, 1978 में उपलब्ध थीं।

(ख) भारत के सामान्य भूगोल से सम्बन्धिद पुस्तक में सम्पादक मण्डल की कमी के कारण प्रश्न तैयार नहीं कर सका था। कक्षा XII के लिए निर्धारित पुस्तक के दूसरे भाग में इन प्रश्नों को शामिल करने का निर्णय किया गया था।

(ग) और (घ) समाचार स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर कक्षा XII तक करने के अतिरिक्त उपरोक्त भाग (क) और (ख) से सम्बन्धित है। दिल्ली के 600 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में से 419 का दर्जा बढ़ाकर कक्षा XII तक कर दिया गया है। कक्षा XII खोलने तथा स्टाफ, स्थान और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर दी गई है।

REHABILITATION OF INHABITANTS OF SUBMERGED VILLAGES IN GUJARAT

*6247. SHRI AMARSINH V. RATHAWA : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many villages have been submerged in water in Gujarat as a result of construction of irrigation projects there;

(b) if so, the names of the projects in which villages have been sub-merged indicating the number of villages submerged under each project;

(c) the measures taken by Central Government for the rehabilitation of the inhabitants of submerged villages and the amount of the financial assistance or other assistance given to the State Government therefor; and

(d) the number of Adivasi villages affected ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a), and (b) and (d) The Government of Gujarat have furnished information giving number of villages affected either fully or partially along with those of the villages in the Adivasi areas in respect of major and medium irrigation projects which have either

been completed in the recent past or those which are in an advanced stage of construction. The details are as under :—

Name of Project	Number of villages going under submergence (partially or fully)	Number of Adivasi villages going under submergence
MAJOR		
1. Kadana	46	46
2. Panam	42	34
3. Dharoi	44	18
4. Watrak	37	6
5. Ukai	170	170
6. Damanganga	22	22
MEDIUM		
1. Chhaparwadi (II)	1	—
2. Phophal	1	—
3. Wankleshwar Bhey Project	3	3
4. Machhanala Project	10	10
5. Waidy	9	6
6. Nara	2	—
7. Ghodatad	1	—
8. Harnav II	1	1
9. Baldeva	3	3
10. Pigut	1	1
11. Kalindri	1	—

(c) Irrigation is a State subject and irrigation projects are implemented by the State Governments. It is thus for the Government of Gujarat to take necessary measures for the acquisition of lands and rehabilitation of affected persons.

The funds for execution of the irrigation projects are also provided by the State Governments themselves. Central assistance to State Plans is provided in the form of block loans and grants, which is not related to any individual sector of development or project.

दिल्ली में पंजाबी के अध्यापकों की नियुक्ति

6248. **श्री वी० एस० रामूवालिया** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 1977 में सरकारी स्कूलों में पंजाबी के कितने प्रशिक्षित स्नातक/स्नातकोत्तर अध्यापकों की नियुक्ति की गई और वर्ष 1978 के लिए क्या योजना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1977 के दौरान कोई स्नातकोत्तर अध्यापक (पंजाबी भाषा) नियुक्त नहीं किया गया था, क्योंकि कोई भी रिक्त स्थान नहीं था। 17 प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों (पंजाबी भाषा) को अल्पकालिक आधार पर नियुक्त किया गया था। 1977 से चले आ रहे प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों (पंजाबी भाषा) के 5 रिक्त स्थान 1978 के दौरान भरे जाएंगे। 1978 के दौरान स्नातकोत्तर अध्यापकों/प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों (पंजाबी भाषा) के नये रिक्त पद, 1978 के शैक्षिक सत्र के दाखिले पर निर्भर करेंगे।

HOMELESS PERSONS IN DELHI

6249. SHRI HUKMDEO NARAIN YADAV : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state the number of homeless persons in Delhi and whether Government are formulating any scheme to provide residential accommodation to such homeless persons ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : Delhi Development Authority have reported that no statistics regarding number of homeless persons in Delhi are available. They have constructed about 20,000 houses on 25 sq. yd. plots in the Resettlement Colonies which are under

the process of allotment. D.D.A. have also provided 25 sq. yd. plots to about 49,000 families. D.D.A. have undertaken a large scale programme of public housing for the economically weaker sections of the society. So far 9000 houses under CSP/Janta categories in various residential schemes of the D.D.A. have been constructed, additional 7500 flats which are under construction will be completed during 1978-79 and layout plans for additional 5500 houses have been finalised and are under the stage of detailed estimates.

VISHNUPURI LIFT IRRIGATION SCHEME

†6250. SHRI KESHAVRAO DHONDGE : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether the 'bhumi pujan' for Vishnupuri Lift Irrigation scheme near Nanded in the Nanded District of Maharashtra was performed by the former Chief Minister of the State;

(b) the outlines of the scheme at that time;

(c) whether the Central Government approved the proposal of the scheme sent by the State Government;

(d) whether the size of the scheme has been reduced to a great extent; and

(e) whether the Central Government provided assistance for the purpose ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) Yes, Sir. The Government of Maharashtra have reported that bhumi pujan for Vishnupuri Lift Irrigation Scheme also known as Lower Godavari (Ishtapuri) Scheme, was performed by the former Chief Minister of the State in November, 1976.

(b) to (d) The project Report submitted by the State Government to the Central Water Commission in September, 1975, envisaged gross utilisation of 25.5 TMC of waters with irrigation benefits of 52648 hectares and estimated to cost Rs. 2515 lakhs. The comments of the Central Water Commission were sent to the Sate Government in July 1976 and November 1976; replies to which are awaited.

The Government of Maharashtra have now intimated that the scope of the Scheme has been reduced to gross utilisation of 11.4 TMC in view of the inter-State agreement of December, 1975, on Godavari waters. Stage I of the Project which has now been administratively approved by the State Government in January, 1978, is estimated to cost Rs. 399.61 lakhs with irrigation benefits of 10,000 hectares. The modified report has, however, not been received in the Central Water Commission from the Government of Maharashtra.

(e) Irrigation is a State subject and funds for execution of projects are provided by the State Governments within the frame work of their overall developmental plans Central assistance to State Plans is given in the form of block loans and grants, which is not related to any individual sector of development or project.

अच्छी सीवर सुविधायें

6251. **श्री पी० के० कोडियन:** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'इण्डियन एक्सप्रेस' के दिनांक 17 मार्च, 1978 में "ए डिफरेन्ट काइन्ड आफ संयंत्र" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और अधिक अच्छी सीवर सुविधाएं और अन्य सुविधा देने के लिए क्या कदम उठाये जाते हैं ताकि स्वास्थ्य को हानि न पहुंचे ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हाँ।

(ख) इस कालोनी की सीवर सुविधाओं का अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ में गन्दी बस्ती विभाग करता था। 1 दिसम्बर, 1976 में इस कालोनी की सीवर सुविधाओं की जांच की गई और लगभग 55,000 रुपये की राशि की कमी गन्दी बस्ती विभाग को सूचित कर दिया गया था इस राशि को मार्च, 1978 में दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान को भुगतान कर दिया गया है तथा त्रुटियों को दूर करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। इन क्वाटरों की आन्तरिक जल सप्लाई तथा सफाई संस्थापना की देखभाल गन्दी बस्ती विभाग द्वारा

की जा रही है । पाइपों के बीच में बन्द हो जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन्हें दूर किया जा रहा है। इस कालोनी का विकास करते समय निधियों की कमी के कारण इस कालोनी में एस० डब्ल्यू० ड्रेन की व्यवस्था नहीं की गई । इस कार्य के लिए निगम ने प्राक्कलन तैयार दिया है।

कम्पार्टमेंट प्राप्त परीक्षार्थियों की परीक्षा

6252. **श्री राजकेशर सिंह :** क्या शिक्षा समाज कल्याण और सस्कृतिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शैक्षिक वर्ष 1977 के दौरान दिल्ली में 10वीं कक्षा में कम्पार्टमेंट प्राप्त परीक्षार्थियों को 11वीं कक्षा में बैठने तथा 'कम्पार्टमेंट' वाले विषय को 11वीं कक्षा की परीक्षा के साथ पास करने की अनुमति नहीं दी गई थी जिसके कारण एक वर्ष के समय तथा परीक्षार्थियों के अभिभावकों को जो अधिकतर समाज के कमजोर वर्गों के हैं, कठिनाई से कमाये धन की भारी हानि सहन करनी पड़ी ;

(ख) क्या 'कम्पार्टमेंट' वाले विषय को अगली श्रेणी की परीक्षा के साथ पास करने की अनुमति न देने की प्रथा देश के अन्य स्कूलों, बोर्डों तथा विश्वविद्यालयों में प्रवृत नियमों एवं नियमों का उल्लंघन है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गत वर्ष की प्रथा को, जो समाज के कमजोर वर्गों के हितों के विरुद्ध है, समाप्त कर कम्पार्टमेंट प्राप्त शिक्षार्थियों को अगलीं श्रेणी में बैठने देने एवं कम्पार्टमेंट वाले पेपर को अगली श्रेणी की परीक्षा के साथ पास करने की अनुमति देने का है जिससे परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों पर वित्तीय एवं अन्य प्रकार का असहनीय भार न पड़े ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) कम्पार्टमेंट प्राप्त उम्मीदवारों को अगस्त, 1977 में आयोजित कम्पार्टमेंट परीक्षा पास करने की शर्त पर कक्षा-XI में अस्थाई प्रवेश की अनुमति दी गई थी। उक्त परीक्षा में असफल रहने वाले छात्रों को-XI वीं कक्षा में चलते रहने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि किसी छात्र को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों के अंतर्गत एक कैलण्डर वर्ष में विभिन्न कक्षाओं की दो परीक्षाएं देने की अनुमति नहीं है।

(ख) देश के अन्य भागों के परीक्षा बोर्डों/विश्वविद्यालयों के नियम केन्द्रीय माध्यमकि शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध संस्थाओं के छात्रों पर लागू नहीं होते हैं।

(ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का विद्यमान नियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

GOVERNMENT ACCOMMODATION IN THE OCCUPATION OF THE CONGRESS PARTY

6253. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the bungalows and flats in Delhi in occupation of the Congress Party and other groups associated with it;

(b) the number of houses among them in occupation of Shri Brahmanand Reddy faction of the Congress and of those in occupation on the other group; and

(c) the rent being charged for those houses and the amount of arrears to be realised on this account ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) to (c) A statement is attached. This Ministry has no information about which of the houses/flats are in occupation of Shri Brahmanand Reddy faction of Congress and which in the occupation of the other Congress.

STATEMENT

Particulars of General Pool accommodation

Sl. No.	Political Party group in Parliament	Particulars of accommodation	Rate of rent p.m.	Amount due as on 31-3-1978	Remarks
1.	All India Congress Committee .	5, Raisina Road	3156·00	9468·00	Sealed by Magistrate on 5-1-1978
2.	Indian National Trade Union Congress	1-B, Maulana Azad Road	2212·00	2212·00	
3.	All India Congress Committee .	104, Cemetery Prithvi Raj Rd.	65·15	130·30	
4.	Delhi Pradesh Congress Committee	11-D, Fire Brigade Lane	551·00	551·00	
5.	Do. . . .	9-D, Fire Brigade Lane	553·50	216·40	
6.	Congress Party in Parliament .	Sector II/598, R. K. Puram	22·80	Nil	
7.	Do. .	Sector IV/181, R. K. Puram	41·55	Nil	
8.	Do. . .	Sector IV/222, R. K. Puram	41·55	Nil	
9.	Do. .	Sector IV/892, R. K. Puram	41·55	Nil	
10.	Do. .	Sector IV/209, R. K. Puram	40·00	Nil	
11.	Do. . .	15-D, Raja Bazar	68·30	35·30	

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक की सेवा निवृत्ति

6254. **श्री धीरेन्द्र नाथ बसु:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डा० एम० एस० स्वामीनाथन् एफ० आर० एस०, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक और सरकार के सचिव के पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् विदेश जा रहे हैं, और यदि हां, तो उन्होंने इसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने पर विचार किया है; और

(ख) कृषि अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक के रूप में उनकी सर्वाधिक कार्यकुशलता और उनके विश्व प्रसिद्ध होने को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उनको पद पर बने रहने को कह रही है तथा उनका सेवाकाल बढ़ाएगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) तथा (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महा-निदेशक, और कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग के सचिव, डा० एम० एस० स्वामीनाथन् ने अपने समय को अनुसंधान तथा शैक्षिक अनुसरण को समर्पित करने के लिए पहली अप्रैल, 1978 से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति का नोटिस दिया था । उनका विदेश जाने का कोई इरादा नहीं था।

कृषि और सिंचाई मंत्री तथा प्रधान मंत्री के साथ बातचीत के बाद उन्होंने नोटिस वापस ले लिया है और वे अपनी वर्तमान नियुक्ति पर बने रहेंगे।

WATER SHORTAGE IN SOUTH DELHI

6255. SHRI RAMANAND TIWARY : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether Government colonies in Delhi have been facing water shortage for some-time.

(b) whether the problem of water shortage is very grave in South Delhi particularly in R. K. Puram and it is likely to become graver during ensuing summer; and

(c) if so, remedial measures being taken in this regard ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATON (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) Some pockets of certain Government colonies experience shortage of water particularly during summer.

(b) and (c) The Municipal Corporation of Delhi have reported that the problem in South Delhi is not very grave. The availability of water in R. K. Puram Sector I and IV has improved due to augmentation of water supply by connecting the supplies with the pumping main on outer ring road and with the distribution system of Safdarjang Development Scheme. Augmentation has also been effected by constructing and commissioning of tubewells in Sector I and IV of R. K. Puram.

As regards the New Delhi Municipal Committee, they are trying to obtain additional water for the colonies in their area from the Municipal Corporation of Delhi and are also taking action to instal tubewells and handpumps.

दिल्ली में आपात स्थिति के दौरान पुनर्वास बस्तियों का स्थापित किया जाना

2566. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश**
श्री एम० हनान अलहाज } : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी पुनर्वास बस्तियां किन किन स्थानों पर स्थापित की गई और वहां प्लाटों की संख्या और उनके आकार का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन पुनर्वास बस्तियों के स्थापित किए जाने पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या उनके लेखों की इस बीच लेखा परीक्षा की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) इन पुनर्वास कालोनियों में आपात स्थिति के दौरान बड़े बड़े निर्माण कार्यों पर दिल्ली विकास प्राधिकारण ने जो सूचना दी है उसकी कुल राशि नीचे दी गई है :—

वर्ष	किया गया खर्च
1975-76	2.12 करोड़ रुपये
1976-77	12.35 करोड़ रुपये (दिल्ली प्रशासन द्वारा समायोजित 2.27 करोड़ रु० भूमि की लागत सहित)

(ग) तथा (घ) इस लेखे की लेखा परीक्षा जनवरी/फरवरी, 1978 में हुई और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

विवरण

आपात स्थिति (1 जुलाई, 1975 से 31 मार्च, 1977 तक) के दौरान पुनर्वास कालोनियों में विकसित प्लाटों का विवरण

क्र० सं०	कालोनी का नाम	प्लाटों की संख्या	प्लाटों का आकार
1.	जहांगीरपुरी	22300	25 वर्ग गज
2.	शकुरपुर	8146	—वही—
3.	मंगोलपुरी	26132	—वही —
4.	सुलतानपुरी	16000	—वही—

1	2	3	4
5.	नांगलोई फेस-III	3816	—वही—
6.	जवालापुरी		
7.	ख्याला	3239	—वही—
8.	चौखण्डी	1499	—वही—
9.	नजफगढ़ रोड एक्सटेंशन	2168	—वही—
10.	नन्द नगरी	10215	—वही—
11.	गोकलपुरी	2400	—वही—
12.	खिचड़ीपुर	8096	—वही—
13.	कल्याणपुरी		
14.	त्रिलोकपुरी	16640	—वही—
15.	हिम्मतपुरी		
16.	न्यू सीलमपुर	1642	—वही—
17.	न्यू सीमापुरी	2988	—वही—
18.	दक्षिणपुरी	12300	—वही—
19.	दक्षिणपुरी एक्टेंशन		
20.	खानपुर	1053	—वही—
21.	सैय्यद उल जैब	252	—वही—
22.	हैदरपुरी	5422	—वही—
		144308	

डी० एल० एफ० द्वारा चितरंजन पार्क, नई दिल्ली में जमीन पर कब्जा किया जाना

6257. **श्री दिलीप चक्रवर्ती**: क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या डी० एल० एफ० ने, जो एक प्राइवेट आवास एजेंसी है, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली म पूर्वी पाकिस्तान के भूतपूर्व विस्थापित व्यक्तियों के लिए निर्धारित भूमि के एक बड़े भाग पर अनधिकृत तरीके से कब्जा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो पुनर्वास विभाग का विचार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले पात्र विस्थापित व्यक्तियों की, जो कालोनी में आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्षतिपूर्ति किस प्रकार करने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर): (क) मंजूर की गई नक्शा योजना के अनुसार, चितरंजन पार्क कालोनी की भूमि पर डी० एल० एफ० का, जो एक प्राइवेट एजेंसी है, कोई अनधिकृत कब्जा नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

LIFT IRRIGATION SCHEME ON GANGA RIVER IN BIHAR

†6258. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to states :

(a) whether any directive or circular has been issued by the Central Government to Bihar Government not to draw water for the lift irrigation schemes on Ganga River during the summer months;

(b) if not, whether Government propose to do so in future because as per the Farakka barrage agreement, a huge quantity of water will have to be supplied to Bangla Desh;

(c) whether Government do not think that this will affect the Ganga lift irrigation schemes; and

(d) if so, alternative arrangements being contemplated by Government ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) to (d) Four lift irrigation schemes of Bihar envisaging utilisation of Ganga water, viz. Dakranala Pump Scheme (Phase I), Surajgarha Pump Canal Scheme, Bateshwarsthan Pump Canal Scheme (Phase I & II) were cleared during the last two years. It has been realised even prior to the Farakka Barrage agreement that the natural flows in the Ganga during January to June are limited to meet the committeed uses taking into considerations. The requirements in the lower reaches of the Ganga. Lift irrigation schemes envisaging use of surface water of the Ganga are, therefore, being cleared restricting the utilisation upto December end.

Conjunctive use of surface and ground water is being encouraged wherever possible to meet the requirements during the period of lean flows in the Ganga.

The Indo-Bangladesh Joint Rivers Commission has been entrusted with the task of carrying out investigations and study of schemes for the augmentation of the dry season flows of the Ganga for finding a solution which is economical and feasible to meet the requirements of the two countries.

शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में संशोधन

6259. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनिमय में कुछ संशोधनों का अनुरोध किया था ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के सुझावों को अस्वीकार कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार ने क्या संशोधन सुझाये थे और उनको किन आधारों पर अस्वीकार किया गया ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) संशोधन के प्रस्तावों का रहस्योद्घाटन करना लोकहित में नहीं है । तथापि, अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को अन्तिम रुप देते समय पश्चिम बंगाल सरकार के सुझावों पर विचार किया जाएगा ?

उत्तर देने की तारीख सोमवार 10 अप्रैल 1978/20 चैत्र 1900 (शक) विकलांगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिये कानून

6260. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
श्री जी० एम० बनतवाला } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 23 मार्च, 1978 को यह कहा था कि विकलांगों के अधिकारों की कानून के माध्यम से सुरक्षा करने और उन्हें उनमें सम्बर्धन करने के प्रश्न की जांच करने के लिये शीघ्र ही विशेषज्ञों के कार्यकारी दल का गठन किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो इसका गठन कब तक किया जाएगा ;

(ग) यह भी कहा गया था कि विकलांगों के पुनर्वास के लिए प्रयत्नों के अतिरिक्त उनके प्रति समाज के रवैये में भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि अनेक विकलांग व्यक्तियों ने 1976-77 के दौरान दिल्ली में रोजगार कार्यालयों में अपने नाम दर्ज कराए थे ;

(ङ) यदि हां, तो वर्षवार कितने विकलांगों ने नाम दर्ज कराए ;

(च) उनमें से कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ;

(छ) शेष विकलांगों को कब तक रोजगार दिया जाएगा ।

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) जी, हां ।

(ख) विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास को कानूनी आधार देने के लिए सुझाव देने हेतु सरकार बहुत शीघ्र एक दल की नियुक्ति कर रही है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) (ङ) और (च) विकलांग वक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों में 1976 और 1977 में रजिस्टर्ड व्यक्तियों की संस्था तथा रोजगार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	रजिस्टर्ड व्यक्तियों की संख्या	रोजगार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1976	890	156
1977	695	110

(छ) शेष रजिस्टर्ड व्यक्तियों की सहायता करने के लिए सब प्रयत्न किए जाऐंगे । ठीक समय-सीमा बताना अलबत्ता कठिन है ।

कृषि प्रयोजन के लिये राज-सहायता

6261. **श्री बी० सी० काम्बले** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों के दौरान कृषि प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र को कुल कितनी राशि की राज सहायता दी गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

काटन रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल लैंड यूज सर्वे इंस्टीट्यूट, नागपुर

6262. **श्री वसन्त साठे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागपुर में काटन रिसर्च इन्स्टीट्यूट और नेशनल लैण्ड यूज सर्वे इन्स्टीट्यूट की स्थापना के लिये 1977-78 के दौरान अनुमोदित आवंटन की तुलना में वास्तविक व्यय कितना हुआ और वर्ष 1978-79 के के लिये प्रस्तावित आबंटन की राशि क्या है और उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि लैण्ड यूज सर्वे आर्गनाइजेशन को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नई दिल्ली से नागपुर स्थानान्तरित नहीं किया गया है ;

(ग) निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उक्त परियोजनाओं की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(घ) इन संगठनों को नागपुर में पूर्णतया स्थापित करने सम्बन्धी समय सारिणी का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं की क्रियान्विति पर अब तक आवंटित राशि में से कितनी राशि का उपयोग किया गया ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से, (ग) और (घ) केन्द्रीय कपास अनुसंधान और मृदा सर्वेक्षण और भूमि प्रयोग नियोजन के राष्ट्रीय ब्यूरो के सम्बन्ध में नीचे अलग अलग सूचना दी गई है ।

1. **केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान**

विवरण

(क) सन् 1977-78 के लिए केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर के लिए 28.00 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया था जिसमें से 23.31 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। चालू वर्ष (1978-79) के लिए 50.00 लाख रुपये नियत किये हैं। परिशिष्ट 1 में ब्यौरा दिया है।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(ग) सितम्बर, 1975 से पहले से ही यह संस्थान नागपुर में कार्य कर रहा है। और इसके लिए कर्मचारी प्रयोगशाला और फार्म से संबंधित सुविधायें सुदृढ़ की जा रहीं हैं।

(घ) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

2. **मृदा सर्वेक्षण और भूमि प्रयोग नियोजन का राष्ट्रीय ब्यूरो :**

(क) सन् 1977-78 के लिए मृदा सर्वेक्षण और भूमि प्रयोग नियोजन के राष्ट्रीय ब्यूरो के लिए 74.43 लाख रुपये की राशि का बजट नियतन किया गया था और खर्चा 52.00 लाख रुपये हुआ है। सन् 1978-79 के लिए मृदा सर्वेक्षण और भूमि प्रयोग नियोजन के राष्ट्रीय ब्यूरो के लिए 120.28 लाख रुपये (95.00 योजना 125.28 गैर योजना) का बजट रखा गया में इसका ब्यौरा परिशिष्ट II में है।

(ख) मृदा सर्वेक्षण और भूमि प्रयोग नियोजन के राष्ट्रीय ब्यूरो के मुख्यालय को बदलने की प्रक्रिया को पहले ही नवम्बर, 1977 से आरम्भ की जा चूकी है। लेखा और लेखा परीक्षा अनुभाग को नागपुर में स्थापित किया भी जा चुका है। स्थापना पार्श्व भी वह बदला जा रहा है। नागपुर में, यह कार्यालय पशुचिकित्सा महाविद्यालय के एक पुराने भवन में उसके नवीनकरण के बाद खोले जायेंगे। यह महाविद्यालय पहले पंजाबराव कृषि विद्यापीठ अकोला से संबंधित था।

इसको स्थानान्तरित करने में देरी पुराने भवन का नवीनीकरण करने और नागपुर में उपयुक्त अनुसंधान तथा प्रयोगशाला की सुविधाएं जुटाने के कारण हुई है। नवीनीकरण का काम इस समय प्रगति पर है और करीब-करीब पूरा होने वाला है। ब्यूरो को नागपुर में चरणों में स्थानान्तरण का काम प्रारंभ किया जा चुका है। हाथ में लिये गये अनुसंधान कार्य को ध्यान में रखते हुए यह स्थानान्तरण अलग-अलग चरणों में किया जा रहा है।

(ग) (i) मृदा सर्वेक्षण और भूमि प्रयोग नियोजन के राष्ट्रीय ब्यूरो के निदेशक का पद भरा जा चुका है और निदेशक जनवरी, 1977 से काम कर रहे हैं। (ii) ब्यूरो के क्षेत्रीय केन्द्रों को आवश्यक कर्मचारियों और प्रयोगशाला की सुविधाओं से मजबूत बनाया जा रहा है। (iii) ब्यूरो का आगामी 6 से 7 वर्ष के अन्दर भारत की मिट्टियों का विस्तृत मानचित्र पूरा कर लेने का प्रस्ताव है।

(घ) जैसा कि ऊपर "ख" में बताया गया है, मृदा सर्वेक्षण और भूमि प्रयोग नियोजन के राष्ट्रीय ब्यूरो का स्थानान्तरण अलग-अलग चरणों में दिया जा रहा है क्योंकि नागपुर में अभी भवन और प्रयोगशाला की सुविधाओं का काम पूरा किया जाना है और ब्यूरो के निदेशक के कार्यालय को जून, 1978 तक पूरी तरह स्थानान्तरित किये जाने की संभावना है।

विवरण–I

केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर

	योजना 50.00 लाख गैर-योजना शून्य रु०
अधिकारियों का वेतन .	5.90
संस्थापन का वेतन .	5.00
भत्ता और मानदेय .	6.50
कैपिटल वर्क्स .	25.60
फुटकर खर्च .	7.00
कुल योग :	50.00

विवरण–II

मृदा सर्वेक्षण और भूमि प्रयोग नियोजन का राष्ट्रीय ब्यूरो (भा० कृ० अ० प०)
एन० टी० सी० बिल्डिंग भा० कृ० अ० सं० कैम्पस, नई दिल्ली-12

सन् 1978-79 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान का ब्यौरा

	योजना	गैर-योजना
उप शीर्ष		
1 2	3	4
1. अधिकारियों का वेतन	627100	240000
2. संस्थापना का वेतन	702600	1043000
3. मंहगाई भत्ता .	598300	535000
4. समयोपरि भत्ता .	5000	3000
5. मकान-किराया-भत्ता .	199500	166000
6. नगर प्रतिपूरक भत्ता .	79600	69000
7. अन्य भत्ते .	41200	27000
स्थापना के कुल प्रभार	2253300	2083000
यात्रा खर्च	160000	75000
शन्य प्रभार (प्रमुख निर्माण कार्य निकालकर) . .	2486700	370000
निर्माण . . .	4600000	
कुल योग : . .	9500000	2528000

राज्यों द्वारा दुधारु पशुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना

6263. **श्री बसन्त साठे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब सरकारों ने बढ़िया नस्ल के दुधारू पशुओं का राज्य से बाहर निर्यात करने पर प्रतिबन्ध लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिबन्ध का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस प्रतिबन्ध का महाराष्ट्र और देश के अन्य राज्यों के डेरी विकास कार्यक्रम पर बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) अच्छे दुधारू पशु प्राप्त करने में इन राज्यों की सहायता करने के लिए क्या कार्यवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) जानकारी संबंधित राज्य सरकारों के पशुपालन/पशुचिकित्सा सेवा विभागों से एकत्र की जा रही है । मन्त्रालय में प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बस्तर में धान का वसूली मल्य

6264. **श्री अर्द्यन सिंह ठाकुर** : क्या **कृषि और सिंचाई** [मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धान की वसूली के लिए अखिल भारतीय आधार पर समान मूल्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश में धान की वसूली इस मूल्य पर की जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में कृषकों को उनके धान के लिए यह मूल्य न दिये जाने के क्या कारण हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) सरकार ने 1977-78 के विपणन मौसम के लिए कोर्स किस्म के धान का अखिल भारतीय आधार पर समान वसूली मूल्य निर्धारित किय है : अन्य किस्मों के मूल्य प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न हैं और सामान्य किस्म संबंधी अन्तर को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं।

(ख) और (ग) : सरकार ने अनुदेश जारी किए हैं और उत्पादकों द्वारा बिक्री के लिए लायी गई उचित औसत किस्म की धान की सारी मात्रा को खरीदने के लिए आवश्यक प्रबन्ध किए हैं ताकि किसानों के हितों की सुरक्षा करने की दृष्टि से मूल्यों को वसूली स्तर से नीचे गिरने से रोका जा सके। तदनुसार बस्तर जिले में भी धान की मूल्य समर्थन खरीदारी की गई है।

UTILISATION OF ASSISTANCE RECEIVED FROM U.N.O.

6265. SHRI MAHI LAL : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the total amount of assistance received by India from 1971 to 1977 from freedom hunger organisation of U.N.O.

(b) the names of places in each State where the assistance was provided indicating the amount and the purpose for which the same was utilised; and

(c) the details of progress in respect of those projects for which economic assistance was provided ?.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) and (b) Assistance of a total value of Rs. 60.04 lakhs, besides 40 rolls of films, was received. A statement showing the details is enclosed (Statement I). [Placed in Library. See No. L.T.—2069/78].

(c) The details of the progress are given in Statement II. [Placed in Library. See No. L.T.—2069/78].

वर्ष 1978-79 के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता

6266. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1978-79 के लिये उर्वरकों की आवश्यकता के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो देश की कुल आवश्यकता कितनी है और कितना उत्पादन होने का अनुमान है और यदि कोई कमी है तो उसे पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सूरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पूर्व राज्य सरकारों और निर्माताओं के प्रतिनिधियों के साथ क्षेत्रीय कान्फ्रेंस करने के पश्चात् खरीफ व रबी मौसमों के लिये उर्वरकों की आवश्यकताओं का अलग अलग अनुमान लगाया जाता है। 1978-79 के लिये, हमने अब तक खरीफ मौसम की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है। 1978-79, रबी के लिए आवश्यकताओं का अनुमान जुलाई, 1978 के महीने में लगाया जाएगा।

(ख) खरीफ, 1978 के लिये एन० पी० और के उर्वरकों की कुल निबल अनुमानित आवश्यकताएं इस प्रकार हैं :

(लाख मीटरी टनों में)

एन०	पी०	के०	योग
12.80	4.08	2.39	19.27

आवश्यकताओं की तुलना में, रसायन व उर्वरक मंत्रालय द्वारा अनुमानित, देश में एन० और पी० उर्वरकों का कुल उत्पादन इस प्रकार है :

(लाख मीटरी टनों में)

एन०	पी०
11.50	3.80

के$_2$ आ० की आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्णत: आयात से की जाती है क्योंकि पोटाश का देश में उत्पादन नहीं किया जाता । एन० और पी$_2$ ओ$_5$ के देशी उत्पादन की कमी की पूर्ति भी आयात से की जाती है जिसके लिये प्रबंध किए गए हैं ?

CENTRAL ASSISTANCE TO 'KIRTA MANDIR' PORBANDAR, SAURASHTRA

6267. SHRI DHAKMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether the Central Government provides financial assistance to an institution 'Kirta Mandir' located at Porbandar the birth place of the Father of the Nation Mahatma Gandhi in Saurashtra region of Gujarat, if so, the amount thereof yearwise and the form in which it is given;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) whether Government now propose to provide financial assistance and if not, the reasons therefor; and

(d) the amount and nature of the financial assistance proposed to be provided now and when it will be given ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) No request has been received for financial assistance. (b) to (d) Does not arise.

उड़ीसा में चावल मिलों का कार्यकरण

6268. **श्री बैरागी जेना :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में कितनी चावल मिलें चल रही थीं और अब कितनी मिलें बेकार हो गई हैं तथा कितनी मिलें बन्द पड़ी है ;

(ख) चावल मिलों के कार्य न करने के क्या कारण हैं और ये कब से कार्य नहीं कर रही हैं ; और

(ग) क्या सरकार उड़ीसा राज्य में मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के विचार से इन मिलों को चालू कराने के लिये कोई कदम उठा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

चीनी उत्पादक देशों का समझौता

6269. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977 के दौरान 60 देशों ने विश्व के चीनी सप्लायरों को एक सूत्र में बांधने तथा चीनी के खुले बाजार में वर्तमान कम मूल्यों को बढ़ाने सम्बन्धी नये अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के पाठ को स्वीकृत किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन देशों में हमारा देश भी था; और

(ग) समझौते का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां । इसे 53 निर्यातक देशों द्वारा अनुमोदित किया गया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) करार की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं :—

(i) **कोटा टाइप करार :**

यह एक कोटा-टाइप का करार है जिसमें कुछेक प्रेरित मूल्यों के सन्दर्भ में विपणन को विनियमित कर की व्यवस्था है । भारत को यूरोपियन आर्थिक समुदाय के साथ हुए करार के अन्तर्गत 25,000 मीटरी टन के कोटे के अलावा 8.25 लाख मीटरी टन कच्चे मूल्य का मूल निर्यात टनेज (बेट) का आवंटन किया गया है ।

(ii) प्रथम 2 कोटा वर्षों के लिए मूल निर्यात टनेज—बाद में पुन: समझौता आदि :

मूल निर्यात टनेज (बेट) प्रथम दो कोटा वर्षों अर्थात 1978 और 1979 के लिए लागू होगा। 1980 की प्रथम तिमाही के दौरान 1980, 1981 और 1982 के वर्षों के लिए पुन: समझौता किया जाएगा। पुन: समझौता न हो पाने की दशा में, संशोधित मूल निर्यात टनेज का स्वत: हिसाब लगाने के लिए पिछला फार्मूला लागू होगा। इस फार्मूले की मुख्य बात यह है कि 1980 के लिए यह वर्तमान मूल निर्यात टनेज पर 50% और वास्तविक निर्यात निष्पादन पर 50% के भार पर आधारित होगा और बाद के वर्षों के लिए यह 1978 के गत निर्यात संबंधी निष्पादन पर पूर्णतया आधारित होगा।

(iii) **वार्षिक कोटा :**

प्रत्येक वर्ष, अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद निर्यातक देशों के उक्त वर्ष के कोटे का अन्दाजा लगायेगी, जोकि प्रतिशतता के रूप में मूल निर्यात टनेज से संबद्ध होगा। तथापि, सामान्यतया मूल्य निर्यात टनेज के 85% से कम अथवा अधिक सप्लाई के अपवादिक मामलों में 81½ % से कम नहीं किया जाएगा।

(iv) **मूल्य रेंज :**

करार में मूल्य रेंज 11 से 21 यू० एस० सैंट प्रति पौंड है। तथापि, इस मूल्य रज का यह अभिप्राय नहीं है कि गारंटीशुदा न्यूनतम मूल्य 11 यू० एस० सैंट प्रति पौंड अथवा अधिकतम 21 यू० एस० सैंट प्रति पौंड है। वास्तविक मूल्य हमेशा सामान्य व्यापार करार और पूर्ति तथा मांग के सिद्धान्त पर निर्भर रहेगा, इसका उद्देश्य मूल्यों को कोटा/स्टाक तंत्र के परिचालन द्वारा 13 से 15 यू० एस० सैंट प्रति पौंड के मध्य स्तर पर स्थित करना है।

मूल्य रेंज में प्रेरित बातें :

1. **कोटा**

(i) जब पहले मूल्य कम रहे हों और क्रमश: 13, 14 और 14.5 सैंट से अधिक हो जाते हैं तब घटते हुए बाजारों की हालत में देशों के कोटे में प्रत्येक समय 5 प्रतिशत तक वृद्धि होगी।

(ii) जब पहले मूल्य ऊंचे रहे हों और क्रमश: 13, 12 और 11.5 सैंट प्रति पौंड नीचे आ जाते हैं, तक गिरती हुई मंडी की हालत में कोटा कम कर दिया जाएगा।

(iii) यदि मूल्य 15 सैंट प्रति पौंड से ऊपर चढ़ जाते हैं तब कोटा स्थगित कर दिया जाएगा।

2. **विशष स्टाक**

(iv) जब मूल्य चढ़ जाते हैं, स्टाक को क्रमश: 19, 20 और 21 सैंट प्रति पौंड से अधिक पर तीन ट्रांचों में निर्मुक्त किया जाएगा। अन्यथा, प्रथम तीन वर्षों की अवधि में कुल 25 लाख मीटरी टन का स्टाक तैयार किया जाएगा।

(v) विशेष स्टाक और उनके लिए वित्तीय व्यवस्था :

निर्यातक 25 लाख मीटरी टन कच्चे मूल्य का विशेष स्टाक रखेंगे, जोकि 1978, 1979 और 1980 के प्रत्येक वर्षों में क्रमश: 40%, 40% और 20%, के हिसाब से बनाया जाएगा। शुरू शुरू में सदस्य देशों द्वारा आयात की गई सभी चीनी पर तथा निर्यातकों द्वारा गैर-सदस्यों को निर्यात की गई चीनी पर 0.28 सैंट प्रति पौंड की दर पर अंशदान दिया जाएगा। इस प्रकार स्टाक के लिए जो धनराशि तैयार होगी, [वह स्टाक रखने के लिए निर्यातक सदस्यों को 1.5 सैंट प्रति पौंड प्रति वर्ष की दर पर ऋण देने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ये ऋण ब्याज मुक्त होंगे और इन्हें केवल तभी वापस करना होगा जब चढ़ते हुए मूल्य की परिस्थितियों में स्टाक निर्मुक्त किए जाते हैं। यदि करार की अवधि के दौरान, स्टाक की निर्मुक्तियों के स्तर से ऊपर मूल्य नहीं जाते हैं, तब ऋण वापस लेने की शर्त लागू नहीं होगी और इसलिए वे अनुदान का रूप ले लेगें।

CHANGE IN NAME OF GIRI INSTITUTE OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL RELATIONS

†6270. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether the Giri Institute of Economic Development and Industrial Relations has been renamed as the Giri Institute of Development Studies; and

(b) if so, the purpose of changing the name ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) Yes, Sir.

(b) According to the information furnished by the Indian Council of Social Science Research, this change was effected with a view to making the name reflect more appropriately the activities and programmes envisaged to be carried out at the Institute.

OFFICER TO PROJECT THE INTEREST OF EMPLOYEES BELONGING TO S.C. & S.T.

†6271. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether a Gazetted Officer has been appointed to protect the interests of employees belonging to backward classes in the Circle Offices of the Archaeological Survey of India :

(b) if not, the authority which looks after their interests;

(c) whether such an officer has been appointed in the office of Director General, Archaeological Survey; and

(d) the number of senior officers belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes appointed in the Archaeological Survey of India since 1953 and the number out of them holding the post of Superintendents and Deputy Superintendents ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) to (c) The Director (Administration) in the Archaeological Survey of India looks after the interests of Scheduled Caste and Scheduled Tribes employees in the Circle Offices and in the office of the Director General, Archaeological Survey of India, in accordance with the rules and procedure prescribed by the Government of India from time to time.

(d) All Group 'A' category of posts, being technical, were exempted from reservation quota till 1974. As a result of a review in 1974, it was decided to reserve posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the lowest rung of Group 'A' category of posts i.e. Deputy Superintending Archaeologists. The up-to-date position of the posts held by Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees is as follows :—

GROUP A' POSTS

Superintending Archaeologist	Nil
Deputy Superintending Archaeologists	8
Deputy Superintending Archaeological Engineer	2
Deputy Superintending Archaeological Chemist	1

GROUP 'B' POSTS

Assistant Superintending Archaeological Engineer	2

6272. **श्री आर० के० महालगी** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के उन जिलों के नाम क्या हैं जिन्हें दालों के गहन विकास कार्यक्रम के लिए चुना गया है ;

(ख) उस राज्य में गहन विकास कार्यक्रम कब से आरम्भ किया गया है ;

(ग) महाराष्ट्र में उपर्युक्त कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी धनराशि की व्यवस्था की है ; तथा इसका जिलावार तथा स्वरूपवार ब्योरा क्या हैं ; और

(घ) क्या खर्च की गई धनराशि और उत्पादन में वृद्धि का मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सूरजीत सिंह बरनाला) : (क) समूचे राज्य में दाल विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) राज्य में 1973-74 से दाल विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान अर्थात् 1973-74 से 1977-78 तक दाल विकास संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र को कुल 20.06 लाख रुपये की राशि जारी की गयी है । ये निधियां जिलावार या प्रतिमान जारी नहीं की जातीं ।

(घ) अभी तक कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

महिलाओं के बारे में राष्ट्रीय योजना

6273 **श्री आर० के० महालगी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने महिलाओं के बारे में कोई राष्ट्रीय योजना बनाई थी और इसे वर्ष 1976 में राज्य सरकारों को भेजी थी ;

(ख) इस बारे में महाराष्ट्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) यदि कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या उपाय अपनाये गये हैं।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी): (क) भारत सरकार द्वारा महिलाओं के सम्बन्ध में बनाई गई राष्ट्रीय कार्य योजना 1977 के मध्य में राज्य सरकारों को भेज दी गई थी ।

(ख) से (घ) महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए मुख्यमंत्री और समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में दिसम्बर, 1976 में 3 वर्ष की अवधि के लिए क्रमश : एक राज्य स्तरीय समिति और एक संचालन समिति का गठन किया था ।

महिलाओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय योजना में दी गई सिफारिशों के आधार पर योजनाएं या परियोजनाएं तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने (1) सामाजिक बुराइयों को दूर करने (2) शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषाहार तथा (3) रोजगार अवसरों के सम्बन्ध में विशेषज्ञों के तीन पैनल गठित किए थे ।

राज्य सरकार ने योजनाओं और परियोजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन के लिए समाज कल्याण निदेशालय में एक विशेष सेल बनाने का भी निर्णय किया है ।

स्त्रियों, विशेषतया निम्न मध्यवर्गीय स्त्रियों, को आर्थिक और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए महिला आर्थिक विकास महामंडल नामक एक सहकारी निकाय की 1975 में स्थापना की गई थी और वह अब भी चल रहा है ।

शिक्षा मंत्रालय को संसद सदस्यों की ओर से पत्र

6274. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक अप्रैल, 1977 से 31 जनवरी, 1978 तक संसद सदस्यों द्वारा उनके मंत्रालय को कितने पत्र भेजे गये, मंत्रालय ने कितने पत्रों के उत्तर दिये और कितने पत्रों के उत्तर अभी तक नहीं दिये गये हैं : और

(ख) भविष्य में संसद सदस्यों के पत्रों के उत्तर शीघ्र देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और)ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

GRANT FOR IRRIGATION AND FLOOD CONTROL PROJECTS TO GUJARAT FROM 1976-77 TO 1978-79.

†6275. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the amount of grant given by the Central Government to the Gujarat Government for various irrigation and flood control projects during 1976-77;

(b) the amount of grant given during 1977-78 and whether this amount has been properly utilised and if not, the reasons therefor; and

(c) the amount of grant likely to be given during 1978-79 and the nature thereof ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) The Central assistance to States is given in the form of block loans and block grants which is not related to any specific scheme, sector or head of development. Apart from the normal Central assistance released to the Government of Gujarat, an advance Plan assistance of Rs. 3 crores to accelerate the progress on certain irrigation projects was released during 1976-77. An advance Plan assistance of Rs. 4.25 crores was also released to Gujarat for meeting the expenditure necessitated by Cyclones, heavy rains and floods in the State. Of this, Rs. 3 crores were meant for restoration of roads and bridges and Rs. 1.25 crores for restoration of minor irrigation works.

(b) During 1977-78, an advance Plan assistance of Rs. 18.25 crores was released for accelerating the progress on certain on-going major and medium irrigation projects and for commencement of new projects. The funds have been fully utilized. An advance Plan assistance of Rs. 1.34 crores was also released for irrigation and flood control works necessitated by floods. The amount allocated for this purpose was Rs. 2 crores and the State Government had incurred an expenditure of the same amount. The amount actually released, however, was less by Rs. 0.66 crores due to shortfall in expenditure on flood control and minor irrigation works under the normal Plan provision.

(c) There is, at present, no proposal under consideration to grant additional Central assistance for irrigation projects during 1978-79.

EXPENDITURE ON GIR AND BARDA FORESTS OF GUJARAT

6276. SHRI DHARAMSINHBHAI PATEL : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the expenditure incurred by the Central Government for the development of Gir Barda Aleh etc. forests in Saurashtra, Gujarat during the years 1976-77 and 1977-78 separately and the manner in which the said expenditure was incurred or whether the Central Government has given any grant to the Gujarat Government for the said purpose and if so, the amount thereof; and

(b) the expenditure proposed to be incurred by the Central Government and the manner in which it is proposed to be incurred as also the assistance proposed to provide to the Gujarat Government for the aforesaid purpose in 1978-79 ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) & (b) The information is being collected from the Government of Gujarat and will be laid on the Table of the Sabha.

RIFLE TRAINING

†6277. SHRI MEETHALAL PATEL : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce a programme to impart rifle training by dummy rifle to the children right from the primary schools throughout the country; if so, when and if not, the reasons therefor; and

(b) whether some of the states have been started this programme on experimental basis and if so, the names of these States ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) No, Sir.

(b) We have no information.

MODERNISATION OF HULLER SYSTEM RICE MILLS

6278. SHRI MEETHALAL PATEL: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether the proposal regarding modernisation (with rubber rolls etc. of old huller system rice mills in the country has been deferred for some more years; and

(b) if so, for what period and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) & (b) Existing single huller mills are required to modernise within a maximum period of 5 years from 29th July, 1976 from when they were brought under the purview of modernisation programme and this has not been deferred further. New single huller mills of 15 H.P. and less operating in rural areas and handling dehusking of parboiled paddy have, however, been exempted from the modernisation requirements for a period of 5 years from the date of licence.

टाइप पांच और टाइप छः के सरकारी आवास

6279. **श्री दर्गाचन्द** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1978-79 में टाइप पांच और छः के आवास बनाने संबंधी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ख) निकट भविष्य में उपयुक्त टाइप के अवास के लिए प्रतीक्षा सूची में जिन कर्मचारियों के नाम हैं उनको आवास देने के बारे में सरकार की क्या योजनायें है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 1978-79 में टाइप-V के 120 क्वार्टरों का निर्माण करने का प्रस्ताव है न कि टाइप-VI के क्वार्टरों का ।

(ख) जब कभी क्वार्टर खाली होते हैं, उन्हें प्रतीक्षा सूची में उल्लिखित अधिकारियों को आवंटित किया जाता है । विभिन्न टाइप के क्वार्टरों के वर्गीकरण के लिए कुरसी क्षेत्रफल के मानदण्ड का संशोधन करके कम कर दिया गया है तथा मौजूदा मकानों का पुन : वर्गीकरण किया जाना है । यह अशा है कि इस समय टाइप-V और VI के क्वार्टरों के पात्र लोगों के लिए क्वार्टरों की कोई खास कमी नहीं होगी ।

केन्द्रीय सरकार के मद्रास स्थित क्वार्टरों में वाहनों के लिए शैड

6280. **श्री एस० डी० सोम सुन्दरम** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में इन्दिरा नगर में केन्द्रीय सरकार के क्वार्टर कम्पलैक्स में साइकिलों/स्कूटरों/कारों के लिए स्थायी शैड की व्यवस्था न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार वर्ष 1978-79 में शैड बनायेंगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : ये टाइप-IV के क्वार्टर हैं । ऐसे क्वार्टरों में कार शैडों की व्यवस्था नहीं की जाती है । भवन के नक्शे में साइकिल/स्कूटर शैडों को शामिल नहीं किया गया था । अत : ये नहीं बनाये गए थे । यदि स्कूटर वाले निवासी काफी संख्या में स्कूटर गैराज बनाने के लिए अनुरोध करेंगे तो सरकार गुणावगुण के आधार पर विचार करेगी ।

इन्दिरा नगर मद्रास में स्कूल के भवन निर्माण के लिए भूमि का आबंटन

6281. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवेदनकर्ताओं के अभाव में इन्दिरा नगर मद्रास में टाइप-IV के लगभग 20 क्वार्टर खाली पड़े हुये है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जिसने के० के० नगर तथा इन्दिरा नगर/बैसट नगर काम्पलैक्स में केन्द्रीय स्कूल आरम्भ करने का निर्णय किया है, जून, 1978 से प्राथमिक कक्षायें आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय सरकार कुछ क्वार्टर उपलब्ध कराने के लिए सहमत है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग केन्द्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए केन्द्रीय स्कूल संगठन बैसट नगर में खाली पड़ी भूमि का कुछ भाग देने के लिए सहमत ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) संबंधित विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर केन्द्रीय विद्यालय को आवास के आवंटन के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

(ग) भूमि के आवंटन का प्रश्न विचाराधीन है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इजीनियरों को स्थायी किया जाना

6282. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और सुनर्वास** मंत्री यह बताने बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में किस तिथि तक के सहायक इंजीनियरों सिविल इलेक्ट्रिकल, को स्थायी किया गया हैं ;

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इजीनियरों, सिविल/इलेक्ट्रिकल के कितने स्थायी पद हैं तथा अब तक कितनों को स्थायी किया गया है । (1 अप्रैल, 1978 को); और

(ग) उनको स्थायी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में स्थायी करने और एक्सीक्यूटिव इंजीनियरों के रिक्त पदों को भरने के लिए क्या लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सिविल शाखा में पिछला पुष्टिकरण 1-12-69 से किया गया था तथा विद्युत शाखा में 1-4-1970 से किया गया था :

(ख) सिविल शाखा में 680 स्थायी पदों के विपरीत 116 सहायक इंजीनियरों को स्थायी किया गया है । विद्युत शाखा में, 185 स्थायी पदों के विपरीत 37 सहायक इंजीनियरों को स्थायी किया गया है ।

(ग) सहायक इंजीनियरों की वरीयता तथा इनके सिद्धान्तों का मामला 6-1-1977 तक न्यायालय में चलता रहा जब सर्वोच्च न्यायालय ने विभाग द्वारा लागू किए गए पिछले सिद्धान्तों को रद्द कर दिया था । तथापि, सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ आपत्तियां उठाई तथा उनके अनुसार समस्त मामले पर पुन: विचार किया गया था । कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती लेकिन सरकार यथासंभव शीघ्र अन्तिम निर्णय कर देगी । जहां तक कार्यपालक इंजीनियरों के पदों को भरे जाने का प्रश्न है, सहायक इंजीनियर ग्रेड की वरीयता को अन्तिम रुप दे दिये जाने के तुरन्त बाद विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाई जायेगी ।

WORLD BANK AID FOR DEVELOPMENT OF ROADS IN RURAL AREAS

6283. SHRI CHHITUBHAI GAMIT : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether some assistance has been received or is likely to be received from the World Bank for the development of roads in rural areas with a view to expanding the command area of Ukai Irrigation Project of Gujarat;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the Government of India have drawn up a scheme for the development of rural roads for the said purpose and if so, the details thereof; and

(d) when the work on the said scheme will be taken in hand and when it is likely to be completed ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) No assistance has so far been received from the World Bank for any works including rural roads in the command of Ukai Irrigation Project is Gujarat. However, a proposal for World Bank assistance for this project has been received from the State Government.

(b) The details are under discussion between the Govt. of India and the State Government.

(c) & (d) Government of India have not drawn up any special scheme for the development of roads in the rural areas of irrigation commands.

एफ० ई० डी० ओ०/एफ० एफ० सी० टी० से रोंकी रक्षा परियोजना के लिये टेंडर

6284. **श्री वयालार रवि :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एफई० 2डी०ओ० अथवा एफ०ए०सी०टी० ने रोकी रक्षा परियोजना के लिये टेंडर भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सरकारी क्षेत्र के उधम को टैन्डर देने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) जी, हां। एक टर्न की रक्षा परियोजना के लिये मैसर्स एफ०ई०डी०ओ० से टैन्डर प्राप्त हुआ है।

(ख) इस टैन्डर पर खरीद के संबंध में कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। खरीद संबंधी निर्णय लेते समय सरकार की इस नीति को ध्यान में रखा जायेगा कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को क्रय अधिमान दिया जाये।

SALE OF ILLICIT LIQUOR IN DELHI

6285. SHRI RAM SEWAK HAZARI
SHRI MANORANJAN BHAKTA } : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether the sale of illicit liquor is increasing in Delhi day by day;

(b) if so, the main reasons therefor; and

(c) the action being taken to check it ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRI DHANNA SINGH GULSHAN) : (a) No rise in sale of illicit liquor in Delhi has come to the notice of the Delhi Administration.

(b)Does not arise.

(c) Does not arise. However, the Delhi Administration reported that in order to enforce the policy of prohibition constant vigilance is being maintained by the concerned authorities to prevent sale and distillation of illicit liquor.

CLOSED SUGAR MILLS

6286. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the number of sugar mills closed or remained closed during 1977-78 (upto December);

(b) the efforts made to reopen them; and

(c) the number of workers affected as a result of closure of the sugar mills ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) & (b) Fourteen sugar factories did not resume production during 1977-78 (upto December, 1977). Eight of them, however, have resumed production since then.

In one case, the mill has been closed since 1967-68 and has been dismantled. In another case the question of converting the mill into a khandsari unit is under examination by the State Government concerned. In the remaining cases, as and when proposals are received from the State Governments concerned for reviving/restoring the sugar factory, they will be considered on merits.

(c) Exact number is not available. It is likely that about 3,000 workers may have been affected by the closure of five sugar factories.

APPOINTMENTS IN COLLEGES AFFILIATED TO DELHI UNIVERSITY

†6287. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether candidates possessing first class Master Degree are given preference over the candidates possessing Ph.D. Degree in matter of appointment in colleges affiliated to Delhi University; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) According to the information furnished by University of Delhi, no such preference is given. Candidates are called for interview in accordance with the guidelines laid down by the UGC and are appointed on the basis of recommendations made by duly constituted Selection Committees.

(b) Does not arise.

दिल्ली में बार के लिये लाइसेंस

6288. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बार के लिए लाइसेंस दोबारा जारी नहीं किये गये हैं;

(ख) क्या दिल्ली में नशाबन्दी लागू की जा रही है।

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) दिल्ली में 14 क्लब बारों को दिए गए लाइसेंस 1 अप्रैल, 1978 से वापिस ले लिए गए हैं। होटलों के बारों के लिए गए लाइसेंस अलबत्ता जारी रहेंगे परन्तु शराब दिए जाने पर कुछ और पाबन्दियां लगा दी गई हैं।

(ख) जी, हां, इसे क्रमिक रूप में लागू किया जा रहा है।

CENTRAL ASSISTANCE TO SCHEDULED CASTE SMALL FARMERS FOR LAND RECLAMATION

6289. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether a decision has been taken to provide Central Assistance to the people belonging to Scheduled Caste having small land holdings but having no means to convert the same into fertile land;

(b) whether a sum of Rs. 10 crores has been released by the Centre under this scheme; and

(c) if so, the amount allocated to Madhya Pradesh and Rajasthan during 1977-78 ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) & (b) There is no scheme for providing Central assistance to small farmers belonging to the Scheduled Castes only. However, the Government of India have a scheme for providing assistance to allottees of ceiling surplus lands both for undertaking agri-

cultural operations as well as for land development. The scheme was initiated in 1975-76 and till the end of the last financial year a sum of Rs. 12.6 crores was given to State Governments both as loan and grant. A large number of the allottees belong to the Scheduled Castes. According to the latest information available with the Government of India, they number 3,70,283 out of a total 9,37,566 beneficiaries. The assistance under the Central sector scheme would thus be available to them.

(c) The allocation in favour of Madhya Pradesh and Rajasthan during the year 1977-78 is as follows :—

(In Rupees)

	Short-term assistance (grant)	Land Dev. assistance			Total assistance
		Grant	Loan	Total	
Madhya Pradesh . .	6,90,078	2,23,446	2,09,110	4,37,556	11,27,634
Rajasthan	66,40,671	14,91,609	13,48,625	28,40,234	94,80,905

खतिहर भूमिहीन श्रमिकों को आवास स्थल

6290. **श्री सत्येन्द्र सिंह** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन खेतिहर भूमिहीन श्रमिकों के बारे में सरकार ने अनुमान लगाया है जो देश के विभिन्न राज्यों में बिना मकानों के हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनकी संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन प्रत्येक राज्य में भूमिहीन श्रमिकों को दिए गए आवास स्थानों का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) राज्यवार स्थिति का एक विवरण संलग्न हैं ।

विवरण

प्राप्त सूचना के अनुसार 30-11-1977 तक की स्थिति

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पात्र परिवारों की कुल संख्या	उन परिवारों की संख्या जिन्हें आवास स्थल आवंटित किए गए (अविकसित स्थलों सहित)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश .	16,00,000*	6,57,000
2.	असम .	2,29,000*	49,056
3.	बिहार .	19,58,000**	7,15,000
4.	गुजरात .	3,90,647*	3, 43,981
5.	हरियाणा .	2,14,158*	2,13,641
6.	हिमाचल प्रदेश	4,499*	4,499

1	2	3
7. जम्मू और कश्मीर	18,000*	5,186
8. कर्नाटक	8,46,000*	7,68,158
9. केरल	3,00,000*	90,000***
10. मध्य प्रदेश	9,13,037*	7,56,975
11. महाराष्ट्र	3,65,000*	3,61,900
12. उड़ीसा	4,19,000*	1,23,631
13. पंजाब	2,95,352*	2,95,352
14. राजस्थान	8,54,023*	8,54,023
15. तमिल नाडू	14,97,000**	5,23,076
16. त्रिपुरा	42,650*	38,307
17. उत्तर प्रदेश	12,12,014*	12,12,014
18. पश्चिम बंगाल	2,97,929*	2,97,929
संघ राज्य क्षेत्र		
1. अण्डेमान और निकोबार द्वीप समूह . .	6,302*	2,823
2. चण्डीगढ़	51*	51
3. दादर नगर हवेली . . .	715*	715
4. दिल्ली	14,200*	11,783
5. गोआ, दमन और दीव	16,000*	1,435
6. पांडिचेरी	10,960*	9,475
योग : . .	1,15,04,537	73,36,010

* राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा बनाए गए आकलनों के अनुसार

** योजना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार।

*** पहले, केरल में इस प्रकार के आवास स्थलों का आवंटन नहीं किया जा रहा था। इसके पश्चात् ही मकानों का निर्माण किया गया था और लाभ भोगियों को ये मकान सौंपे जा रहे थे। राज्य सरकार ने आवास स्थलों पर मकान बनाने की योजना 2-10-75 को समाप्त कर दी थी और अब यह आवास स्थलों का वितरण कर रहा है। राज्य सरकार ने पूर्ण किए गए 57,000 मकानों तथा 33,000 आवास-स्थलों का वितरण किया है।

उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल की दांगड्डा पहाड़ियों में 'पुजारी' नामक नरभक्षी

6291. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :**
श्री भारत भूषण : } **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों के दोगड्डा क्षेत्र में कितने व्यक्ति तथा पशु 'पुजारी' नामक नरभक्षी के शिकार हुए ;

(ख) उक्त जानवर को वश में करने और उसे मारने में राज्य अधिकारियों को सहायता करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) नरभक्षी के शिकार हुए व्यक्तियों को किस प्रकार का और कितना मुआवजा दिया गया है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त 20 मार्च, 1978 की जानकारी के अनुसार नरभक्षी 14 मनुष्यों की जानें ले चुका है। नरभक्षी द्वारा मारे गए पशुओं के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करना, सम्भव नहीं है क्योंकि पशु तेंदुओं द्वारा भी मारे जाते हैं। जो इस क्षेत्र में काफी संख्या में पाये जाते हैं।

(ख) नर-भक्षी को समाप्त करने के लिए अब तक उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र से कोई सहायता नहीं मांगी है।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने नर-भक्षी द्वारा मारे गए प्रत्येक वयस्क (12 वर्ष की आयु से अधिक) के लिए 5,000 रुपये तथा प्रत्येक बच्चे (12 वर्ष की आयु से कम) के लिए 2,500 रुपये की दर से सम्बन्धित परिवार को वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी है।

CENTRAL AID FOR DROUGHT RELIEF OPERATIONS

6292. SHRI Y. P. SHASTRI : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the total amount of assistance given by the Central Government to various States, State-wise during 1976-77 for drought relief operations etc.; and

(b) the criteria adopted for giving this assistance ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) In accordance with the existing policy regarding Central assistance based on the recommendations of the Sixth Finance Commission, the following amounts of Advance Plan assistance were released to the States affected by natural calamities during 1976-77 :

(Rs. crores)

State	Amount released
1. Andhra Pradesh	3·53
2. Assam	2·00
3. Bihar	10·70
4. Gujarat	4·25
5. Himachal Pradesh	0·48
6. Karnataka	7·00
7. Kerala	1·50
8. Madhya Pradesh	5·00
9. Manipur	0·44
10. Orissa	5·10
11. Rajasthan	2·44
12. Tamil Nadu	18·70
13. Tripura	0·51
14. Uttar Pradesh	11·25
Total	72·90

(b) Advance Plan assistance is allocated to the affected States on the basis of the recommendations of the Central Teams and of the High Level Committee on Relief and is released on the basis of expenditure actually incurred by the States. The general considerations for giving this assistance are the State's financial position, the margin money allowed to it by the Sixth Finance Commission for the relief of distress caused by natural calamities, the extent of damage caused by the calamities and the size of the effort which needs to be made by the State to implement Plan Schemes for providing employment opportunities to the affected population.

LOAN ADVANCES FOR CONSTRUCTION OF HOUSES BY HUDCO

6293. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 'HUDCO' has decided to advance loan to all the employees in public and private sectors for construction of houses; and

(b) if so, when and how much ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) No, Sir. Housing and Urban Development Corporation does not grant loans to individuals. It extends financial assistance for construction of houses to the State Governments, Housing Boards, Cooperative Societies, Companies, etc. The Companies, both in private and public sectors, can construct houses with assistance from Housing and Urban Development Corporation for all their employees either for rental purposes or for outright sale to them.

(b) The quantum of Housing and Urban Development Corporation's financial assistance to companies depends on the nature of the project.

निर्यात कार्यक्रम से पीछे मध्यम और छोटी सिंचाई परियोजनाए

6294. **श्री बसन्त साठे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक खोटी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम से बहुत पीछे हैं तथा इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिये आवश्यक सीमेंट और अन्य सामग्री की भारी कमी के कारण विभिन्न राज्यों में इनके कार्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो सिंचाई क्षेत्र, विशेषकर केन्द्र द्वारा वित्त पोषित योजनाओं की क्रियान्विति के कार्यक्रम की समीक्षा का महत्वपूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार सिंचाई कार्यक्रम को क्रियान्वित करने तथा तात्कालिक और दीर्घावधि उपायों का सुझाव देने के लिये एक 'टास्क फोर्स' स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार तथा अन्य राज्यों ने इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिये सीमेंट और अन्य सामग्री का विशेष बढ़ा हुआ कोटा अलाट करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या विशेष उपाय किये गये हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) बहुत से परियोजना प्राधिकारियों ने सीमट और विस्फोटक पदार्थों जैसी निर्माण सामग्री की कमी की सूचना दी है जिससे परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन पर प्रभाव पड़ता है ।

(ख) सिंचाई एक राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं का आयोजन और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । ऐसी कोई सिंचाई स्कीम नहीं है जिसकी वित्त-व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जा रही हो।

राज्यों के सिंचाई मंत्रियों के तीसरे सम्मेलन में, जो नवम्बर, 1977 में नई दिल्ली में हुआ था, सिंचाई विकास की प्रगति और प्राथमिकताओं तथा नीतियों की समीक्षा की गई थी । सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि निर्माणाधीन स्कीमों को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के उद्देश्य से इन स्कीमों के लिए पर्याप्त परिव्यय की व्यवस्था की जानी चाहिए और निर्माणकार्यों के विस्तृत कार्यक्रम को तैयार करने लिए और सामग्री और उपकरणों की प्राप्ति के लिए और कार्मिकों और श्रमिकों को भर्ती करने के लिए तथा डिजाइन, ड्राईंग और स्कीमों के विभिन्न हिस्सों के कार्यचालन अनुमानों को तैयार करने के लिए बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए अग्रिम कार्रवाई की जानी चाहिए।

भारत सरकार ने कुछ चुनी हुई निर्माणाधीन बृहद और मध्यम परियोजनाओं की प्रगति को तेज करने के लिए और कुछ नई स्कीमों की शुरुआत करने के लिए 1977-78 में कुछ राज्यों को 102.27 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता प्रदान की थी ।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) बहुत से परियोजना प्राधिकारियों ने राज्य सरकारों द्वारा उन्हें आबंटित सीमेंट की मात्रा में कमी कर दिए जाने और सीमेंन्ट सप्लायों से कम सप्लाई होने के कारण सीमेंन्ट प्राप्त करने में कठिनाइयां आने की सूचना दी है और केन्द्र से सहायता देने का अनुरोध किया है । विस्फोटक सामग्री की कमी के बारे में भी शिकायतें मिली हैं ।

(ङ) देश में सीमेंन्ट के उत्पाद में वृद्धि करने और विदेशों से भी कुछ मात्रा में सीमेंन्ट का आयात करने के लिए कदम उठाये गए हैं। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने कोटे में से सीमेन्ट के आबंटन के मामले में सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता दें । निर्माताओं से सीमेंन्ट की सप्लाई कम होने के अलग-अलग मामलों को संबद्ध पार्टियों के साथ उठाया जा रहा है । विस्फोटकों की मांग को पूरा करने के लिए विदेशों से 1250 टन विस्फोटकों का आयात करने के लिए भी कार्रवाई शुरू की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों का कार्यकरण

6296. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्नों के वितरण के लिए प्रत्येक राज्य में उचित दर की कितनी दुकानें हैं ;

(ख) क्या सरकार को ऐसी कुछ शिकायतें मिली हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में उचितम दर की दुकानें ठीक प्रकार से नहीं चल रही हैं और उपलब्ध राशन की मात्रा मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने विशेषकर कर्नाटक राज्य में वितरण की इस प्रणाली में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भान प्रताप सिंह) : (क) खाद्यानों वितरण करने के लिए प्रत्येक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही उचित दर की दुकानों की संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) सरकार के पास भारी मात्रा में बफर स्टाक को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों की केन्द्रीय भन्डार से गेहूं और चावल के आवंटन करने संबंधी मांगों को पूरी तरह पूरा किया जा रहा है। वास्तव में, राज्य सरकारों को इस बात के लिए भी प्राधिकृत किया गया है कि वे भारत सरकार के औपचारिक रूप से प्राधिकृत करने की प्रत्याशा में गेहूं देने के लिए भारतीय खाद्य निगम को सीधे ही इंडेन्ट भेज सकते हैं।

राज्य के अन्दर खाद्यान्नों के आन्तरिक वितरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है । कुल मिलाकर, कर्नाटक समेत सभी राज्यों की उचित दर की दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में संतोषजनक कार्य कर रही हैं और राशन में खाद्यान्नों की अपर्याप्त मात्रा के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होने पर उसे उपचारी कार्यवाही के लिए संबंधित राज्य सरकार के साथ उठाया जाता है।

शाहपुर परियोजना के अन्तर्गत जलाशयों के लिए प्रस्ताव

6297. **सुभाष आहूजा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार ने पुनर्वास परियोजनाओं के अन्तर्गत कितने जलाशयों के लिए प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ख) बेतूल जिले में शाहपुर परियोजना के अन्तर्गत कितने जलाशयों के लिए प्रस्ताव भेजे गये हैं ; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गये जलाशयों के लिए प्रस्तावों की सरकार ने मंजूरी दे दी है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने तीन जलाशयों के प्रस्ताव भेजे हैं जिनमें से दो शाहपुर परियोजना के लिए हैं और एक सरगुजा परियोजना के लिए है ।

(ग) जहां तक शाहपुर में एक जलाशय की योजना का सम्बन्ध है, उसके निष्पादन के लिए पुनर्वास विभाग की वित्तीय सहयोग देना संभव नहीं पाया है । शेष दो प्रस्तावों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

SETTLEMENT OF DISPLACED FAMILIES ENGAGED IN SMALL SCALE INDUSTRIES

6298. SHRI SUBHASH AHUJA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government have submitted any proposal for the approval of the Central Government in respect of settling displaced families who were engaged in small scale industries;

(b) if so, the districtwise number of displaced families who are to be resettled under the scheme formulated for the purpose; and

(c) whether the scheme has been approved ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KINKAR) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

CONSTRUCTION OF SCHOOL BUILDINGS UNDER REHABILITATION PROJECTS

6299. SHRI SUBHASH AHUJA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh have submitted proposals to the Central Government for construction of school buildings under rehabilitation project;

(b) the names of the projects under which demand for construction of school buildings has been made;

(c) the projects under which amount has been given for construction of school buildings indicating the amount given for the purpose; and

(d) the amount sought by the Government of Madhya Pradesh for construction of school buildings under the rehabilitation projects ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KINKAR) : (a) Yes, Sir.

(b) The construction of school buildings has been proposed in Shahpur Rehabilitation Project in Distt. Betul, Panna Rehabilitation Project in District Panna and Aragahi Rehabilitation Project in District Sarguja.

(c) A sum of Rs. 6,22,660/- has been sanctioned for schools in Shahpur Project.

(d) An amount of Rs. 20,99,832/- has been sought for by the Government of Madhya Pradesh.

BICHHUA-LATIA NULLAH SCHEME

6300. SHRI SUBHASH AHUJA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Government had submitted for Central approval the Bichhua-Latia Nullah Scheme under the Shahpur Rehabilitation Project of Betul district; and

(b) if so, whether Government have accorded sanction for the above project ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KINKAR) : (a) Yes, Sir.

(b) It has been examined and not found feasible for the Department of Rehabilitation to financially participate in the execution of this Project.

ASSISTANCE FROM FOREIGN COUNTRIES FOR PRESERVATION OF INDIAN TIGER

6301. SHRI SUKHENDRA SINGH : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether India has sought the cooperation of Bangladesh, Bhutan and Nepal to save the species of Indian tiger from extinction;

(b) if so, whether Government have formulated any scheme for the protection of tigers with the assistance of these neighbouring countries; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) : No assistance has been sought in the formation of scheme for the protection of tigers. However, Govt. of India have formulated its own scheme, namely Project Tiger, which is being implemented in selected tiger reserves.

BUDDHIST MONUMENTS IN H.P.

†SHRI LAXMI NARAIN NAYAK : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether there are Buddhist monuments at a place named Tobo in Lahaul Spiti district in Himachal Pradesh;

(b) if so, the period to which they pertain and the number thereof;

(c) the number of the monuments among them, under Archaeological Survey of India; and if all of them have not been taken under it, the reasons therefor; and

(d) the expenditure incurred on the repairs thereof during the last five years, yearwise ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) Yes, Sir.

(b) 11th to 15th century A.D. There is one complex containing nine gumphas besides another gumpha on the hill side.

(c) the complex of nine gumphas is protected. The question of protection of the remaining gumpha is under consideration.

(d) Yearwise expenditure incurred during last five years is as follows :—

1973-74	Rs. 21,274
1974-75	Rs. 38,323
1975-76	Rs. 41,467
1976-77	Rs. 88,709
1977-78	Rs. 59,815 (upto Jan. 78)

सरकारी आवास का आबंटन

6303. **श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) वर्ष 1976-77 में विभिन्न श्रेणियों के सरकारी कमचारियों को कितने कवार्टरों का आवंटन किया गया; और

(ग) वर्ष 1977-78 में विभिन्न श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को अनुमानत: कितने क्वाटरों का आवंटन किया जाएगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और तुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली के सामान्य पूल में 5913 क्वार्टर निर्माणाधीन हैं।

(ख(8202

(ग) वर्ष 1977-78 (मार्च, 1978 तक) के दौरान 4258 क्वार्टर आबंटित किए गए।

PERSONS IN OCCUPATION OF GOVERNMENT ACCOMMODATION WHILE OWNING HOUSES

6304. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether Government have collected information as to how many Government employees have been allotted quarters from Government quota who have their own houses;

(b) if so, the category-wise, class-wise and post-wise details thereof;

(c) whether most of the employees have given such allotted quarters on rent; and

(d) Government's prospective planning and policy in this regard ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) Yes, Sir. Information was collected in respect of officers eligible for general pool accommodation.

(b) 1309 house owning officers are in occupation of general pool accommodation. Type-wise break up is as follows :

Type	
I	83
II	419
III	225
IV	392
V	119
VI	32
VII	15
VIII	9
Hostel	15
Total	1309

Statistics of post-wise break-up is not being maintained.

(c) No, Sir.

(d) There is a system of surprise inspection to detect unauthorised subletting. House owning officers have been declared eligible for general pool accommodation with effect from 1st June, 1977.

सरकारी आवास का पुनः श्रेणीकरण

6305. श्री सूरज भान :

श्री राम विलास पासवान :

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान 8 टाइपों के स्थान पर 5 टाइप बनाकर निकट भविष्य में सरकारी आवास का नया श्रेणीकरण करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) संशोधित पात्रता निम्न प्रकार से होगी :—

मकान का टाइप	संबंधित आवंटन वर्ष के महले दिन की मासिक परिलब्धियां
ए	260/- रुपये प्रतिमाह से कम
बी	260/- रुपये प्रतिमाह से कम किन्तु 260/- रुपये प्रतिमाह से कम नहीं

1	2
सी	1000/- रुपये प्रतिमाह से कम किन्तु 500/- रुपये प्रतिमाह से कम नहीं
डी	1500/- रुपये प्रतिमाह से कम किन्तु 1000/- रुपये प्रतिमाह से कम नहीं
ई	2000/- रुपये प्रतिमाह से कम किन्तु 1500/- रुपये प्रतिमाह से कम नहीं
ई-1	2750/- रुपये प्रतिमाह से कम किन्तु 2000/- रुपये प्रतिमाह से कम नहीं
ई-2	3000/- रुपये प्रतिमाह से कम किन्तु 2750/- रुपये प्रतिमाह से कम नहीं
ई-3	3000/- रुपये प्रतिमाह और इससे अधिक

ड्यूटी स्थल पर स्वंय अपना मकान रखने वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकारी आवास बनाये रखना

6306. **श्री मनोरजन भक्त :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या आपात काल के दौरान सरकारी फ्लैटों को वापस देने वाले बहुत से सरकारी कर्मचारियों ने सरकारी आवास के आवंटन के लिए आवेदन पत्र दिए हैं और यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है और कितने कर्मचारियों को अब तक क्वार्टर दोबारा दे दिए गए हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : अपना स्वयं का मकान रखने वाले कर्मचारियों को जून, 1977 से सरकारी वास के पात्र घोषित करने के पश्चात् उनसे नये सिरे से आवेदन पत्र मांगे गए थे । इसके उत्तर में 2908 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे । इनमें से अब तक केवल 3 आवंटन किए गए हैं ।

आवास और नगरीय विकास निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवास संबंधी गतिविधियां

6307. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और नगरीय विकास निगम ने बड़े नगरों में आवास की समस्याओं के समाधान के लिए बड़े पैमाने पर आवास संबंधी कार्यक्रम आरम्भ किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) देश में भविष्य में आवास संबधी गतिविधियों में आवास और नगरीय विकास निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण का क्या योगदान और कार्यक्षेत्र होगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकदर बख्त) : (क) यह मुख्य तया राज्य सरकारों और उनके आवासीय अभिकरणों का काम कि वे बड़े नगरों समेत अपने राज्यों में आवासीय समस्या को हल करने के लिये आवासीय कार्यक्रम आरम्भ करे । हुडकों का उद्देश्य यह रहा है कि अधिक से अधिक वित्तीय सहायता द्वारा समस्त देश में मकानों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाये इस द्वारा वित्तीय सहायता विभिन्न अभिकरणों द्वारा बनाई गयी परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता और तकनीकी की पुष्टता के आधार पर दी जाती है । जहां तक बड़े नगरों का सम्बन्ध है, हुड़को ने अब तक अहमदाबाद, बगलौर, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, बम्बई, मद्रास, पूना और नागपुर के नगरों में 113.21 करोड़ रुपये की ऋण बचनबद्धताओं की 199 योजनायें स्वीकृत की हैं । इन योजनाओं में 83442 रिहायशी मकान, 2033 गैर रिहायशी भवनों और 8715 प्लाटों के विकास की व्यवस्था है । इसका दिल्ली विकास प्राधिकरण के जरिये दिल्ली में 1200 कम लागत के रिहायशी मकानों के निर्माण का भी प्रस्ताव है ।

(ख) मकानों की गतिविधियों में हुड़को का रेल्म देश में मकानों के स्टाक में वृद्धि करने के लिये सभी व्यवहार्य आवासीय परियोजनाओं के लिये वित्तीय व्यवस्था करना और विभिन्न विर्माण अभिकरणों को निम्न लागत के डिजाइन और किफायती परिव्यय तैयार करने में तकनीकी मार्ग दर्शन उपलब्ध कराना है । ये तकनीकियों और सस्ती भवन निर्माण सामग्री के प्रयोग द्वारा सस्ते मकानों को व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने के लिये प्रयोगारम्भ भवन परियोजनायें भी हाथ में लेती हैं ।

इसने अब तक समस्त देश में 743 योजनाए स्वीकृत की हैं जिनके अन्तर्गत 17 राज्यों 4 संघ राज्य क्षेत्रों के 225 नगर आ जाते है । योजनाओं में 3,27,292 रिहायशी और गैर रिहायशी मकानों का निर्माण और 47243 प्लाटों के विकास के लिये 327.83 करोड़ रुपये की ऋण सहायता की व्यवस्था है ।

इसने निम्नलिखित प्रकार से पांच वर्षों की अवधि के लिये एक अन्तिम भावी योजना तैयार की है :—

वर्ष	सम्भावित स्वीकृत ऋण (करोड़ रु०)	आने वाले वर्ष में इन स्वीकृतियों के जरिये बनाये जाने वाले सम्भावित रिहायशी एककों की सख्या				
	योग	ई० डब्ल्यू० एस०	एल० आई० जी०	एम० आई० जी०	एच० आई० जी०	
						(आकड़े हजारों में)
1978-79	108	92	56	21	10	5
1979-80	130	111	68	25	12	6
1980-81	156	133	81	31	14	7
1981-82	187	159	97	37	17	8
1982-83	224	191	117	44	20	10

जहां तक डी० डी० ए० का सम्बन्ध हैं यह केवल दिल्ली की आवासीय गतिविधियों में एक सीमित भमिका अदा करता है ।

अपने मकानों वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास का पुनः आबंटन

6308. **श्री कवर लाल गुप्त** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 9 सितम्बर, 1976 के पिछले आदेशों को रद्द किये जाने के बावजूद भी अपने मकान वाले किसी भी कर्मचारी को अभी तक सरकारी आवास का आवंटन नहीं दिया गया है ।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसे कुछ कर्मचारी अभी भी सरकारी फ्लैटों को अपने पास रखे हुए है जबकि दूसरों ने उन्हें खाली करना पड़ा था ; और

(घ) यदि हां, तो अपने मकान वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटित करने के सम्बन्ध में भारत सरकार की नवीनतम नीति क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नही उठता ।

(ग) 9 सितम्बर, 1975 को जारी किए गए आदेशों के अनुसार, अपना स्वय का मकान रखने वाले कर्मचारी किराये पर उनको आबंटित सरकारी वास में रह सकते थे । अपना स्वंय का मकान रखने वाले कुछ कर्मचारियों ने सरकारी वास खाली नहीं किया था और मार्कीट किराये पर रहते रहे जबकि दूसरों ने खाली कर दिए थे ।

(घ) मौजूदा नीति के अनुसार अपना स्वंय का मकान रखने वाले कर्मचारी कतिपय शर्तों पर सरकारी वास के पात्र है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायतें

6309. **श्री कवर लाल गुप्त :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध कुल कितनी शिकायत प्राप्त हुई ;

(ख) इन शिकायतों की मुख्य बातें क्या है और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ।

(ग) एक वर्ष में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कितना प्रशासनिक खर्च किया जाता है ; और

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण को सुधारने के लिए सरकार का विचार क्या विशेष कार्यवाही करने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री **(श्री सिकन्दर बख्त) :** (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायतों का कोई पृथक रिकार्ड नहीं रखा जाता है । जब कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ परामर्श करके विचार किया जाता है और उपयुक्त कार्यवाही की जाती है ।

(ग) 1976-77 में 2.45 करोड़ रुपये ।

(घ) एक विशेषज्ञ समिति दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण पर विचार कर रही है । इस की रिपोर्ट की प्रतिक्षा की जा रही है ।

भारतीय कृषि अनुसधान परिषद् के कार्यकरण में सरकार का हस्ताक्षेप

6310. **श्री पी० जी० मावलकर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उच्च अधिकारी हाल ही में सरकार के हस्तक्षेप और अथवा अपर्याप्त वित्तीय संसाधनो के कारण बाधा महसूस कर रहे हैं और अथवा निराश हैं जिसके परिणामस्वरुप उनके शोध अध्ययन तथा सम्बन्ध कार्यों में बाधा पड़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो स्थिति में शीघ्र सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के शीघ्र शोध कार्य का सक्षिप्त ब्यौरा क्या है और वर्ष 1976 और 1977 में कितना व्यय किया गया ।

कृषि और सिंचाई मंत्री **(श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :** (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न ही नहीं पैदा होता ।

(ग) सन् 1976-77 के दौरान 48.80 करोड़ रु० खर्च किये गये थे और सन् 1977-78 के दौरान 62.65 करोड़ रु० खर्च करने की आशा है । कृपि तथा समवर्गीय क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य देश भर में कुछ सार्वजनिक अर्ध-सार्वजनिक तथा निजी सस्थानों के अलावा केन्द्रीय सस्थानों, प्रायोजना निदेशालयों, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं तथा कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से भारतीय कृपि अनुसधान परिषद् द्वारा चलाया जा रहा है । फसलों पण्यों, पशु विज्ञानों तथा कृषि प्रणालियों आदि के क्षेत्र में की गयी नयी अनुसंधान वार्षिक रुप से विशिष्ट विषयों में अनुसधान रिपोर्टों, अनुसधान विशिष्टताओं, बुलेटिनों व पुस्तकों के रूप में प्रकाशित की जाती हैं। गत वर्ष के दौरान की गयी प्रमुख अनुसधानों में से कुछ निम्नलिखित है :—

चावल की अधिक उपज देने वाली अनेक किस्में, विशेषकर 'अकाशी', और 'रासी' समस्या मिट्टियों, विशेषकर कम फास्फेट वाली तथा उ० प्र०, मध्यप्रदेश के कुछ भागों, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल तथा कर्नाटक के वर्षाश्रित ऊची जमीनों के लिए जारी की गयी । वर्षाश्रित ऊचे क्षेत्रों के लिए एक कम अवधि वाली किस्म सी० आर० एम० 30 जो 70 से 75 दिनों के बीच पक जाती है, भी जारी की गयी । निचली भूमि वाले क्षेत्रों के

लिए, जहां पानी 50 से० मी० से अधिक नहीं भरता, सी० आर० 1006, सी० आर० 1009, सी० आर० 1012, सी० आर० 1014 आशाजनक किस्मों के रूप में जारी की गयी । इन किस्मों से अपेक्षा की जाती है कि खरीफ के दौरान समस्या क्षेत्रों में ये चावल उत्पादन की दिशा में स्थायित्व प्रदान करेंगी।

गेहू पर हुए अनुसंधान कार्यक्रम ने उत्पादन तथा किसानों का विश्वास पाने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित कर ली है । छ नयी किस्में--अर्थात् उत्तर-पश्चिमी मैदानी पट्टी, जिसमें कि पजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तरप्रदेश, और जम्मू कश्मीर सम्मिलित हैं, के लिए एच० डी० 2204 तथा आई० डब्ल्यू० पी० 72, उत्तरपूर्वी मैदानी पट्टी जिसमें कि बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम, उड़ीसा मणिपुर, त्रिपुरा तथा मेघालय सम्मिलित हैं, के लिए के 7410 तथा एच० यू० डब्ल्यू 12, प्रायद्वीपीय भारत, जिसमें कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश तथा तमिलनाडु आते हैं, के लिए एच० डब्ल्यू० 657 तथा उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के उत्तरी पहाड़ियों के क्षेत्रों के लिए वी० एल० 421 की सिफारिश की गयी है।

दालों में चने की दो अधिक उपज देने वाली किस्में उत्तरी मैदानी पश्चिमी पट्टी के लिए बी० जी० 203 तथा उत्तरी मैदानी पूर्वी पट्टी के लिए के 468 तथा खरीफ मूंग की एक किस्म एम० एल० 5 और मसूर की पथ 209 तथा पंथ 406 किस्में जारी की गयी हैं।

किसानों के खेतों में किये गये राष्ट्रीय प्रदर्शनों में, आश्वासित उपकरणों और विकसित प्रौद्योगिकी के साथ फसलों को दो से तीन चक्रों में उगाकर खाद्यान्नों की कुल उपज प्रतिवर्ष 10 टन या इससे अधिक प्रति हैक्टर तक पाना संभव था। फसल चक्रों में से जो कुछ लाभ जनक पाये गये वे हैं--चावल--चावल--चावल, चावल गेहू--चावल, चावल, मक्का--चावल और चावल--गेहू ।

एजोला-जो कि एक-जल-पर्णांग है, को चावल के खेतों में जीवउर्वरक के एक अच्छे स्रोत के रूप में पाया गया क्योंकि इसकी पत्तियां नेत्रजनक व नीली-हरी एलजाई युक्त हैं ।

आन्ध्र प्रदेश की चन्का (खड़ियां) मिट्टियों में मूंगफली तथा धान के छिल्कों का चूर्ण मिलाने से मिट्टी की भौतिक स्थिति में तथा मूंगफली, बाजारा तथा गेंहू की उपज में सुधार हुआ।

पशु-विज्ञानों तथा मत्स्य अनुसंधान में भी यथेष्ट प्रगति हुई है । मछली पकड़ने की छोटी-छोटी नौकाओं से समुद्री मछलियां-विशेषकर सारडाइन तथा मैकेरेल जैसी किस्मों को पकड़ने में वृद्धि करने के लिए एक "पर्स सीन" का विकास किया गया है ।

6311. श्री पी० जी० मावलकर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1970 से लेकर आज तक देश में एक से अधिक आवासीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ग) ऐसे आवासीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की अनुमति देने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या संबंधित राज्य सरकारें इस संबंध में कोई वित्तीय योगदान देंगी और यदि हां, तो कितना और कब तक ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) किसी विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नहीं दी जाती है । तथापि, 17 जून, 1972 के बाद स्थापित होने वाले किसी भी विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12क के अनुसार केन्द्रीय स्रोतों से सहायता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसे योग्य घोषित करे । प्रत्येक विश्वविद्यालय की स्थापना के अधिशासी अधिनियम में उसकी किस्म और विशेषताएं परिभाषित होती हैं । 1970 से लेकर देश में निम्नलिखित आवासीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं :--

1. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार ।
2. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, धोली, जिला मुजफरपुर ।
3. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर ।
4. केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचूर
5. गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, अहमदाबाद

6. कोंनकण कृषि विद्यापीठ, दपोली
7. विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी
8. हैरादावाद विश्वविद्यालय, हैदरावाद
9. चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजावाद
10. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक ।

जबकि सभी कृषि विश्वविद्यालय आवासीय विश्वविद्यालयों के रूप में स्थापित किए गए हैं, हैदरावाद और रोहतक में स्थापित केवल दो अन्य विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो 1970 के बाद स्थापित किए गए हैं। हैदरावाद विश्वविद्यालय संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया है और रोहतक में हरियाणा राज्य विधान मंडल के एक अधिनियम के अंतर्गत । रोहतक विश्वविद्यालय को अनुदान के लिए योग्य घोषित करने का हरियाणा सरकार का प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है । भावनगर में एक आवासीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में गुजरात सरकार का एक प्रस्ताव आयोग ने मई, 1977 में स्वीकार किया है । यह विश्वविद्यालय अभी स्थापित नहीं किया गया है । इन सभी मामलों में अनुरक्षण को मिलाकर प्रारम्भिक स्थापना व्यय संबंधित राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जाना है और आयोग विकास की अनुमोदित परियोजनाओं के लिए केवल विकास सहायता प्रदान करता है ।

समाज कल्याण बोर्ड का चेयरमैन एव इसके सदस्य

6312. श्री पी० जी० मावलकर :क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज कल्याण बोर्ड के गत दस वर्षों के चेयरमैनों एवं इस सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) उक्त व्यक्तियों के चयन एवं नियुक्ति के बारे में सरकार द्वारा क्या कसौटी अपनाई जाती है ;

(ग) समूचे बोर्ड की बैठक वर्ष में कितनी बार और कहां पर होती है ; और

(घ) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा राज्यों के समाज कल्याण बोर्डों के बीच कार्य के समन्वयन के लिए क्या तंत्र हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) एक सूची, जिसमें 1969 से केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्षों और सदस्यों के नाम दिए गए हैं, अनुबन्ध के रूप में संलग्न हैं ।

(ख) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का चुनाव अखिल भारतीय हैसियत के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रशासनिक और संगठनात्मक योग्यताओं वाली महिला को तरजीह दी जाती है, में से किया जाता है । केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सदस्यों का चुनाव प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं में से किया जाता है, जिनमें प्रत्येक राज्य सरकार से एक एक संघ शासित क्षेत्रों से तीन, बारी बारी, से दो समाज वैज्ञानिक दो सामाजिक कार्यकर्ता, भारत सरकार के 6 मंत्रालयों/विभागों से प्रतिनिधि लोक सभा से दो सदस्य तथा राज्य सभा से एक सदस्य शामिल होते हैं ।

(ग) समूचे केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की वर्ष में एक बार साधारणतया दिल्ली में बैठक होती है ।

(घ) राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के कुछ अध्यक्ष केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के भी सदस्य हैं । केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के निरीक्षक कर्मचारी राज्य बोर्डों के प्रधान कार्यालयों में लगे हुए हैं और वे राज्यों में स्वयं सेवी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में नियमित रूप से रिपोर्ट भेजते हैं । राज्य बोर्डों के अध्यक्षों और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से सामान्य संचार साधनों, दौरों और बैठकों के द्वारा समन्वय प्राप्त किया जाता है ।

विवरण

भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण पत्र ।

पिछले दस वर्षों से केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सदस्यों और अध्यक्षों के नाम :--

अध्यक्ष

1. श्रीमती नीरा डोगरा
2. श्रीमती सरोजनी वरदप्पान
3. श्रीमती लीला एस० मुलगांवकर

सदस्य

1. श्रीमती कोंडा पार्वती देवी
2. कु० इंदुमती चिमनलाल सेठ
3. श्रीमती शमशेर बहादुर
4. श्रीमती सत्यावती डांग
5. श्रीमती लीला रेणुका प्रसाद
6. श्रीमती वी० जोपियंगा
7. श्रीमती लीला इंद्रासेन
8. श्रीमती मैरी क्लबवाला जादव
9. श्रीमती कलावती त्रिपाठी
10. श्रीमती मंजुला देवी
11. श्रीमती संधाशुमली राय
12. श्रीमती हरचरण कौर गिल
13. श्रीमती एल० आर० विश्वास
14. श्रीमती शकुंतला रानी लाल सरीन
15. श्रीमती सुधा राय
16. श्रीमती इंदुबाल सुखाड़िया
17. श्रीमती रमा देवी
18. श्रीमती विमला शर्मा
19. श्रीमती कुसुमताई वनखेडे
20. श्रीमती संधमित्रा चैटर्जी
21. श्री डी० के० सन्याल
22. डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुहा
23. डा० राजाराम शास्त्री
24. डा० जे० एफ० बलसारा
25. श्रीमती पारबाथम्मा
26. श्रीमती सरोजनी वरदप्पान
27. श्रीमती रक्षा शरण
28. श्रीमती जमुना देवी
29. श्रीमती देवकी गोपीदास
30. श्रीमती एनी थायिल
31. श्री पी० पी० आई० वैद्यानाथन
32. श्री एस० सत्यम
33. श्री ए० एस० राव
34. श्री वी० वी० सहाय
35. श्री ए० पी० बी० कृष्णन
36. श्री बी० एन० महेश्वरी
37. श्री एस० डी० नरगोलवाला
38. श्री एस० वेंकटरमण
39. श्री एन० ए० आगा
40. श्री एस० एम० मुर्शदि
41. श्री आर० एन० आजाद
42. श्री जी० सी० बवेजा
43. श्री पी० पी० अग्रवाल

44. श्री के० वी० नटराजन
45. डा० पी० डी० शुक्ला
46. श्री टी० आर० जयरमण
47. डा० दीपक भाटिया
48. डा० (कुमारी) लीला वी० पाठक
49. डा० बी० डी० मलिक
50. श्रीमती मरला गरेवाल
51. श्रीमती सुशीला गोपालन, संसद सदस्य
52. श्रीमती सुधा बी० रेड्डी, संसद सदस्य
53. श्री ए० पी० घुसिया, संसद सदस्य
54. श्रीमती विभा घोष, गोस्वामी, संसद सदस्य
55. श्रीमती पुष्पाबेन जे० मेहता, संसद सदस्य
56. कु० सुशीला मनसुखलाल देसाई, संसद सदस्य
57. श्रीमती पी० वी० चलायम्मा कृष्णय्या
58. श्रीमती पल्लवी बलराव
59. श्रीमति रमोला देवी
60. श्रीमती कुमुदबेन मणिशंकर जोशी
61. श्रीमती सुखदा मिश्रा
62. श्रीमती स्नेह लता
63. बेगमजनाब शेख मुहम्मद अब्दूल्ला
64. श्रीमती आक्टाविया एल्बू कर्क
65. श्रीमती रत्नकला एस० मेनन ।
66. श्रीमती कृष्णा अग्रवाल
67. कुमारी सिलवरीन स्वेर
68. श्रीमती राजकुमारी सुक्षरसन देवी
69. श्रीमती डी० यादिन
70. श्रीमती बीबी बलवत कोर
71. श्रीमती रमा देवी आर्य
72. श्रीमती तारा चेरियन
73. बेगम हमीदा हबीबुल्ला
74. श्रीमती गीता वसु
75. श्रीमती ओगेन डियोरी
76. श्रीमती तारा देवी मक्सेना
77. श्रीमती बेमविदा ए० डियास
78. डा० एम० एस० गोरे
79. डा० पी० टी० थोमस
80. श्रीमती यशोधरा दासप्पा
81. मिस कामिला त्यावजी
82. कु० महमूद अहमद अली
83. कु० आइवी खां
84. श्रीमती कल्याणी कुमारमगलम्
85. कुमारी सितियों सवियान
86. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा
87. श्री जे० ए० कल्याणा कृष्णन्
88. श्री वेद प्रकाश

89. श्रीमती अंजनी दयानंद,
90. श्री वी० एन० बहादुर
91. श्रीमती माया रे, संसद सदस्या
92. श्री प्रवीण सिंह सोलंकी, ससद सदस्य
93. श्रीमती प्रतिमा सिंह, संसद सदस्य
94. श्री बी० के० शर्मा

प्रवर शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को पदोन्नति की

6313. श्री ईश्वर चौधरी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने मई, 1974 में प्रवर शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के ग्रेड में पदोन्नति के लिए प्रवर शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की पात्रता सूची जारी की थी उस पर कोई कार्रवाई की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) किस प्रकार की भावी कार्रवाई की जानी है विशेषरुप से जबकि काफी सख्या में प्रवर शारीरक शिक्षा अध्यापक प्रवर शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के पदों पर कार्य कर रहे हैं ।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणका देवी बरकटकी) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के ग्रेड में पदोन्नति के लिए 1975 में तैयार की गई कनिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की अस्थायी पात्रता सूचियां आस्थगित रखनी पडी थी क्योंकि राष्ट्रीय स्वस्थता कोर से सम्बधित कई अनुदेशक और अन्य कर्मचारी केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली प्रशासन में स्थानान्तरित कर दिए गए थे और इस स्टाफ का दिल्ली के विद्यालयों में खपाया जाना अपेक्षित है । स्टाफ को खपाये जाने और दिल्ली के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की सख्या के पुर्नमूल्यांकन से सम्बधित विभिन्न मामले विचाराधीन हैं । यह मूल्यांकन पूरा हो जाने के बाद कनिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को वरिष्ठ शारीरिक शक्षा अध्यापकों के रुप में पदोन्नति देने के मामलों पर विचार किया जाएगा ।

INSECTICIDES FOR 1978-79 RABI CAMPAIGN

6314. SHRI ISHWAR CHAUDHRY : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether Schemes have been finalized regarding provision of insecticides for 1978-79 rabi campaign; and

(b) if so, the details in this regard ?

The MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government of India has finalised the requirement of pesticides for 1978-79 in the VIth All India Plant Protection Conference held in New Delhi in the month of February, 1978. Requirements of States for Kharif, 1978 were also generally discussed in Zonal Conference held in the beginning of this year. It is estimated that about 65,000 tonnes of pesticides will be required during 1978 out of which about 33% is to be consumed during Rabi Crop. Arrangements for making available these insecticides through domestic produciton and through imports wherever necessary, are being finalised in consultation with the Ministry of Chemicals and Fertilisers and the Industry.

RURAL CREDIT SYSTEM FOR SMALL FARMER AND AGRICULTURE-BASED INDUSTRIES

6315. SHRI ISHWAR CHAUDHRY : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether the National Commission on Agriculture has recommended that rural credit system should be rationalised for the benefit of small farmers, landless labourers and agriculture based industries; and

(b) if so, whether Government have taken any steps in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) & (b). The National Commission on Agriculture has assessed the estimated requirements of institutional credit and the likely flow by 1985; it has recommended a graduated scale in favour of the small and marginal farmers for meeting their credit needs. The Government have accepted the principle of meeting the credit needs of the weaker sections on a priority basis. Approximately one-third of the direct institutional loans in the agricultural sector goes to the small and marginal farmers. The objective is to raise this to at least 50% of the total institutional credit advanced and progressively meet the entire needs of the weaker sections.

The National Commission on Agriculture has also recommended the organisation of multi-purpose viable farmers' Service Societies which can provide integrated credit, supply and services to the small and marginal farmers, agricultural labourers, rural artisans and entrepreneurs of rural industries. A programme of reorganisation of the Primary Agricultural Credit Societies to form viable and efficient multi-purpose units at the base level is already being implemented. The Government of India have also suggested to the State Governments that the reorganised Primary Societies should be taken to the level of Farmers' Service Societies by the end of current Plan period.

पेयजल योजनाओं के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

6316. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य को गांवों में पेय जल उपलब्ध कराने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि की सहायता दी है ;

(ख) क्या उक्त केन्द्रीय सहायता द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति हो रही है ; और

(ग) यदि नहीं तो सरकार ने उक्त कार्यक्रम की गति को, विशेष रुप से बिहार राज्य में, तेज करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जलपूर्ति का विषय राज्य सरकार का है और सभी प्लान योजनाओं के लिए जिसमें ग्रामीण जलपूर्ति भी शामिल है, राज्यों को 'समेकित सहायता ' के रुप में केन्द्र की ओर से नियतन किया जाता है । ग्रामीण जबलपूर्ति योजनाओं के लिए राज्यों ने अपने प्लानों में 1975-76 1976-77 और 1977-78 के दौरान क्रमश: 6024.36 लाख, 6150.00 लाख और 7800.80 लाख रुपये की व्यवस्था की ।

तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्धं पेय जल की व्यवस्था को तीव्र करने के उद्देश्य से, राज्य सरकारों के बजट में की गई निधियों की व्यवस्था के अलावा देश में समस्याग्रस्त गांवों में शुद्ध पेय जल मुहैय्या करने के लिए 1977-78 के दौरान एक केन्द्रीय प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम चलाया था ।

1977-78 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों और सघ राज्य क्षेत्रों को 38.20 करोड़ रुपये का केन्द्रीय सहायता अनुदान दिया गया था । सहायता का राज्यवार/सघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	दी गई सहाता की राशि
1	3
राज्य	(लाख रु० में)
1. आंध्र प्रदेश	152.30
2. असम	57.60
3. बिहार	242.80
4. गुजरात	332.80

1	2
5. हरियाणा	142.10
6. हिमाचल प्रदेश	222.60
7. जम्मू और काश्मीर	152.80
8. कर्नाटक	142.30
9. केरल	102.00
10. मध्य प्रदेश	252.80
11 महाराष्ट्र	312.80
12. मणिपुर	52.50
13. मेघालय	25.00
14. नागालैंड	77.50
15. उड़ीसा	182.80
16. पंजाब	102.10
17. राजस्थान	252.30
18. सिक्किम	36.50
19. तमिल नाड	217.30
20. त्रिपुरा	80.50
21. उत्तर प्रदेश	352.80
22. पश्चिम बगाल	242.80
संघ राज्य क्षेत्र	
1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	20.00
2. अरुणाचल प्रदेश	20.00
3. दिल्ली	10.00
4. गोआ, दमन और दीव	10.00
5. मिजोरम	15.00
6. पाण्डिचेरी	10.00

ऐसी आशा है कि केन्द्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दी गई राशि का पूर्ण रुप से उपयोग करेंगे ।

(ख) जी, हां । उपलब्ध सूचना के अनुसार

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली दुग्ध योजना में फर्नीचर की खरीद पर व्यय

6317. श्री शिव नारायण सरसूनिया : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा विभिन्न प्रकार के फर्नीचर तथा फिक्सचर की खरीद पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है ।

(ख) क्या यह सच है कि इनकी पूरी सूची नहीं रखी गई है और कई हजार रुपये के मूल्य की वस्तुए गुम हैं ; और

(ग) क्या उत्तरदायित्व निश्चित करने तथा हानि के लिये धनराशि वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क)

	रुपए
1975-76	41,358.00
1976-77	6,742.44
1977-78	60,737.18
योग :—	1,08,837.62

(ख) तथा (ग) पूरी सूची तैयार करने का कार्य दिसम्बर, 1975 में आरम्भ किया गया तथा उसे पूरा हो जाने पर ही यदि कोई गमी है, तो उसकी मात्रा के बारे में पता चलेगा तथा उत्तरदायित्व निश्चित करने का प्रश्न उसके बाद ही होगा।

दक्षिण दिल्ली में भूमि की उपलब्धता

6318. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण दिल्ली में उपलब्ध भूमि के बारे में जानकारी एकत्रित कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह जानकारी चालू सत्र के दौरान सभा पटल पर रखी जाएगी;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) दक्षिण दिल्ली में सामूहिक गृह निर्माण समितियों के आरक्षण हेतु जहां बोर्ड लगाए गए थे वहां सामूहिक गृह निर्माण समितियों को कितनी भूमि अलाट की गई है ।

(ङ) क्या सरकार ने दक्षिण दिल्ली में बड़े पैमाने पर जमीन की उपलब्धता को देखते हुए गृह निर्माण समितियों को उस क्षेत्र में भूमि अलाट करने का अब निर्णय कर लिया है ; और

(च) क्या अनेक सामूहिक गृह निर्माण समितियों ने बाढ़ से पीडित होने वाले पश्चिमपुरी आदि क्षेत्रों भूमि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) **तथा** (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 21-3-77 तक दक्षिण दिल्ली में 1059.83 एकड़ भूमि उपलब्ध है ।

(घ) भूमि ग्रुप आवास समितियों को आवंटित करने के लिए उद्दिष्ट नहीं है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्हें समितियों के लिए भूमि आरक्षित करने के बोर्ड नहीं लगा रखे। हैं

(ङ) जी नहीं

(च) जी नहीं

निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

6319. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता सरकार के शासन के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित निर्माण और आवास मंत्रालय इसके सम्बन्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में प्रत्येक वर्ग के पदों में कुल कितने पद भरे गए और उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों का कितना हिस्सा है और प्रत्येक वर्ग में कितने पदों का आरक्षण समाप्त किया गया और उसके क्या कारण है ;

(ख) प्रत्येक वर्ग के पदों में कितने पदों में विभागीय पदोन्नतियां की गई कितने पदों का दर्जा बताया गया और उनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिए गए है ; और

(ग) कुल कितने ठेके/लाइसेंस दिए गए और ठेकों लाईसेंसों के प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों का यदि कोई हिस्सा है तो वह कितना है और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (**श्री सिकन्दर बख्त**) :(क) तथा (ख) सूचना सलग्न विवरण में दी गयी है ।

आरक्षित पदों की संख्या के बारे में सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) आंकड़े समुदाय वार नहीं रखे जाते क्योंकि ठेके और लाईसेन्स आदि देने के लिये सरकारी आदेशों में कोई विशेष वरीयता नहीं दी जाती हैं ।

विवरण

मंत्रालय, इस के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में 1-1-1978 को प्रत्येक वर्ग में सीधे भतह्य और पदोन्नति/अपग्रेडिंग द्वारा भरे गये पदों की संख्या का

विवरण

वर्ग	सीधी भर्ती द्वारा भरे गये पद			पदोन्नति/अपग्रेडिंग द्वारा		
	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	अनुसूचित जाति	अनूसूचित जनजाति
ए	78	5	—	51	1	—
बी	38	9	2	146	13	—
सी	788	85	12	437	97	20
डी	187	47	12	91	19	6

LITERACY

6320. SHRI S. S. SOMANI : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) the percentage of literacy among males and females in the country, separately at present;

(b) the targets to be achieved in this regard by the end of March, 1982; and

(c) the details of the annual programme for the next five years for achieving the aforesaid targets ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) According to 1971 Census, the percentage of literacy among males and females in the country is as under :—

	Excluding the age-group 0-4	Excluding the age-group 0-14
Males	45.95%	47.69%
Females	21.97%	19.36%

(b) and (c) Government have decided to accord highest priority to the universalisation of elementary education and to adult education in the next five year plan. During the next five year, 32 million additional children in the age-group 6-14 are proposed to be covered under the formal and non-formal elementary education programmes and 65 million illiterate adults in 15-35 age-group, would be covered under the National Adult Education Programme proposed to be launched from October 2, 1978.

NATIONAL DESERT SANCTUARY, RAJASTHAN

6321. SHRI S. S. SOMANI : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether the future of proposed National Desert Sanneuary in Rajasthan is still uncertain while rural species of animals and birds are fast becoming extinct;

(b) if so, the reasons for the delay in its implementation and the progress achieved

so far in this regard; and

(c) the steps being taken by Government to expedite its implementation ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) to (c) According to information received from the Rajasthan Government, a fresh survey of the most suitable site for a Desert National Park has recenty been completed and the proposal is under their active consideration. Further action to finalise the proposal and assist the national park will be taken on receipt of the proposal from the Rajasthan Government.

AREA OF DRY LAND

6322. SHRI S. S. SOMANI : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether the area of dry land is on the increase in the country, particularly in Rajasthan; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

दार्जिलिंग में केन्द्रीय विद्यालय

6323. **श्री के० बी० चेतरी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लाभ के लिये दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों में केन्द्री य विद्यालय खोलने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) इस समय दार्जिलिंग में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है । केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग अथवा किसी सावजनिक क्षेत्र के उधम द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया है ।

GIRI INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES

†6324. SHRI RAMDHARI SHASTRI : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news-items appearing on page 9 of Blitz (Hindi) dated the 7th January 1978 in which it has been alleged that a bogus institution under the name of 'Giri Institute of Development Studies' in Lucknow is being run since 1973 and some persons are enjoying lakhs of rupees taken from Government in the name of the Instituttion;

(b) if so, the full details in respect of this institution and the grants given to it; and

(c) whether some politicians are associated with it ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIALWELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) The news item regarding the above institute which appeared in Blitz (Hindi) on 7th January, 1978 as well as the reply to it given by the Director of the Institute which was published in the issue of Blitz dated 4*th March*, 1978 have come to the Government's notice. The Indian Council of Social Science Research which administers the grants-in-aid to this Institute has enquired into the matter and has reported that there is no substance in the allegaion against the Institute.

(b) A list of grants received by the Institute from I.C.S.S.R. till 31st March, 1978 is given below :—

Year	Amount Released during the Year
1976-77	Rs. 90,000/- (Non-recurring)
1977-78	Rs. 2,00,000/- (Recurring)
	Rs. 59,500/- (Non-recurring)

(c) The first Board of Governors of the Institute consisted of the following :—

1.	Shri D. P. Dhar, Minister of Planning, Government of India, New Delhi.	Chairman
2.	Chief Minister (Ex-officio), Uttar Pradesh, Lucknow.	Member
3.	Head of the Department of Economics (Ex-Officio), Lucknow University, Lucknow.	Member
4.	Sri M. R. Sherwani, 11, Sunder Nagar, New Delhi-3.	Member
5.	Dr. Malcolm S. Adiseshiah, 74, Second Main Road, Gandhinagar, Adyar, Madras-600020.	Member
6.	Dr. Nagendra Singh, Member, International Court of Justice, The Hague (Holland).	Member
7.	Sri Naval H. Tata, Director, Tata Industries Ltd,. 24, Hom Mody Street, Fort, Bombay.	Member
8.	Sri R. S. Pande, Managing Director, The Tata Iron & Steel Co. Ltd., Jamshedpur.	Honorary Bursar
9.	Sri S. Nilkanthan, Deputy Secretary to the President of India, Rashtrapati Bhavan, New Delhi.	Member
10.	Dr. V. B. Singh. Reader in Economics, Lucknow University, Lucknow.	Honorary Director
11.	Vice-Chancellor (Ex-officio), Lucknow University, Lucknow.	Member

All these members except Shri D. P. Dhar who expired in 1975 continue to be on the Board. After the demise of late Shri D P. Dhar, Shri P. N. Haksar, the then-Deputy Chairman, Planning Commission, was elected Chairman in the Board Meeting held on December 15, 1975. Further, on his appointment as Director of the Institute with effect from May 1, 1977 Prof. T. S. Papola became an ex-officio member of the Board, and Dr. V. B. Singh on relinquishing the office of Honorary Director, was elected Vice-Chairman. According to the available information Dr. V. B. Singh appears to be the only politician, except, of course, the Chief Minister of Uttar Pradesh, who is a member ex-officio.

RESEARCH CENTRE ON IMPROVED VARIETY OF GRASS SEED

6325. SHRI Y. P. SHASTRI
SHRI LAXMINARAIN NAYAK } : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether the Central Government propose to set up Centres for the development and research on the seeds of the improved varieties of grass, with a view to removing the shortage of fodder for the cattle;

(b) if so, the State-wise number of such research centres proposed to be set up;

(c) whether the Central Study Team had surveyed some land etc. for this purpose in Ujjain District of Madhya Pradesh and if so, further action taken in this regard; and

(d) whether the Central Government propose to set up a zonal fodder development centre in Madhya Pradesh keeping in view the great potential for the fodder development and also for the development of meadows there and if so, whether some work is proposed to be started in this regard in 1978-79 ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) Yes. Sir. The ICAR proposes to set up 5 more research centres in addition to the 11 centres already existing in the Agricultural Universities under the All India Coordinated Project for Research on Forage Crops.

The Department of Agriculture is setting up two large seed production farms at Barbeta (Assam) and Hasarghatta (Karnataka) with the assistance of Government of Australia.

(b) The new research centres proposed to be set up at Pantnagar (UP), Ludhiana (Punjab), Dantiwada (Gujarat), Faizabad (U.P.), Akola (Maharashtra), Urli Kanchan (Maharashtra).

(c) There was a proposal to establish one centrally administered, Regional Station for Forage Production & Demonstration at a site proposed by State Government at Ujjain. A Central Team had visited and tentatively approved this site pending certain conditions to be met by the State Government. However, land at this site is not likely to be made available for the establishment of the Station, since the same has been leased out to the local farmers by the State Government. Consequently the proposal to establish this station has been dropped.

(d) There is no such proposal at present.

NATIONAL AWARD TO INDIAN WRITERS

*6326. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether his Ministry formulated a scheme in 1973 for national awards to the Indian writers of original standard books of University level in the various Indian languages;

(b) if so, the institution entrusted with the responsibility of its implementation and whether entries were invited from the writers in this regard; and

(c) if so, when and the number of entries received in the various Indian languages and the progress made in regard to giving of national awards so far ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SMT. RENUKA DEVI BARKATAKI) : (a) to (c) The Ministry of Education, Social Welfare and Culture formulated a scheme of giving National Awards to Indian Authors of Original Standard Works at the University level in various Indian languages in 1973 and entrusted its implementation to the University Grants Commission, New Delhi. The Commission invited entries for making awards and in response they received 930 entries. The last date for submission of entries was 30-9-73. However due to some administrative and technical difficulties it has not been possible for the Commission to make a final selection. It has now been decided that the Ministry should directly implement the scheme. With the assistance of Central Hindi Directorate the entries are now being scrutinised.

राष्ट्रीय ग्रंथालय, देहरादून

6327. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहरादून में राष्ट्रीय ग्रंथालय स्थापति करने में कितना व्यय हुआ ;

(ख) क्या इस ग्रंथालय को नेत्रहीन व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय केन्द्र के मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) भवन के निर्माण और पुस्तकें खरीदने पर लगभग 19,70,000 रुपए की धनराशि खर्च की गई है।

(ख) और (ग) यद्यपि भवन का निर्माण अब तक पूरा नहीं हुआ है तो भी पुस्तकालय की सारी पुस्तकें और स्टाफ नए भवन में चला गया है। पुस्तकालय के काम को हानि पहुंचाये बिना भवन केएक भाग का अस्थायी रूप से केन्द्र के कार्यालय के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए ऐसा किया गया है।

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGES ACT, 1963

6328. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether the provisions of section 3(3) of the rules framed under Official Language Act, 1963 are being fully implemented in the Ministry;

(b) if so, the number of the general orders, circulars, notices, tenders, permits issued during the last six months of 1977 and the number thereof issued in Hindi alongwith English; and

(c) if the said section is not being implemented fully, the reasons therefor and the steps taken for its implementation ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) to c) The information is being collected and will be placed on the table of the House.

PREMATURE RETIREMENT OF EMPLOYEES OF NATIONAL CENTRE FOR BLIND DURING EMERGENCY

6329. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an employee of National Centre for the Blind, Dehra Dun was retired from service in an irregular manner during the emergency in spite of his being on medical leave as a result of which the said employee died;

(b) if so, the details thereof and the name of the officer who gave orders as also the name of the officer who got the order implemented; and

(c) whether any enquiry was conducted into the validity of the order and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRI DHANNA SINGH GULSHAN): (a) to (c) A group 'C' employee of the National Centre for the Blind was compulsorily retired with effect from 16-9-1976 on grounds of doubtful integrity and marked deterioration in work. The decision was taken by a duly constituted Committee. He died on 24-9-1976 as a result of intestinal obstruction as certified by the city Board, Dehra Dun. The case has been reviewed by another committee which recommended his notional reinstatement. Orders to this effect have been issued.

LICENCE FOR SETTING UP A NEW RICE MILL

6330. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the present procedure for getting permission and licence for setting up a new rice mill is quite lengthy and complicated and if so, whether keeping

in view the increasing production of rice Government would amend the Rice Milling Industry Rules, 1959 (Regulation and Licensing) and make them simpler and if so, when and if not, the reasons therefor; and

(b) whether it is also a fact that in the licences for setting up new rice mills permission is not given for standard type hullers for polishing rice and if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) No Sir, the present procedure for getting permit and licence for setting up a new rice mill is not considered lengthy and complicated. he question of amending the Rice Milling Industry (Regulation and Licensing) Rules, 1959 does not, therefore, arise.

(b) New single huller mills are permitted to be established only if modern machinery like rubber roll/centrifugal dehusker along with paddy cleaner and paddy separator is installed. However, new single huller mills of 15 horse power and less operating in rural areas and handling dehusking of parboiled paddy on custom basis are exempted from the modernisation conditions for a period of 5 years from the date of licensing.

दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाई के घण्टे

6331. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1965 की दिल्ली स्कूल शिक्षा संहिता की धारा 316 में कहा गया है कि दिल्ली के स्कूलों में एक वर्ष में पढ़ाई के घण्टों की संख्या 1200 से कम नहीं होनी चाहिए ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली शिक्षा नियम, 1973 में कहा गया है कि दिल्ली के स्कूलों में उपचारी अवधि सहित पढ़ाई के घण्टों की संख्या 1200 से अधिक नहीं होनी चाहिए ;

(ग) यदि हां, तो आपात स्थिति के दौरान दिल्ली के स्कूलों में स्नातकोत्तर अध्यापकों के काम के घण्टों को 30 से बढ़ाकर 36 घण्टे प्रति सप्ताह कर देने के क्या कारण थे जिससे अनेक अध्यापक फालतू हो गए ;

(घ) क्या ऐसी व्यवस्था अब भी जारी है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग), (घ) और (ङ) स्नातकोत्तर अध्यापकों के काम के घण्टों को प्रति सप्ताह 30 से बढ़ाकर 36 किया जाना दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1 मई, 1975 से प्रारम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र से लागू किया गया था । वर्ष में स्नातकोत्तर अध्यापकों के काम के कुल घण्टें अभी उक्त नियमों के अन्तर्गत निर्धारित सीमा के अन्दर हैं । यह पद्धति अभी जारी है ।

दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को पेंशन आदि के लाभ

6332. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को पेंशन, उपदान आदि के संबंध में दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 की धारा 48 की अवहेलना करते हुए उस सेवा के लाभों से क्यों वंचित किया जा रहा है जो दिल्ली से बाहर अन्य राज्यों में ऐसे कर्मचारियों ने की हो ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अनुमत्य पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति के लाभ दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 के नियम 48 में निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत ऐसे अध्यापकों को दिए जाते हैं ।

दक्षिण में हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना करना

6333. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दक्षिण में हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ग) दक्षिण भारत में इस समय राज्य वार कालेजों के नाम क्या हैं और हिन्दी सीखने वाले छात्रों की संख्या क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के विश्वविद्यालयों में हिन्दी शिक्षण विभाग हैं । उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों में हिन्दी की एक विषय के रूप में शिक्षा की व्यवस्था रखने वाले कालेजों की संख्या आन्ध्र प्रदेश में 67, कर्नाटक में 107, केरल में 42 और तमिलनाडु में 10 है । उनमें से प्रत्येक राज्य में हिन्दी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या उपलब्ध नहीं है ।

दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में पेय जल

6334. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा**
श्री के० मालन्ना : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 मार्च, 1978 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली की विशाल पुनर्वास बस्तियों के लगभग दो लाख लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया पेय जल मानव उपयोग के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि जब से दिल्ली विकास प्राधिकरण की जहांगीरपुरी, खिचड़ीपुर, कल्याणपुरी, मंगोलपुरी बस्तियां स्थापित हुई हैं, तब से वहां के निवासी चिरस्थायी रोगों, विशेषतया गैस के रोग से पीड़ित रहे हैं ; और

(ग) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है ।

HARAKHCHAND FLOUR MILL, SITAPUR

6335. SHRI RAM LAL RAHI : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether Harakhchand Flour Mill, Sitapur (U.P.) has sought permission to double its capacity; and

(b) if so, the decision taken by Government in this regard so far ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) A ban was imposed in February, 1973 on establishment of new units or expansion of existing units in the Roller Flour Milling Industry in the light of the then difficult wheat supply position and the gross under utilisation of overall licensed capacity. The ban is continuing. However, a review has been undertaken on the question of removal/relaxation of ban in the context of the present easy wheat availability position and the capacity utilisation. The application of M/s. Harakhchand Flour Mills will be considered after a decision is taken about removal/relaxation of ban.

EMPLOYEES OF INDIAN DAIRY CORPORATION AND NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD

6336. SHRI MAHI LAL : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3419 on 12th December, 1977, regarding employees of Indian Dairy Corporation and National Dairy Development Board and state :

(a) whether requisite information has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for inordinate delay in this regard ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) to (c) The information is still being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

PLOTS UNDER DISPUTE UNDER THE LONI ROAD RESIDENTIAL SCHEME

6337. SHRI MAHI LAL : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4397 on the 19th December, 1977 regarding allotment of disputed land at Loni Road by D.D.A. and state :

(a) whether a decision has since been taken in respect of those plot holders whose plots under the Loni Road Residential Scheme are under dispute;

(b) if so, when and where alternative plots will be allotted to them; and

(c) in case no decision has been taken, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) Yes, Sir.

(b) Tentatively it is proposed to allot plots in Yamunapuri, Paschimpuri and Vikas Puri. The process of demarcation of areas for plots has already been initiated and the plots are likely to be made available shortly.

(c) Does not arise.

'हाउसिंग शार्टेज इज एक्यूट (मकानों की अत्यधिक कमी) शीर्षक का समाचार

6338. **श्री मही लाल**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन } : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 फरवरी, 1978 के हिन्दुस्तान टाइम्स में 'हाउसिंग शार्टेज इज एक्यूट' (मकानों की अत्यधिक कमी) शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) मकानों की इस कमी को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) हमारे आकलनानुसार यह आवश्यक होगा कि 20 वर्षों की अवधि में प्रत्येक परिवार को मकान देने के लिए हर साल 475 लाख रिहायशी मकानों का निर्माण किया जाए ।

(ग) आवास क्षेत्र के प्रस्तावित भावी कार्यक्रम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(i) आवास कार्यक्रम का उद्देश्य पिछले बकाया का निपटाना तथा बढ़ती हुई जनसंख्या की अतिरिक्त मांग को पूरा करना और 20 वर्ष से अधिक अवधि वाले अनुपयोगी मकानों को बदलना है ।

(ii) निम्न आय परिवारों के लिए सार्वजनिक निधियों का उपयोग सीमित करना ताकि इस सेक्टर को नियत किए गए संसाधनों से अधिक से अधिक रिहायशी एककों का निर्माण किया जा सके ।

(iii) आवास निर्माण को बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था करना ।

"हार्वेस्ट कम्बाइन" का आयात

6339. **श्री भगत राम** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को "हार्वेस्ट कम्बाइन" का आयात करने के बारे में पंजाब सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कितने हार्वेस्ट कम्बाइन आयात किये जा रहे हैं तथा किस देश से ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि इस प्रकार की कृषि मशीनरी का आयात करने से पंजाब और अन्य राज्यों में अनेक कृषि श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे और यदि हां, तो जो उपाय किए गए हैं उनका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : "हार्वेस्टर कम्बाइनों" के आयात के संबंध में अभी कोई निर्णय नही लिया गया है । तथापि, श्रमिकों की बेकारी को ध्यान में रखते हुए सरकार इस मामले पर विचार कर रही है ।

शालीमार बाग दिल्ली में अविकसित प्लाट

6340. **श्री भगत राम** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मई, 1976 को जनता, निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के व्यक्तियों को शालीमार बाग में अविकसित प्लाटों का कब्जा दिया है ;

(ख) क्या कब्जा मिलने के दो वर्ष पश्चात ही भी आधारभूत नागरिक सुविधायें उपलब्ध नहीं की गई हैं जबकि भूमि का किराया कब्जा लेने की तिथि से लिया जा रहा है ; यदि हां, तो नागरिक सुविधायें किस निश्चित तिथि तक उपलब्ध की जाएंगी ; और

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (एक) जिस तिथि से नागरिक सुविधायें उपलब्ध की जाती हैं उस दिन से भूमि का किराया वसूल करने और (दो) अविकसित प्लाटों के लिए अलाटियों द्वारा दी गई राशि पर ब्याज का भुगतान करने पर विचार करेगी और सहमत होगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) शालीमार बाग में विकास के चरण का एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी, नहीं । दिल्ली विकास प्राधिकरण ऐसा करने पर सहमत नहीं हुआ है ।

विवरण

शालीमार बाग के विकास के कार्य की स्थिति

1. **सड़कें** :—चरण I में सिवाय एच, एफ, जे, के, एन, तथा एस (पश्चिम), ब्लाक बी में जे तथा एन (पूर्वी) पाकेट में सड़कों, के ब्लाक ए तथा बी में सड़कों की मरम्मत का काम पूरा हो गया है । इन पाकेटों में निर्माण कार्य अन्य पाकेटों के साथ इस लिये नहीं किया जा सका क्योंकि मूलतः इन पाकेटों को ग्रुप हाऊसिंग के लिये निर्धारित किया गया था लेकिन बाद में इसे प्लाटिड विकास में बदल दिया गया था । तथापि, इन सभी पाकेटों में सड़क निर्माण का कार्य हाल ही में दिया गया है और निधियों की उपलब्धता की शर्त पर जून, 1978 तक पूरा हो जाएगा । चरण II का कार्य 50 प्रतिशत प्लाटों के बन जाने के बाद ही केवल आरंभ किया जाना है ।

2. **जलपूर्ति** :—सिवाय ए, एफ, जे तथा के (पश्चिमी), और जे एच (पूर्वी) पाकेटों के, ब्लाक ए तथा बी में जलपूर्ति लाइनों को बिछाने का कार्य पूरा हो गया है। ये पाकेट मूलत: ग्रुप हाऊसिंग के लिये निर्धारित थे लेकिन बाद में इसे प्लाटिड विकास में बदल दिया गया था। ई, एफ, के पाकेटों में जल पूर्ति की लाइनें बिछाने का कार्य हाल ही में दिया गया है जब कि पाकेट एच (पूर्वी) जे (पश्चिमी) के लिये टेन्डर आमंत्रित किये जा रहे हैं। काम के जून, 1978 तक पूरा किये जाने की संभावना है। दिल्ली नगर निगम से पानी कुछ समय तक संभवत: उपलब्ध न हो अत: ब्लाक ए में नलकूप और ब्लाक बी० में 4 नलकूप आवंटियों की तत्काल आवश्यकताएं पूरी करने के लिये लगाये गये हैं। शालीमार बाग क्षेत्र के लिये इन नलकूपों से जल लगभग 2 मास की अवधि के भीतर उपलब्ध हो जाएगा। दिल्ली नगर निगम ई० ए० एस० ने डी०डी०ए० भूमिगत टैंक तथा जल की मुख्य नालियां डाल दी हैं। दिल्ली नगर निगम द्वारा जलपूर्ति की योजना में सुधार कर दिया गया है, डी० डी० ए० ने भी भूमिगत तथा उपरि टैंकी का निर्माण कर लिया है और ज्यूं ही दिल्ली नगर निगम द्वारा मुख्य जल की नालियां डाल दी जाएंगी उनके साथ इसका कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा।

3. **सीवर कार्य**:—सिवाय गहरे सीवर लाइन के दो कनेक्शनों के ब्लाक ए में आन्तरिक सीवर का कार्य पूरा हो चुका है। ब्लाक बी में कार्य पूरा है सिवाय एच, एफ, [ए, जे, ई तथा सी (पश्चिमी) पाकेटों के। पाकेट मूलत: ग्रुप हाऊसिंग के लिये थे और उन्हें प्लाटिड विकास में बदल दिया गया था। पाकेटों के लिये टेन्डर प्राप्त हो गये हैं और उनकी जांच की जा रही है। कार्य के लगभग 6 मास में पूरा हो जाने की संभावना है। गहरी सीवर लाइन का कार्य लगभग 6 से 9 मास तक पूरा हो जाएगा। इस क्षेत्र का कार्य रिठाल संसाधन प्लाट द्वारा पूरा किया जाएगा। यह कार्य दिल्ली नगर निगम द्वारा पूरा किया जाना है। डी० डी० ए० ने नलकूप पम्प हाऊस और आक्साइडेशन तलाब का निर्माण करके मलजल के निपटान के स्वयं प्रबन्ध किये हैं।

4. **बिजली** :—इस कार्य को दिल्ली विद्युत वितरण संस्थान द्वारा किया जाना है। आवश्यक निधियां उन के पास जमा करा दी गई हैं और कार्य हाल ही में शुरू किया गया है। दिल्ली विद्युत वितरण संस्थान ने इस कार्य को 6 मास में पूरा कर देने का आश्वासन दिया है।

5. **पार्क** :—इन्हें ब्लाक ए में पहले ही विकसित किया जा चुका है और दिल्ली विकास प्राधिकरण के बागवानी विभाग द्वारा घास और पेड़ पौधे लगाने का आगे का कार्य किया जा रहा है। जहां तक ब्लाक बी में पार्कों का संबंध है, 3 पार्कों में ग्रिलों की बाड़ लगाई जा चुकी है, आगे का काम इस लिये नहीं किया जा सका क्योंकि कुछ ग्रुप हाऊसिंग पाकेटों को प्लाटिड विकास में बदल दिया गया है। तथापि, इन्हें लगभग 12 मास में पूरा कर दिया जाएगा, जब इस क्षेत्र में कुछ मकान बन जाएंगे।

दिल्ली के स्कूलों में अध्यापकों के स्थानान्तरण

6341. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी के सरकारी स्कूल अध्यापक संघ के एक प्रवक्ता ने 10 मार्च, 1978 को जारी किए गए एक वक्तव्य में आरोप लगाया है कि हाल ही में राजधानी में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लगभग 900 अध्यापकों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानान्तरित कर दिया गया है जहां वे अपने आप को "फालतू" पाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार इन स्थानान्तरणों में जो निम्न कारणों से आवश्यक हो गए थे लगभग 1204 अध्यापक शामिल थे।

(i) नए स्कूल आदि खोलने के आधार पर कुछ संस्थाओं में पदों का समापन तथा अन्यों में नए पदों का सृजन नामांकन,

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में रिक्तियों को भरने के लिए तथापि, यह आरोप कि इन स्थानान्तरणों में शामिल अध्यापक अपने आपको उन स्कूलों में, जिनमें वे स्थानान्तरित किए गए हैं "फालतू" पा रहे हैं, ठीक नहीं है ।

भारतीय खाद्य निगम का प्रबन्ध

6342. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का प्रबन्ध उच्च पदों पर आसीन ऐसे अधिकारियों के हाथों में है जो प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं;

(ख) क्या उनके ध्यान में यह बात लाई गई है कि भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धकों ने वहां काम करने वाले कर्मचारियों से प्रबन्ध काडर का विकास नहीं किया यद्यपि स्वयं संगठन के भीतर से विशेषज्ञों का विकास करना भारत सरकार की नीति है जिससे कि काडर में उच्च प्रबन्धकीय पदों तक पहुंच सके ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम को राज्य सरकारों के साथ अत्यधिक निकट सम्पर्क में कार्य करना होता है और कुछेक वरिष्ठ स्तर पर प्रतिनियुक्तों को रखना उपयोगी पाया गया है । तथापि, भारतीय खाद्य निगम के अपने अधिकारी निगम में बहुत ही ऊंचे पदों जैसे कि वाणिज्य प्रबन्धक, वित्तीय सलाहकार, जोनल प्रबन्धक आदि पर पहुंच गए हैं और भारतीय खाद्य निगम में ही विशेषज्ञता का विकास करने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है ।

PER HECTARE YIELD OF WHEAT AND RICE

6343. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether per hectare yield of wheat and rice in India is less as compared to other countries;

(b) whether per hectare yield thereof in U.K., Egypt, Italy and France is two to three times the yield in India;

(c) if so, the measure being taken to increase the per hectare yield of wheat and rice in India; and

(d) the per hectare average yield of wheat and rice in various States in India ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) & (b) This is generally correct.

(c) The measure being undertaken to increase the per hectare yield of wheat and rice in India include (i) increasing the irrigated area; (ii) increasing the coverage under suitable high yielding varieties of the rice and wheat; (iii) adequate and timely supply of inputs; (iv) training of extension staff and farmers in the latest production technology developed by various Agricultural Research Institutes; (v) coordination between State Irrigation and Electricity Departments for uninterrupted supply of electricity and timely irrigation water; and (vi) acceleration of other programmes like the scheme of minikit demonstrations, adaptive trials, community nurseries programme, demonstrations with improved implements in direct seeded areas of rice and the scheme of replacement of rust susceptible local wheat varieties with rust resistant varieties in bill areas, etc.

(d) A statement giving the per hectare yield of wheat and rice in different States in India is enclosed.

STATEMENT

Per hectare average yield of rice and wheat in 1976-77

(Kgs./hectare)

State/U.T.	Rice	Wheat
(1)	(2)	(3)
1. Andhra Pradesh	1378	613
2. Assam	933	1102
3. Bihar	895	1270
4. Gujarat	1218	1475
5. Haryana	2468	2024
6. Himachal Pradesh	1117	1383
7. Jammu & Kashmir	1371	876
8. Karnataka	1537	709
9. Kerala	1471	—
10. Madhya Pradesh	620	741
11. Maharashtra	1351	789
12. Manipur	1507	—
13. Meghalaya	1246	—
14. Nagaland	1019	—
15. Orissa	735	1583
16. Punjab	2583	2432
17. Rajasthan	1341	1280
18. Tamil Nadu	2129	—
19. Tripura	1117	—
20. Uttar Pradesh	916	1324
21. West Bengal	1133	2100
22. Andaman & Nicobar	1163	—
23. Arunachal Pradesh	886	—
24. Dadar Nagar Haveli	1558	—
25. Delhi	—	2056
26. Goa	1656	—
27. Mizoram	786	—
28. Pondicherry	2200	—
All India	1108	1394

CONSTRUCTIONAL CONTRACTS IN THE HANDS OF N.B.C.C.

6344. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the number of construction works or contracts in hand of National Buildings Construction Corporation in 1977-78;

(b) the capital cost thereof;

(c) the anticipated profit;

(d) the profit earned and expenditure incurred in 1977-78, separately;

(e) the names of the countries in which work is being done by the said corporation; and

(f) the details of the contracts awarded to the corporation and the anticipated profit to be earned thereby?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) 48 (Forty Eight).

(b) Rs. 2148.10 Million.

(c) Rs. 42.96 Million.

(d) The accounts for 1977-78 have not yet been finalised. It is, however, estimated that the total expenditure would be Rs. 270.9 Million and the profit Rs. 3.30 million.

(e) India, Iraq and Libya.

(f) A statement showing the works in hand is attached. As stated in answer to part (c) above a total profit of Rs. 42.96 Million is anticipated from all these works.

Statement

The Construction Contracts in Hand as per the works awarded to the Corporation from time to time

(Rupees in Million)

Sl. No.	Description	Clients	Value
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Construction of DTC Bus Depots workshop etc.	Delhi Transport Corporation.	48·1
2.	Provision of Central Sewerage disposal scheme at Delhi Cantt.	Military Engineering Service.	108·77
3.	Construction of 550 quarters at Khichripur	New Delhi Municipal Corporation.	12·08
4.	Underground Sewerage works	Do.	33·3
5.	100 MGD water treatment plant near Haiderpur (underground Reservoirs and other ancillary work)	Municipal Corporation of Delhi.	12·9
6.	Construction of Integrated Office Complex	Steel Authority of India, Housing and Urban Development Corporation, Bharat Heavy Electricals Ltd. and National Buildings Construction Corporation Ltd.	26·1
7.	Construction of staff quarters public buildings, roads etc.	Aligarh Muslim University.	7·06
8.	Construction of Nurses Hostel	New Delhi Municipal Corporation.	1·30
9.	Construction of Development of Housing sites	Planning Commission Housing Society, Delhi.	1·62
10.	Construction of buildings for ICMR at Ansari Nagar	Indian Council of Medical Research.	0·69
11.	Construction of Quarters at Dhobi Ghat	New Delhi Municipal Corporation.	3·35
12.	Misc. works e.g. underground Sewerage works, Schools pavemetrs etc.	Municipal Corporation of Delhi.	10·26
13.	Underground Sewerage works near Mandir Marg.	New Delhi Municipal Corporation.	0·45
14.	Construction of Industrial Structures	Bongaigaon Refinery and Petro chemical Ltd.	54·49
15.	Construction of Gauhati Medical College Hospital at Gauhati	Assam Public Works Department.	33·7

(1)	(2)	(3)	(4)
16.	Strengthening of runway, Taxi track and aprons to LCN and building of taxi track to 75 feet at Borjhan near Gauhati	Central Public Works Department.	7·99
17.	Construction of Elevated structures for Tube Rly. Project at Calcutta	Metropolitan Transport Railway Project.	9·73
18.	Construction of Dairy works at Dankuni (Calcutta)	National Dairy Development Board.	7·76
19.	Construction of Flyover at Calcutta	Calcutta Port Trust.	21·4
20.	Construction of Piles for Office blocks at Calcutta	Post & Telegraphs.	3·7
21.	Construction of Civil and structural and allied works of fertilizer complex at Haldia	Fertilizer Corporation of India.	25·07
22.	Construction of Piles, pile caps etc. for Kolaghat supper thermal power project at Vill. Mechada (West Bengal)	West Bengal State Electricity Board.	52·8
23.	Construction of piling works for MTP. Calcutta	Metropolitan Transport Railway Projects.	1·87
24.	Construction of building for ICMR.	Indian Council of Medical Research, Calcutta.	1·8
25.	Construction of sub-structure and railway station for MTP Sec-X at Calcutta.	Metropolitan Transport Railway Projects.	83·0
26.	Construction of R & D complex laboratories	Bharat Heavy Electrical Limited, Hyderabad.	24·92
27.	Construction of 180 metre high RCC chimney at Vijayawada (A.P.)	Andhra Pradesh State Electricity Board.	6·60
28.	Construction of civil engg. works at Bhadravati.	Visveswaraya Iron & Steel Limited.	7·59
29.	Construction of Rotating Machinery Division at Bangalore	New Government Electric Factory, Bangalore.	0·8
30.	Construction of Coal handling plant urea bagging plant and CISF barracks	National Fertilizer Ltd., Panipat.	34·96
31.	Construction of sulpher recovery Amonia recovery plant works and CISF barracks.	National Fertilizer Ltd., Bhatinda.	21·20
32.	Construction of 550 bedded hospital X-ray block, cattle feed plant etc. and constn. of New Rly. Stat on Building at Varanasi	Banaras Hindu University Railways.	26·79
33.	Construction of Auditorium, stadium officers mess at IMA and quarters at clement town at Dehradun	Military Engineering Service, Dehradun.	16·62
34.	Construction of high level bridge across river Tawi near Jammu	Jummu & Kashmir Projects Organisation.	11·6

(1)	(2)	(3)	(4)
35.	Construction of Bridge across Yamuna at Kalpi (U.P.).	Uttar Pradesh Public Works Department.	19·47
36.	Construction of Cement Plant at Akaltara	Cement Corporation of India.	40·3
37.	Construction of township at Akaltara	Do.	6·00
38.	Construction of quarters at Bhopal	Bharat Heavy Electricals Limited.	6·52
39.	Construction of Plant works and pipe line works	Indian Petrochemical Refineries Ltd., Baroda.	18.5
40.	Construction of township at Baroda.	Do.	41·65
41.	Planning & Designing and Consultancy work	Indian Petrochemical Refineries Ltd., National Fertilizer Ltd., Bongaigaon Refinery Petrochemical Ltd., and Indian Council of Medical Research.	6·7
42.	Construction of ICMR Building at Ahmedabad	Indian Council of Medical Research.	2·5
43.	Construction of Foundation for a bridge near Dombivili	Central Railways.	10·6
44.	Construction of a high level bridge over river Chambal near Kota.	Rajasthan Public Works Department.	17·6
45.	Construction of new Ghat Air Port works, including Const. of Runways pavements, taxi ways apron and 22 KM long road from Ghat Airport to Ghat Village (Libya)	International Airports Authority of India.	407.0
46.	Construction of one thousand houses at Beniwalid (Libya) and 305 houses at Ghat (Libya) including drainage water supply and all other internal and external utility sevices	Secretariat of Works and Housing, Libaya.	688·00
47.	Construction of 120 bedded hospital at Ghat with HVAC works, electrification, medical gases and hospital equipment etc.	Do.	219.00
48.	Construction of 3.8 Kms. long cast-in-situ 2 meter diameter prestressed concrete sewer at Baghdad, Iraq.	State Constructional Contracting Company, Baghdad, Iraq.	42·00

तमिलनाडु में कृषि कालेज

6345. **श्री जी० भुवारहन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में अब कितने कृषि कालेज चल रहे हैं ;

(ख) इन कालेजों में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या भावी विकास को देखते हुए संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तमिलनाडु राज्य में तीन कृषि महाविद्यालय कार्य कर रहे हैं । इनमें से दो तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के अधीन हैं तथा एक अन्नामलाई विश्वविद्यालय के अधीन है ।

(ख) इन महाविद्यालयों के छात्रों की संख्या 295 है जिनमें से 220 तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय म तथा 75 अन्नामलाई महाविद्यालय में भरती हैं ।

(ग) जी नहीं श्रीमान् । यह समझा जाता है कि इस संख्या में बढ़ोतरी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस राज्य में अभी 200 कृषि स्नातकों को उपयुक्त रोजगार पाना बाकी है ।

तटीय क्षेत्र कृषि अनुसंधान केन्द्र

6346. **श्री जी० भुवारहन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने तटीय क्षेत्र कृषि अनुसंधान केन्द्र काम कर रहे हैं और उनमें से कितने तमिलनाडु में हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या तमिलनाडु में ऐसे केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) देश में 81 तटीय क्षेत्र कृषि अनुसंधान केन्द्र (अनुसंधान केन्द्रों सहित) काम कर रहे हैं जिनमें से 16 तमिलनाडु में हैं ।

(ख) जैसा कि पहले ही प्रश्न के खण्ड (क) के उत्तर में कहा गया है ; तमिलनाडु में ऐसे 16 केन्द्र हैं ।

नैवेली में फार्म निगम

6347. **श्री जी० भुवारहन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नैवेली में फार्म निगम स्थापित करने के लिए ऋण अथवा अनुदान दिया गया है; और

(ख) तमिलनाडू में कितने राज्य फार्म निगमों को ऋण अथवा अनुदान मिल रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं ।

(ख) किसी को भी नहीं ।

यूरिया के उपयोग द्वारा धान के अंकुरण में नियन्त्रण के बारे में अनुसन्धान

6348. **श्री जी० भुवारहन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरिया के उपयोग द्वारा धान के अंकुरण को रोकने के लिये हमारी अनुसन्धान संस्थाओं में अभी तक कोई अनुसन्धान किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) यूरिया का उपयोग करके धान के अंकुरण को रोकने के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के संस्थानों द्वारा विशिष्ट अनुसन्धान नहीं की गयी है ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

गृह निर्माण की लागत कम करने में आवास तथा नगरीय विकास निगम की भूमिका

6349. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवास तथा नगरीय विकास निगम विशेषकर समाज के दुर्बल वर्गों के लिए योजना के अन्तर्गत गृह निर्माण की लागत काफी कम करने में सफल हुआ है;

(ख) 1974-75 में दुर्बल वर्गों के लिए मकान की लागत क्या थी तथा अब यह कितनी कम हो गई है; और

(ग) इन मकानों की निर्माण लागत किन उपायों से कम हुई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हाँ ।

(ख) 1974-75 में हुडको द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए मकान की औसत लागत 9711 रुपये थी । अब यह लागत गिर कर 7392 हो गई है ।

(ग) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए मकानों की लागत में कमी इसी लिए संभव हो पाई क्योंकि हुडको ने स्थानीय रूप से उपलब्ध सस्ती भवन निर्माण सामग्री के प्रयोग करने, भवन निर्माण अनुसंधान संस्थाओं द्वारा विकसित नई तकनीकी को अपनाने, युक्तियुक्त विकास नक्शों को इस्तेमाल करने जिसमें प्लाटों के विकास की लागत में कमी होती है तथा मितव्ययी विशिष्टियों के प्रयोग से डिजाइनों में सुधार करने पर बल दिया है ।

कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का मानदण्ड

6350. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये भारत सरकार द्वारा क्या मानदण्ड अपनाया जाता है तथा प्रत्येक राज्य में स्थित कृषि विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं तथा वे किस-किस वर्ष में चालू हुये थे;

(ख) क्या आई० सी० ए० आर० का कोई ऐसा प्रस्ताव है कि पालमपुर कृषि काम्टलैक्स का दर्जा बढ़ाकर पूर्ण कृषि काम्प्लैक्स कर दिया जाये जैसाकि हिसार कृषि काम्प्लैक्स के बारे में किया गया था जो अब पूर्ण कृषि विश्वविद्यालय है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस राज्य में एक पृथक कृषि विश्वविद्यालय की मंजूरी के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि और बागबानी के समेकित कार्यक्रम की व्यवस्था की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है, तथा हिमाचल प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कब तक स्थापित किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारत सरकार ने शिक्षा आयोग 1964-65 की प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश को स्वीकार किया था । कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए इस आयोग की रिपोर्ट में तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संस्तुत कृषि विश्वविद्यालयों हेतु मानक (मोडेल) अधिनियम निर्धारित किये गये हैं । अब तक, जम्मू कश्मीर के अलावा 16 प्रमुख राज्यों में 21 कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये जा चुके हैं । कृषि विश्वविद्यालयों के नाम तथा उनके स्थापित होने की तिथि संलग्न सूची में दिये गये हैं ।

(ख) तथा (ग) हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कृषि "कम्पलैक्स" को पूर्ण विकसित विश्वविद्यालय के रूप में उन्नत करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि यह नया विश्वविद्यालय पालमपुर और सोलन के वर्तमान महाविद्यालयों में अनेक नये विभाग प्रारंभ करेगा, जैसे कि कृषि इंजीनियरी, मृदा एवं जल संरक्षण, कृषि मौसम विज्ञान, कृषि विस्तार, गृह विज्ञान तथा खाद्य प्रोद्योगिकी, जो कि अन्ततः भविष्य में पृथक विभागों (फैकल्टीज) के अंग बन जायेंगे ।

(घ) यह प्रस्ताव आजकल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास अनुमोदन हेतु विचाराधीन है । इस प्रस्ताव का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने समर्थन किया है । इस विश्वविद्यालय के सभी अस्तित्व में आने की आशा है जबकि राज्य सरकार के प्रस्ताव को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुमोदित कर देगा ।

विवरण

भारत में कृषि विश्वविद्यालयों व उनके प्रारम्भ होने के वर्ष की सूची

विश्वविद्यालयों का नाम	प्रारंभ होने का वर्ष
1. जी० बी० पंत कृषि तथा प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, जि० नैनीताल (उ० प्र०)	1960
2. उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान)	12-7-1962
3. उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर (उड़ीसा)	24-8-1962
4. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना (पंजाब)	18-10-1962
5. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, हेब्बल, बंगलौर-24 (मैसूर)	21-8-1964
6. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म० प्र०)	1-10-1964
7. आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, "एरूवाका" हैदराबाद (आं० प्र०)	नवम्बर, 1964
8. असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट-4 (असम)	11-4-1969
9. महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि० अहमदनगर (महाराष्ट्र)	20-10-1969
10. पंजाब राव कृषि विद्यापीठ, कृषि नगर, अकोला (महाराष्ट्र)	20-10-1969
11. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (हरियाणा)	2-2-1970
12. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, (कृषि कम्पलैक्स), शिमला, (हिमाचल प्रदेश)	22-7-1970
13. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, डा० खा० पूसा, जि० समस्तीपुर (बिहार)	3-12-1970
14. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर-3 (तमिलनाड्)	1-6-1971
15. गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, दफनाला के पास, शाहीबाग, गवर्मेंट बंगला नं० 5, अहमदाबाद (गुजरात)	1-2-1972
16. केरल कृषि विश्वविद्यालय, मन्नुति, जि० तिरचूर (केरल)	26-2-1972
17. मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, परभणी, (महाराष्ट्र)	8-5-1972

विश्वविद्यालयों का नाम	आरंभ होने का वर्ष
18. कोकण कृषि विद्यापीठ, दपोली, जि० रत्नागिरी (महाराष्ट्र)	18-5-1972
19. बिधान चन्द कृषि विश्वविद्यालय, हरिनघाटा, डा० खा० मोहनपुर, जि० नाडिया-721244	1-9-1974
20. सी० एस० आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-208002	1-3-1975
21. नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ० प्र०)	17-10-1975

छोटे नगरों के लिए एकीकृत कार्यक्रम

6351. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार छोटे नगरों के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक एकीकृत कार्यक्रम बनाने का है जिससे ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों से लोगों के आगमन को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को मार्गदर्शीय सिद्धान्त जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार इस समय देश के प्रत्येक राज्य में 20,000 से 40,000 की जनसंख्या वाले नगरों की संख्या क्या है तथा उनमें से कितने नगरों का निकट भविष्य में विकास करने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) राष्ट्रीय स्तर पर कोई एकीकृत कार्यक्रम अभी तक नहीं बनाया गया है।

(घ) 545, संलग्न विवरण के अनुसार। क्योंकि कार्यक्रम को अभी बनाया जाना है अतः निकट भविष्य में विकासित किये जाने वाले प्रस्तावित नगरों की संख्या नहीं दी जा सकती।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	20,000—40,000 की जनसंख्या वाले नगरों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	54
*2. असम	9
3. बिहार	41
4. गुजरात	35
5. हरियाणा	10
6. हिमाचल प्रदेश	1
7. जम्मू और कश्मीर	3
8. कर्नाटक	37
9. केरल	38
10. मध्य प्रदेश	32

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	20,000—40,000 की जनसंख्या वाले नगरों की संख्या
11. महाराष्ट्र	59
12. मणीपुर	—
13. मेघालय	—
14. नागालैण्ड	1
15. उड़ीसा	17
16. पंजाब	20
17. राजस्थान	30
18. सिक्किम	—
19. तमिल नाडु	59
20. त्रिपुरा	—
21. उत्तर प्रदेश	57
22. पश्चिम बंगाल	38
23. अण्डेमान और निकोबार द्वीप समूह	1
24. अरुणाचल प्रदेश	—
25. चण्डीगढ़	—
26. दादर और नगर हवेली	—
27. दिल्ली	—
28. गोआ दमन और दियू	1
29. लक्ष्यद्वीप एम० और ए० द्वीप समूह	—
30. पांडिचेरी	2
योग	545

*मिजोरम शामिल है ।

स्रोत :—1971 की भारत की जनगणना से संकलित ।

सवक्षण कार्य के लिये विशेषज्ञ दल

6352. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिकांश पुरातत्ववेताओं के इस मत को देखते हुए कि पुरातत्व संबंधी सर्वेक्षण कार्य इतना अधिक बढ़ चुका है कि उसे अब किसी एक व्यक्ति अथवा एजेन्सी को नहीं सौंपा जा सकता । क्या सरकार इस कार्य के लिये पर्याप्त वित्त प्रदान करके विभिन्न विषय-क्षेत्रों के विशेषज्ञों के दल तैयार करने के लिये कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विशेषज्ञों के दल गठित करने के लिये कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो कितने दल काम कर रहे हैं तथा किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) जहां विभिन्न पुरातत्वीय निर्माण के पक्षों से संबंधित विषयों पर अन्य विद्या-विशेष के विशेषज्ञों की राय आवश्यक होती है, उन विषयों पर विशेषज्ञ समितियां पहले ही से नियुक्त की गयी हैं । इसके अतिरिक्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

और अन्य विश्वविद्यालयों के बीच पुरातात्विक तथा अन्य संबंधी अध्ययनों द्वारा अधिक निकट का संपर्क बढ़ाने के लिए पुरातत्व का एक केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड है, जिसमें विश्वविद्यालयों, विद्वानों के निकायों, वैज्ञानिकों और विख्यात पुरातत्व वेत्ताओं के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं।

(ग) पुरातत्व के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के अतिरिक्त इस समय (क) दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, वाराणसी, त्रिवेन्द्रम, बंगलौर, पटना और श्रीनगर में पुरावशेषों के निश्चयीकरण (ख) अजन्ता, पुरी में जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क में सूर्य मंदिर, गयरसपुर में मालादेवी मंदिर, लोथल में उत्खनित पुरावशेषों, बाघ गुफाओं और कुतुब के संरक्षण संबंधी उपायों पर परामर्श देने तथा (ग) ताज के चारों ओर के भूदृश्य पर सलाह देने के लिए विशेषज्ञ समितियां कार्य कर रही हैं।

लद्दाख में सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण

6353. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 मार्च, 1978 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में "जोरावर सिंह्स् आफ टुडे हैव ए फील्ड डे इन लेह" शीर्षक समाचार की ओर गया है, जिसमें यह कहा गया है कि भारतीय और विदेशी पर्यटकों द्वारा प्राचीन वस्तुओं और कलाकृतियों की लूट मची हुई है;

(ख) यदि हां, तो सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या सरकार लद्दाख के मठों की वस्तु-सूची तैयार करने के लिए कार्यवाही करेगी, क्योंकि लद्दाख के मठों में वस्तु-सूची नहीं रखी जाती है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां, सरकार के ध्यान में यह समाचार आया है।

(ख) और (ग) क्षेत्र की पुरातात्विक सम्पदा के मूल्यांकन के लिए हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के आधार पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पहले ही अलची और लेह के मठों को सम्मिलित करके 13 स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करने का निर्णय ले चुका है। घोषणा पत्र जारी हो जाने के बाद इन स्मारकों की पुरावस्तुओं की सूची तैयार करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

जहां तक शेष मठों में रखी पुरावस्तुओं का सम्बन्ध है, पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के पास इन्हें पंजीकृत करवाना जरूरी है। हम राज्य सरकारों से निवेदन कर रहे हैं कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता का अनुपालन पूरी तरह से हो रहा है।

भोपाल (मध्य प्रदेश) में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय

6354. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कितने कार्यालय भोपाल में स्थित हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार के भोपाल स्थित कितने कार्यालय अपनी स्वयं की इमारतों में हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार के कितने कार्यालय किराये की इमारतों में स्थित हैं;

(घ) सरकार द्वारा कुल कितना किराया अदा किया जा रहा है; और

(ङ) क्या भोपाल में किसी कार्यालय काम्प्लैक्स का निर्माण करने की सरकार की कोई योजना है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भोपाल में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास

6355. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल में काम कर रहे अपने कर्मचारियों की कुल संख्या के बारे में सरकार को कोई जानकारी है;

(ख) क्या भोपाल में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को रिहायशी क्वार्टर उपलब्ध कर दिए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या भोपाल में कोई आवास समह बनाने की सरकार की कोई योजना है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) निर्माण और आवास मंत्रालय को भोपाल में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या के बारे में कोई सूचना नहीं है किन्तु इससे सामान्य पूल वास के पात्र कर्मचारियों के लिए मकानों की आवश्यकता का पता लगा लिया है ।

(ख) अब तक भोपाल में सामान्य पूल के कोई क्वार्टर नहीं बनाये गए हैं और इसलिए किसी भी कर्मचारी को सामान्य पूल वास का रिहायशी वास नहीं दिया जा सका ।

(ग) भोपाल में रिहायशी समूह बनाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है ।

EMPLOYMENT IN GIRI INSTITUTE OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL RELATIONS

†6356. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) the number of employees working in the Giri Institute of Economic Development and Industrial Relations at present; and

(b) the dates of appointment of these employees and the number of employees working there since the inception of the Institute ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) and (b) According to the information furnished by the Indian Council of Social Science Research, there are twenty regular employees working at present at the Giri Institute. In addition, there are six research assistants and field advisors who are working temporarily on various sponsored research projects. All the regular employees were appointed between 1st May, 1977 and 9th December, 1977.

EXPENDITURE ON GIRI INSTITUTE OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL RELATIONS

†6357. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether an institution under the name of 'the Giri Institute of Economic Development and Industrial Relations' has been set up in Lucknow; and

(b) if so, when and the expenditure incurred so far thereon ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) Yes, Sir.

(b) The Institute was established in August, 1973. It started receiving regular financial assistance from the Indian Council of Social Science Research only from the year 1976-77. The amount received so far was approximately Rs. 3.50 lakhs. As for the period of 1973—76, the Institute had been functioning on the basis of *ad hoc* sponsored projects from various agencies amounting to Rs. 2,91,400.

श्रव्य-दृश्य सहायता सामग्री

6358. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा आरम्भ किया गया श्रव्य-दृश्य सहायता सामग्री के उत्पादन अथवा उपयोग के लिए देश की शैक्षिक संस्थाओं के पास उपलब्ध उपकरणों का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सर्वेक्षण के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र (रा० शै० अ० एवं प्र० परि०) ने ऐसे सर्वेक्षण का कार्य एक स्वैच्छिक संगठन को सौंपा था जो इस कार्य को पूरा नहीं कर सका और अब केन्द्र स्वयं ही इसे पूरा कर रहा है ।

(ख) सर्वेक्षण शैक्षिक संस्थाओं में उत्पादन कार्य के लिए उपलब्ध उपकरणों का संकेत देगा, ताकि केन्द्र उत्पादन कार्य शुरू करने और बाद में ऐसी संस्थाओं को संसाधन केन्द्रों के रूप में उपयोग करने के लिए उनका पता लगा सके ।

(ग) सवक्षण के जुलाई, 1978 तक पूरा होने की आशा है ।

शिक्षा प्रणाली का युक्ति संगत न होना

6359. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 फरवरी, 1978 के 'डेक्कन हेरल्ड' में "एजूकेशन सिस्टम इर्रेशनल" शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर सरकार का ध्यान गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) संबंधित लेख विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में तथा इसके साथ साथ विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षा के असमान विकास, उत्तीर्णांक, श्रेणियां प्राप्त करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंकों में एकरूपता के अभाव इत्यादि के संबंध में है । गत वर्षों में उच्च शिक्षा के विकास की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार है कि अगली योजनावधि में उच्च शिक्षा के विस्तार को नियमित किया जाना चाहिए और विद्यमान क्षेत्रीय असन्तुलनों को जहां तक सम्भव हो कम किया जाना चाहिए । जहां तक परीक्षाओं का पद्धति और अंकों की प्रतिशतता में विभिन्नताओं का संबंध है पूर्ण एकरूपता सुनिश्चित करना व्यावहार्य नहीं होगा क्योंकि इन मामलों में निर्णय लेने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार है ।

LAND ACQUIRED FOR NEHRU COMPLEX

6360. SHRI SURENDRA BIKRAM : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the area of land acquired by the D.D.A. for the Nehru complex and whether notification for the entire land has been issued;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) the area of land which was acquired more than three years ago but in respect of which neither notification has been issued nor compensation paid to the land owners; and

(d) action taken against those responsible therefor and the time by which land owners are likely to receive compensation ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) The present Complex comprises of 66.4 acres of land and the entire land stands notified.

(b) Does not arise.

(c) & (d). Compensation has been paid to the land-owners except in the case of 5.2 acres of land where it could not be paid because the title of the land-owners is in dispute. The compensation amount is lying in the revenue deposit and it will be paid after the title is determined by the competent court. The question of action against any officer does not arise.

QUANTUM OF PAPER SUPPLIED TO STATES FOR EXERCISE BOOKS

†6361. SHRI SURENDRA MIKRAM : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) the quantum of paper supplied at fair price to various States for exercise books during the period 1st January, 1977 to 15th March, 1978; and

(b) the reasons for allocating the lowest quota to Uttar Pradesh ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) A statement showing allotment of white printing paper at concessional rate made to various states for exercise books for the quarters commencing January-March, 1977 to January-March, 1978 is attached.

(b) U.P. has been allotted the highest quantity i.e. 14250 tonnes of paper plus 2000 tonnes of readymade exercise books.

STATEMENT

Allotment of paper to various States for exercise books for the quarters commencing January-March, 1977 to January-March, 1978.

(In tonnes)

1.	Andhra Pradesh	7600	
2.	Assam	1050	
3.	Bihar	5950	
4.	Gujarat	6450	
5.	Haryana	900	100*
6.	Himachal Pradesh	70	50*
7.	Jammu & Kashmir	400	50*
8.	Karnataka	3200	
9.	Kerala	2450	
10.	Madhya Pradesh	4850	
11.	Maharashtra	13620	
12.	Manipur	65	
13.	Meghalaya	15	
14.	Nagaland	20	
15.	Orissa	1000	
16.	Punjab	2650	
17.	Rajasthan	3250	
18.	Sikkim	15	
19.	Tamil Nadu	8650	
20.	Tripura	35	
21.	Uttar Pradesh	14250	2000*
22.	West Bengal	9850	
23.	Andaman & Nicobar Islands	25	
24.	Chandigarh	75	
25.	Delhi	6100	
26.	Goa, Daman & Diu	130	
27.	Lakshadweep	4	
28.	Mizoram	35	
29.	Pondicherry	60	
	Total	92769	

*Worth of ready-made exercise-books.

पेय '77' के लिये वितरण एजेंसियां

6362. **श्री पी० कानन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कितनी एजेंसियां नये पेय '77' का वितरण करने के लिये तैयार थीं;

(ख) वितरणकर्ता निर्धारित करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ग) क्या यह सच है कि तमिलनाडु में एक ऐसी फर्म को वितरण अधिकार दिये गये हैं जो स्वयं अपने पेय बेच रही हैं;

(घ) यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है और उसे चुने जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या ऐसी फर्म को '77' पेय की बिक्री का कार्य सौंपने से होने वाले नुकसान को सरकार ने ध्यान में रखा है जिसकी रुचि अपने उत्पादों को बेचने में अधिक हो सकती है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) माडर्न बेकरीज (इं०) लि० '77' का उत्पादन करने के लिए केवल विशेषाधिकार ही देता है और वितरक नियुक्त नहीं करता है । कम्पनी को तमिल नाडु में विशेषाधिकार के लिए 11 आवेदन पत्र (भूतपूर्व कोका-कोला बाटलरज के अलावा) प्राप्त हुए थे ।

(ख) भूतपूर्व कोका-कोला बाटलरज को प्रथम तरजीह दी गई थी । अन्य के लिए, पार्टी की वित्तीय साख, उनकी विपणन संबंधी सामर्थ्य, अपना पूर्ण स्वचालित बाटलिंग प्लांट होना और अपनी आधुनिक प्रयोगशाला होने आदि को ध्यान में रखा गया था ।

(ग) और (घ) उपर्युक्त कसौटी की दृष्टि में मै० साफ्ट बेवरेजज प्राइवेट लि०, मदुराई, जो भूतपूर्व कोका-कोला बॉटलर है और मै० सपैंसर एण्ड को०, मद्रास को तमिलनाडु में विशेषाधिकार दिए गए हैं ।

(ङ) कम्पनी ने इस पहलू का विशेष ध्यान रखा था ।

AGRICULTURAL UNIVERSITY AT DAURALA (MEERUT) AND RANI CHAURA (GARHWAL)

6363. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether Government are considering setting up Agricultural Universities in Daurala (Meerut) and Rani Chaura (Garhwal) areas of Uttar Pradesh;

(b) if so, the amount given by World Bank as financial assistance for the said Agricultural Universities; and

(c) the time by which the said Agricultural Universities are likely to be opened and the total number of students to be given admission there ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) No, Sir.

(b) & (c). Does not arise.

ALLOTMENT OF PLOTS TO INDIANS ABROAD

6364. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether Government are considering a scheme of allotting plots for construction of houses in India to the persons of Indian origin living abroad;

(b) the basis on which allotment of these plots would be made and the number of such plots to be allotted in 1978-79; and

(c) whether the persons of Indian origin who already own houses would also be allotted plots ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) A scheme for allotment of house plots in Delhi to non-resident Indians living abroad has been introduced. The last date for submission of applications is 30th April, 1978.

(b) The land earmarked for allotment has not yet been developed. It will be developed if there is sufficient response to the scheme. The allotment will be made by draw of lots. It cannot, at present, be stated whether plots would be available for allotment during 1978-79.

(c) An individual owning land/house/flat in Delhi/New Delhi in his/her name or in the name of his/her family members as defined in the Urban Land (Ceiling & Regulation) Act, 1976 i.e., wife/husband/unmarried minor children, is not eligible for allotment of a plot of land under this scheme.

क्षारीय गैर कृषि योग्य भूमि को कृषि योग्य बनाने के बारे में विचार गोष्ठी

6365. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में कानपुर, उत्तर प्रदेश के निकट फर्टीलाइजर एसोसियेशन आफ इण्डिया तथा पाइराइट्स एण्ड केमिकल्स लि० की संयुक्त विचार-गोष्ठी में क्षारीय और गैर-कृषि योग्य भूमि को कृषि योग्य बनाने के प्रश्न पर चर्चा की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की चर्चा की गई और विचार गोष्ठी द्वारा किन ठोस उपायों की सिफारिश की गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। फर्टीलाइजर एसोसिएशन आफ इण्डिया; पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि० और उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा क्षारीय भूमि के सुधार के लिये अवसादी पाइराइट् का उपयोग करने के संबंध में 4 व 5 मार्च, 1978 को लखनऊ में एक विचार-गोष्ठी का आयोजन किया गया था।

(ख) विचारगोष्ठी की औपचारिक कार्यवाही अभी प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, यह ज्ञात हुआ है कि विचार-विमर्श संशोधन पदार्थों के संबंध में किया गया था और कुछ बुनियादी अध्ययनों के लिये सिफारिश की गई थी।

वाणिज्यिक फसलें

6366. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 के दौरान वाणिज्यिक फसलों में हुई कमी के क्या कारण थे और चालू वर्ष 1977-78 के दौरान इनकी क्या संभावनायें हैं;

(ख) इस वर्ष गन्ने का अनुमानतः कुल कितना उत्पादन हुआ और गन्ने तथा गुड़ के गिरते हुए भावों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि गन्ने के मूल्य गत वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत तक गिर गये हैं: यदि हां, तो क्यों तथा इसे रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) वर्ष 1975-76 में प्राप्त स्तरों की तुलना में वर्ष 1976-77 के दौरान प्रमुख वाणिज्यिक फसलों में गन्ने और पटसन के उत्पादन में वृद्धि हुई और कपास तथा तिलहनों के उत्पादन में कमी आई है। मुख्य उत्पादन क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसमी घटकों के कारण सामान्यतया कपास और तिलहनों के उत्पादन में कमी हुई थी। वर्ष 1977-78 के दौरान तिलहनों, कपास और गन्ने का उत्पादन अधिक होने की सम्भावना है, परन्तु पटसन का उत्पादन 1976-77 की अपेक्षा कुछ कम होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) और (ग) गन्ने के उत्पादन के सही अनुमान 1977-78 के दौरान कृषि वर्ष की समाप्ति के पश्चात अर्थात् जुलाई-अगस्त, 1978 में किसी समय उपलब्ध होंगे। तथापि, इस वर्ष के दौरान गन्ने का उत्पादन 1976-77 में प्राप्त स्तर से काफी अधिक होने की संभावना है।

वे कुछ पान शुगर फैक्टरियों द्वारा चालू मौसम में दिए गए मूल्य लगभग वही हैं जो पिछले वर्ष अदा किए गए थे। कुछ मामलों में वे पिछल वर्ष से अधिक हैं। विभिन्न राज्यों में वर्ष 1976-77 में अदा किए गए मूल्य परिशिष्ट-1 में तथा वर्ष 1977-78 में अदा किए गए मूल्य परिशिष्ट-2 में दिए गए हैं। तथापि खांडसारी अथवा गुड़ उत्पादकों को आमतौर पर सप्लाई किए गए गन्ने के मूल्यों पर कोई नियन्त्रण नहीं है। चालू मौसम में केवल उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आंध्र प्रदेश राज्यों ने खांडसारी फैक्टरियों द्वारा दिए जाने वाले गन्ने के न्यूनतम मूल्यों को अधिसूचित किया है। ये मूल्य प्रायः वही हैं जो शुगर फैक्टरियों के लिए न्यूनतम मूल्य अधिसूचित किए गए थे। खांडसारी एककों के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी अनेक खांडसारी एककों का पता लगाया गया है जो न्यूनतम अधिसूचित मूल्यों से कम अदा कर रही है। राज्य सरकार द्वारा कानूनी कार्यवाही की जा रही है। आंध्र प्रदेश अथवा हरियाणा से अभी तक कोई ऐसी रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई।

गन्ना उत्पादकों की कठिनाईयों को दूर करने के लिए सरकार ने अनेक उपायों की घोषणा की है ताकि उत्पादकों को गन्ने के अच्छे मूल्य दिए जा सकें। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों अर्थात् भारतीय खाद्य निगम और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ को बाजार में सीधी खरीद करने के निदेश दिए गए हैं जिससे कि गुड़ के मूल्यों को स्थिर किया जा सके। गन्ना उत्पादकों को मूल्य दिलाने तथा गन्ने की खड़ी फसल को बिकवाने में सहायता करने के लिए किए गए उपायों का विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट-3 में दिया गया है।

विवरण–1

फैक्टरियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार वर्ष 1976-77 के मौसम के दौरान विभिन्न राज्यों में फैक्टरियों के लिये गन्ने का अधिसूचित मूल्य तथा फैक्टरियों द्वारा गेट पर दिए जा रहे वास्तविक मूल्यों में अन्तर।

(रु०/क्विंटल)

राज्य	वर्ष 1976-77 के मौसम के लिये	
	न्यूनतम अधिसूचित मूल्य	फैक्टरियों द्वारा दिया गया मूल्य
उत्तर प्रदेश	8.50 से 10.80	12.25 से 13.25
बिहार	8.50 से 10.50	12.25*
पंजाब	8.50 से 9.00	13.25 से 15.25
हरियाणा	9.10 से 10.30	13.00
असम	8.50 से 8.70	11.00 जमा परिवहन राज सहायता
पश्चिम बंगाल	8.50 से 9.20	12.50 से 14.50
उड़ीसा	8.50 से 8.90	8.50 से 10.50
मध्य प्रदेश	8.80 से 10.30	12.00 ††
राजस्थान	8.50 से 10.10	12.25 से 14.25
महाराष्ट्र	8.50 से 12.70	9.50† से 16.60
गुजरात	8.50 से 11.40	9.00† से 13.60
आंध्र प्रदेश	8.50 से 11.50	10.00 से 12.50
तमिल-नाडु	8.50 से 10.20	8.50 से 11.90
कर्नाटक	8.50 से 11.40	10.00† से 15.00†
केरल	8.50 से 9.00	13.00
पांडिचेरी	9.40	9.50
नागालैण्ड	8.50	11.00
गोवा	8.80	12.00

टिप्पणी :—*बिहार (हरिनगर) में एक फैक्टरी ने 12.50 रु० प्रति क्विंटल की अदायगी की है।

†मोरेना सहकारी फैक्टरी 13.50 रु० प्रति क्विंटल की अदायगी कर रही है।

††ये अस्थायी मूल्य हैं जो सहकारी फैक्टरियों द्वारा पेशगी के रूप में अधिकांश फैक्टरियों द्वारा अदा किए जाते हैं।

विवरण–2

फैक्टरियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार वर्ष 1977-78 के मौसम के दौरान विभिन्न राज्यों में फैक्टरियों के लिये गन्ने का अधिसूचित मूल्य तथा फैक्टरियों द्वारा गेट पर दिए जा रहे वास्तविक मूल्यों में अन्तर ।

(रु० प्रति क्विन्टल)

राज्य	न्यूनतम अधिसूचित मूल्य	फैक्टरियों द्वारा दिया गया मूल्य
उत्तर प्रदेश	8.50 से 11.00	12.50*से 13.50
बिहार	8.50 से 10.80	12.25 से 12.50
पंजाब	8.60 से 10.20	13.50
हरियाणा	8.50 से 9.80	13.50
असम	8.50 से 9.10	11.00 – परिवहन राज सहायता
पश्चिम बंगाल	9.30 से 9.40	12.50 से 14.50
उड़ीसा	8.50 से 8.80	11.00 से 14.20
मध्य प्रदेश	8.50 से 10.20	12.50
राजस्थान	8.50 से 10.20	12.25 से 14.25
महाराष्ट्र	8.50 से 12.40	9.30† से 16.20 †
गुजरात	8.50 से 11.80	9.00† से 14.13†
आन्ध्र प्रदेश	8.50 से 10.80	9.50† से 12.00†
तमिलनाडु	8.50 से 10.00	††9.30† से 12.70†
कर्नाटक	8.50 से 11.30	10.60† से 14.60‡
केरल	8.50 से 8.60	13.00
पांडिचेरी	8.70	9.30†
नागालैण्ड	8.60	11.25
गोवा	8.60	16.50

टिप्पणी :—*पता चला है कि एक फैक्टरी "काशी" ने 12.25 रु० प्रति क्विंटल की अदायगी की है ।

†ये अस्थायी मूल्य हैं जो सहकारी फैक्टरियों द्वारा पेशगी के रूप में अधिकांशतः खेत से बाहर ही अदा किए जाते हैं ।

†† एक फैक्टरी (वेल्लोर) ने आरम्भ में 8.50 रु० प्रति क्विंटल की दर से अदायगी शुरू की थी परन्तु अब यह 11.50 रु० प्रति क्विंटल की दर से अदायगी कर रही है ।

विवरण–3

गन्ना उत्पादकों को अधिक कीमत उपलब्ध कराने तथा खड़ी फसल के निपटान हेतु सहायता करने के लिये किये गये उपाय ।

चीनी कारखानों द्वारा 1976-77 के स्तर के बराबर ही गन्ने की कीमत अदा कराने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये :—

(1) 16-11-1977 से खुले बाजार में बिकने वाली चीनी का उत्पादन शुल्क 45 प्रतिशत **यथामूल्य** से घटाकर 27½ प्रतिशत यथामूल्य कर दिया गया है ।

(2) 1-3-1978 से अखिल भारतीय भारित औसत लेवी मूल्य बढ़ाकर 187.50 रु० प्रति क्विंटल कर दिया गया ।

(3) उत्पादन में वृद्धि होने के कारण स्टाक के भारी भार से उद्योग को राहत देने के लिये यह निर्णय किया गया है कि चालू वर्ष के दौरान 6.5 लाख मीटरी टन शर्शरा का निर्यात किया जाये । अंतर्राष्ट्रीय चीनी समझौते के अन्तर्गत यही मात्रा वस्तुतः भारत का हिस्सा भी है ।

(4) अतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था हेतु ऋण सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा ।

(5) चीनी के अंतर्राज्यीय आवागमन पर सभी प्रतिबंध हटा दिये गये हैं ।

इसके अतिरिक्त सरकार कारखानों को 30-4-1978 के बाद भी पैराई के लिये प्रोत्साहन देने हेतु उत्पादन शुल्क में छूट देने के लिये सक्रिय रूप से विचार कर रही है, ताकि उद्योग द्वारा गन्ने की अधिकाधिक खरीद की जा सके ।

जिन क्षेत्रों में परम्परागत रूप से गन्ने को गुड़/खण्डसारी में बदल दिया जाता है, वहां भी गन्ने का अत्यधिक उत्पादन हुआ है, अतः उसके उपयुक्त उपयोग हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाये गये हैं ताकि गन्ना उत्पादकों को राहत मिल सके :—

(1) गुड़ के निर्यात पर सभी प्रतिबन्ध हटा दिये गये हैं ।

(2) गुड़ और खण्डसारी दोनों के निर्माण/व्यापार पर बैंक ऋणों का मार्जिन कम कर दिया गया है ।

(3) सरकारी संगठन मंडी की कीमत से अधिक प्रीमियम पर गुड़ की खरीद कर रहे हैं ।

(4) कुछ राज्य सरकारों ने गन्ने पर क्रय-कर कम कर दिया है ।

खरीफ की फसल की सम्भावनाएं

6367. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1975-76 में ज्वार तथा गेहूं के अलावा सभी खाद्यान्नों के उत्पादन मे गिरावट आई थी; यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से कम क्षेत्र में दालें बोई गई; यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं अथवा क्या प्रोत्साहन देने की घोषणा की गई है; और

(ग) क्या इस वर्ष अच्छी वर्षा हो जाने से खरीफ की फसल बहुत अच्छी होने की आशा है; यदि हां, तो धान तथा तिलहनों का कितना उत्पादन होने की आशा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं । 1975-76 में समस्त खाद्यान्नों के उत्पादन में 1974-75 की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है । केवल ज्वार ही एक अपवाद था जहां विशेषतः रबी के मौसम के दौरान बुवाई के समय मुख्यतः अत्यधिक वर्षा और ठण्डे मौसम और बीमारियों के कारण फसल में हुए नुकसान से विशेषकर महाराष्ट्र में उत्पादन में गिरावट आयी ।

(ख) जी हां । कुछ क्षेत्रों में सिंचाई के विस्तार से चना जैसी दालों की कीमत पर गेहूं के फसल के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार हुआ है । चने के अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन के तौर पर सरकार ने चने जोकि दाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है, का समर्थन मूल्य 1977-78 के विपणन वर्ष में 95 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1978-79 के विपणन वर्ष के दौरान 125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है । उन्नत प्रणालियां अपनाने, उन्नत/अल्प-अवधि किस्मों के बीजों के संवर्धन, दालों के बीजों की आपूर्ति के लिए साहाय्य प्रदान करने और वनस्पति संरक्षण रसायनों की लागत में 25 प्रतिशत और दालों की खेती के प्रयोग के लिए वनस्पति संरक्षण उपस्कर की लागत पर 50 प्रतिशत तक साहाय्य प्रदान करने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु 46 चुने हुए दाल उत्पादक जिलों में चलाई जा रही एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत कृषकों को राज्य सरकारों के जरिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है । चालू वर्ष के दौरान विशेष उपाय के तौर पर, स्थानिक मारी क्षेत्रों में कीट कृमियों के नियन्त्रण के लिए प्रचालन खर्च के तौर पर 10 रुपये प्रति हेक्टार और 12.50 रुपये प्रति हैक्टार की दर से राइजोबिअल कल्चर की निशुल्क आपूर्ति के लिए राज्य सरकारों को निधियां भी प्रदान की गई हैं । राइजोबिअल कल्चर की भारी मात्रा में आपूर्ति के लिए सक्षम जैवकीय प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्य दलहन उत्पादक राज्यों के लिए भी निधियां प्रदान की गई हैं ।

(ग) 1977-78 के दौरान खरीफ फसलों का उत्पादन अच्छा होने की सूचना मिली है । विभिन्न राज्यों से विभिन्न खरीफ फसलों के अन्तिम अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं । वर्तमान रिपोर्टों के अनुसार, धान व तिलहनों सहित विभिन्न खरीफ फसलों के 1976-77 में प्राप्त स्तर में उत्साहवर्धक सुधार होने की सम्भावना है ।

TEMPLE OF UDASEEN MAHARAJ IN ARAM BAGH, NEW DELHI

6368. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether the Shiva Temple of Udaseen Maharaj in Aram Bagh, New Delhi is more than 200 years old as per Government records and many priests have served therein;

(b) if so, whether this temple is under the jurisdiction of the Delhi Municipal Corporation or Delhi Administration or under any Ministry of the Central Government indicating the name thereof; and

(c) the total area in possession of this temple and area which is under unauthorised occupation at present ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHAT) : (a) As per Government record this unauthorised temple came into existence after 1947.

(b) The land is under the control of the Land and Development Office.

(c) The unauthorised area under the main temple is 14.46 sq. mts. approximately. The total area under unauthorised occupation is 2275 sq. mts. approximately.

CONSTRUCTION OF GOVERNMENT FLATS

6369. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the number of flats proposed to be constructed by Government during the current financial year and the types of flats and the definite time by which these flats will be constructed;

(b) the names of the places where these flats are proposed to be constructed; and

(c) whether Government are aware that a Bungalow covers a large area of vacant land and whether keeping in view the shortage of land Government propose to construct flats on the vacant land in bungalows ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) & (b). Two statements, one giving details of quarters sanctioned/under construction and the time by which these are expected to be completed, and another giving details of quarters proposed to be sanctioned during 1978-79 and the time by which these would be completed, are attached.

(c) These bungalows do have a lot of open land around them as a part of the compound. However, the bungalows, too, are old and not in good condition. The entire bungalow area is to be redeveloped and new quarters constructed in due course.

STATEMENT—I

Statement referred to in reply to parts (a) (b) in Unstarred Question No. 6369 in Lok Sabha on 10th April 1978.

Statement showing the number of Flats sanctioned under construction and the time by which these Flats would be constructed

	Type-I	Type-II	Type-III	Type-IV	Hostel	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Delhi	1065	2716	1782	134	184	5881
Bombay	300	820	400	80	60	1660
Calcutta	56	1192	856	—	84	2188
Madras	120	99	—	—	—	219
Bangalore	80	120	—	—	—	200
Chandigarh . . .	100	60	40	—	—	200
Simla	36	40	32	—	—	108
Ghaziabad . . .	—	100	68	—	—	168
Indore . . .	66	—	—	—	—	66
Total . . .	1823	5147	3178	214	328	10690

(Statement I—*Contd.*)

Programme of handing over of Quarters under construction
March,1978 to March, 1979

	Type-I	Type-II	Type-III	Type-IV	Hostel	Total
Delhi	1065	1686	1351	16	—	4118
Bombay	300	280	100	30	—	710
Calcutta	56	304	440	—	84	884
Madras	—	—	—	—	—	—
Bangalore	—	—	—	—	—	—
Chandigarh	100	60	40	—	—	200
Simla	36	40	32	—	—	108
Ghaziabad	—	100	68	—	—	168
Indore	66	—	—	—	—	66
Total	1623	2470	2031	46	84	6254
April, 1979 to March, 1980						
Delhi	—	1002	249	62	—	1313
Bombay	—	360	150	50	60	620
Calcutta	—	600	304	—	—	904
Madras	120	99	—	—	—	219
Bangalore	80	120	—	—	—	200
Chandigarh	—	—	—	—	—	—
Simla	—	—	—	—	—	—
Ghaziabad	—	—	—	—	—	—
Indore	—	—	—	—	—	—
Total	200	2181	703	112	60	3256

Programme of handing over of Quarters under construction
April, 1980 to March, 1981

	Type-I	Type-II	Type-III	Type-IV	Type-V	Hostel	Total
Delhi	—	28	182	56	—	184	450
Bombay	—	—	—	—	—	—	—
Calcutta	—	288	112	—	—	—	400
Madras	—	—	—	—	—	—	—
Bangalore	—	—	—	—	—	—	—
Chandigarh	—	—	—	—	—	—	—
Simla	—	—	—	—	—	—	
Ghaziabad	—	—	—	—	—	—	—
Indore	—	—	—	—	—	—	—
Total	—	316	294	56	—	184	850
April, 1981 to March, 1982							
Delhi	—	—	—	—	—	—	—
Bombay	—	180	150	—	—	—	330
Calcutta	—	—	—	—	—	—	—
Madras	—	—	—	—	—	—	—
Bangalore	—	—	—	—	—	—	—
Chandigarh	—	—	—	—	—	—	—
Simla	—	—	—	—	—	—	—
Ghaziabad	—	—	—	—	—	—	—
Indore	—	—	—	—	—	—	—
Total	—	180	150	—	—	—	330

Grand Total : 10690

STATEMENT II

Statement referred to in reply to Parts (a) and (b) in unstarred Question No. 6369 in Lok Sabha on 10th April, 1978

Quarters proposed to be sanctioned in 1978-79

	Type A	Type B	Type C	Type V	Hostel	Total
Delhi	1000	5000	9180	120	7 00	16000
Bombay	800	1200	600	—	—	2600
Calcutta	800	600	600	—	—	2000
Madras	100	100	100	—	—	300
Bangalore	50	150	100	—	—	300
Chandigarh	—	—	—	—	—	—
Hyderabad	125	225	150	—	—	500
GRAND TOTAL	12975	7325	10880	120	700	22000

Tentative programme of completion of 22,000 houses

April, 1980 to March, 1981

	Type-A	Type-B	Type-C	Type-IV	Type-V	Hostel	Total
Delhi	1000	5000	9180	—	120	700	16000
Bombay	—	—	—	—	—	—	—
Calcutta	—	—	—	—	—	—	—
Madras	100	100	100	—	—	—	300
Bangalore	50	150	100	—	—	—	300
Chandigarh	100	50	150	—	—	—	300
Hyderabad	125	225	150	—	—	—	500
GRAND TOTAL	1775	5525	9680	—	120	700	17400

April, 1981 to March, 1982

Delhi	—	—	—	—	—	—	—
Bombay	800	1200	600	—	—	—	2600
Calcutta	800	600	600	—	—	—	2000
Madras	—	—	—	—	—	—	—
Bangalore	—	—	—	—	—	—	—
Chandigarh	—	—	—	—	—	—	—
Hyderabad	—	—	—	—	—	—	—
GRAND TOTAL	1600	1800	1200	—	—	—	4600

BACKWARDNESS OF BASTAR DISTT. IN M.P.

6370. SHRI AGHAN SINGH THAKUR : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether keeping in view the backwardness of Bastar District in Madhya Pradesh, Central Government propose to provide any special facilities to the farmers for the development of agriculture there; and

(b) if so, by what time facilities are to be provided and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) & (b). In the backward Bastar district of Madhya Pradesh, there are two Pilot Tribal Development Projects at Dantewada and Konta, taken up during the IVth Plan period (1971-72). Economic development programmes including agriculture and allied activities are being implemented in these Central Sector Projects. Since their inception, upto 31st March, 1978, funds of the order of Rs. 157.17 lakhs and Rs. 176.11 lakhs have been released to Tribal Development Agency, Dantewada, and Tribal Development Agency, Konta, respectively. During the financial year 1977-78, an amount of Rs. 36.84 lakhs was released to Tribal Development Agency, Dantewada and Rs. 46.62 lakhs to Tribal Development Agency, Konta.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मेरे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने बलाडिला के आदिवासी कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। 26 कर्मचारी पुलिस द्वारा मारे गये है। सारी आदिवासी कोलोनियों को जला कर राख कर दिया गया है ।

अध्यक्ष : मैंने इस सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिये स्वीकृति दी है।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम (तिरूचिरापल्ली) : तमिलनाडु में किसानों के आन्दोलन के सम्बन्ध में मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। पुलिस द्वारा वहां गोली चलाई गई है कुछ किसान मारे गये। तमिलनाडु सरकार किसानों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ है। नीतियां यहां दिल्ली में ही बनाई जाती है इसलिये लोगों को केन्द्र सरकार से शिकायत है। यह मामला भारत सरकार और उसकी नीति के बारे में है अतः मुझे इसे यहां उठाने की अनुमति दी जाये।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन (मदुरै) : मैंने भी इस सम्बन्ध में सूचना दी है ।

श्री वी० अरुणाचलम (टकोंसी): यह राज्य सरकार का मामला है। राज्य सरकार ने कड़ी कार्यवाही की है और स्थिति अब नियंत्रण में है। सभा को इस मामले पर चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि यह कानून और व्यवस्था का मामला है। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है।

अध्यक्ष महोदय : बुधवार को मैंने सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई है और बैठक में इस बात पर विचार किया जायेगा कि क्या सभा में राज्य के मामलों पर चर्चा की जा सकती है और यदि हां तो किस हद तक हम चर्चा कर सकते हैं । हम आप लोगों की भी राय लेंगे और अगर यह निर्णय होगा कि इन मामलों पर सदन में चर्चा हो सकती है तो मैं न केवल आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्यों के बारे में ही चर्चा की अनुमति दूंगा अपितु अन्य राज्यों के मामलों पर चर्चा के लिये अनुमति दी जायेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बलाडीला के बारे में क्या विचार है।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है।

SHRI RAM AVDHESH SINGH (Likram Ganj) : I have given a notice under rule 184 regarding the report of the Commission headed by Shri Kaka Kavelkar your decision is still awaited.

अध्यक्ष महोदय : नियम 184 के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचनाओं पर पृथक से विचार होता है। इन्हें 'अनियत दिनवाले प्रस्ताव, कहा जाता है । इसलिये इस पर अभी चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि यह एक विशिष्ट प्रस्ताव है ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सम्बन्धी समीक्षा समिति का प्रतिवेदन (जनवरी 1977)

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सम्बन्धी समीक्षा समिति के प्रतिवेदन (जनवरी, 1977) (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 2057/78]**

वर्ष 1978-79 के लिए श्रम मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं वर्ष 1978–79 के लिये श्रम मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 2058/78]**

केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल आगरा के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा प्रमाणित-लेखे

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : मैं निम्न-लिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा प्रमाणित लेखे।

(2) यह बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) कि उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार सहमत है और इसलिये केन्द्रीय हिन्दी में शिक्षण मण्डल, आगरा के कार्यकरण की पृथक समीक्षा सभा पटल पर नहीं रखी जा रही है।

(3) उपर्युक्त (1) और (2) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 2059/78]।

NOTIFICATION UNDER URBANLAND (CEILING AND REGULATION) ACT

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KINKER) : I beg to laid on the Table A copy of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Second Amendment Rules, 1978 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 417 in Gazette of India dated the 25th March, 1978, under sub-section (3) of section 46 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976, together with an explanatory memorandum. [Placed in the library please *see* L.T. number 2060/78].

धान कुट्टन उद्योग (विनियम) अधिनियम

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : मैं धान कुट्टन उद्योग (विनियमन) अधि-नियम, 1958 की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धान कुट्टन उद्योग (विनियमन तथा लायसेंस देना) संशोधन नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 25 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 408 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 2061/78]

लाल किला, नई दिल्ली में गाड़े गये स्वतंत्रता रजत जयन्ती काल पात्र के सबध में वक्तव्य

STATEMENT RE. INDEPENDENCE SILVER JUBILEE TIME CAPSULE AT RED FORT, DELHI

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं सभा पटल पर संसद सदस्यों की उस समिति की रिपोर्ट रख रहा हूं जिसके पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में लाल किले से स्वतन्त्रता रजत जयन्ती काल पात्र को उखाड़ा गया तथा उसमें से विषय वस्तु निकाली गई थी। इस रिपोर्ट में इस बात का विस्तार से उल्लेख है कि किस प्रकार कार्य किया गया और पात्र में क्या विषय वस्तु पायी गई थी। रिपोर्ट के साथ-साथ मैं सभा पटल पर 1947 से 1972 तक के भारतीय इतिहास के 10,000 शब्दों के वृतान्त की एक प्रति भी रख रहा हूं जिस पर '1947 से भारत' शीर्षक दिया गया है और जो अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में लिखा गया है तथा ताम्र प्लेटों पर कुछ सूचनाओं की एक प्रति, 'जिन्हें घटनाओं का तिथि पत्र; 1947-1972' कहा गया है। इन ताम्र प्लेटों पर ऐसे चित्र भी खुदे हुए हैं, जिनमें कुछ घटनाओं का चित्रांकन होता है। कालपात्र की विषय वस्तु संसद भवन के पुस्तकालय में रख दी गई है, ताकि जो माननीय सदस्य इसे देखना चाहे, देख सकें। यह विषय वस्तु आज सांय 7.00 बजे तक और कल प्रातः 11.00 बजे से सांय 7.00 बजे तक प्रदर्शित की जायेगी। मैं इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को पुनः प्राप्ति की कार्यवाही का पर्यवेक्षण करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं। कार्य की जटिलता को देखते हुए मानना होगा कि उनकी जिम्मेदारी कठिन और भारी थी और उसे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह निभाया है।

श्रीमान्, मैं एक इतिहासकार होने का दावा तो नहीं करता, किन्तु इतिहास के एक विनम्र विद्यार्थी होने के नाते इस सामग्री अथवा विषय वस्तु के दोनों वृतान्तों पर, जिन्हें ऐतिहासिक लेखों और घटनाओं का तिथिपत्र बताया जाता है, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किये बिना भी नहीं रह सकता। मेरी राय में यह वृतान्त एक प्रकार का लेखा तो जरूर है, किन्तु इसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं कहा जा सकता। यह एक प्रकार की

असम्बद्ध, अयथार्थ प्रशासनिक रिपोर्ट है, जिसमें ऐतिसहासिक परिप्रेक्ष्य नहीं है, एक ऐसा परिप्रेक्ष्य जो घटनाओं और मानव की क्रिया प्रतिक्रिया के ताने बाने में बुने ऐसे विश्लेषणात्मक वर्णन की झांकी प्रस्तुत करता हो और महत्व को दर्शाता हो। पृष्ठभूमि के रूप में, केवल एक ऐसा वाक्य भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के सम्बन्ध में है जिसमें यह कहकर कि "सन् 1920 से महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया जो अहिंसा में विश्वास रखते थे" इसका उल्लेख किया गया है। स्वतन्त्रता संग्राम के सम्बन्ध में कोई अन्य उल्लेख न होने से यह धारणा बन सकती है कि संग्राम केवल 1920 से ही शुरू हुआ था, यह एक बड़ी गम्भीर त्रुटि या चूक है। इस उदाहरण के अलावा, जिसमें राष्ट्र पिता के नाम का उल्लेख किया गया है, अन्य किसी स्थान पर उनका उल्लेख नहीं किया गया है। उनकी विचारधारा और सीख, जो हमारे राष्ट्रीय जीवन में व्याप्त है और उनके आदर्श, जिनका पालन करने के लिये हम आज भी प्रयास कर रहे हैं और जिसका व्यापक रूप से विश्व में सम्मान होता है उसका तथाकथित ऐतिहासिक वृतान्त में कोई स्थान नहीं है। जबकि स्वाधीनता के समय साम्प्रदायिक दंगों की ओर तो ध्यान दिया गया है, किन्तु महात्मा जी ने आपसी भाई चारे और मंलजोल के लिये जो महान भूमिका अदा की उसका इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

3. मैं आशा करता हूँ कि सदन इस बात से सहमत होगा कि एक ऐसे दस्तावेज को परिप्रेक्ष्य देने के लिये, जो कि भावी पीढ़ियों के लिये ऐतिहासिक महत्व का होगा, एक प्रस्तावना पैरा नितान्त अपेक्षित था, जिससे भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास और इसके लिये विभिन्न विचारधाराओं के राजनैतिक नेताओं द्वारा किये गये बलिदान का संक्षेप में परिचय मिल सके। "स्वतन्त्रता" काल पात्र में, स्वतन्त्रता संग्राम में, पूर्व पथ-प्रदर्शकों की भूमिका, जलियांवाला बाग जनसंहार, असहयोग आन्दोलन, अवज्ञा, अगस्त 1942 के संग्राम के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख किया जाना चाहिये था। इस दस्तावेज में यदा कदा संविधान के धर्मनिरपेक्ष और समाज-वादी स्वरूप के बारे में उल्लेख किया गया है, किन्तु विभिन्न समुदायों के उन महान नेताओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिये लड़ाई में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस दस्तावेज में कोई भी, उदहारण के तौर पर शहीद भगत सिंह, लाला लाजपत राय, नेता जी सुभाष चन्द्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना, डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, रफी अहमद किदवई, आसफअली, डा० बी० आर० अम्बेद-कर, सी० राजगोपालचारी, जय प्रकाश नारायण, और कई अन्यों के संक्षित उल्लेख की आशा करता है।

4. मेरे लिये यह एक आश्चर्य की बात है कि जो दस्तावेज एक ऐतिहासिक दस्तावेज के अभिप्राय से लिखा गया, उसमें 1962 और 1965 के उन महत्वपूर्ण सशस्त्र युद्धों का जिनका राष्ट्र को सामना करना पड़ा था, बहुत ही संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सोवियत संघ के मध्यस्थता के प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा की गई महान सेवा और बलिदान का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

5. जहां तक संविधान का सम्बन्ध है, यद्यपि निर्देशक सिद्धान्तों तथा मौलिक अधिकारों पर कुछ जोर दिया गया है, लेकिन हमारे संविधान में संरचित संघीय ढांचे को अद्वितीय विशेषता पर इतना प्रकाश नहीं डाला गया है। यह संघीय ढांचा ही है जो केन्द्रीयकरण तथा विकेन्द्रीयकरण, दोनों तत्वों को जोड़ता है और इस विशाल देश के अभिशासन में सहायता करता है। इससे भी बुरी बात यह है कि संविधान के तथ्यों के विषय में लेखक अथवा लेखकों की बहुत थोड़ी पकड़ दिखाई देती है। यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को 'पिछड़ी जातियों अथवा पिछड़े क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिये कुछेक सदस्य नामजद (लोक सभा के लिये) करने का अधिकार प्राप्त है, जबकि संविधान में अनुच्छेद 331 के अलावा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इस अनुच्छेद 331 के अन्तर्गत राष्ट्रपति लोक सभा के लिये एंग्लो इण्डियन समाज के अधिक से अधिक 2 सदस्य नामजद कर सकते हैं और वह भी तब जब उनकी राय में, सदन में उस समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो। राज्य विधान परिषद के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि इस निकाय का 'चुनाव नगरपालिकाओं, विश्वविद्यालयों आदि जैसे सार्वजनिक निकायों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है' जो संविधान के अनुच्छेद 171 के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार सही स्थिति नहीं दर्शाती है। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है इसमें विधान सभा और स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित सदस्यों के अलावा शिक्षकों के चुनाव क्षेत्रों तथा स्नातकों के चुनाव क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। विवरण में यह भी कहा गया है कि संघ शासित क्षेत्रों के अपने विधाई निकाय हैं जो राज्य विषयों पर कानून बनाने के लिये अधिकृत हैं, यह बात तथ्यों की दृष्टि

से सही नहीं है क्योंकि कई संघ शासित क्षेत्रों में विधाई निकाय नहीं हैं जो राज्य विषयों पर कानून बना सकते हों। वृतान्त में यह उल्लेख भी किया गया है कि "सभी वयस्क नगरिकों को--विधायी निकाय में अपने प्रतिनिधियों तथा उनके माध्यम से सरकार की कार्यकारी एजेन्सियों को निर्वाचित करने का अधिकार है।" एक मतदाता की पात्रता की आयु ही हमारे कानूनों द्वारा मान्य एक प्रौढ़ की आयु से भिन्न ही नहीं है बल्कि सरकार की सभी कार्यकारी एजेन्सियां भी निर्वाचित नहीं हैं। नागरिकों द्वारा न तो राज्यपाल निर्वाचित किया जाता है और न ही सेवा सदस्य निर्वाचित किये जाते हैं और निःसन्देह उन्हें सरकार की कार्यकारी एजेन्सियों में शामिल करना होता है। संक्षेप में, श्रीमान्, वृतान्त में हमारे संविधान का सारांश जिस ढंग से दिया गया है उससे ऐसा लगता है जैसे इन तथ्यों में निहित सचाई की पूर्ण उपेक्षा की गई है।

6. यह भी आश्चर्यजनक बात है कि वृतान्त में राजनैतिक दलों का उल्लेख करते हुए एक तरफा वर्णन किया गया है। उदाहरणार्थ कांग्रेस (विरोधी) दल, जो इन्दिरा गांधी (वर्तमान प्रधान मंत्री) की अखिल भारतीय कांग्रेस से अलग हो जाने के बाद, 1969 में स्थागित हुआ था, यह दल सिद्धान्त रूप में ही समाजवादी कार्यक्रम का समर्थन करता है किन्तु व्यवहार में इस का झुकाव उच्च तथा मध्य वर्गों का समर्थन करने वाली रूढ़िवादी नीतियों की ओर है। मुझे इसमें सन्देह है कि क्या वास्तव में कांग्रेस (विरोधी) दल ही वह दल था, जिसने इन्दिरा कांग्रेस से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया था, अथवा इन्दिरा कांग्रेस ने ही अपने को अलग कर लिया था और इसमें भी कि क्या कांग्रेस (विरोधी) दल ने उच्च तथा मध्य वर्गों का वास्तव में ही पक्ष लिया था। यह तो तथ्यों का एक मजाक मात्र ही होगा। संक्षिप्तता की दृष्टि से मैं अन्य राजनैतिक दलों के पक्षपात पूर्ण मूल्यांकन का जिक्र नहीं करना चाहता।

7. सारा वृतान्त फीका, असन्तुलित और अपर्याप्त प्रतीत होता है। यह किसी के आदेश पर किया गया लगता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य यह बताना है कि तत्कालीन सरकारें किस प्रकार से राष्ट्र को आगे ले जाने में निरन्तर सफल रहीं, और इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया कि कौन सी त्रुटियां विद्यमान थीं, कौन सी चुनौतियां थीं जिनका सामना करना था और कठिन परिस्थितियों कौन सी रास्ता था जिसे तय करना था। बढ़ती हुई बेरोजगारी की भंयकर समस्या, निर्धनता की सीमा रेखा से भी नीचे रहने वालों की बढ़ती हुई संख्या और कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की दुर्दशा के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है। जो भी वृत्तान्त ऐतिहासिक प्रलेख होने का दावा करता है उसमें ऐसी ऐतिहासिक सच्चाइयों को नजर-अन्दाज नहीं किया जा सकता।

8. यहां तक कि अपेक्षाकृत साधारण तथ्यों को भी गलत ढंग से बयान किया गया है। उदाहरणार्थ भाखड़ा और ब्यास के बांधों को गुजरात, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना कहा गया है। गुजरात का तो इन परियोजनाओं के साथ बिल्कुल भी सम्बन्ध नहीं है। वास्तव में, तीसरा राज्य पंजाब ही है जो इन संयुक्त परियोजनाओं से लाभ उठाता है। श्रीमान्, ऐतिहासिक होने का दावा करने वाला यह सम्पूर्ण वृतान्त सत्ताधारी दल और तत्कालीन सरकार के गुणगान का एक बेसुरा हास्यास्पद प्रयास प्रतीत होता है। मुझे यह सोचकर हैरानी होती है कि यदि काल पात्र दबा ही रहता और भविष्य में बहुत समय बाद निकाला जाता तो भावी पीढ़ी हमारे बारे में क्या सोचती।

9. जहां तक घटनाओं के कार्यक्रम का सम्बन्ध है, यही आशा की जा सकती थी कि राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय दृष्टि से केवल कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन होगा। किन्तु इसके विपरीत ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रचलित शब्दकोशों से इधर उधर से एकत्र किया गया एक सूचीपत्र है। इसमें संबंधित वर्ष और घटना के बीच के तालमेल में भारी भूलें मिलेंगी। उदाहरणार्थ इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण सन् 1955 *में हुआ था किन्तु तिथि पत्र में इसे 1949 में दिखाया गया है। दी एक्सपोर्ट क्रैडिट एण्ड गारन्टी कारपोरेशन की स्थापना 1964 **में हुई थी, किन्तु दिखाई 1957 में गई है। कुछ घटनाएं एक वर्ष में दो बार अथवा भिन्न-भिन्न वर्षों में दिखाई गई हैं। उदाहरणार्थ 'फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंण्डिया' का गठन एक

*इसका सत्यापन सरकारी प्रकाशन इण्डिया 1956 से कर लिया गया है। एम० बी० आई० अधिनियम 1955 में पास हुआ था।

**इसका सत्यापन इण्डिया 1964 और 'कामर्स ईयर बुक आफ पब्लिक सैक्टर 1976-77' से कर लिया गया है। 1957 में एक्सपोर्ट रिस्कस इंशोरेन्स कारपोरेशन की स्थापना हुई थी। 1964 में यह दूसरे निकाय में मिला दी गई थी—"इंण्डिया 1958"।

स्थान पर 1956 में दिखाया गया है और दूसरे स्थान पर 1961 में। अन्तर इतना ही है कि एक स्थान पर 'गठित' (फार्मड) कहा गया है और दूसरे स्थान पर 'गठित' ('सैट अप')। इस कारपोरेशन का गठन तो 1961 में ही हुआ था।*** केलों का निर्यात और अशोक होटल की स्थापना का वर्णन ऐसे किया गया है मानों वे ऐतिहासिक महत्व की घटनायें हों। सारांश यह है कि घटनाओं का कालक्रम भव्य और हास्यास्पद घटनाओं का विचित्र मिश्रण है। यहां तक कि प्रदीप में एक बन्दरगाह के "प्रस्ताव" को भी सन् 1963 की एक महान घटना के रूप में वर्णित किया गया है। इन भूलों और असंगतियों का बयान में कहां तक करूं? ऐसी अनेक और भी गलतियां हैं जिनका मैं उल्लेख नही करना चाहता। जिस उद्देश्य और जिस ढंग से इन दो दस्तावेजों का परिरक्षण किया गया है वे इसके योग्य हैं भी या नहीं अथवा इन्हें रखा भी जाये या नहीं, इस बात का निर्णय मैं माननीय सदस्यों और उनके जरिये जनता पर छोड़ता हूं।

10. यदि भावी पीढ़ी के लाभ के लिये कोई ऐतिहासिक प्रलेख तैयार करने में वास्तव में कोई गुण है तो क्या वह प्रलेख यथार्थ, सुविचारित और सुरक्षित ऐतिहासिक कृति का नमूना नहीं होना चाहिये? क्या इस प्रकार के प्रलेख को जनता और संसद के सामने नहीं रखा जाना चाहिये था? अब समझ में आता है कि काल पात्र में से पाये गये इन प्रलेखों पर गोपनीयता का पर्दा क्यों डाला गया था। श्रीमान्, इस सदन, हमारी जनता और भावी पीढ़ी के निर्णय के लिये इन दस्तावेजों को मैं आपकी और इस सदन की अनुमति से पेश करना चाहता हूं। **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2062/78]**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : (बम्बई उत्तर पूर्व) : इस काल पात्र पर चर्चा अवश्य कराई जानी चाहिये। नेहरू परिवार की महता को बढ़ा चढ़ा कर बनाने के लिये ही यह षडयंत्र रचा गया है। कुछ अन्य कालपात्र भी हैं उन पर भी चर्चा होनी चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस पर चर्चा जल्दी से जल्दी कराई जानी चाहिये।

श्री कंवर लाल गुप्त : (दिल्ली सदर) : मैं ज्योतिर्मय बसु की बात से पूर्णतया सहमत हूं कि इस कालपात्र में तथ्यों का गलत निरूपण किया गया है जो लोग इसके लिये जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री पी० जी० मावलंकर : (गांधीनगर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है यह विवरण कोई साधारण विवरण नहीं है और न ही इस पर सामान्य नियमों के अन्तर्गत चर्चा हो सकती है। शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के अंतर्गत भी इस पर चर्चा नहीं हो सकती। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है इसलिये कम से कम एक पूरा दिन इस पर चर्चा के लिये दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह एक सुझाव है और हम इस पर विचार करेंगे।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम : मैं श्री मावलंकर और श्री बसु के इस सुझाव, कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिये, का समर्थन करता हूं।

श्री डी० डी० देसाई (सैरा) : यह प्रशासनिक शक्ति का सरासर दुरुपयोग है सभा में इस पर चर्चा होनी चाहिये ताकि भविष्य में कोई ऐसा दस्तावेज गाढने का साहस न कर सके।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या सभी सदस्यों को आपके सचिवालय की ओर से विवरण की एक एक प्रति प्राप्त नहीं हो सकती।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों को इसकी एक प्रति भिजवा दूंगा। इस विषय पर हम बाद में विचार करेंगे।

***'इण्डिया 1976' और 'कामर्स ईयर बुक' --(यथोपरि) मे सत्यापन कर लिया गया था।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं जानना चाहता हूं कि इन सब बातों के सामने आ जाने के बाद सरकार ने ऐतिहासिक अनुसन्धान परिषद के गठन के लिये कोई कदम उठाया है और दूसरे क्या सरकार सही तथ्यों के आधार पर इतिहास का निर्माण करना चाहती है और यह भविष्य में इस तरह के कार्यों पर रोक लगाना चाहती है।

तीसरे क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कदम उठाये हैं कि जो लोग इस तरह इतिहास का निर्माण करने में सम्बद्ध थे, भविष्य में किसी सरकारी निकाय से सम्बद्ध नहीं होंगे और वह भी विशेषकर इतिहास के मामले में।

अध्यक्ष महोदय : इन सब बातों पर चर्चा के बाद निर्णय होगा?

लेबनान के संघर्ष में भारतीय नागरिकों के कथित अन्तर्ग्रस्त होने के बारे में वक्तव्य

statement re. alleged involvement of Indian nationals in hostilities in Lebanon

विदेश मंत्री (श्री अटल विहारी वाजपेयी) : विदेश मंत्रालय को लेबनान में प्रतिद्वन्दी गुटों द्वारा भारतीय राष्ट्रिकों को सैनिक तथा अर्द्ध सैनिक कार्यों में लगाये जाने की रिपोर्ट मिली है। सरकार इन रिपोर्टों से अत्यधिक चिन्तित हो गई है क्योंकि सरकार की यह नीति है कि उसके राष्ट्रिकों को विश्व भर में कहीं भी भाड़े के सैनिक के रूप में उपयोग किये जाने की अनुमति न दी जाये। यह विषय और अधिक चिन्ताजनक इसलिये हो गया कि लेबनान का गृह कलह स्पष्ट रूप से साम्प्रदायिक एवं धार्मिक प्रकृति का है।

यद्यपि लेबनान स्थित हमारे राजदूतावास ने हमारे राष्ट्रिकों के इस प्रकार से इस्तेमाल किये जाने को रोकने और उसे निरुत्साहित करने के लिये हर संभव कदम उठाया, फिर भी हमने विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को लेबनान तथा सीरिया भेजने का निर्णय किया। वे लेबनान के प्राधिकारियों से, और वहां के प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी गुटों के नेताओं से भी मिले और उनसे बातचीत की। उन्होंने इन लड़ाइयों में भारतीय राष्ट्रिकों को शामिल किये जाने की कथित रिपोर्टों पर हमारी गहरी चिन्ता से भी उन्हें अवगत कराया और भारतीय राष्ट्रिकों का इस प्रकार इस्तेमाल किये जाने से रोकने में उनकी सहायता एवं सहयोग मांगा। हमारे इस अधिकारी ने जिन नेताओं से भेंट की उन सभी ने भारत सरकार की नीति की सराहना करते हुए अपने सहयोग का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त इन सभी नेताओं ने, चाहे वे किसी भी विचार धारा अथवा राजनीतिक प्रतिबद्धता के रहें हों, यह भी कहा कि वे इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना बेरूत स्थित हमारे राजदूत को देने के लिये तैयार हैं।

लेबनान में अरब प्रतिरोधक सेना में चूंकि सीरियाई सशस्त्र सेना शामिल है, इसलिये हमारा यह अधिकारी दमिश्क भी गया और वहां उसने सीरियाई प्राधिकारियों से भी इसी प्रकार की बातचीत की। सीरियाई प्राधिकारियों ने भी इस सम्बन्ध में पूरा पूरा सहयोग देने का वचन दिया।

हो सकता है कि प्रतिद्वन्द्वी गुटों ने हमारे कुछ राष्ट्रिकों का इस्तेमाल अर्द्ध सैनिक कार्यों में किया हो क्योंकि ऐसे बहुत से भारतीय बेरूत में फंस गये थे जो रोजगार की तलाश में वहां गये थे। ऐसे जिन व्यक्तियों ने भारतीय राजदूतावास की सहायता ली थी, उन सभी को सरकारी खर्च पर भारत प्रत्यावर्तित कर दिया गया था। कुछ भारतीय राष्ट्रिकों को लेबनान के कुछ गुटों ने इस सन्देह में रोक लिया था कि प्रतिद्वन्द्वी गुटों द्वारा भाड़े के सैनिक के रूप में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उन्हें भी छोड़ दिया गया है और आज तक इस बात का कोई संकेत नहीं है कि भारतीयों ने वस्तुतः भाड़े के सैनिकों के रूप में इसमें कभी हिस्सा लिया है।

माननीय सदस्यगण तो यह बात जानते ही हैं कि सरकार ने पासपोर्ट जारी करने की पद्धति तथा विदेश यात्रा दोनों को ही उदार बना दिया है। रोजगार की तलाश में हमारे बहुत से राष्ट्रिकों विदेश जा रहे हैं, विशेष रूप से पश्चिम एशिया में, कुछ बेईमान अभिकर्ताओं एवं व्यक्तियों द्वारा इन उदार विनियमों से अनुचित लाभ उठाया जा रहा है। हम ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे कि ये बेईमान अभिकर्ता और व्यक्ति हमारे उदार विनियमों से अनुचित लाभ न उठाने पायें। इसके लिये उत्प्रवास के निकासी केन्द्रों पर अधिक सतकर्ता बरती जा रही है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : यह एक गम्भीर मामला है। सभा में इस पर भी चर्चा होनी चाहिये।

श्री ०पी० वेंकटासुब्बैया : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । विदेश मंत्री ने कहा है कि पासपोर्टों के सम्बन्ध में एक गिरोह कार्य कर रहा है। क्या वह इस बारे में कोई कठोर कदम उठायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध

SHRI DHARAM SINHBHAI PATEL (Porbandar) : The farmers of Saurashtra region on Gujarat are suffering big as a result of the ban on the export of onions. There is now a glut in the market and the prices have fallen as low as Rs. 2 to 3 per 20 Kg onion is a pershble Commodity which can not be stored by the farmers for a long time. Hence they are compelled to sell it in the market at such a low price and suffer loss. Let the Govt. of India consider the matter and remove the ban on the export of onions so that the farmers have not to suffer this loss.

(दो) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से डाक और तार विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये सहायक अभियंताओं की सेवा शर्तें

SHRI MANOHAR LAL (Kanpur) : In 1963 a number of Assistant Engineers of C.P.W.D. were sent on deputation to the Posts and Telegraphs Department and they have been working there since then. During this period of 15 years they have not been given any promotion. Deputation allowance is also not being paid to them. This is grave injustice to those people. Let the Minister of Communications pay attention to this matter and see that this irregularity is soon ended.

अनुदानों की मांगें 1978-79

DEMANDS FOR GRANTS, 1978-79

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : So far health planning in our country has been urban-oriented. This Government have tried to make it rural oriented. It has also raised the amount of allocation for the health services. Whereas in 1977-78 an amount of Rs. 83.28 crores had been allocated, this year the allocation is Rs. 146.48 crores which is an increase of 75.8 per cent and a major portion of this amount would be spent on the rural areas.

So far as family welfare is concerned, last year the amount spent was Rs. 98.18 crores. During 1978-79 an amount of Rs. 110.93 crores is proposed to spent. A major portion of this amount would be spent on rural areas especially on maternity and child welfare.

Today a serious problem facing the country is that of malaria. Before the malaria eradication programme was undertaken about 8 lakh people used to die of this disease in the country. By 1965 there was so much improvement in the situation that not a single man died of this disease. But subsequently there was a set back in this programme and the number of patients started going up. Now the Janta Government have taken up this work and there has been 31.38 per cent reduction in the number of malaria cases.

In Delhi, however, there has been some increase in the incidence of malaria. One of the causes for it is the multiplicity of authorities. Apart from that, the population of Delhi is also going up. Now we have prepared a revised programme to get rid of this problem.

Another serious problem facing the country is that of family welfare. The use of coercive methods by the congress government in Northern India had created a terror among the people. In fact, that Government was not interested in family welfare and confined its activities to cutting the size of families. We attach more importance to family welfare and want to ensurse that the children do not fall victims to diseases like polio, small pox, diphtheria etc.

So far as the work of family planning is concerned, we do not want to taken recourse the compulsion of coercion and want to pursuade people to voluntarily take to family planning. That is why we have provided more money for motivation.

The other steps that we have taken is this regard is the raising of marriage age and the campaign for the eradication of blindness. Since blindness is caused by vitamin 'A' deficiency we are distributing vitamin 'A' tablets to the children. We are also undertaking eye operation on a large scale and hope to achieve the figure of 10 lakh this year as against 8 lakh during the last year. We want to get the cooperation of voluntary organisations in this regard and are prepared to pay them at the rate of Rs. 40 per operation.

The number of leprosy patients in our country is about 1/4 or 1/5 of the total leprosy patients in the world. Last year we provided Rs. 4.5 crores for this item, while this year we have provided Rs. 7 crores. The estimated number of leprosy patients in our country is about 32 lakhs. Out of 23 lakhs leprosy patients traced so far, treatment of 23 lakhs patients has been started.

CHOWDHRY BALBIR SINGH (Hoshiarpur) : Is there any programme of the Government for sterlisation of leprosy patients so that the number of such patients could be checked ?

SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : There are two important aspects of the problem relating to leprosy patients. Fistly, the leprosy patients of the primary stage do not disclose the disease. Secondly, there is a great difficulty in their rehabilitation, because the society do not easily accept them even after they are cured. Although it has been learnt that leprosy is not a hereditory disease, yet the suggestion given by some members for sterilisation of the leprosy patients will be considered.

So far central health scheme is concerned, 155 C.G.H.S. dispensaries and hospitals are running in the country and about 4,13,000 Central Government employees are deriving benefit out of C.G.H.S. scheme. During the coming five years, this scheme would be started in ten more cities namely, Jabalpur, Gorakhpur, Jhansi, Ajmer, Agra, Trichinapoly, Bikaner, Amritsar, Chandigarh and Dehradun. This facility has also been extended to the Ex-MPs, former Governors and President and the pensioners.

In Delhi, Bombay and Calcutta there are poly clinics where specialists sit. It is also proposed to open a poly clinic in each big city. We are going to open 200 bed hospital in Bombay. No scheme can be successful without the involvement of the society. Therefore, I request the hon. Members to give their full cooperation in the programme so as to make it a success.

DR. BALDEV PRAKASH (Amritsar) : I rise to support the Demands for Grants in respect of Ministry of Health and Family Welfare. No doubt the Community Health Workers Scheme may prove a little beneficial for the villagers, but it has some dangerous aspects also. After only three months training, it cannot be expected from a CHW, with a very little educational background, to distinguish between a common ailment and a serious ailment and to provide proper treatment to the patients. I will suggest that after the completion of one year, full assessment of the working of the scheme should be made and it should be further extended only after keeping in view the results thereof.

As regards Ayurvedic, Unani and Homoeopathic systems of medicine, it will be better if scientific researches are conducted by using the medicines of these systems in big hospitals and then analysing the results achieved. Secondly, there should also be standardisation of the medicines of Aryurvedic system so that a medicine produced by different pharmacies may come out of the same standard and the doctors and Vaids can use them unhesitatingly.

There are no arrangement for dis-section etc in the Ayurvedic Colleges. Anatomy cannot be taught merely with the help of charts. More attention should be paid on the quality of Ayurvedic graduates that we are producing than on their number. Adequate arrangements should, therefore, be made in all Ayurvedic Colleges for having practicals also.

The family welfare works has lagged behind. Population will go on increasing if we do not take sufficient steps in regard to family planning. There shou'd certainly be no coercion and no compulsion in this matter but people can be provided with necessary medicines. This work has to be taken up on a war footing. Leprosy patients must be sterilised.

The prices of drugs should be reduced. This might not be the concern of the Health Ministry but it can certainly lay stress on this matter. Unless prices are reduced, the poor man will not be benefited. The actual cost of a drug is much less than the price at which it is sold in the market.

Blindness among the people is on the increase. This is a serious problem. The main reason for this is malnutrition and lack of vitamin 'A'. A survey should be undertaken to find out how many of our children are suffering from which deficiencies or how many need

vitamin A'. Such a survey will certainly be very helpful. We must see that blindness caused by malnutrition iradicated.

There is no doubt that there has been negligence in the treatment of Shri Jayaprakash Narayan at Chandigarh. Whether this negligencies is on the part of doctors or the Central Government or the Chief Commissioner is a matter to be inquired into. But without proper inquiry, it will not be fair to form some opinion about doctors negligence. There should be a judicial probe into the whole matter and then responsibility for what has happened should be fixed.

There are certain statutory bodies such as the Indian Medical Council which are still functioning. This Council is supposed to control medical education but it has failed to do so. Medical Colleges are opened at several places, students are admitted but later on these colleges were closed down. What is the use of such council ? The Government shoud look into this and bring about some changes in the whole set up.

Luancy Act is a very old law; it needs suitable amendments.

Voluntary institutions doing work in the field of health should be given all encouragement and they should be provided with more grants.

श्री टी० ए० पाई (उदीपी) : बीमारियों को रोकना तथा उनके कारणों को समाप्त करना हस्पताल बनाने और डाक्टर तैयार करने से अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिये प्रत्येक में उपलब्ध चिकित्सकों–सरकारी और गैर सरकारी–का सर्वेक्षण किया जाये जिससे उन क्षेत्रों में इन्हें भेजा जा सके जहां किसी प्रकार की भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है । क्षेत्र विशेष की आम बीमारी का पता लगाया जाये और उन्हें दूर करने के लिये सरकारी तथा गैर सरकारी चिकित्सकों को इस देश के कार्य से प्रेरित किया जाये।

क्षय रोग के इलाज का राष्ट्रीयकरण करना अच्छा होगा। इसके अन्तर्गत मुफ्त दवाइयां बांटें।

एक छात्र को डाक्टर बनाने पर 80,000 रुपये, 1,00,000 रुपये तक खर्च करने का कोई औचित्य नहीं जबकि वह उस समाज को बदले में कुछ नहीं देना चाहता जिसने उसे डाक्टर बनाया है । जिस प्रकार की शिक्षा उन्हें दी जा रही है वह उन्हें गाँवों में ले जाने के सर्वथा उपयुक्त है और उन्हें बाहर अधिक अच्छे अवसर मिल जाते हैं। सरकार शिक्षा के लिये ही पैसा नहीं देती वरन् उन कालेजों में फेल होने वालों पर भी पैसा खर्च करती है। पांच वर्ष बाद 45 से 50 प्रतिशत छात्रों को ही सफल देखना अच्छा नहीं है। यह बेहतर होगा कि हम समस्या को समग्र रूप में देखें और यह पता लगायें कि इस देश के लिये किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त है। इसमें आमूल सुधार किया जाना चाहिये।

एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई जाये जिससे पैदा होने वाली समस्याओं पर नजर रखी जा सके।

परिवार कल्याण के प्रचार की दिशा में अधिक कुछ नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में परिवारों को शिक्षित करने के लिये और अधिक प्रयत्न किये जाने चाहियें जिससे कि वे यह समझ सकें कि यह समस्या उनके वर्तमान को ही नहीं वरन् भविष्य को भी प्रभावित करती है।

डाक्टर के विरुद्ध जांच, विशेष कर राजनीतिक नेताओं की चिकित्सा के सम्बन्ध में करके उन पर कटाक्ष न किये जायें क्योंकि इससे उनकी भावनाओं को चोट पहुंचती है और चिकित्सकों ने इसे अपने पेशे के प्रति एक गम्भीर आक्षेप के रूप में लिया है। यदि यह प्रक्रिया बन्द न की गई तो कोई भी डाक्टर किसी राजनीतिक नेता का इलाज नहीं करेगा और उन्हें इलाज के लिये विदेश जाना पड़ेगा।

दवाइयों की कीमत कम की जानी चाहिये और भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

SHRI B. P. MANDAL (Madhepura) : The results achieved in the filed of family planning are much less as compared to the expenditure incurred thereon. It is correct that coercion and compulsion should not be exercised in this regard. but much more stress is required to be laid on family planning programme in view of the poverty of the masses and the increasing population.

I am afraid if CHWs will be able to show good performance in providing medical aid to the rural population, many dangers are hidden behind this scheme. It will, therefore, be better if training of LMPs or LMFs, after matriculation, is restarted.

It is a sad state of affairs that people are still dying of Kalazar in Hajipur and Saharsa districts of Bihar. Its curative and preventive medicines have already been invented and, therefore, early steps should be taken to bring the people of the aforesaid areas out of distress.

There is a large number of doctors in the capital cities, while there are no doctors available in viallages. A policy should, therefore, be framed that after serving for three years in a city a doctor will have to serve in a remote area necessarily.

Capitation fee ranging between Rs. 20,000 to Rs. 27,000 is being charged by the medical colleges. The result is that a poor's son will never be able to get medical education. Secondly, through this practice sub-standard students are also admitted in medical colleges, which is not going to prove beneficial to the society.

There has been about one lakh sixty thousand cases of malaria in the capital. It is not clear why necessary steps for eradication of malaria are not being taken, as has been taken some years back.

The Members of Parliament are facing certain difficulties in getting these medicines from the CGHS dispensaries in Delhi, which are prescribed by the outside doctors. Also, there are no arrangements for giving injections at the residences of the Members of Parliament. Necessary arrangements may be made to remove these difficulties.

Encouragement should be given to the Ayurvedic and Homoeopathic systems of medicine. Arrangements should also be made to raise the standard of Ayurvedic education.

DR. MAHADEEPAK SINGH SHAKYA (Etah) : It is the responsibility of the Health Ministry to see that conditions are created in the country so that diseases do not grow and people live a healthy life.

The Government must ensure supply of pure foodstuff to the people. Adulteration should be checked at any cost.

Malaria is spreading the country and a large number of people are affected by this disease. Government have not been able to control it. To combat this disease it is necessary to tackle the problem of stagnant water in cities and villages. The supply of pure drinking water is also necessary.

Hygiene should be made a compulsory subject in schools. People must be educated as to how they could keep fit by taking proper food and by inculcating proper habits. They must be made health-conscious.

During the last 30 years, the Ayurvedic system has been neglected. The Government should now give adequate attention to Ayurved system. There are not arrangements for post-graduate education for students of Ayurvedic system on the lines of the education in modern medicine. Also there is no scope for specialisation in different fields. The Government will not allow these students admission in an allopathic college for further studies. These are matters which the Government should consider.

A scheme should be worked out to see that only those students are given admission in medical colleges who give an undertaking that they are prepared to go to villages and hill areas.

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : जहां तक परिवार नियोजन का सम्बन्ध है, सरकार जनसंख्या वृद्धि को रोकने में असफल रही है। मंत्री जी लोगों पर दबाब नहीं डालना चाहते, परन्तु फिर भी उन्हें वैधानिक उपायों द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण रखना चाहिये। जब तक देर से शादी कराने सम्बन्धी कानून नहीं बनाया जाता और दूसरे उपाय नहीं किये जाते तब तक जनसंख्या बृद्धि को रोकना सम्भव नहीं है। यदि जनसंख्या वृद्धि को रोकना सम्भव नहीं है तो लोगों के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना भी कठिन है।

जहां तक बाल कल्याण का सम्बन्ध है, ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु दर अधिक है क्योंकि वे लोग कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और बच्चों को तीन प्रकार के टीके नहीं लगाये जाते। ये टीके शहरों में भी उपलब्ध नहीं है और इसलिये गांवों में उनकी अत्यधिक कमी होना स्वाभाविक है। सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ करना चाहिये।

जहां तक महिलाओं का सम्बन्ध है, उनके लिये गांवों में प्रसूति सुविधा उपलब्ध नहीं है और उन्हें काफी कठिनाई उठानी पड़ती है। यहां तक कि मुफस्सिल केन्द्रों में प्रसूति वार्ड नहीं है। वहां केन्द्रों के लिये भवन तक उपलब्ध नहीं होते हैं। इसीलिये लोग अस्पतालों में जाना अधिक पसन्द करते हैं।

बेयर फुट चिकित्सकों की नई योजना से तब तक किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी जब तक कि लोगों के लिये कोई कार्यकरण निश्चित नहीं किया जायेगा। इन चिकित्सकों का कोई कार्यकरण निश्चित नहीं है। इनको औषधियां भी नहीं दी गई हैं। यह नौकरी तो उनके लिये बेरोजगारी भत्ते के समान है।

स्वच्छ जल की भी समस्या है। देश में जब तक स्वच्छ जल की व्यवस्था नहीं की जायेगी स्वास्थ्य की समस्या बनी रहेगी।

ग्रामीण जन स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों में डाक्टर तो हैं लेकिन वहां औषधियां और उपकरण नहीं है। डाक्टरों की नियुक्ति करने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होगा। अतः मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों को अधिक दवाइयां तथा उपकरण देकर उन्हें अधिकाधिक सशक्त बनाया जाये।

सरकार को कुछ पेटेंट और देशी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानकारी एकत्र करनी चाहिये और उन्हें लोकप्रिय बनाना चाहिये ताकि कई बीमारियों का सामना किया जा सके।

जहां तक अपमिश्रण की समस्या का सम्बन्ध है, यह अच्छी बात है कि अधिनियम को लागू किया जा रहा है, लेकिन अपमिश्रण या मिलावट की बुराई को दूर करने के लिये कठोर कदम उठाये जाने चाहिये। मिलावट करने वालों के विरूद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये।

जब कुष्ठ के रोगियों को दूर रखने सम्बन्धी कानून नहीं बनाया जाता इस रोग को रोका नहीं जा सकता।

CHAUDHURY RAM GOPAL SINGH (Bilhaur) : It would not be correct to think that no village health curators will be able to work efficiently after three months training because some of educated persons are also coming forward to get this training. However, it may prove more beneficial if after working for a few months these village health workers are again sent for further three months training.

The reports of the Committees constituted from time to time in regard to drugs, much as Baker Committee report, Neskar Committee report, Mukhopadhaya Committee reports, should be immediately implemented. Similarly, the recommendation of the Hathi Committee in regard to the structure of Drug Control Departments specially in certain states such as, Uttar Pradesh, Bihar, and Madhya Pradesh should also be implemented. It is understood that Drug Control Departments in these states are under the charge of most incompetent and inefficient persons, as a result of which manufacturing of drugs has not made much headway there and the people of these states have to depend upon adulterated drugs. Government should, therefore, immediately pay its attention to this matter and should give them grants only when they improve their drug control departments. A separate and independent drug control department should be set up on the lines of one working in the states of Maharashtra and Gujarat with adequate resources so that it can chick adulteration in drugs.

SHRI RAMJI LAL SUMAN (Firozabad) : Better medical facilities should be made available to the people being in rural areas. More altertion should be paid to improve the conditions of District Council hospitals in rural areas and measures should be taken to see that adequate quantities of medicines are supplied to these hospitals and the emoluments paid to the doctors and compounders working in these hospitals should be increased with a view to providing efficient services in these hospitals. This matters could not be dismissed on the plea that it s a state subject and rso it is the duty of the Union Health Mnistry to give serious thought to this matter.

[श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए
SHRI N. K. SHEIZWALKAR *in the Chair*]

So far as Community Health Workers scheme is concerned it can provide a good relief to the rural people and the scheme can become a success if adequate training is given to these workers. But they should be given more emoluments and larger quantity of medicines. Government should take precautionary measures to check the incidence of malaria and cholera and root out the causes of these fatal diseases.

Government should at least make more arrangements for provoiding accommodation and education to the children of lepros, if it is not possible for them to cure the disease of leprosy.

The problem of diseases in the cattle in rural areas has posed serious danger. Therefore the Government should take steps to open one veterinary hospital in each rural block so as to check incidence of diseases affecting cattle in rural areas.

We accept in principle, the scheme of family planning but it should be borne in mind that no unfavourable climate is created by this Government as was done by the previous regime. The need of the hour is to make people realise the basic assumptions and the good results of adopting family plaughing measures. Unless the people of India realise the importance and necessity of population control, it will not be possible to make any social or economic progress in the country.

So far as the education of hygiene in schools is concerned primary education must include instructions about it and students even upto degree standard must be given same education about it so that they may be able to check petty diseases.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN): There is no doubt that we have changed the nomenclature of 'family planning' to 'family welfare' after a good deal of thought, because the term of 'family welfare' is very broad and comprehensive. So, it shall not be construed that we are abandoned the scheme of family planning. We have repeatedly said that we still adhered to the programme of family planning But we do not want that that there should be compulsory sterilisation. To suggest that a law should be enacted about it is an abstract statement. But it can not be denied that every one agreed that there should be no compulsory sterilisation.

Family planning meant checking the growth of family or population. The scheme of sterilisation is there at its own place but we will not use coercion or compulsion. We will only adopt the scheme of voluntary sterilisation. We will educate the people and give them incentives for coming forward for voluntary sterilisation.

It is unfair to make fun of Brahmachary or continence.

It has been the declared policy of the Janata Government to encourage all the Indian systems of medicines, whether it is Ayurvedic or Homeopathic or Unani or Siddha. We have also created a national fund for the promotion of these systems.

While we desired to promote the Indian systems of medicine, we do not want to lessen the importance of Allopathy and we will utilise the latest methods and the research in the field of Allopathy. There should be no doubt about the fact that we will render all assistance for the promotion of these Indian systems to the best of our capacity.

It is a matter of pleasure that hon. Member has referred to of legacy. We are aware of the fact that Tamil Nadu Government is changing inorb'tant sales tax on ayurvedic medicines. We have already appointed a committee for looking into the prices of medicines and also for looking into the scarcity of medicines. We are the people who raised the slogan of 'thick prices' so we will be making every effort to bring them down. The main feature of our policy is to benefit the poor and down trodden people.

Now according to our changed policy, we will be appointing one more doctor to our primary health centres. There will be a doctor of Indian System of Medicines also. The system of medicines which will be more popular, more the medical facilities of the same system will be provided.

It has been the declared policy of the Janata Government to encourage all the Indian Medicines whether it is Ayurvedic or Homeopathic or Unani or Siddha. We have also created a national fund for the promotion of these systems. But at the same time I may make it clear that while we are keen to promote the Indian systems of medicines, we do not want to lesson the importance of Allopathy and we will utilize the latest methods. We will be making the best of the research in the field of allopathy. There should be no doubt about the fact that we will render all possible assistance for the promotion of these Indian systems to the best of our capacity.

We have also assured that that there will be no rise in the prices of drugs. We will not allow the prices of drugs to rise at any cost. We are trying to evolve a formula for the fixation of the prices of drugs. It is our foremost duty to provide drugs to our people at the cheapest price.

We are also taking measures for the standardisation of Indian drugs. We propose to increase the number of doctors in each primary health centre. We will also take measures to improve the conditions in the hospitals in Delhi and will also take steps to remove congestion in them.

There is a proposal to open 500 bed hospital each in Harinagar and in Shahdara in Delhi. In Harinagar hospital 300 beds would be under Ayurvedic system and 200 beds under allopathic system.

A scheme of opening seven hospitals of 100 bed in rural areas of Delhi is being prepared by Delhi Administration. This will help in reducing rush in Delhi hospitals.

In Delhi near Safdarjung Hospital arrangements have been made for stay of relatives of patients in a dharamshala. A new building is being constructed for stay of relatives of patients admitted in Safdarjung Hospital. A proposal for having a dharmshala for relatives of patients in Willingdon hospital had been accepted in principle. Efforts are being made to get a suitable plot for the purpose.

A trust has been constituted to help the patients of kidney, heart and cancer where operation is very costly. The Ministry and medical institutes do not have adequate funds to bear this expenditure. The people should contribute liberally to this trust to help needy patients.

श्री टी० ए० पई (उदीपी) : माननीय मंत्री महोदय ने अभी बताया कि कांग्रेस सरकार के शासन के दौरान गांवों की पूर्णतया अवहेलना की गई थी। अब उन्होंने गांव स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति करने का निर्णय किया है। अतः मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि वह संसद सदस्यों तथा मंत्रियों के उपचार के लिये ही स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति क्यों नहीं करते। उनके उपचार के लिये भला डाक्टरों की क्या आवश्यकता है? डयलिसिस को विदेशों से मंगवाने पर सीमा शुल्क काफी अधिक है। अतः क्या मंत्री महोदय वित्त मंत्रालय के साथ इस मामले में बातचीत करेंगे ताकि इस शुल्क को कम किया जा सके।

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : ग्रामीण स्वास्थ्य समस्या के बारे में काफी जोश दिखाया जा रहा है। मैं भी इस योजना का स्वागत करता हूं परन्तु इसके साथ ही मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ग्रामीण स्वास्थ्य योजना में कार्य करने के लिये भेजे जाने वाले लोगों को उचित प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की गई है या नहीं। कहीं ऐसा न हो कि उससे मरने वालों की दर में और वृद्धि हो जाये।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बडागरा) : मंत्री महोदय से मैंने स्पष्ट प्रश्न पूछा था कि वह इसके लिये कितनी धनराशि की व्यवस्था करने जा रहे हैं। उन्होंने उत्तर में कहा कि 21 या 22 करोड़ रुपया इस पर खर्च किया जायेगा। मैंने अनुदानों की मांगों सम्बन्धी सम्पूर्ण पुस्तिका देख ली है। वहां कहीं मुझे इतनी धनराशि व्यय करने वाली मद नहीं मिली। अतः जो धनराशि वह खर्च करने के लिये कह रहे हैं, वास्तव में उसकी व्यवस्था नहीं की गई है।

SHRI RAJ NARAIN : Firstly, I would like to reply to the question of my friend Shri Pai. I must make it clear to him that firstly we are intrusted to provide all possible preliminary health services to the villages. Later on we will pay heed to Ministers and Member of Parliaments.

श्री टी० ए० पई : ग्रामीणों पर वह चीज नहीं थोपी जानी चाहिये जिससे हम पीछे हटते हैं। स्वास्थ्य के मामले में शहरी नागरिकों और ग्रामीण नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये।

SHRI RAJ NARAIN : We are looking into this matter so far as neorology is concerned, it is one of the branches of Psychiatry.

I would request the hon. members to extend their cooperation in the matter of health care. A trust has been constituted to help the patients of kidney, heart and cancer where operation is very costly. The Ministry and medical institutes do not have adequate funds to bear this expenditure. The people, particularly the rich, should contribute liberally to this trust to help the needy patients.

सभापति महोदय द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1978-79 की अनुदानों की मांगें संख्या 44 से 46 मतदान के लिए रखी गयीं और पूरी पूरी स्वीकृति हुईं।

Demands for grants Nos. 44 to 46 in respect of Ministr of Health and Faimly Welfarewere put adopted

Ministry of Education and Social Welfare and the Department of culture

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग

सभापति महोदय : शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 25 से 27 तक तथा संस्कृति विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 97 और 98 पर सदन में चर्चा होगी और इन पर मतदान किया जायेगा।

SMT PARVATI DEVI (LADAKH) : Ladakh is a border area in the State of J. and K. Ladakh is very poor area. This area is economically backward because of illiteracy prevailing here. Even the provision of primary education lacks here. There are no schools in villages and in most of the cases buildings to house the schools are not there. The people of Ladakh have to go out for higher and technical education.

The people of Ladakh have faith in Boudha Philosophy and Boudha religion. Ladakh was main centre of Boudha education but because of Chinese intervention there this facility of Boudha education remains no more there. There should be centre of Budhist Philosophy for Lamas. A school of Budhist Philosophy was set up but it requires proper reinformation in its management. This centre can become most attractive and novel institution of Budhist Philosophy.

School books in Ladakhi language are not easily available there. It is the duty of State Government to provide school books in Ladakhi language at fair prices to the students in Ladakhi. It is very unfortunate that because of non-availability of good books in Ladakni language the young generation of this area is not learning its own language. The central Government in consultation with State Government should take proper steps in this matter. A large number of central Government employees lives in Ladakh. They are on transferable posts and in the absence of a central schools there, they are put in great difficulty. Government should look into this matter.

कटौती प्रस्ताव संख्या 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 तथा 49 प्रस्तुत किये गये **श्री० पी० राजगोपाल नायडू द्वारा** कटौती प्रस्ताव संख्या 5, 6, 7, 8, 9, तथा 10 **श्री शिब्बन लाल सक्सेना द्वारा** तथा कटौती प्रस्ताव संख्या 60, 61, तथा 62, **श्री ए० ई० टी० बैरी द्वारा** प्रस्तुत किये गये।

DR. RAMJI SINGH (BHAGALPUR) : Ours is the country where the goddess of Education is worshipped the most. It s really unfortunate that 2/3rd of our people are illiterate. That is the position after thirty years of our independence.

Our constitution-makers have not included the right of education among the fundamental rights. But the right to education is included in the Declaration of Human Rights of United Nations. Accorded to me the right to education should be a fundamental right.

In our country equal opportunities of education are not available to people. There are schools where children of poor people could not study because their parents could not afford to pay high fees charged in those schools. So long as there are public schools and private schools in our country this discrimination against the poor people in the field of education will continue. Immediate steps to be taken to put an end to it.

In our country education has not been given due importance. In the first five year plan the expenditure on education was 7.9 percent. In the Second, Third and Fourth Plans it was 5.8 percent 6.9 percent and 5.1 percent respectively. In the Fifth Plan the provision is for 4.6 percent but the expenditure is 3.3 percent. It is how education is ignored in our planning.

We have been expanding higher education and ignoring primary education. Thus the foundation of our education is weak. Therefore, our wrong education policy is responsible for wide-spread illiteracy in our country.

*लदाखी में दिये गये मत भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

*Summarised version of English translation of the speech delivered in Ladakh.

In this year's budget also allocation for education is inadequate. We should not ingore education like this and allocate more funds for it. Poverty and illiteracy go together. If we want to banish poverty from our country we will have to tackle the problem of illiteracy.

Since the attainment of independence a number of commissions and committees were set up to study the problem of higher education or secondary education, but no committee was appointed to go into the problems of primary education. Because primary education has been ignored in our country we had such a wide spread illiteracy.

In our country only the rich people have taken advantage of the educational facilities available in the country. The poor people have not been able to get education. That was the reason why our all India services are dominated by upper classes. There is need for a revolutionary change in our system of education.

Our educational system is based on foreign culture. Gandhi's ideas on education have been forgotten by us. Our educational pattern should be based on indigenous culture so as to enable it more useful.

There should be equality and simplicity in our education. At present there is a wide gulf between the teacher and the taught. That is why there is lot of trouble in our educational institutions. There should be close relationship based on mutual understanding between the teachers and the students. Also moral and spiritual education should form part of our system of education. It is unfortunate that even after 30 years of independence it is a moot point as to what should be the medium of instruction is our schools and colleges. Mother tongue should be the medium of instruction from the primary stage right upto the university level.

Our education should be job oriented. Gandhiji had always said stress on knowledge through work our education is of no use if it is not worked with social transformation.

There should be autonomous board at all India level for primary secondary and university education.

The task of adult education is classal. The Government should make use of students for teaching adults during summer vacation.

There is need for overhauling our examination system. The Minister should pay attention to this matter.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

मिजोरम में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने सम्बन्धी आदेश

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री चरण सिंह की ओर से संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 51 के अन्तर्गत जारी किये गये दिनांक 7 अप्रैल, 1978 को राष्ट्रपति के आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 7 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 256 (ङ) में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रपति के शासन को 11 अप्रैल, 1978 से दो महीने की और अवधि के लिये बढ़ाया गया है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव (हनमकोंडा) : शिक्षा मंत्री की सफलता समाज कल्याण मंत्री के कार्य निष्पादन पर बहुत हद तक निर्भर है। देश में जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में ही स्कूलों की संख्या कक्षाओं की संख्या और अध्यापकों की संख्या बढ़ानी होगी। इस समय देश में कम से कम 30 लाख अध्यापकों की आवश्यकता है इससे कम में गुजारा नहीं हो सकता। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या देश में इस समय 30 लाख प्राथमिक अध्यापक है अगर नहीं है तो क्या निकट भविष्य में और प्राथमिक अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी जब तक स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री मिलकर काम नहीं करते तब तक इस दिशा में कुछ नहीं हो सकता; इसके लिये एक बहुत व्यापक कार्यक्रम बनाना होगा।

[**श्री एम० सत्यनारायण राव** पीठासीन हुए
SHRI M. SATYANARAYAN RAO *in the Chair*]

गत वर्ष शिक्षा मंत्री ने सदन में कुछ वक्तव्य दिये थे जिनसे हमें आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्होंने जब यह कहा कि शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में होने के कारण संवैधानिक तकनीक ही ऐसी हो गई है तो मैं समझता हूं कि यह इस मामले में कुछ नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वह इसके पक्ष में नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से शिक्षा

को पुनः राज्यों का विषय बनाने के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया है और संविधान में आवश्यक संशोधन करने के लिये भी कहा था मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय का रवैया पहले जैसा ही है अथवा उसमें कुछ सुखद परिवर्तन आ गये हैं।

मंत्री महोदय ने कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का उल्लेख किया है और कहा है कि पिछली सरकार ने जल्दबाजी में संविधान में संशोधन किया और कोठारी आयोग की सिफारिशों के बावजूद शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। लेकिन कोठारी आयोग का प्रतिवेदन 1965-66 का है और शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 में लाया गया है इन 10 वर्षों के अनुभव से ही यह कार्यवाही करनी पड़ी। यदि मंत्री महोदय इस मत से सहमत नहीं है तो उन्हें अपनी योजना बनानी चाहिये। केन्द्र राज्यों के वास्तविक सम्बन्ध क्या हैं जिनके कारण उन्हें ऐसी कार्यवाही करनी पड़ी और शिक्षा को समवर्ती सूची में रखकर या इसे राज्यों का विषय बनाकर वह क्या कौतूहल करना चाहते हैं।

शिक्षा के मामलों में हमें राज्य सरकारों का कुछ अनुभव है। इसलिये हम कह सकते हैं कि स्कूल स्तर पर शिक्षा का स्तर आज बहुत अस्तव्यस्त होने के कारण इसमें तब तक सुधार नहीं हो सकता जब तक अनुशासन और केन्द्र का मार्गदर्शन न हो। आज इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है।

जहां तक प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध है, मैं इसे प्रौढ़ शिक्षा के साथ लाना चाहता हूं क्योंकि एक स्तर पर असफलता आने से दूसरे स्तर पर भार बढ़ जाता है। यदि हम प्राथमिक शिक्षा स्तर पर असफल रह गये तो बाद में व्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिये स्वतः भार बढ़ जायेगा। अतः बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों के इस मामले पर जो शिक्षा के सम्बन्ध में कठिन समस्या बन गई है शीघ्र ही विचार करना होगा।

हमें दो या तीन प्राथमिक स्कूलों के लिये कम से कम एक माध्यमिक स्कूल, एक अपर प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था करनी चाहिये और यदि यह अनुपात बनाये रखा गया तो मुझे विश्वास है ऐसे अनेक बालक बालिकायें, जो प्राथमिक स्तर पर या इससे पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं वे सातवीं या आठवीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। शिक्षा मंत्री को इस मामले पर विचार करना चाहिये क्योंकि इससे बाद में जाकर बहुत धन राशि की बचत होगी।

जहां तक मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का सम्बन्ध है, इसमें केवल 10 प्रतिशत छात्र-छात्रायें ही आती हैं इस कार्यक्रम के अधीन समूचे देश भर में केवल 70 लाख छात्र-छात्रायें को ही भोजन मिल रहा है। यह इसलिए है क्योंकि हम इस कार्यक्रम के लिये दूसरे देशों के दान पर निर्भर करते हैं। हमें यह क्यों करना चाहिये? हमारे पास भारी खाद्यान्न के भण्डार हैं और हम नहीं जानते कि इन भण्डारों का क्या उपयोग करें। खाद्यान्नों के इन भण्डारों को वर्षा, धूप आदि में सड़ने और चूहों आदि द्वारा नष्ट किये जाने के बजाये क्यों न हम इन भण्डारों की अपने अर्ध पोषित छात्र छात्राओं को दें? इससे दोहरा लाभ होगा और मंत्री महोदय को अपने सहयोगियों से परामर्श करने के बाद इस मामले पर गहराई से विचार करना चाहिये। और कोई व्यापक, देशव्यापी कार्यक्रम आरम्भ करने का निश्चय करें।

जहां तक हाई स्कूल शिक्षा का सम्बन्ध है, देश में हाई स्कूलों का अभाव नहीं है। हमारी पंचवर्षीय योजना में जिस पहलू की ओर ध्यान नहीं दिया गया वह यह है कि हाई स्कूल शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है। यदि हमने 3 या 5 वर्षों के दौरान इन स्कूलों के स्तर में सुधार करने, उनमें उपकरणों की व्यवस्था करने और उनमें ग्रन्थालयों की सुविधाओं में सुधार करने के लिये कदम नहीं उठाये तो मुझे विश्वास है कि हाई स्कूल शिक्षा असफल हो जायेगी और इससे सम्पूर्ण शिक्षा स्तर ही गिर जायेगा।

राज्य स्तर पर हमारा शिक्षा सम्बन्धी प्रशासन बहुत ही दोषपूर्ण है और यह स्तर बनाये रखने के लिये हितकारी नहीं है। अधिकारी शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते। जब तक राज्य स्तर पर शैक्षणिक प्रशासन का पुनर्गठन नहीं हो जाता उस समय तक इस सम्बन्ध में कोई भी प्रगति नहीं हो सकती। माध्यमिक शिक्षा के लिये एक पृथक निदेशालय होना चाहिये। ऐसा सभी राज्यों में करना होगा।

शिक्षा निदेशक प्रशासनाध्यक्ष होगा। लेकिन उसके साथ अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (अकादमी) भी होगा जिसके ऊपर प्रशासनिक कार्य का अत्यधिक भार नहीं होगा। वह स्कूल के कमरे में जाकर देखेगा कि पढ़ाई कैसे हो रही है और परिणामों का संकलन कैसे किया जा रहा है। इन सब कार्यों की जिम्मेदारी केवल उनकी होगी और इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा।

जिला तथा निम्नस्तरों पर भी प्रशासनिक तथा अकादमी कार्यों का पृथकीकरण करना होगा। उसी के बाद स्तर के लिये किसी को जिम्मेवार ठहराया जा सकेगा।

शिक्षा की तकनीकी तथा सामान्य धाराओं के बीच पूरा विभाजन नहीं होना चाहिये। आज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से निकले किसी लड़के को हाई स्कूल पास लड़के को हाई स्कूल पास लड़के से घटिया समझा जाता है क्योंकि हाथ के काम तथा दिमाग के काम में भेद समझा जाता है। इन दोनों धाराओं के मिलाये जाने से ही यह भेदभाव समाप्त हो सकता है।

गांव के स्कूल भवन का उपयोग रात में दो या तीन घटों में अध्ययन करने के लिये भी किया जाना चाहिये कमजोर वर्गों के बच्चों के लिये बहुत यह बहुत जरूरी है। गांवों में अथवा गन्दी बस्तियों में बच्चों का शोषण होता है। ऐसी हालत में कक्षा तथा अध्यापक का महत्व समझा जा सकता है। अतएव यह आवश्यक है कि उन्हें व्यवसाय पर आधारित शिक्षा दी जाये।

मेरा सुझाव है कि गांव के विद्यालय भवन को रात्रि में नियंत्रित शिक्षा के लिये उपयोग में लाया जाना चाहिए जिन बच्चों को घर में पढ़ने की सुविधा नहीं है वे इनका उपयोग कर सकेंगे। इस प्रकार उन भवनों का अच्छा उपयोग हो सकेगा।

कुछ विश्वविद्यालय न जाने क्यों पुनः कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। राजनीतिज्ञ स्वयं स्वीकार करते हैं विश्वविद्यालय में बहुत सी कठिनाइयां राजनीतिज्ञ के कारण हैं। कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि हम विश्वविद्यालयों में राजनीति पर प्रतिबन्ध लगायेंगे। राजनीति तो होनी चाहिये, लेकिन स्वस्थ राजनीति होनी चाहिये।

विश्वविद्यालयों स्वायत्तशासी निकाय है। स्वायत्तता के नाम पर अनेक विश्वविद्यालयों में आज क्या हो रहा है? मैं स्वायतत: के पक्ष में हूं और इस पर पाबन्दी नहीं चाहता। लेकिन कुछ अंकुश जरूर होना चाहिये। विश्वविद्यालयों में एक व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिये। वह सरकार के अभाव से मुक्त होना चाहिये। लेकिन यह साथ साथ विश्वविद्यालय सम्बन्धी सभी शिकायतों पर ध्यान देगा और चांसलर अथवा विजिटर को उचित परामर्श देगा जो उसके अनुसार कार्यवाही करेगा।

प्राक्कलन समिति ने तकनीकी शिक्षा की कई बातों में आलोचना की है। उनका कथन है कि तकनीकी शिक्षा सैद्धान्तिक अधिक है व्यवहारिक कम इसे सुधार के कम यत्न किये गये हैं। इंगलैंड में इंजीनियरी स्नातकों को एक वर्ष फैक्टरी में लगाना पड़ता है। विदेशों में एक इंजीनियर के पीछे 4 तकनीशियन होते हैं। भारत में यह अनुपात 1.0 की तुलना में 1.25 है। एक इंजीनियर यह समझता है कि वह तो अधिकारी है वह कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 11 अप्रैल, 1978 (21 चैत्र, 1978) (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

[The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, April 11, 1978/ Chaitra 21, 1900 Saka].